माला, खंड 34, अंक 13

बुधवार, 10 अगस्त 1994

19, श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENTARY
No. 53
Date 15.12.95

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी का ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

10 अगस्त, 1994 लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
7	8	इस्पात	हरपाल
8	20	(क) से (ख)	(क) से (ङ)
45	13	विभाग भारी	विभाग और भारी
78, 100	10, 11	एडुआर्डो	एडुआर्डो
79	नीचे से 10	का लोप किया जाए ।	
95	16	अरूणावल	अरूणावलम
107	22	प्रो0 (सावित्री लक्ष्मण)	प्रो0 सावित्री लक्ष्मण
107	नीचे से 2	ग्राम	जल
153	15	श्री एन॰के॰ राठवा	श्री एन॰जे॰ राठवा
178	4	औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री
190	नीचे से 6	आधारमत	आधारभूत
207	18, 31	अन्वारासु	अन्बारासु
215	8	3x3 का लोप किया जाए	
215	9	नेहनापाड़ा	नेल्लापाड़ा
215	नीचे से 13	तट में मत्स्य-पोतों मछलियां	तट पर मत्स्य-पोतों से मछलियां
219			

विषय–सूची

दशम माला, खंड 34, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 13, बुधवार, 10 अगस्त, 1994/19 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
नामीबिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-18
तारांकित प्रश्न संख्या :	242, 244 और 248	2-18
*		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		19-211
तारांकित प्रश्न संख्या :	241, 243, 245 से 247 और 249 से 260	19-60
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2468 से 2476, 2478 से 2498, 2500 से 2507, 2509 से 2559, 2561 से 2609 और 2611 से 2614	60-202
की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के मामले पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा सभा का बहिष्कार		203-211
सभा पटल पर रखे गए पत्र		211-214
वित्त संबंधी स्थायी समिति		214
	आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश –प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति		214
	तैंतालीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले		214-216
(एक)	केरल में कुरियाकुट्टी–करपाड़ा विद्युत परियोजना की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री वी० एस० विजयराघवन	214
(दो)	जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत केरल में कोट्टायम जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में मेचल, नेल्लापाड़ा और ईरूमपड़ा से गुजरने वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता श्री पी० सी० थामस	215

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित। चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अरब सागर तट पर मत्स्य-पोतों से मछलियां उतारने के केन्द्र बनाने तथा मत्स्य बंदरगाह स्थापित करने की आवश्यकता
श्री एन० डेनिस 215

(चार) केरल से खाड़ी के देशों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता
श्री रमेश चेन्नितला 216

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल), 1994-95 216-222
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92 222-276

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 222
श्री वी० एस० विजयराघवन 228
श्री अंकुशराव टोपे 231
श्री सी० श्रीनिवासन 234
श्री शरद दिघे 237
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 240
डा० कार्तिकेश्वर पात्र 245
डा० वसंत पवार 250
श्री एम० कृष्णा स्वामी 253
डा० गिरिजा व्यास 255
श्री हरचन्द सिंह 256
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 257
श्री के० मुरलीधरन 260
श्री पाला के० एम० मैथ्यू 262
श्री राम निहोर राय 263
श्री आर० जीवरत्नम 265
डा० विश्वनाथम कैनिथी 269
श्री राम शरण यादव 269
श्री धर्मण्णा मोड्प्या सादुल 271
श्री संत राम सिंगला 273-276

लोक सभा

बुधवार, 10 अगस्त, 1994/19 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नामीबिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से नामीबिया राष्ट्रीय गणतंत्र परिषद् के अध्यक्ष महामहिम श्री कैन्डी नेहोवा और नाम्बियाई संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। शिष्टमण्डल के अन्य गणमान्य सदस्य है :—

1. श्री फिडलिस एन्टोनियस शेयापो
2. श्री साईटोर हुसेब
3. श्री विलों कामनजा
4. श्री जोसेफिन हामुटवे
5. श्री नेमिया काटूरा

शिष्टमंडल 9 अगस्त, 1994 की सुबह दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ट में बैठे हुए हैं। हम उन्हें सुखद और सफल यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। उनके माध्यम से हम नामीबिया गणतंत्र के राष्ट्रपति प्रधान मंत्री, ससंद, सरकार और वहां के मित्र लोगों को अपना अभिवादन और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्री काकुलम) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। आज हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति की वर्ष गांठ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इसे इस प्रकार से मत कीजिए।

11.02 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 241-श्री रामेश्वर पाटीदार—उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती शीला गौतम — उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं० 242 — डा० कृपासिन्धु भोई

[अनुवाद]

लाइसेंस नीति

*212 **डा० कृपासिन्धु भोई :**

श्री सोमजीभाई डाभोर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के विकास हेतु लाइसेंस नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इन राज्यों, विशेषतः उड़ीसा और गुजरात का विकास किस प्रकार करेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी राज्य के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। किन्तु केन्द्र सरकार बिजली दूर-संचार, पानी और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करके एक विकास केन्द्र योजना चला रही है ताकि यह औद्योगिकरण के लिए केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य कर सकें। इस योजना के अधीन उड़ीसा तथा गुजरात को क्रमशः 4 और 3 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा देश के पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाने वाले एककों के लिए वित्त विधेयक, 1994 में वर्ष के आयकर अवकाश की घोषणा की गई है।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को बधाई दी होती क्योंकि औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यतः पिछड़े राज्यों को विकास केन्द्रों, आधारभूत सुविधाओं के विकास और अन्य चीजों जैसे अधिकतम प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि औद्योगिक नीति संकल्प को शब्दशः नहीं लागू किया गया है। यद्यपि यह राज्य का विषय है फिर भी केन्द्र को राज्यों की सुरक्षा के लिए आना होगा। भाई-ई-एम (इन्डस्ट्रियल ऑन्ट्रप्रेनर मेमोरन्डम) से पता चलता है कि चार औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश-ने उदारीकरण के बाद गत तीन वर्षों के दौरान हुए सकल निवेश का 55 प्रतिशत हिस्सा हथिया लिया है जबकि अन्य 26 राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को 11 प्रतिशत हिस्से से ही संतोष करना पड़ा है। अतः, इस आंकड़े को आधार मानते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पिछड़े राज्यों के सहायतार्थ नीति निर्माण में संशोधन करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पिछड़े इलाकों के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उसके प्रोत्साहन के लिए, औद्योगिक नीति के लिए उन्होंने पहले फोरन इनवेस्टमेंट की चर्चा की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जनवरी, 1993 से जून, 1994 के बीच उड़ीसा में 788 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, इस अवधि में विभिन्न राज्यों में हुए पूंजी

निवेश में उड़ीसा का स्थान पांचवां है। उन्होंने जहां तक नीति की बात कही है तो हमारी जो नीति है उसके अनुरूप भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डीनेट करती है। हम वातावरण बनाते हैं सहायता देते हैं लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है, परंतु केन्द्र सरकार बिजली, दूरसंचार, पानी और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सेंटर की योजना चला रही है। पूंजी निवेश की जो हमारी नयी नीति हुई है, उस नीति के बाद जो हमारी नयी लाइसेंसिंग नीति हुई है उसके बाद इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। डिलाइसेंसिंग के बाद यहां कमी हुई है और उसके पहले पिछड़े इलाकों में तो उसकी बढ़ोतरी थी। 40 प्रतिशत प्रस्ताव पिछड़े क्षेत्रों के लिए डिलाइसेंसिंग के बाद, नयी नीति के बाद प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके पहले 45 प्रतिशत थे इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने बता दिया है कि विदेशी पूंजी निवेश का स्थान पांचवा है और आदिवासी या अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण से हमारी सरकार की नीति है जो पिछड़े इलाकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देती है और इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसकी जानकारी हमने दी है।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं उड़ीसा का हूं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वह धनराशि कितनी है जिसका लाभ उड़ीसा सरकार को परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। कितने वर्षों में कितने विकास केन्द्रों और कितनी आधारभूत सुविधाओं की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी से उन प्रमुख और मध्यम दर्जे की औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में जानना चाहूंगा जिन्हें उड़ीसा में स्थापित किया जाना है और जो भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं? उनमें से कितनों को मंजूरी दी गई है? राज्य को और क्या लाभ दिए जाएंगे? उड़ीसा में, जो एक पिछड़ा राज्य है, पिछली सरकार के शासन काल के दौरान विकास दर बढ़कर 10, 000 करोड़ रुपए हो गई थी। अब विकास दर में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है।

क्या सरकार उड़ीसा में और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना करके वहां के लोगों की सहायता करना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है यदि मंत्री महोदया ये सभी सांख्याकिया दे सकती हैं तो उनका स्वागत है।

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं महोदय मैं ये सभी आंकड़े नहीं दे सकती लेकिन मैं उन जिला विकास केंद्रों का ब्यौरा दे सकती हूं जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है।

डा० कृपासिन्धु भोई : आप दे सकती हैं, महोदया।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, औद्योगीकरण और इन्फ्रास्टक्चर उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा में 4 ग्रोथ सेंटर्स का, चरतपुर, चौद्वार चोतवारा और किसिंगा में चयन किया गया है और इन चारों की स्टेटस रिपोर्ट स्वीकृत है। चतरपुर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है, जो अभी लीज एजेंसी के पास विचाराधीन है और इन तीनों केन्द्रों को 50 -50 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पैसों की मांग आई थी, परंतु केन्द्रों का विकास न होने की वजह से अभी राशि नहीं दी गई हैं। चार जगहों के लिए ग्रोथ सेंटर्स स्वीकृत किए गए हैं। किसिंगा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। चौद्वार की जगह परिवर्तित करके दुबरी में लगाने के लिए लिखा गया है, यह भी सरकार के पास विचाराधीन है। जैसा मैंने कहा कि 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और टोटल 50-50 लाख रुपए तीनों केन्द्रों किसिंगा को छोड़कर के लिए दिए गए हैं।

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि क्या लायसेंसिंग पालिसी में सरकार कुछ फेर बदल करने जा रही है, जिसका जवाब नहीं में दिया गया है। एक तरफ तो सरकार उदारीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ नीति में परिवर्तन करना नहीं चाहती। मैं खासतौर से दारू इंडस्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि पोटेबल अलकोहल, इंडस्ट्रिअल अलकोहल इंडस्ट्री लगाने के लिए कई प्रस्ताव 4-5 साल से सरकार के पास पड़े हुए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोग कई सालों से चक्कर लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि खासतोर से जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उदारीकरण नीति के तहत वहां पर सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाई है। भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जो सबसिडी दी जा रही है, यह कब तक चालू रहेगी। आज आदिवासी नौजवान नक्सलाइट प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और एक साल में 2-3 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना हैं, यदि नहीं तो क्या सरकार का इस प्रकार की योजना बनाने का कोई विचार है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि भारत सरकार औद्योगीकरण नीति में कोई छूट या इंसेंटिव किसी भी जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं देती, परंतु पिछड़े इलाकों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1988 में सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सबसिडी की योजना थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सेंटर की योजना लागू की गई है। इसके अंतरगत इम्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया गया है और जो बैकवर्ड इलाके हैं, 1994-95 के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने वहां आयकर में भी छूट देने की घोषणा की है। इस प्रकार से कई तरह से इंसेटिव इंटरप्रेनर्स को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं और इम्फ्रास्टक्चरल डेवलपमेंट नीति के माध्यम से सरकार पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए इंटरप्रेनर्स को प्रेरित करती है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : केन्द्रीय विकास केन्द्र योजना उन योजनाओं में एक है जिसके जरिए हम औद्योगिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी खेदजनक जानकारी मिली हैं कि इस योजना को शुरू नहीं किया जा रहा है। केन्द्र राज्यों को निधियां नहीं प्रदान कर रहा है; राज्य इसे लेकर उत्साहित नहीं हैं, राज्यों ने अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक पर्याप्त निधियों की मांग नहीं की है, अतः केन्द्र सरकार सम्पूर्ण योजना को लेकर पुनः सोचविचार कर रही है। अतः हम मंत्री जी से इस संबंध में आश्वासन प्राप्त करना चाहेंगे। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या वे यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि केन्द्र सरकार का इस योजना को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और यह कि इस योजना के क्रियान्वयन में जो भी ढिलाई है उसे राज्य सरकारों के परामर्श से दूर कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और उस योजना का जब भी बार-बार रिव्यु किया तो हमने यह पाया कि इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां हैं। यह कठिनाईयां इसलिए है कि इस योजना का व्यय भारत सरकार, राज्य सरकार और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर संसाधन की कमी के कारण ग्रोथ सेंटर योजना की प्रगति धीमी है। अधिकांश राज्यों की यह स्थिति नहीं है कि वे उस योजना के प्रावधान के अनुसार दस करोड़ रुपए प्रति ग्रोथ सेंटर के लिए बाजार से रेज कर सके। कुछ मामलों में लैंड एक्वीजिशन की दिक्कत होती है। सरकार

ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है प्रगति की समीक्षा के लिए हमने सितबंर-अक्टूबर 1993 में राज्यों के मुख्य मंत्री जो उद्योग के चार्ज में थे और जो उद्योग मंत्री थे, उनके साथ बैठक हुई है। दोबारा भी उद्योग मंत्रियों के साथ कान्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई है और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के साथ हमने अपने कार्यालय में बैठक की है। उसका परिणाम यह हुआ कि रिव्यु कमेटी का गठन किया गया। इसका प्रतिवेदन करीब-करीब तैयार है और सेक्रेटरी आई०डी० ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उसमें इस बात की अनुशंसा की गई है और आश्वासन दिया गया है कि जिन राज्यों में ग्रोथ सेंटर प्रगति कर रहा है और कोई-कोई राज्य बहुत अच्छा कर रहा है तो उन राज्यों को ग्रोथ सेंटर के लिए वित्तीय संस्थानों को पैसा देना है, ऐसा आश्वासन दिया गया है। जिन राज्यों ने अच्छा किया है उनको हमने तीन-तीन किश्तों में पैसा आवंटन किया है। लेकिन जो राज्य नहीं कर पा रहे हैं उनकी राज्य सरकार के साथ कठिनाईयां हैं जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से बिहार राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है और माननीय मंत्री महोदया भी बिहार से आती हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के कितने जिलों में ग्रोथ सेंटर खोलने की व्यवस्था की है और इस पर क्या प्रगति हुई है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहती हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं ओवर-वेट हूं और कितनी ओवर-वेट हूं तो उतनी चिट्ठियां मैंने बिहार के मुख्य मंत्री को लिखी हैं। जब नयी नीति बनी तो प्रथम बैठक हमने बिहार में की और उनसे कहा कि हमें पार्टी लाईन से ऊपर उठकर बिहार की प्रगति करना चाहते हैं तो आप साथ दीजिए। लेकिन किसी पत्र का उत्तर नहीं मिलता है इसलिए किसी भी तरह से प्रगति की संभावना नजर नहीं आती है। फिर भी हमने अपने स्तर से बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के औद्योगिक सचिव के साथ तीन बार बैठक की है। इतने वर्षों के बाद परिणाम यह निकला कि जो छह औद्योगिक केन्द्र स्वीकृत है जैसे-छपरा, मुजफ्परपुर, हजारीबाग, भागलपुर, दरभंगा और बेगुसराय, इनमें कुछ क्वेरीज हुई है जिसका उत्तर अभी हाल में आईसीआईएफसीआई में आया है कि अभी विचाराधीन है। 22-8-1994 को हमने बैठक बुलाई है जिसमें मुख्य सचिव और औद्योगिक सचिव ने आने का वायदा किया है और कहा है कि हम इसको जल्दी कार्यान्वित करेंगे। **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तात् में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : सरकार की नीति यह देखना है कि वे उद्यमियों को, विशेषरूप से हमारी सरकार के उदारीकरण नीति के प्रकाश में, प्रोत्साहित करें। हमारे देश में बेरोजगार युवकों की संख्या काफी अधिक है। मैं समझती हूं कि सरकार को अपनी नीति संशोधित करनी होगी क्योंकि इसे अपनी इन प्रणालियों, प्रक्रियाओं, और कठिनाइयों को सरल बनाना है। बेरोजगार युवक 'सिंगल विन्डों' योजना के जरिए इन सुविधाओं के साथ, जिस बारे में उन्होंने सोचा था, समूहों में नए उद्यमों को शुरू करना चाहेगें।

उस नीति का क्या हुआ जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान वे कर्नाटक में कितने लघु उद्योग स्थापित करने में सफल हुए हैं। इस बारे में क्या प्रगति हुई है।

जब तक हम इन चीजों को सरल बनाकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तब तक उनके

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए सामने आना बहुत कठिन है। जैसा कि हमारे एक माननीय साथी ने अभी-अभी ठीक ही कहा है कि इसमें काफी समय लगता है। यह बहुत थकाऊ प्रक्रिया है। यदि वित्तीय संस्थाएं वित्त देती भी हैं तो जब तक वे अन्य सुविधाओं जैसे पानी, विद्युत, जमीन, कच्चा माल और इसी तरह की अन्य चीजों को लेकर अपना काम शुरू करते हैं तब तक उस पर ब्याज की राशि बढ़ती जाती है।

उन्हें इसके बारे में कुछ न कुछ करना है। उन्हें ..... नवीकरण अथवा पुनरूज्जीवित करने के लिए इस पर गंभीरता से सोचना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : जी हां, श्रीमान्

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : अतः, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कर्नाटक में 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने नए उद्योगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पूर्व में सोची गई 'सिंगल विन्डो' एजेन्सी के जरिए इन सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग राज्यों के बारे में विवरण अभी नहीं दे सकती। सिंगल विंडो कहां-कहां हुआ है, इसकी सूची मेरे पास है। अगर माननीय सदस्या चाहें तो मैं दे दूंगी। नई इकाइयों के बारे में जो उन्होंने पूछा है तो कर्नाटक में औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सेंटर धारवाड़, हासन और रायचूर में हैं। धारवाड़ में तीन करोड़ रुपए दिए गए हैं। रायचूर में 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन प्रगति कितनी हुई है, इसका अभी लेखा जोखा चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री अंकुश राव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाइसेन्स समाप्त करने की नीति स्वीकार करने के बाद किस राज्य ने सर्वाधिक संख्या में उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित किया है ? उद्योगों की संख्या क्या है? उस राज्य में अन्य उद्योगों में कितना निवेश किया गया है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : यह विस्तृत प्रश्न है। इसमें सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कर रहे हैं। इन प्रथम तीन का विवरण मेरे पास है?

[अनुवाद]

श्री मृत्युञ्जय नायक : महोदय, यह एक मानी हुई बात है कि हमारे मंत्री पत्र लिखने में महारथी है। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रश्न पिछड़े राज्य तथा मेरे जिले जैसे पिछड़े जिलों के बारे में है। अब तक मेरे जिले में कोई उद्योग नहीं हैं। इसलिए उड़ीसा सरकार ने इसे 'उद्योग रहित जिला' घोषित किया है। अतः उसे देखते हुए, क्या वरीयता रखी गई है? क्या सरकार केवल एक पिछड़े जिले को ही वरीपता प्रदान करने पर विचार करने की स्थिति में है अथवा एक ऐसे जिले पर भी जहां कोई उद्योग नहीं है और जिसे 'उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने पहले ही कहा है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में 53 जगह ऐसी हैं जहां पिछड़े जिलों में औद्योगिक सेंटर्स की स्थापना की स्वीकृति दी है। 12 जगह ऐसी हैं जहां नो-इंडस्ट्री है। वहां पर औद्योगिक सेंटर की स्थापना की गई है। जहां हिली एरिया है वहां ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम चला रहे हैं। टैक्स हालीडे भी दिया है। नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट 1988 में था। उसके बाद ही हमने डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सेंटर की योजना चलाई है। उसको एबन्डन कर दिया गया था, क्योंकि वह दो करोड़ रुपये की योजना थी, अब बड़ी योजना बनाई है।

श्री इस्पात पंवार : किसी भी राज्य और देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योंग और घरेलू उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सरकार ने इनके लिए बहुत सी रियायतें दी हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो भी छोटी यूनिट्स लगाई जाती हैं, उनमें से अधिकतर मर जाती हैं। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी है कि ये यूनिट्स क्यों मर जाती हैं?

अध्यक्ष महोदय : हम पूरी इंडस्ट्री डिसकस नहीं कर रहे हैं। पिछड़े एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लाइसेंस पालिसी में कुछ फर्क करना चाहिए, यह मुख्य प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय माननीय मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर में पिछडे जिलों में औद्योगिक विकास या लाईसेंस के लिए केवल दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, अर्थात, एक कर छुट और दूसरा विकास केंद्र। केन्द्र सरकार ने कई प्रोत्साहन प्रदान किए थे, जैसे कि केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा मूल्य वरीयता योजनाएं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रमान की गई सभी रियायतें पूर्णतया बन्द कर दी गई है? महोदय मन्त्री जी विकास केन्द्र के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी राज्य में एक भी विकास केन्द्र प्रारम्भ नहीं किया गया है।

केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश राजसहायता, मूल्य वरीयता योजना तथा तकनीकी सहायता योजना जैसे कई लाभ प्रदान किये है। उन रियायतों के बारे में क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ रियायतों का संदर्भ दिया है जो सरकार द्वारा प्रदान की गई थी; और वे यह जानना चाहते है कि क्या आप उन रियायतों को जारी रखेंगें अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जो रियायतें हैं, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुछ सिलेक्टिव इन्सैटिव्ज़ भी देते हैं और इनफ्रास्ट्रक्थरल डेवलपमेंट नीति के माध्यम से कटिन्यू कर रहे है और करेंगे और जैसा माननीय सदस्य ने ग्रोथ सैंटर्स के बारे में कहा है, वे कहीं-कहीं अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (त्रिचुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े राज्यों के विकास के लिये जो 55 प्रतिशत राशि जिन राज्यों को आवंटित की गयी है, उनमें उत्तर प्रदेश भी हैं। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं यह बताना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30-35 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है और छोटे उद्योगों की भी बुरी हालत ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों — मिर्ज़ापुर, माज़ीपुर, आज़मगढ़ में ग्रोथ सेंटर चल रहे हैं या चलाने की कोई योजना है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग जिलों का तो नहीं बता सकती हूं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का बता सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको लिखकर दे दीजिये।

[अनुवाद]

प्रश्न सं० 243

श्री दिलीप भाई संघाणी — उपस्थित नहीं हैं।

डा० मुमताज अंसारी — उपस्थित नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र में जिम्मेदारी

*244 **श्री तारा सिंह :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में, उनके अपने-अपने एककों के कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास कर रहे है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है, और

(ङ) सरकार द्वारा इन कार्यकारी अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा किस प्रकार की जाती है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अपने एककों के भी कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। प्रशासनिक-मन्त्रालय मुख्य कार्यपालकों के समग्र कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते हैं।

श्री तारा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी उपक्रमों के दायित्व का प्रश्न लम्बे समय से लम्बित है। सरकारी उपक्रमों के प्रशासन को चुस्त करने के लिए सरकार ने नौवें दशक के मध्य में एक अर्थशास्त्री, श्री अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसने 1986 में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् सरकार ने सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को तेज नहीं किया है। तथापि, सरकार ने प्रतिवेदन के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट सचिव के समापतित्व में एक उच्च-अधिकार प्राप्त निमय की नियुक्ति की जिसमें भारत सरकार के कुछ सचिव भी शामिल थे। **(व्यवधान)**।

1987 से कुछ सरकारी उपक्रमों को लक्षित उत्पादन आदि के लिए एक समझौता ज्ञापन भी करने के लिए कहा गया था। सरकारी उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापन के संबंध में अर्जुन सेन गुप्ता समिति की क्या सिफारिशें है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उक्त समिति ने सरकार से समझौता ज्ञापन के मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी वित्त विभाग से संबंधित है, लेकिन हमारे यहां एक प्रश्न जो एम०ओ०यू० साइनिग से संबंधित है, उसके बारे में मैं उत्तर दे सकती हूं, लेकिन अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री तारा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी सरकारी क्षेत्र के एककों उनकी श्रेणी तथा वर्ग को ध्यान में रखे बिना, इस बात को ध्यान में न रखते हुए क्या वे रूग्ण है अथवा नहीं, इसे न देखते हुए कि क्या उनको बी०आई०एम०आर० को भेजा गया है अथवा नहीं को ऐसे समझौता ज्ञापन करने के लिए कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि यहां तक कि सरकारी क्षेत्र रूग्ण एककों के साथ भी समझौते ज्ञापन का परिणाम उनके कार्यकरण में नवीनीकरण होगा

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तारा सिंह जी इस तरह से मुश्किल हो जाती है। आप प्रश्न पर आइए। उसको पढ़िए नहीं, सीधा प्रश्न बोल दीजिए जो आपके मन में हैं।

[अनुवाद]

श्री तारा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन उपक्रमों की सहायता कर रही है जो रूग्ण है और जो बन्द होने के कगार पर है? क्या सरकार इन उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में सोच रहीं है ताकि उनका पुनर्उद्धार किया जा सके। मैं यह प्रश्न दो एककों अर्थात स्कूटरस इण्डिया लिमिटेड तथा टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन के विशेष संदर्भ में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप रूग्ण सरकारी उपक्रमों की सहायता कर रहें है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, एक-एक पब्लिक सेक्टर को अगर पूछेंगे तो मेरे लिए कठिनाई है। यह प्रश्न है।

[अनुवाद]

क्या सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराये जाने की संभावना है। अतः सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया गया है।

[हिन्दी]

उनकी जिम्मेदारी ठहरायी जाएगी या नहीं। उनकी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन अलग-अलग कार्पोरेशन्स के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात से अवगत है कि काफी बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उद्यम विभिन्न कारणों से रूग्ण हो रहे है। एक कारण कुप्रबंधन हो सकता है रूग्ण यूनिटों का पुनउर्द्धार करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है जिनमें श्रमिकों की छटनी, निधियां प्रदान करना आदि शामिल है। लेकिन नोट करने योग्य एक बात यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की ओर से गलत कार्य के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गये है जिनपर देश ने विश्वास किया था। यह महसूस किया जा रहा है कि इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में से कुछ स्वेच्छाचारियों की तरह से व्यवहार करते है। वास्तव में, उनमें से कुछ को यहां तक कि गलत कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। उदाहरण के लिए, नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन के बन्द करने के पश्चात् उसमें मुख्य कार्य अधिकारी को एस०टी०सी० में विपणन प्रभाग में निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था जो भारत का मुख्य व्यापारिक संगठन है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये। आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते। यह सभा एकाएक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान नहीं करती है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिनका कार्यनिस्पादन अस्तरीय पाया गया है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उनके कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु किसी निकाय का गठन किया गया है।

दूसरे क्या निजी क्षेत्र में सम्बधित उद्योगों के विशिष्ट और योग्य व्यक्तियों का चयन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उनके पुनरूद्धार कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की अगुवाई की जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने अनेक प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अंत में जो प्रश्न था कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में ओफिसर्स को चुनने की प्रक्रिया का नियम है या नहीं और उन्हें लेंगे या नहीं। पब्लिक सेक्टर ऐण्टरप्राइसेज़ के द्वारा पी०एस०यू०एस० के डायरेक्टर पद को भरने के लिए ओपन ऐडवर्टाईज़मेंट होता है और योग्य लोगों को बुलाया जाता है और इसमें कोई भी जा सकता है। इंटरव्यू कमेटी में वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं और उन्हीं से उसका सेलेक्शन होता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा था।

एम०ओ०यू० साइन करने वाले पी०एस०यू० के चीफ एक्जीक्यूटिव को ही जिम्मेदार माना जाता है वे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम०ओ०यू० में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करें। मैं मानती हूं कि पहले इसमें थोड़ी सी कोताही थी, लेकिन अब इसमें बहुत ही कड़ाई की गई है और कैबीनेट सैक्रेट्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी है उसमें निर्णय लिया जाता है। 1994-95 से चीफ एक्जीक्यूटिव के ए०सी०आर० लिखते

समय 80% वेटेज उनके द्वारा एम०ओ०यू० के परफारमेंस पर दिया जाता है और हम लोग मिड टर्म रिव्यू करते हैं। उसके ऊपर कन्फर्मेशन होता है।

मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन चीफ एक्जीक्यूटिव्स ने पब्लिक अंडरटेकिंग्स में अच्छा काम नहीं किया है उनकी कन्फर्मेशन को रोक लिया गया है और साथ-साथ प्रमोशन में भी कठिनाई हो रही है, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इसमें जो पहले प्रक्रिया थी, उसमें एम०ओ०यू० साइन करने के बाद, संख्या में बहुत ही बढ़ोत्तरी हुई है और चीफ एक्जीक्यूटिव के उत्तरदायित्व में सीरियसनैस आई है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : सरकारी उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों की अक्षमता और अयोग्यता के कारण अधिकांश उद्यमों को घाटा हो रहा है। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी मुख्य क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गतिविधियों, क्षमता और योग्यता के सम्बन्ध में विगत में हाल ही में कोई मूल्याकन किया गया है, अथवा इनका कोई सम्मेलन या बैठक हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस मूल्यांकन और बैठक में किन-किन खामियों का पता लगाया गया और क्यों उन्हें इन खामियों को दूर करने तथा अपनी क्षमता में सुधार करने का परामर्श दिया गया है।

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। रूग्णता निर्धारित करने के लिए मात्र एक कारक पर ही विचार नही किया जाता है। इसमें अनेक कारक शामिल होते हैं। मुझे फाईल के बाद फाईल मिलती रहती हैं। किसी प्रबंध निदेशक की कार्यकुशलता का मूल्याकन निर्धारित करने का हमारा एक मानदण्ड यह है कि क्या उसके कार्यकारण के दौरान उद्यम ने लाभ अर्जित किया है अथवा उसे घाटा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति का कार्यनिष्पादन अन्तिम परीक्षण नहीं होता। कई अन्य मानदण्डों पर भी विचार किया जाता है। हम इन सभी बातों का सम्पूर्ण अवलोकन करते हैं कि क्या किया जाये, उसे पदोन्नत किया जाये अथवा नहीं, उसे किसी विशेष चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जाये ये सभी बातें प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : अध्यक्ष महोदय, हम सभी अपने देश में सरकारी क्षेत्र की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित हैं। निसन्देह:, जवाबदेही की संस्कृति का सरकारी क्षेत्र में अधिक विकास करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका विकास किया जाना चाहिए। एक तरफ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जाती है। और दूसरी तरह उनकी जवाबदेही है। महोदय, मत्रांलयों के उच्च अधिकारियों चाहे वह सयुंक्त सचिव हो या अपर सचिव, द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल में प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रतिनिधियों अथवा उच्च अधिकारियों को यह कहा जाता है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकरियों की गतिविधियों पर निगरानी रखें और क्या इस सम्बन्ध में उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है और क्या ऐसी रिपोर्टों की उच्च स्तर पर अर्थात सचिव अथवा स्वयं मंत्री महोदय द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, समीक्षा होती है और पूरी तरह समीक्षा होती है। एम०ओ०यू० के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि की समीक्षा एक एडहाक टास्कफोर्स के द्वारा की जाती है और उसके आधार पर पी०एस०यू० की ग्रेडिंग की जाती है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, यह प्रश्न अलग है। स्पष्ट रूप से प्रश्न यह है कि प्रतिनिधियों द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : एडहाक कमेटी के बाद हाई पावर कमेटी है। एम०ओ०यू० के लिए जब एडहाक कमेटी देख लेती है, तो उसके बाद हाइ पावर कमेटी में जाता है।

[अनुवाद]

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय यह वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त अथवा नामनिर्देशित निदेशकों द्वारा उन गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है जो उद्योग में हो रही हैं और क्या वे हमें समय से इसकी जानकारी देते हैं कि उद्योग संकट में फसने जा रहा है और कुछ किये जाने की आवश्यकता है। जी हां; महोदय, कम्पनी के निदेशकों के रूप में ऐसा करना उनका कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : यही तो मैं बता रही हूं कि इवैल्युएशन किया जाता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फर्क इतना है कि आप पढ़ रही थीं और प्रधानमंत्री जी वैसे ही बोल रहे थे।

श्री भेरू लाल मीणा : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि जो सरकारी उद्योग होते हैं उनमें खर्चा ज्यादा होता हैं क्योंकि उनमें मैनेजर, डायरेक्टर तथा अधिकारियों की संख्या ज्यादा होती है? दूसरा उनके लिए गाड़ी वगैरह होती है जिसकी वजह से कारखानों के अन्दर ज्यादा खर्चा होता है।

क्या प्रधानमंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने कारखाने हैं जिसमें शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स का कोइ व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के लेवल पर है? यदि नहीं है तो क्या रखे जायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसके लिए आपको अलग से सूचना देने की आवश्यकता है।

श्रीमती कृष्णा साही : जी हां; महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 245 फूलचन्द वर्मा — उपस्थित नहीं श्री अरविन्द त्रिवेदी — उपस्थित नहीं प्रश्न सं० 246 डा० के०वी०आर० चौधरी — उपस्थित नहीं प्रश्न सं० 247 श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या — उपस्थित नहीं डा० डी० वेंकटेश्वर राव — उपस्थित नहीं प्रश्न सं० 248- श्री परसराम भारद्वाज — उपस्थित नहीं

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

रोजगार बीमा योजना

*248. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार बीमा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ढांचा तैयार करने हेतु प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार बीमा योजना के धन से लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को पलायन को रोकने में भी सहायता मिलती है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले मजदूरों को वही न्यूनतम मजदूरी दी जाती है जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार की सम्बद्ध अनुसूची के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित किया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा विगत में समान राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने के मुद्दे पर विचार किया गया था तथा यह महसूस किया गया था कि एक सामान्य राष्ट्रीय मजदूरी ढांचा बनाने की नीति न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय, तथापि जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय **की परामर्शदात्री समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लगाए गये** मजदूरों के लिए सामान न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर राज्य सरकारों, श्रम मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करके जांच की जा रही है।

गैर कृषि मौसम के दौरान मजदूरों के पलायन से सूखाग्रस्त मरूस्थलीय, आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र आमतौर पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य गैर कृषि मौसम के दौरान इन क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबों को शारीरिक श्रम वाला 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मुहैय्या कराना है। हालांकि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए बनायी गई है। इस योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के वे सभी लोग रोजगार प्राप्त कर सकते है जो 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की आयु वाले हों और जो रोजगार के जरूरतमंद हैं तथा जिन्हें रोजगार की तलाश है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल श्रम प्रधान कार्य शुरू किए जाते हैं जिनमें ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे सतृत रोजगार सृजित होता है। इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण मजदूरों का शारीरिक श्रम के अकुशल रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रूक सकेगा।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अलावा न्यूनतम 700 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 20 प्रतिशत निधियां देश के विभिन्न राज्यों के उन 120 पिछड़े जिलों में गहन रोजगार योजना कार्यान्वित करने के लिए आबंटित की गई है। जिसमें बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी अधिक है, और इसलिए इन क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार के प्रति गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। इस श्रेणी के तहत आने वाली योजनाओं में जल एकत्रीकरण ढांचे तथा वाटर सैड तथा बंजरभूमि विकास फार्म वानिकी आदि शामिल है जिनसे सतृत ग्रामीण रोजगार मिलता है तथा क्षेत्र में सूखे पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है।

अधिकतम 75 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत निधियां विशेष तथा अभिनव परियोजना जिनमें वे परियोजनायें भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों के शहरी क्षेत्र की तरफ होने वाले पलायन को रोकना है, भी शामिल है, शुरू करने के लिए भी रखी गई है।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मेरा नाम माणिक राव होडल्या गावीत है। लोकसभा में मैं चार बार चुनकर आया हूं परन्तु फिर भी मेरा नाम कल की डिबेट में गलत छपा है।

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब हम देंगे, मिनिस्टर नहीं। आप अपने प्रश्न पर आ जाईये।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : महोदय, पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि हमारे देश में गरीबों के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मजूदरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने की व्यवहारिकता पर राज्य सरकारों, श्रम मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के साथ जो सलाह मशविरा करके जांच की जा रही है, उसमें मजदूरों की न्यूनतम दर कब तक निर्धारित की जायेगी?

इस योजना के अन्तर्गत देश में जिन 120 पिछड़े जिलों में यह योजना लागू की गई है, उन जिलों के नाम मंत्री महोदय ने नहीं बताये हैं। वह भी मुझे मिलने चाहियें। इस योजना के अन्तर्गत जिन्होंने रोजगार की मांग की है, उनको रोजगार देने की योजना है। मेरे जिले में जो तहसील आता है, उसमें कम से कम दो लाख की आबादी है। सरकार की तरफ से तहसील हैडक्वार्टर के लिए 5 लाख रुपये दिये जाते हैं, जो कि बहुत कम है। मेरी आपसे मांग है कि आप इसमें धनराशि बढ़ाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या आप धनराशि बढ़ायेंगे?

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य ने तीन मुख्य प्रश्नों पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की हैं पहला उनका सवाल न्यूनतम मजदूरी के संबंध में है। सभी राज्यों को केन्द्रीय सरकार के मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 के मुताबिक अपने यहां काम करने वाले मजदूरी की सूची-2 के मुताबिक जितने कृषि मजदूर या दुसरे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। उसके मुताबिक सभी राज्यों ने अपने यहां सूची बनायी है और न्यूनतम वेतन अपने-अपने राज्यों में निर्धारित किया है। वह सामान्य नहीं है, इसकी चर्चा हाल ही में हमारे मंत्रालय से संबंधित कंसलटेटिव कमेटी में हुई थी और उसमें एक सुझाव दिया गया था कि जो एश्योर्ड एम्पलायमेंट स्कीम चलाई जा रही है, क्या यह संभव है कि उसके अंतर्गत काम करने वाले लोगों को हम सभी राज्यों में एकसमान वेतन दें। अभी जो न्यूनतम वेतन की प्रक्रिया है, उसके बारे में इंडियन लेबर कांफरेंस ने कुछ सुझाव दिये थे जिन्हें सभी राज्यों ने माना है और उसके मुताबिक अपने-अपने राज्यों में दर निर्धारित की हैं। इस सुझाव के बाद, हमने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे कृपया हमें सूचित करें कि इस काम के लिये क्या हम न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकते हैं, उनकी क्या राय है, उनके क्या सुझाव हैं और इस संबंध में लेबर मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री से भी हमने सुझाव आमंत्रित किये हैं। उन सबके प्रस्ताव आने के बाद ही हम यह निर्णय कर सकते हैं कि एश्योर्ड एम्पलायमेंट स्कीम के लिये सभी मजदूरों को बराबर न्यूनतम वेतन दें। अभी राज्य सरकारों ने अपने यहां जो वेतन की दर निर्धारित की हैं, उसके मुताबिक सभी को वेतन दिया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का 120 जिलों की सूची के बारे में हैं, वह सूची मेरे पास है और मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

तीसरी बात उन्होंने 5 लाख रुपये के संबंध में पूछी है। ऐसी बात नहीं है। हमने सभी राज्यों को अपने यहां काम शुरू करने के लिये 5 लाख रुपये दिये हैं। उसके बाद सभी राज्यों को इस साल भी रुपये दिये गये

हैं और सभी राज्यों के पास लगभग 1100 करोड़ रुपये हैं, जिसमें पिछले साल की बची हुई राशि के अतिरिक्त जो हमने राशि दी है, उसके अलावा 20 प्रतिशत भाग राज्यों ने दिया है, अतः सभी राज्यों के पास राशि उपलब्ध है और किसी राज्य को इस संबंध में कोई कठिनाई हो, ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है। हम उनसे आग्रहपूर्वक कह रहे है कि इस राशि का वे उपयोग करें। हमारे पास 30 जून तक जो सूचना आयी हे, उसके मुताबिक 113 करोड़ रुपये इस स्कीम में अब तक खर्च हुये हैं तथा अधिक धनराशि खर्च करने के लिये राज्यों के पास राशि उपलब्ध है। इसके अलावा यदि और राशि की आवश्यकता होगी तो हम देंगे। यदि 50 प्रतिशत कुल राशि का भाग वे खर्च कर देते हैं तो दूसरे इंस्टालमेंट की राशि उनसे सूचना मिलने पर हम दे देंगे।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मैं यहां महाराष्ट्र के बारे में जानकारी चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की यह रोजगार बीमा योजना गरीब लोगों के लिये बहुत अच्छी है और इसके अच्छे परिणाम सामने आयेगें ऐसा मैं मानता हूं लेकिन इसका ठीक ढंग से कार्यान्वयन कराने की आवश्यकता है। इस बारे में मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी बताया है कि वे राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत दी गयी राशि का सहीं ढंग से उपयोग करने के निर्देश देंगे ताकि यह योजना ठीक तरह से लागू हो। मैं जानना चाहता हूं कि इसको ठीक ढंग से लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिये जायेंगे?

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह केन्द्रीय योजना है जिसकी घोषणा स्वंय प्रधानमंत्री जी ने विगत 2 अक्तूबर को की थी। यह योजना 23 राज्यों के 1778 प्रखंडों और 4 यूनियन टैरिटरीज में चल रही है। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हैं, जिलों के कलैक्टरों पर है।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि इसे अच्छी प्रकार से कंट्रोल करने या इम्पलीमेंट करने के लिये अगर निर्देश देने की आवश्यकता है तो क्या वे निर्देश आप देंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकूर : अवश्य देंगे।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र को जिलों के पिछड़े जिलें नहीं माना जाता है। लेकिन महोदय अनेक गांव ऐसे है जो कई अर्थों में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है और मैं यह जानने के लिए आतुर हूं कि क्या सरकार मेरे विरोध अनुरोध पर रोजगार आश्वासन योजना को मेरे जिलों अर्थात् त्रिचुर और एर्नाकुलम तक बढ़ायेगी।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसमें जो चुनाव हुये हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हैं, जो क्षेत्र सुखाड़ग्रस्त हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो मरू-भूमि क्षेत्र है उनमें हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो प्रखंड आते हैं, हमने उनको लिया है। गांव के स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड इसे पूरा करते हैं, उन्हें लिया गया है और आगे भी जब ऐसा होगा तो उस संभावना पर सरकार विचार करेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है अथवा नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : यह नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। **(व्यवधान)**

श्री अनादि चरण दास : महोदय, यह बहुत ही अच्छी योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे गरीब और अकुशल लोगों को वास्तव में नौकरी मिल जायेंगी। लेकिन मेरे विचारानुसार इस योजना को जन-जातीय उपयोजना क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है वहां मैं वास्तव में कार्य कर रहा हूं। मैं यह भी समझता हूं। कि भारत सरकार ने कुछ मार्गनिर्देश जारी किये थे कि श्रमिकों को पहचान पत्र दिये जाये लेकिन उन मार्गनिर्देशों को उड़ीसा राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। मैंनें यह प्रश्न राज्य सरकार के साथ कई बार उठाया था लेकिन उन्होंने मुझे यह बताया था कि इन मार्गनिर्देशों में कुछ खामियां हैं जिनके कारण वे पहचान पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में वास्तव में कार्यरत लोगों को 100 अतिरिक्त कार्यदिवस दिये जायेंगे। मेरे विचार से केवल छोटे-मोटे श्रमिकों अथवा छोटे-मोटे ठेकेदारों को ही कार्य पर लगाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई ठीक-टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अनादि चरण दास : यह रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत आता है। मैं विगत कई वर्षों से यह देख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनादि चरण दास : प्रश्न यह है कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वे छोटे-मोटे ठेकेदारों को ही कार्य पर क्यों लगा रहे हैं? मार्गनिर्देशों में खामियां क्यों हैं?

लक्ष्य सूमहों में इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया था ? वे अन्य राज्यों से उन लोगों को जो खरे नहीं हैं, नौकरियां क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपना प्रश्न पूछिए। इसे दोहराईए मत। वरना आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय, वे कह रहें है कि ठेकेदारों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप इस संबंध में मार्ग निर्देश जारी कर रहें है ताकि ठेकेदारों का प्रयोग न किया जाये और रोजगार दिया जाये?

श्री रामेश्वर ठाकुर : पहले ही बहुत स्पष्ट मार्ग निर्देश मौजूद है। किसी भी ठेकेदार का प्रयोग नहीं किया जायेगा। केवल खण्ड विकास अधिकारी ही कार्य संचालन करेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की सहायता से कार्य संचालन किया जायेगा।

पहचान-पत्रों के संबंध में, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, हमारे पास यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति रोजगार चाहता है वह ग्राम पंचायत में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। रोजगार के लिए कम से कम ऐसे 20 व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए और बी०डी०ओ० द्वारा संचालित स्वकार्य कार्यक्रम के अंतर्गत इन व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु इसमें यह पाबंदी है कि एक ही समय में प्रत्येक परिवार में से दो व्यस्कों को रोजगार मिल सकता है।

श्री अनादि चरण दास : आपने इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त धन राशि नहीं दी है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जब कभी आवश्यकता हुई हमने छूट दी है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में यदि दस व्यक्ति भी उपलब्ध हैं तो उन्हें रोजगार मिल सकता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा दुरूपयोग हो रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में यदि कार्य के लिए दस व्यक्ति भी उपलब्ध हैं तो उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा इस तरह, मार्गनिर्देशों में इस छूट का प्रावधान किया गया है।

श्री के० प्रधानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां एक गंभीर समस्या है, केन्द्र सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था पर राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर रही है।

मैं श्री दास की इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि ठेकेदारों के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की तुलना में बहुत कम वेतन दे रहें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भुखमरी से ग्रस्त गरीब लोगों जिनकी कुपोषण के कारण मृत्यु हो रही है, को इन लाभों से वंचित करने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, इस योजना को हाल ही में आरंभ किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार ही कार्यान्वित करती है। माननीय सदस्य ने मुझे राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है जो बहुत बड़ी बात है। परंतु हमें बेहतर सामंजस्य और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। कुछ भी स्वतःपूर्ण नहीं हो सकता। इस योजना को तो हाल ही में आरंभ किया गया है। जिस समय हमे रोजगार प्रदान करना होगा तो शायद वह प्रत्येक राज्य के लिए ही नहीं वरन् प्रत्येक क्षेत्र के लिए भी भिन्न हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अब उन लोगों के लिए काफी काम है जो गांवो में रोजगार चाहते हैं। बुआई का मौसम आरंभ हो गया है। बुआई चल रही है। शायद यह अनुत्पादनशील मौसम हो। अनुत्पादनशील मौसम जो वर्ष में लगभग 100 दिन का होता है, उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त की जाए और इसके बाद काम शुरू किया जाए। इस विषय पर राज्य सरकार के साथ विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और वह तंत्र शायद अपेक्षित कुशलता से कार्य नहीं कर रहा है। मेरे विचार से इस कमी की जांच की जानी चाहिए। हम इस पहलू की जांच करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम गांव के गरीब लोगों और बेराजगार लोगों के लिए बनाई गई थी। मेरे क्षेत्र कोसी परिमण्डल को शहर जिला योजना में लिया गया है। और उसमें रुपये का पूर्ण दुरूपयोग हो रहा है। उसमें यह है कि पंचायत समिति से स्कीम पारित कराई जाय लेकिन एक भी स्कीम पंचायत समिति से पारित नहीं हुई, फिर जिला योजना से पारित कराई जाये लेकिन जब हम लोगों का सत्र चलता है, तब वहां जिला योजना की बैठक होती है। इसको गांव के लेविल पर किया जाना चाहिए लेकिन इसको शहर के लेविल पर करते हैं। हमने कई बार मंत्री जी को पत्र लिखा लेकिन इसपर कोइ कार्रवाई नहीं हुई। मैं

माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जहां यह स्कीम्स चल रही हैं, वहां के सांसद लिखते है तो उसकी छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप उनके पत्र का दखल लीजिए।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि खण्डवा जिले के करीब 254 गांव इन्दिरा सागर प्रोजैक्ट की डूब में आ रहे हैं, उन गांवो के लोगों, जो दूसरी ओर विस्थापित किया जाता हैं, क्या यह 254 गांवों के लोग, जो दूसरी ओर विस्थापित होने जा रहे हैं, वहां लोगों को रोजगार देने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश बी० पाटील : यह उल्लेख किया गया है कि इन श्रेणियों के अंतर्गत जो योजनाएं हैं वे हैं जल एकत्रीकरण ढांचा, पनधारा और परतीभूमि, जल एकत्रीकरण अथवा जल संरक्षण, गली प्लगिंग और नाला बंदी इत्यादि और वे अस्थायी स्वरूप की हैं। यदि कोई एक या दो वर्ष के बाद वहां का दौरा करता है तो वहां देखने लायक कुछ नहीं होता। सब समाप्त हो जाता है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ये निर्माण स्थायी रूप से बने रहें, उनका समुचित रूप से निर्माण हो तथा उचित रूप से रख-रखाव हो। अन्यथा रोजगार बीमा योजनाओं के नाम पर ये सभी अस्थायी ढांचे बनेंगें और कई बार तो बनेंगे ही नहीं और इस तरह सारा धन व्यर्थ जाएगा। आप इसके लिए कौन का निगरानी तंत्र अपनाएंगे?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसके दो पहलू हैं। पहला परिसम्पत्तियों का रख-रखाव और दूसरा निगरानी तंत्र जहां तक रख-रखाव संबंधी पहलू का संबंध है जिलास्तर पर मुख्य परिसम्पत्तियों का रख-रखाव राज्य सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखा जाता है। और जहां तक छोटी परिसम्पत्तियों जैसे नाला प्लगिंग का संबंध है, इनके रख-रखाव का कार्य स्थानीय प्राधिकारियों, ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा-निधियां आबंटित की जाती है जिसके लिए परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम में प्रावधान किया गया है। अभी तक उन्होंने ही उसका अनुरक्षण किया है।

जहां तक निगरानी पहलू का संबंध है मुख्यतः जिला प्राधिकारियों को न्यूनतम वेतन के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास दो समितियां है। जहां तक इनके संगठन का संबंध है इनमें ही एक जिला स्तरीय रोजगार समिति है और दूसरी खण्ड स्तरीय समिति है। विभाग के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की निगरानी करने के लिए इन समितियों में शामिल किया गया है।

महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे एक प्रभागीय आयुक्त के अधीन एक गश्ती दल है और वह स्वंय उस स्थान का दौरा करता है और राज्य सरकार को इसकी जानकारी देता है और इसी प्रयोजन हेतु राज्य स्तरीय समायोजन समिति भी है। हमारे पास केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी भी हैं जो कभी-कभी राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए हमारे पास केन्द्र सरकार के अधिकारी है। वे योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु राज्यों में जाते हैं विशेष रूप से उन राज्यों में जहां से शिकायतें प्राप्त होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यूरिया संयंत्र

*241. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों में एक टन यूरिया की औसत उत्पादन लागत कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इस समय सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों को कितनी-कितनी राजसहायता दी जा रही है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) यूरिया की उत्पादन लागत में संयंत्र दर संयंत्र, प्रयोग किये गये फीड स्टाक, संयंत्र के स्वास्थ्य एवं पुरानेपन, क्षमता उपयोग, ऊर्जा खपत, फीड स्टाक के स्त्रोत से दूरी आदि के आधार पर अंतर होता है। विभिन्न संयंत्रों में उत्पादित यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य (अर्थात उत्पादन लागत जमा अलग-अलग संयंत्रों के लिए सरकार द्वारा प्राक्कलित शुद्ध मूल्य पर उचित लाभ) इस समय 4888 रु० प्रति टन है।

(ख) और (ग) 1993-94 में सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थक्षम एककों की क्षमता उपयोगिता 91.8% थी। दो सहकारी संगठनों (इफको और कृभको) ने 108.2% का प्रभावशाली औसत क्षमता उपयोगिता दर्ज किया। सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों (हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया) का तत्संबंधी आंकड़ा 27.3% था। इस रुग्ण कंपनियों के एकक डिजाइन कमियों, उपस्कर असंतुलन, संयंत्रों के पुरानेपन, विद्युत की कमी और वित्तीय समस्याओं के कारण लगातार कम क्षमता पर प्रचालन कर रहे हैं। कंपनियां औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा रुग्ण घोषित की जा चुकी है।

(घ) 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र (सहकारी संगठनों सहित) और निजी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों को क्रमश : 1880.30 करोड़ रु० और 1531.30 करोड़ रु० तक आर्थिक सहायता भुगतान की गई।

आवास योजनाएं

*243. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
डा० मुमताज अंसारी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने हेतु राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं आवास और शहरी विकास निगत (हुडको) के विचाराधीन है;

(ख) क्या 1993-94 और 1994-95 में अब तक हुडको ने किन्हीं ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार हुडको योजना में विभिन्न आयवर्गों जैसे ई०, डब्ल्यू०, एल०आई०जी०, एम०आई०जी० और एच०आई०जी० के संबंध में आवास योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण-I सलंग्न है।

(ख) और (ग) 1993-94 और 1994-95 (30-6-1994) तक के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त वर्गों के लिए आवासीय योजना का विस्तृत विवरण-II सलंग्न है

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

30-6-1994 की स्थिति के अनुसार आवास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य						
आंध्र प्रदेश	20	0.00	424.11	0.00	642.76	148.52
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	6	0.00	0.00	212.60	326.35	248.40
बिहार	5	199.95	99.50	90.46	0.00	140.00
गुजरात	32	35.03	118.17	650.47	2451.48	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	1	0.00	0.00	30.37	36.39	0.00
जम्मू और कश्मीर	5	0.00	1.07	18.36	3.78	0.00
केरल	56	2572.98	835.26	3638.44	2638.77	454.42
कर्नाटक	24	0.00	889.79	399.33	186.84	1393.65
मेघालय	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	12	7.36	262.76	483.95	1148.50	719.15
मिज़ोरम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

नागालैण्ड	1	0.00	60.00	440.00	77.00	0.00
उड़ीसा	7	0.00	0.00	1034.13	0.00	0.00
पंजाब	2	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
राजस्थान	14	0.00	0.00	294.06	692.89	2030.70
सिक्किम	1	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
तमिलनाडु	62	2317.00	0.00	752.81	2997.62	1281.58
त्रिपुरा	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	10	0.00	710.14	1221.10	1610.18	1083.63
पश्चिम बंगाल	2	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
संघीय क्षेत्र						
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	8	0.00	0.00	989.23	111.05	329.58
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पाणिडचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़	268	5132.32	2600.80	9164.31	12922.62	8230.63

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	ऋण की रकम (रु० लाखों में)	रिहायसी एकक	भूखंडों की संख्या
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	129	7556.74	101466	588

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	181.70	228	0
3.	असम	5	750.31	1501	0
4.	बिहार	34	3112.92	17388	4309
5.	गोवा	—	—	0	0
6.	गुजरात	51	4840.39	18988	0
7.	हिमाचल प्रदेश	4	310.80	93	258
8.	हरियाणा	17	2174.47	9224	0
9.	जम्मू और कश्मीर	8	692.30	400	0
10.	केरल	45	5180.32	39297	0
11.	कर्नाटक	71	5027.25	15433	0
12.	मेघालय	1	509.35	2179	0
13.	महाराष्ट्र	40	5018.55	10623	1767
14.	मणिपुर	2	572.00	1071	0
15.	मध्य प्रदेश	52	5011.39	8598	8109
16.	मिजोरम	2	585.91	843	0
17.	नागालैण्ड	1	579.00	1321	0
18.	उड़ीसा	21	2833.20	7362	0
19.	पंजाब	25	2089.23	3217	0
20.	राजस्थान	51	4679.56	9141	0
21.	सिक्किम	3	744.50	780	0
22.	तमिलनाडु	103	12838.56	60112	6425
23.	त्रिपुरा	1	158.10	102	0
24.	उत्तर प्रदेश	63	7960.66	51734	2093
25.	पश्चिम बंगाल	14	4128.24	12216	0

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	0	0
27.	चंडीगढ़	4	478.72	1996	562
28.	दिल्ली	—		0	0
	कुल जोड़	808	78814.17	378313	24111

विवरण-III

1994-95 (30-6-1994 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न आय वर्गों के लिए स्वीकृत आवासीय योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	ऋण की रकम (रु० लाखों में)	रिहायसी एकक	कूल भूखंडों की संख्या
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	58	1092.08	10904	0
2.	असम	4	436.75	269	324
3.	बिहार	0	000.00	5844	0
4.	गुजरात	17	1273.22	2528	0
5.	हिमाचल प्रदेश	1	179.38	93	0
6.	हरियाणा	4	538.10	404	0
7.	केरल	7	1609.58	1717	0
8.	कर्नाटक	35	3172.50	30857	0
9.	महाराष्ट्र	5	1758.68	2121	2
10.	मणिपुर	1	176.90	211	0
11.	मध्य प्रदेश	9	862.30	522	934
12.	उड़ीसा	5	970.01	1800	0

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	2	201.92	240	0
14.	राजस्थान	2	182.70	397	0
15.	सिक्किम	1	200.00	100	0
16.	तमिलनाडु	32	2160.60	3037	395
17.	उत्तर प्रदेश	1	168.37	100	0
संघ राज्य क्षेत्र					
18.	दिल्ली	1	69.80	47	0
	कुल जोड़	185	15055.89	64198	1655

मरूभूमि विकास कार्यक्रम

*245 **श्री फूलचंद वर्मा :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मरूभूमि विकास कार्यक्रम की पुनरीक्षा की है/करने का विचार किया है, जिससे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे और क्षेत्रों को शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के लिये इस कार्यक्रम हेतु आबंटित धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रोफेसर सी०एच०हनुमत राव की अध्यक्षता वाली सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित तकनीकी समिति ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए जिलों और खंडों का चयन करने के लिए मानदंड की सिफारिश की है। इसके पश्चात्, मत्रालय ने प्रो० हनुमंत राव से अनुरोध किया कि समिति द्वारा सिफारिश किये गये मानदंड के आलोक में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम की कवरेज के तहत लाने के लिए खंडों की सूची तैयार करें।

(ग) और (घ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के 1993-94 के 75 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर 1994-95 में 85 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

रोजगार योजनाएं

*246. **डा० के०वी०आर० चौधरी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, ग्रामीण और शहरी रोजगार योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगी) : (क) ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण और शहरी रोजगार स्कीमों पर खर्च की गई धनराशि के संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं दिया गया है। बहरहाल, विभिन्न शहरी/ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों संबंधी अनेक मूल्यांकन अध्ययन किए गए है। इन अध्ययनों में ये शामिल है:—

1. **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)**

(I) भारतीय रिजर्व बैंक (1984); एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक फील्ड अध्ययन;

(II) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (1984), आई०आर०डी०पी० के कार्यान्वयन का अध्ययन;

(III) वित्तीय प्रबंध तथा बाजार अनुसंधान संस्थान (1984); "एन इकॉनोमिक एसेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड रुरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स"

(IV) भारत सरकार (1985), "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंध मूल्यांकन रिपोर्ट" कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग;

(V) भारत सरकार (1987), 'कोंकरेंट इवैल्यूएशन ऑफ आई०आर०डी०पी०' : "द मेन फाइडिंग्स ऑफ् द सर्वे फॉर 1985-86" ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय;

(VI) भारत सरकार (1988) "कोंकरेंट इवैल्यूएशन ऑफ आई०आर०डी० पी० : "द मेन फाइडिंग्स आफ द सर्वे फॉर जनवरी 1987 टू दिसंबर, 1987" ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय और

(VII) भारत सरकार (1990) कोंकरेट इवैल्यूएशन भाषा आई०आर०डी०पी० "द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे फॉर जनवरी 1989 से दिसम्बर 1989, ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय।

11. **जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) :**

(I) भारत सरकार (1991-92), "जे आर वाई-ए क्विकस्टडी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, तथा

(II) भारत सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से जे०आर०वाई० का समवर्ती मूल्यांकन किया।

समवर्ती मूल्यांकन के लिए जनवरी से दिसंबर, 1992 तक फील्ड वर्क किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(III) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) :

आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओ०आर०जी०) द्वारा पांच राज्यों; गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में एन०आर०वाई० के संगठन तथा प्रबंध पहलु के संबंध में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(IV) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्कीम (एस०ई०ई०यू०वाई०) : इस स्कीम के प्रभाव का पता लगाने के लिए 66 चुनिंदा जिलों को कवर करने वाले 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा 1985-86 से 1989-90 तक एस०ई०ई०यू०वाई० स्कीम का मूल्यांकन किया गया।

(V) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) : पी०एम०आर०वाई० के संबंध में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना प्रथम चरण (जेआरवाई-I), जवाहर रोजगार योजना-II चरण रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) नेहरू रोजगार योजना (एनआवाई) के अन्तर्गत राज्यवार व्यय

(लाख रुपये)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेआरडीपी			जेआरवाई-I			जेआरवाई-II	ईएनएस	एनआरवाई		
		1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)	1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)	1993-94 (अनंतिम)	1993-94 (अनंतिम)	1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	6548.98	5411.42	8813.75	19065.78	19866.06	28568.86	1862.91	2566.02	985.34	467.89	790.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	294.47	426.52	328.45	221.17	234.80	191.60	—	136.17	—	—	6.88
3.	असम	1587.04	1584.46	1844.78	5000.44	4034.49	7911.51	—	963.09	260.48	43.91	40.49
4.	बिहार	8384.64	7726.73	10873.59	37580.16	41257.59	60445.49	8078.50	1608.36	548.07	652.66	432.62
5.	गोआ	67.30	53.54	144.18	364.56	340.36	353.83	—	—	19.43	—	32.15
6.	गुजरात	2307.69	2204.50	3354.85	10039.31	8327.77	10533.51	1182.44	146.21	497.80	253.04	341.09
7.	हरियाणा	756.84	796.25	1318.31	2353.04	2012.13	2164.35	—	993.85	207.75	220.44	200.02
8.	हिमाचल प्रदेश	352.47	291.88	397.32	1186.15	1049.73	1303.08	—	2.47	56.37	27.36	7.39
9.	जम्मू व कश्मीर	421.07	385.47	338.36	2046.35	1633.94	579.92	147.50	133.75	13.57	192.19	91.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. कर्नाटक	2782.63	2671.68	4026.36	11082.63	12533.91	17567.06	1690.62	678.26	1086.96	412.66	398.41
11. केरल	1784.84	1647.95	1973.75	7252.79	6843.94	7788.38	—	171.20	528.36	419.27	561.99
12. मध्य प्रदेश	9333.08	7336.37	9865.84	31681.83	29328.16	36260.38	1032.53	2503.49	1060.67	550.89	1797.04
13. महाराष्ट्र	5633.70	5332.16	7329.26	18124.11	18018.24	25626.40	1388.61	430.10	1000.02	796.08	163.76
14. मणिपुर	153.20	86.42	170.85	206.77	292.23	301.82	—	35.46	68.26	27.76	148.49
15. मेघालय	162.62	173.80	162.41	481.47	413.10	283.39	—	NIL	1.28	36.54	1.61
16. मिजोरम	169.72	212.29	282.09	260.51	213.27	350.70	—	82.60	6.27	24.00	51.49
17. नागालैंड	299.15	236.84	311.03	733.84	637.21	485.47	—	975.15	—	—	—
18. उड़ीसा	3671.71	3373.97	6263.38	14033.59	13067.13	19582.43	1911.22	1280.35	415.26	345.60	190.01
19. पंजाब	858.45	935.95	1544.79	1053.97	2590.84	1922.31	—	—	289.76	270.12	346.57
20. राजस्थान	4079.89	3258.25	4213.30	13206.41	12246.06	14247.06	8.85	926.99	817.91	366.30	745.76
21. सिक्किम	47.39	39.71	44.24	328.62	303.56	273.07	—	20.27	30.38	5.16	42.03
22. तमिलनाडु	4527.72	4436.01	7270.89	21134.07	20094.35	26530.04	793.98	319.48	1173.43	1149.76	760.93
23. त्रिपुरा	397.81	414.47	536.69	602.99	485.40	838.66	—	659.35	31.92	32.35	18.87
24. उत्तर प्रदेश	16226.71	14395.38	20197.02	48146.83	52257.00	69531.24	90.05	647.68	2628.15	1500.22	3024.19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	पश्चिम बंगाल	6317.73	5758.50	3288.88	19342.16	21412.74	24031.32	1884.00	2691.00	691.99	147.39	260.57
26.	अंड०निको० व द्वीपसमूह	38.06	39.34	31.04	86.73	67.50	107.20	—	2.41	2.54	2.66	18.71
27.	चण्ड़ीगढ	—	—	—	—	—	—	—	—	1.99	7.94	7.58
28.	दादर और नगर हवेली	8.67	10.41	16.10	103.31	76.31	80.68	—	1.51	0.75	3.40	6.18
29.	दमन और द्वीव	11.28	16.30	21.52	27.23	5.33	25.94	—	NIL	2.26	2.18	1.89
30.	दिल्ली	22.57	—	—	—	—	—	—	—	25.00	5.95	65.58
31.	लक्षद्वीप	7.80	8.60	7.36	49.15	61.66	73.58	—	NIL	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	33.55	42.47	36.29	193.27	139.39	122.53	—	—	7.31	12.76	6.59
	अखिल भारत	77308.78	69307.64	95006.68	265989.24	270176.20	358091.81	21691.21	17975.22	12459.28	7976.48	10560.72

विवरण-II

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसईईयूबाई) :

इस स्कीम के अंतर्गत छोटे व्यापार/सेवा/विनिर्माण उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। गत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

	1991-92 वास्तविक	1992-93 वास्तविक	1993-94 संशोधित अनुमान
एस०ई०ई०यू०वाई	44.51	39.55	40.00

इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा बैंकों के माध्यम से लाभग्राहियों को पूंजी सब्सिडी संवितरित की जाती है इस प्रकार राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1991-92 से 1993-94 तक पूंजी सब्सिडी दावों के संवितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत सब्सिडी की राशि निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	वर्ष	आर०बी०आई० को प्राधिकृत धनराशि (करोड रु०)
1.	1991-92	50.00
2.	1992-93	40.00
3.	1993-94	40.00

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०)

पी०एम०आर०वाई० 2 अक्टूबर, 1993 को शुरू की गई थी। एसईईयूवाई, जो 1983-84 से 1993-94 तक प्रचालन में थी, को भी 1-4-1994 से पी०एम०आर०बाई० में मिला दिया गया था। पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत भी पूंजी सब्सिडी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के माध्यम से लाभग्राहियों को संवितरित की जाती है। 1993-94 के लिए पूंजी सब्सिडी दावे के संवितरण के लिए प्राधिकृत सब्सिडी की धनराशि 30.00 करोड़ रु० थी। इस स्कीम में अंतर्गत, वर्ष 1993-94 के दौरान परियोजना प्रोफाइलें तैयार करने/सर्वेक्षण कराने इत्यादि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशि क्रमशः 308.48 लाख रु० तथा 110.55 लाख रु० दिए गए थे।

निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण

***247. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से देश में वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के नए प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक राज्य सरकारें निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की निरंतर पुनरीक्षा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक परियोजनाओं जिनमें विदेशी पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें सिंगल विन्डों अनुमोदन प्रणाली उन्नत आधार भूत सुविधाओं/सेवाओं की आवश्यकता तथा स्वीकृति/कार्यान्वयन सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों के फलस्वरूप संशोधित नीतिगत घोषणाएं की गई है; सिंगल विन्डों अनुमोदन प्रणाली, लागू की गई है, पूंजी निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए एक समान फारमेट तैयार किया गया है और कई राज्यों में उच्च स्तरीय सुविधा समितियों का गठन हुआ है।

(ङ) 1993-94 की अवधि के दौरान, विदेशी पूंजी निवेश से उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ये परियोजनाएं इनको पूरा होने में लगने वाली अवधि आदि के संदर्भ में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं मे हैं। वस्तुतः विभिन्न राज्यों में विदेशी पूंजी निवेश से स्थापित किये गये उद्योगों के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

1-4-1993 से 31-3-1994 तक की अवधि के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	इक्विटी की राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	136	1660.88
दिल्ली	95	957.94
उड़ीसा	12	779.69

1	2	3
तमिलनाडू	89	650.93
मध्य प्रदेश	19	585.99
गुजरात	40	396.16
आन्ध्र प्रदेश	38	219.19
हरियाणा	48	143.62
कर्नाटक	55	96.76
उत्तर प्रदेश	24	81.09
राजस्थान	25	75.80
बिहार	4	51.97
पश्चिम बंगाल	24	48.94
गोआ	12	36.74
केरल	11	25.89
चंडीगढ़	3	20.02
पंजाब	10	8.80
दादरा और नगर हवेली	4	7.94
दमन और द्विव	3	3.40
हिमाचल प्रदेश	3	2.62
पांडिचेरी	4	2.18
अंडमान और निकोबार	1	0.90
असम	2	0.27
अन्य (राज्यों का उल्लेख नहीं है)	185	1611.85
योग	847	7469.56

शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम को फिर से तैयार करना

*249. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री शरद दिघे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा इससे पूर्व के तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इन वर्षों के दौरान किन-किन शहरी केन्द्रों में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को फिर से तैयार करने तथा इसे अन्य शहरी केन्द्रों में कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नेहरू रोजगार योजना और गरीबों के लिए नगरीय बुनियादी सेवा में स्कीमों के अंतर्गत राशियों के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में संलग्न है।

(ख) नेहरू रोजगार योजना के तीन घटक हैं अर्थात् गुर्बन माइक्रो एंटरप्राइजिज स्कीम, गुर्बन वेज एम्पलायमैंट स्कीम और हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन स्कीम। एस०यू० एम० ई० सभी नगर पुनर्वास योजनाओं पर लागू होती है। एस० यू० डब्ल्यू० ई० एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में लागू होती है। एस०एच०ए०एस०यू० एक लाख और बीस लाख के बीच जनसंख्या वाले सभी नगरों में लागू होती है।

निर्धनों के लिए नगरीय बुनियादी सेवा योजना 250 नगरों में लागू की जा रही है। इन नगरों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) इस समय इस कार्यक्रम को पुनः बनाने या इसका विस्तार करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

नेहरु रोजगार योजना

(रुपए लाखों में)

क्रम०सं०	राज्य का नाम /संघ क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
		वास्तव में जारी की गई	वास्तव में जारी की गई	वास्तव में जारी की गई	संभावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	794.80	527.40	679.53	508.90
2.	बिहार	670.05	457.35	359.30	524.20
3.	गुजरात	291.15	198.45	212.52	246.40
4.	हरियाणा	163.70	111.90	123.29	106.30
5.	कर्नाटक	793.50	510.20	440.17	488.90

1	2	3	4	5	6
6.	केरल	318.80	225.90	234.82	206.50
7.	मध्य प्रदेश	797.80	550.40	684.48	509.30
8.	महाराष्ट्र	1018.10	700.50	669.60	608.60
9.	उड़ीसा	281.70	191.60	219.80	168.50
10.	पंजाब	270.80	192.90	216.47	165.60
11.	राजस्थान	561.10	309.40	379.60	327.60
12.	तमिलनाडु	892.90	587.00	765.58	586.70
13.	उत्तर प्रदेश	2092.90	1426.20	1711.54	1308.30
14.	पश्चिम बंगाल	561.10	481.20	259.00	459.80
15.	गोवा	37.90	19.70	17.85	20.20
16.	अरुणाचल प्रदेश	31.50	16.60	19.75	60.55
17.	असम	187.50	156.20	89.49	164.75
18.	हिमाचल प्रदेश	70.90	64.30	56.19	74.95
19.	जम्मू और कश्मीर	91.10	86.50	87.48	80.05
20.	मणिपुर	49.50	40.90	43.33	57.50
21.	मेघालय	47.20	37.45	24.10	35.50
22.	मिजोरम	34.60	24.30	21.74	25.60
23.	नागालैण्ड	38.20	19.20	15.70	50.35
24.	सिक्किम	27.90	34.20	29.68	27.60
25.	त्रिपुरा	34.50	25.20	25.60	25.50
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.90	9.20	13.53	19.15
27.	चंडीगढ़	21.70	12.20	13.86	17.70
28.	दादरा और नगर हवेली	10.80	8.40	11.05	11.80
29.	दमन और द्वीव	18.70	15.10	18.25	22.50

1	2	3	4	5	6
30.	पाण्डिचेरी	17.70	17.90	11.70	30.70
31.	दिल्ली	40.00	22.00	22.00	40.00
32.	केन्द्रीय सरकार वेतन आदि	20.00	20.00	20.00	20.00
	कुल जोड़	10300.00	7099.75	7497.00	7000.00

विवरण-II

गरीबों के लिए नगरीय बुनियादी सेवाएं (यू०बी०एस०पी०)

(रुपए लाखों में)

क्रम०सं०	राज्य का नाम /संघ क्षेत्र	1991-92 वास्तव में जारी की गई	1992-93 वास्तव में जारी की गई	1993-94 वास्तव में जारी की गई	1994-95 संभावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	91.20	142.15	129.60
2.	बिहार	149.50	81.05	115.05	115.05
3.	गुजरात	103.36	44.60	69.60	63.45
4.	हरियाणा	25.64	12.65	17.70	17.70
5.	कर्नाटक	148.30	77.85	121.20	110.50
6.	केरल	72.70	35.10	54.60	49.80
7.	मध्य प्रदेश	150.30	82.75	128.80	117.45
8.	महाराष्ट्र	215.80	125.35	195.25	178.05
9.	उड़ीसा	75.06	23.30	33.05	33.05
10.	पंजाब	59.15	24.00	34.05	34.05
11.	राजस्थान	95.26	47.50	73.95	67.45
12.	तमिलनाडु	205.70	118.00	183.80	167.60
13.	उत्तर प्रदेश	357.60	203.20	316.45	288.55

1	2	3	4	5	6
14.	पश्चिम बंगाल	165.70	92.35	131.15	131.15
15.	गोवा	13.50	9.00	11.00	11.00
16.	अरुणाचल प्रदेश	13.50	9.00	—	11.00
17.	असम	20.65	11.45	15.90	15.90
18.	हिमाचल प्रदेश	20.60	9.00	11.00	11.00
19.	जम्मू और कश्मीर	17.28	9.00	11.00	11.00
20.	मणिपुर	15.08	9.00	11.00	11.00
21.	मेघालय	13.50	9.00	11.00	11.00
22.	मिजोरम	13.50	9.00	11.00	11.00
23.	नागालैंड	13.50	9.00	—	11.00
24.	सिक्किम	13.50	9.00	11.00	11.00
25.	त्रिपुरा	16.00	9.00	11.00	11.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.20	15.00	18.30	18.30
27.	चंडीगढ़	14.20	15.00	—	18.30
28.	दादरा और नगर हवेली	11.20	15.00	—	18.30
29.	दमन और द्वीव	11.20	15.00	—	18.30
30.	पाण्डिचेरी	13.78	9.00	11.00	11.00
31.	दिल्ली	48.74	30.65	—	36.15
32.	मंत्रालय से सीधे एन०जी०ओ० सहायता	—	—	30.00	30.00
33.	केन्द्रीय सरकार वेतन आदि	15.00	15.00	20.00	20.00
	कुल जोड़	2300.00	1275.00	1800.00	1800.00

विवरण-III

यू०बी०एस०पी०योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत शामिल शहरों के नाम दर्शाने वाला विवरण

यू०बी०एस०पी० शहरों की संख्या

क्र०सं०	राज्य	यूपीएसपी कस्बे	प्रदर्शनार्थ कस्बे (केवल नए)	कुल यूबीएसपी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	03	16
2.	असम	03	02	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	05	—	05
4.	बिहार	18	—	18,
5.	गुजरात	28	—	28
6.	हरियाणा	06	—	06
7.	कर्नाटक	11	03	14
8.	केरल	14	03	17
9.	मध्यप्रदेश	10	—	10
10.	महाराष्ट्र	35	—	35
11.	उड़ीसा	10	03	13
12.	पंजाब	04	03	07
13.	राजस्थान	09	02	11
14.	तमिलनाडु	15	03	18
15.	उत्तर प्रदेश	22	—	22
16.	पश्चिम बंगाल	23	—	23
17.	गोवा	02	—	02
18.	हिमाचल प्रदेश	02	—	02
19.	जम्मू और कश्मीर	02	—	02

1	2	3	4	5
20.	मणिपुर	03	—	03
21.	मेघालय	02	—	02
22.	मिजोरम	01	—	01
23.	नागालैण्ड	00	—	—
24.	सिक्किम	06	—	06
25.	त्रिपुरा	05	—	05
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	—	01
27.	चण्डीगढ़	01	—	01
28.	दादरा और नगर हवेली	01	—	01
29.	दमन और द्वीव	02	—	02
30.	पाण्डिचेरी	03	—	03
31.	दिल्ली	01	—	01
	जोड़ :	258	22	280

यू०बी०एस०पी० के अंतर्गत शहरों की सूची

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	9.	निजामाबाद
	1. गुन्तकल	10.	बोधान
	2. हिन्दुपुर	12.	अदोनी
	3. ईचापुरम	13.	नन्दयाल
	4. अमादलवलसा	14.	एमिगनूर
	5. विजयनगर	15.	कुरनूल
	6. बाबली	16.	राजा मुदरी
	7. पार्वतीपुरम	17.	काकीनाडा
	8. बोधान		

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
2.	**अरुणाचल प्रदेश**		13. लेताहर
	1. इटानगर		14. खरवारा
	2. नहारलागम		15. पटना
	3. पोलीघाट		16. मुजफ्फरपुर
	4. आलोंग		17. रांची
	5. तेजू		18. कटिहार
3.	**असम**	**5.**	**गोवा**
	1. जोरहाट		1. मारमागोवा
	2. सिल्चर		2. मापुसा
	3. गुवोहाटी	**6.**	**गुजरात**
	4. नौगांव		1. अहमदाबाद
	5. डिब्रूगढ़		2. जामनगर
4.	**बिहार**		3. कलोल
	1. दरभंगा		4. नाडियाड
	2. मुंगेर		5. अंजार
	3. गया		6. जूनागढ़
	4. भागलपुर		7. भरूच
	5. बिहार शरीफ		8. राजपिपला
	6. जमशेदपुर		9. दीसा
	7. आरा		10. धरमगदेरा
	8. धनबाद		11. लिमडी
	9. छपरा		12. पोरबन्दर
	10. बोकारो		13. काशोड़
	11. सिमदेगा		14. पालनपुर
	12. जन्तरा		15. बारदोली

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश		क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	
	16.	आनन्द	10.	**कर्नाटक**	
	17.	विस नगर		1.	बंगलौर *
	18.	अंकलेश्वर		2.	रायचूर सिटी
	19.			3.	बेल्लारी
	20.	सुरेन्द्रनगर		4.	हासपेट
	21.	वधवान		5.	देवनगिरि
	22.	वीरावल		6.	बीजापुर
	23.	उना		7.	चिन्तामणि
	24.	मंगरौल		8.	कोप्पाल
	25.	व्यारा		9.	गंगावटी
	26.	सूरत		10.	शाहबाद
	27.	भावनगर *		11.	कामराजनगर
	28.	मेहसाना *		12.	चित्रदुर्ग *
7.	**हरियाणा**			13.	गुलबर्गा *
	1.	फरीदाबाद		14.	हुबली धारवाड़*
	2.	रोहतक	11.	**केरल**	
	3.	करनाल		1.	नेय्यायिकरा
	4.	सोनीपत *		2.	वरक्कल
	5.	गुड़गांवा *		3.	पुनलर
8.	**हिमाचल प्रदेश**			4.	परावूर
	1.	हमीरपुर		5.	कोदुंगलूर
	2.	चम्बा		6.	कवाकड्डा
9.	**जम्मू और कश्मीर**			7.	पुन्नानी
	1.	जम्मू		8.	थिरूर
	2.	श्रीनगर		9.	वडकरा

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
	10. थलासारी		6. कोल्हापुर
	11. कननूर		7. नागपुर
	12. कनगाड़		8. बुल्डाना
	13. कसरगोड़		9. मल्कापुर
	14. कोझिकोड़		10. अचलापुर
	15. तिरुवन्तपुरम		11. वर्धा
	16. कोलम*		12. यवतमाल
	17. अल्लापुझा*		13. जलगांव
12.	**मध्यप्रदेश**		14. पनवेल
	1. बेरासिया		15. उल्हासनगर
	2. कटनी		16. मीरा भायन्दर
	3. रायगढ़		17. सिन्नार
	4. खरासिया		18. भागुर
	5. राजनांदगांव		19. गंगाखोड़
	6. मंदसौर		20. बीड़
	7. बुरानपुर		21. चन्द्रापुर
	8. भोपाल *		22. अकोला
	9. जबलपुर *		23. मालेगांव
	10. खण्डवा *		24. मनमाड़
13.	**महाराष्ट्र**		25. भण्डारा
	1. बम्बई		26. गोण्ड़िया
	2. अमरावती		27. भुसावल
	3. कल्याण		28. चालीसगांव
	4. औरंगाबाद		29. जालना
	5. शोलापुर		30. लातूर

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
	31. चोपड़ा		9. बालासोड़
	32. उस्मानाबाद		10. भंजननगर
	33. नासिक *		11. पुरी
	34. धुले *		12. भुवनेश्वर
	35. पारभनी *		13. बेरामपुर
14.	**मणिपुर**	19.	**पंजाब**
	1. इम्फाल		1. अमृतसर
	2. जिरिबम		2. लुधियाना
	3. सेकामी		3. जालन्धर
15.	**मेघालय**		4. पटियाला
	1. शिलांग		5. पठानकोट
	2. तुरा		6. होशियारपुर
16.	**मिज़ोरम**		7. मोगा
	1. आइजोल	20.	**राजस्थान**
17.	**नागालैण्ड**		1. फुलेरा
	1. शून्य		2. चोंमू
18.	**उड़ीसा**		3. कोटपुतली
	1. केन्द्रपाडा		4. डांसा
	2. जयपुर		5. लेलसोल
	3. तलचर		6. धोलपुर
	4. छतरपुर		7. बरियाड
	5. बारीवाडा		8. राजःखेडा
	6. फूलबनी		9. अजमेर *
	7. कोरापुर		10. उदयपुर *
	8. जगतसिंहपुर		11. जयपुर *

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
21.	**सिक्किम**		18. कुड्डालोर *
	1. गंगटोक	23.	**त्रिपुरा**
	2. नया बाजार		1. अमरपुर
	3. रंगपो		2. उदयपुर
	4. सिंगटान		3. बिलोनिया
	5. मोट्टी		4. सब्रम
	6. जेथी		5. अगरतला
22.	**तमिलनाडु**	24.	**उत्तर प्रदेश**
	1. थीरूपुट		1. आगरा
	2. मेथुपलायम		2. मथुरा
	3. विल्लूपुरम		3. मेरठ
	4. चिदम्बरम		4. गाजियाबाद
	5. तेनाली नगरम		5. हापुड़
	6. बोदीनायाकांपुर		6. कानपुर
	7. डिन्डिगुअल		7. फर्रूखाबाद
	8. पलानी		8. वाराणसी
	9. कुम्बमोनम		9. बलिया
	10. तन्जौर		10. गोरखपुर
	11. मइलादुतराई		11. मुरादाबाद
	12. नागपट्टिनम		12. बरेली
	13. विरूधनगर		13. शाहजहांपुर
	14. राजपालयम		14. इलाहाबाद
	15. शिवकाशी		15. फतेहपुर
	16. कोयम्बटूर *		16. रायबरेली
	17. मदुराई *		17. हरदोई

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश
	18. फैजाबाद		20. कलिमपोंग
	19. गोंडा		21. मिरीक
	20. अलीगढ़ *		22. सिलीगुड़री *
	21. मिर्जापुर *		23. बाँकुरा *
	22. लखनऊ *		24. नबा द्विप *
25.	**पश्चिम बंगाल**	26.	**अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह**
	1. पुरूलिया		1. पोर्टब्लेयर
	2. कूच बिहार	27.	**चण्डीगढ़**
	3. बोगांव		1. मनीमाजरा
	4. हावड़ा	28.	**दमन और द्वीव समूह**
	5. अशोकनगर		1. दमन
	6. कल्याणगढ़		2. द्वीव
	7. बशीरहाट	29.	**दादरा और नगर हवेली**
	8. कृष्णनगर		1. सिलवासा
	9. शान्तिपुर	30.	**दिल्ली**
	10. चकदाह		1. दिल्ली
	11. आसनसोल	31.	**पाण्डिचेरी**
	12. मिदनापुर		1. पाण्डिचेरी
	13. खड़मपुर		2. करायकल
	14. इंगलिश बाजार		3. येनाम
	15. बलूरघाट		
	16. रायगढ़		* डिमान्सट्रेशन टाउन्स
	17. जलपाईगुढ़ी		
	18. दार्जिलिंग		
	19. कुर्सियांग		

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

*250 **श्री गोपीनाथ गजपति :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों का रुग्ण उपक्रमों के रूप में चयन किया गया है/घोषित किया गया है।

(ख) राज्य-वार ऐसे किन-किन उपक्रमों को बन्द किया गया है अथवा बन्द किए जाने का विचार है ;

(ग) 31 जुलाई, 1994 तक इनमें से प्रत्येक उपक्रम को कितना घाटा हुआ है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सभी रुग्ण एककों को बन्द करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन उपक्रमों के लिए प्रस्तावित पुनर्स्थापन पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (च) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में रुग्णता की संशोधित परिभाषा के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उद्यमों की संख्या 50 है और इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उद्यमों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने नेशनल बाइसाइकिल कारपो० ऑफ इण्डिया लि० को बन्द करने हेतु सम्बन्धित उच्च न्यायालय की अनुशंसा कर दी है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०, माइका ट्रेडिंग कॉरपो० ऑफ इण्डिया लि०,टेनरी एण्ड फुटवियर कॉरपो० लि०, एल्गिन मिल्स लि०, तथा मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि० को बन्द करने की सूचना जारी कर दी है बहरहाल, नेशनल इन्स्ट्रूमेंण्ट्स लि०, साइकिल कॉरपो० ऑफ इण्डिया लि०, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यटिकल्स लि०, भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इंजीनियरिंग लि० तथा वेबर्ड इण्डिया लि० के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल की कार्यवाही पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर दिया है। रुग्ण उद्यमों के संचयी घाटे का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। जिन उद्यमों का पुनरुद्धार संभव हो सकता है उनके पुनर्स्थापन से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है तथा ऐसी पुनर्स्थापन योजनाएं उद्यम विशेष की आवश्यकता के अनुरूप तैयार की जाती हैं।

विवरण

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की राज्यवार सूची।

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	31-3-1993 को संचित घाटा
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
*1.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लि०	673

1	2	3
	बिहार	
1.	माइका ट्रेडिंग कारपो० लि०	2173
2.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि०	9733
3.	भारी इंजीनियरी निगम लि०	60942
4.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इंस्युलेशन कंपनी लि०	1087
5.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	6908
	गुजरात	
1.	नेटेका (गुजरात) लि०	31721
	हरियाणा	
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	62791
	कर्नाटक	
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	12969
2.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि०	883
3.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	8541
4.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	21981
	मध्य प्रदेश	
1.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	29806
	महाराष्ट्र	
1.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लि०	8581
2.	नेशनल बाइसाईकिल कारपो0 लि०	9281
3.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	26035
4.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	22680
	नागालैण्ड	
1.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि०	54095
	उड़ीसा	
1.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि०	303

1	2	3
	राजस्थान	
1.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	1468
	उत्तर प्रदेश	
1.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	5182
2.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि०	8699
3.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	37177
4.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० लि०	14053
5.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०	16008
6.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि०	3173
7.	एल्गिन मिल्स लि०	26593
8.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	35981
9.	यू0पी0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	470
	पश्चिम बंगाल	
1.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०	4813
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	8752
3.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	3096
4.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	6029
5.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	20850
6.	वेबर्ड इण्डिया लि०	1098
7.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	1860
8.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउंड्री कंपनी लि०	496
9.	भारतीय साईकिल निगम लि०	18860
10.	भारत आप्टैल्मिक ग्लास लि०	8893
11.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	54095
12.	भारतीय टायर निगम लि०	11238

1	2	3
13.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	6718
14.	नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि०	47302
15.	बंगाल इम्युनिटी लि०	5146
16.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०	351
17.	बीको लॉरी लि०	4751
18.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	81651
	दिल्ली	
1.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	183676
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०	186112
3.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एंव हरियाणा) लि०	13436

[हिन्दी]

जैविक गैस कार्यक्रम

*251. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जैविक गैस के विकास के लिए उपयोग के लाए गए धन का ब्यौरा सभी राज्य सरकारों से प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने जैविक गैस कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि का उपयोग अन्य कार्यक्रमों के लिए किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नागालैण्ड और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों ने दावे प्रस्तुत किए हैं और बहुत से मामलों में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के तहत 1985-86 से 1992-93 की अवधि के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए उनको जारी की गई लगभग 380.42 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में कुल लगभग 392.34 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए है। इसके अलावा, वर्ष 1993-94 के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 52.47 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में जारी दिए गए थे जिसके लिए उनको सितम्बर, 1994 के माह तक दावे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ग) जी, हां। वर्ष 1985-93 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा हाल ही में कुल 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों की पुनरीक्षा में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कुल 6.41 करोड़ रुपयों की राशियों के अन्य कार्यक्रमों में उपयोग के मामले ध्यान में आए हैं।

(घ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में ये शामिल हैं। अंतिम दावों के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा जिस धनराशि का उपयोग अन्य कार्यक्रमों के लिए किया गया है उस की वसूली अथवा समायोजन और (II) वर्ष 1994-95 के दौरान अग्रिम रूप से जारी की गई राशियों के लिए नई शर्तें लगाना; अर्थात् पहली किस्त के लिए वर्ष 1992-93 तक की अवधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र अथवा लेखा-परीक्षित व्यय विवरणों का प्रस्तुत करना और दूसरी किस्त के लिए वर्ष 1993 94 के लिए व्यय विवरण और 1994-95 के लिए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों के कम से कम 40 प्रतिशत की उपलब्धि प्रस्तुत करना है।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना

*252. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष एजेंसियां बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने ऐसी एजेसियां नहीं बनाई हैं;

(घ) इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इन राज्यों द्वारा कब तक ऐसी एजोसियां बनाये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य	राज्य स्तरीय एजेंसी (एन आर वाई)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	म्यूनिसिपल प्रशा० एवं अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट
2.	बिहार	बिहार अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (बी०यू०डी०ए०)
3.	गुजरात	गुजरात म्यूनिसिपल फाईनेंस बोर्ड (जी०एम०एफ०बी०)

1	2	3
4.	हरियाणा	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए०)
5.	कर्नाटक	डायरेक्टोरेट एफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन
6.	केरल	केरल अर्बन डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन
7.	मध्य प्रदेश	एम0 पी0 स्लम क्लीयरेंस बोर्ड
8.	महाराष्ट्र	डिपार्टमेंट आफ अर्बन डवलपमेंट
9.	उड़ीसा	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए)
10.	पंजाब	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए)
11.	राजस्थान	डायरेक्टोरेट आफ लोकल बॉडीज्
12.	तमिलनाडू	म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एवं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट
13.	उत्तर प्रदेश	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए०)
14.	पश्चिम बंगाल	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए०)
15.	गोआ	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (एस०यू०डी०ए०)
16.	अरुणाचल प्रदेश	उप-सचिव, आर०डब्ल्यू०डी० (यू०डी०)
17.	असम	असाम वाटर सप्लाई व सिवरेज डिस्पोजल बोर्ड
18.	हिमाचल प्रदेश	डायरेटोरेट आफ अर्बन लोकल बॉडीज
19.	जम्मू और कश्मीर	आयुक्त व सचिव, एच०यू०डी० डिपार्टमेंट
20.	मणिपुर	डिपार्टमेंट आफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन
21.	मेघालय	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी
22.	मिजोरम	उप-सचिव, एल०ए०डी०, मिजोरम
23.	नागालैण्ड	यू०डी० डिपार्टमेंट
24.	सिक्किम	अर्बन डवलपमेंट व हाऊसिंग डिपार्टमेंट
25.	त्रिपुरा	लोकल सैल्फ गवर्मेंट डिपार्टमेंट
26.	ए०एंड०एन० आईलैंड	कार्यालय उप आयुक्त, अण्डमानस्
27.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (सी०यू०डी०ए०)
28.	दादरा व नगरहवेली	अर्बन डवलपमेंट एजेंसी

1	2	3
29.	दमन व द्वीव	कलैक्टोरेट, मोती दमन
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी अर्बन डबलपमेंट एजेंसी (पी०यू०डी०ए०)
31.	दिल्ली	दिल्ली अर्बन डवलपमेंट एजेंसी (पी०यू०डी०ए०)

कन्द्रशासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप एन०आर०वाई० कार्यान्वित नहीं कर रहा है क्योंकि यह केवल जे०आर०वाई० क्रियान्वित करता है अतः इसकी कोई एन०आर०वाई० के क्रियान्वयन हेतु कोई एजेंसी नही है।

लघु उद्योग क्षेत्र

*253. **श्री श्रीकांत जेना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन, सीधे निर्यात और संगठित क्षेत्र को निर्यात आपूर्ति के मामले मे लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है;

(ख) सरकार द्वारा रियायत और राजसहायता के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के कितनी प्राथमिकता दी गई है;

(ग) इस क्षेत्र के विकास में मुख्य अड़चने क्या-क्या हैं; और

(घ) सरकार का इन अड़चनों को किस प्रकार से दूर करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु क्षेत्र ने अच्छी विकास दर दर्शायी है। सातवीं योजना के दौरान इसमें 9.7 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना मे 12.7 प्रतिशत विकास दर दर्ज हुई है। आठवी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में 5% की तुलना में 1992-93 में 6% और 7% के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 1993-94 के प्रथम 9 महीनों के दौरान 7.1% की दर से विकास हुआ है।

पिछले तीन वर्षों, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन में लघु क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है :—

1990-91	39.50%
1991-92	38.99%
1992-93	39.46%

पिछले तीन वर्षों, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान प्रत्यक्ष निर्यात में लघु क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है :—

1990-91	29.68%
1991-92	31.52%
1992-93	33.34%

संगठित क्षेत्र को आपूर्ति के द्वारा लघु एककों के निर्यात से सम्बन्धित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार ने रियायतों व राजसहायता के मामले में लघु क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं: उत्पाद शुल्क में छूट/रियायत, बैंकों द्वारा रियायती वित्त, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण इत्यदि। राज्य सरकारें भी पूंजीगत राजसहायता, बिक्री कर ऋण/आस्थगन, विद्युत राजसहायता, शेडों/भूखंडों के आवंटन में वरीयता, खरीददारी/मूल्य में वरीयता आदि देती है।

(ग) और (घ) लघु क्षेत्र के सामने कुछ बाधाएं आती हैं जिनमें ऋण, विपणन और प्रौद्योगिकीय से संबंधित बाधाएं महत्वपूर्ण हैं।

लंघु उद्योग क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की जांच हेतु दिसंबर, 1991 में भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर श्री पी०आर० नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :—

(1) लघु उद्योग कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में अपने उत्पादन के न्यूनतम 20% के मानक आधार पर निकाली गई राशि प्राप्त करेंगे।

(2) बैंक लघु उद्योगों को वित्त देने के लिए 85 जिलों में जहां लघु औद्योगिक एककों की संख्या अत्यधिक है (दूसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार 2000 एककों से अधिक) "सिंगल विंडो योजना" आरंभ करेंगे। इन जिलों में बैंकों की विशेष शाखायें भी स्थापित की जायेंगी।

(3) ग्रामीण तथा अति लघु उद्योगों को ऋण की मंजूरी में प्राथमिकता मिलेगी।

दिसंबर, 1993 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1,36,930 करोड़ रुपये के कुल बैंक ऋण में लघु उद्योगों का हिस्सा 20,035 करोड़ रुपये था।

विपणन संबंधी समस्याओं का ध्यान रखने के लिए सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के अधीन लघु क्षेत्र से खरीदारी के लिए 409 मद आरक्षित हैं। सरकारी खरीदारी में लघु/अति लघु एककों को मूल्य में 15% तक वरीयता दी जाती है। सरकार विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग दिला कर विपणन में सहायता भी देती हैं। विपणन को बढ़ावा देने के लिए संघ बनाने में लघु औद्योगिक एककों की सहायता करने का भी निर्णय लिया गया है। उत्पादन शुल्क में छूट/रियायतों से भी उत्पादों के विपणन में सहायता मिलती है।

प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने औजार कक्षों (5 विद्यमान और 5 नये स्थापित किये जा रहे हैं), क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (4), फील्ड स्टेशनों (19), उत्पादन-यह-प्रक्रिया विकास केन्द्र (5 विद्यमान और 2 नये स्थापित किये जा रहे हैं) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा शाखा संस्थान भी तकनीकी सहायता और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराते हैं।

सरकार ने बड़ी तथा विदेशी कंपनियों के लिए ईक्विटी में 24% भागीदारी की अनुमति दी है ताकि लघु औद्योगिक एकक प्रौद्योगिकीय समझौते कर सकें। सी०एस०आई०आर०, यूनिडो इत्यादि द्वारा मुहैया कराई गयी सुविधाओं का प्रयोग लघु औद्योगिक एककों की प्रौद्योगिकीय सेवाओं की पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है।

रुग्ण एककों के लिए कोष

*254. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार रुग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए कोई कोष सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कोष औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड तथा अन्य ऐसे संस्थानों का स्थान लेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव योजना आयोग के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सोलर-सेल

*255. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बेल) का विचार निर्यात के लिए सोलर-सेलों के उत्पादन हेतु एक इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलौजी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "बेल" ने इस उद्यम में किसी अमरीकी कंपनी से सहयोग मांगा है;

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्पादन लाइनों के कब तक लगाए जाने तथा उत्पादन और निर्यात कब तक आरम्भ होने की आशा है; और

(च) इन विचाराधीन सोलर-सेलों का उत्पादन और निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अपनी बंगलौर स्थित यूनिट में सोलर सेलों के लिए निर्माण

सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से इस वर्ष के शुरू में मैसर्स स्पायर कारपोरेशन, यू०एस०ए० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। ये सुविधाएं इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जाएंगी।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इन सोलर सेलों के निर्यात के लिए मैसर्स रेक्सर कारपोरेशन, केलीफोर्निया यू०एस०ए० के साथ एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के अनुसार मैसर्स रेक्सर कारपोरेशन भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को सोलर सेलों के उत्पादन के लिए कच्ची सामाग्री की निशुल्क आपूर्ति करेगा। मैसर्स रेक्सर कारपोरेशन सोलर सेलों का समस्त उत्पादन वापस खरीद लेगा।

(ङ) उत्पादन लाइनों के जनवरी, 1995 तक स्थापित कर दिए जाने की आशा है। प्रायोगिक उत्पादन फरवरी, 1995 में और वाणिज्यिक उत्पादन मार्च-अप्रैल, 1995 में शुरू हो जाएगा। सोलर सेलों का निर्यात, प्रायोगिक उत्पादन सफलतापूर्वक चालू कर दिए जाने के दो से तीन माह तक की अवधि में शुरू किए जाने की आशा है।

(च) सोलर सेलों का उत्पादन शुरू होने पर प्रथम चार वर्षों में नीचे दिए अनुसार उत्पादन करने की योजना बनाई गई है :–

उत्पादन कार्य के वर्ष	वार्षिक उत्पादन
प्रथम वर्ष	1,125 एम०डब्ल्यू०
द्वितीय वर्ष	1,650 एम०डब्ल्यू०
तृतीय वर्ष	2,000 एम०डब्ल्यू०
चतुर्थ वर्ष	2,250 एम०डब्ल्यू०

उत्पादन के चौथे वर्ष में वार्षिक निर्यात का स्तर 2 मिलियर अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की आशा है।

[हिन्दी]

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

*256. **श्री दत्ता मेघे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है,

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की मेगावाट में क्षमता, कितनी है और इनकी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां,

(ख) से (ङ) परियोजना का नाम, संस्थापित क्षमता, अनुमानित लागत तथा चालू किए जाने के सैड्यूल सहित अनुमोदत तथा चालू घरेलू गैस आधारित परियोजनाओं के राज्यवार **ब्यौरे** संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुमोदित तथा चालू गैस आधारित वियुत परियोजनाओं के ब्यौरे-राज्य क्षेत्रवार

क्र० सं०	परियोजना का नाम (क्षमता मेगावट में)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	अनुमानित लागत (लाख रुपये) अनुमोदित (अनुमोदित तिथि)	अद्यतन	चालू किए जाने का शेड्यूल	क्या कार्य शुरू किया गया अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6		7
1.	लकवा जीटी चरण-II (3x20)	60	असम	3401 (2/85)	9830	यू-5 व 6 चालू किया गया यू-7 12/94	कार्य प्रगति पर
2.	अमगूरी सीसीजीटी (12x30)	360	असम	40825 (8/91)	20000	8वीं योजना	सार्वजनिक बैंक को प्रस्तुत किया गया
3.	पंपपोर जीटी चरण-II (4x25)	100	जम्मू व कश्मीर	9756 (11/89)	12780	यू-1से3 चालू किया गया यू-4 10/94 आयल फायर्ड	कार्य प्रगति पर है
4.	उत्रान सीसीजीटी (3x33+1x45)	144	गुजरात	15268 (8/90)	24060	चालू किया गया	
5.	यूरान वेस्ट हीट यू-1 (1x120)	120	महाराष्ट्र	6256 (3/87)	84500	चालू किया गया	
6.	यूरान वेस्ट हीट यू-2 (1x120)	120	महाराष्ट्र	7553 (11/87)		9/94	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
7.	यूरान वेस्ट हीट यू-3 (1x120)	120	महाराष्ट्र	8556 (6/89)	80000 8वीं योजना	गैस की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया
8.	रामगढ़ जीटी (1x3)	3	राजस्थान	394 (8/84)	1656 5/94	कार्य उन्नत अवस्था में हैं।
9.	रामगढ़ जीटी विस्तार (1x35.5)	35.5	राजस्थान	12083 (5/93)	12083 12/94	कार्य प्रगति पर है।
10.	बेसिन ब्रिजजीटी (4x30)	120	तमिलनाडु	5648 (12/88)	37613 2/95से6/95	आयत फायर्ड कार्य प्रगति पर है।
11.	डेस वेस्ट हीट (3x34)	102	दिल्ली	7692 (11/90)	25300 1994-96	हां
12.	कराइकल सीसीजीटी (3x5+1x7.5)	22.5	पांडिचेरी	4950 (5/89)	9700 8वीं योजना	कार्य प्रगति पर है।
	जोड़	1307.0				

[अनुवाद]

अंतरिक्ष विज्ञान

*257. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कौन-कौन से प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि निर्धारित की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में निम्न प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए :

वायुमण्डलीय गतिकीयों और इससे सम्बद्ध परिघटना के क्षेत्र में मूल अनुसंधान कार्य के लिए एक राष्ट्रीय मध्यमंडल समतापमंडल क्षोभमंडल-राडार सुविधा (एन०एम०आर०एफ०) की स्थापना की गई। श्रोस-सी उपग्रह पर भेजे गए वैज्ञानिक नीतभार अर्थात गामा किरण स्फोट संसूचक और मंदक विभव विश्लेपित्र (आर०पी०ए०) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसरो-भूमण्डल जैवमण्डल कार्यक्रम (आई०जी०बी०पी०) के अन्तर्गत एक स्वदेशी रूप में विकसित बैलून वाहित क्रायो-सैम्पलर परीक्षण किया गया। एफ-क्षेत्र की गतिकी और इलेक्ट्रॉन सघनता तथा तापमान के मापन पर अध्ययन करने के लिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी०आर०एल०), अहमदाबाद द्वारा तीन प्रमुख परिज्ञापी राकेट परीक्षण आयोजित किए गए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी०आर०एल०), अहमदाबाद, अन्तरिक्ष भौतिकी प्रायोगशाला (एस०पी०एल०), विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम् तथा अन्तरिक्ष विभाग द्वारा प्रयोजित (रिस्पॉण्ड) परियोजनाओं के अन्तर्गत विविध शैक्षिक संस्थानों में विविध मूल अन्तरिक्ष-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन क्रियाकलापों पर निम्न अनुमानित राशि खर्च की गई :—

रूपये में)

1.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस)	- 0.93
2.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी०आर०एल०)	- 19.81
3.	अन्तरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (एस०पी०एल०)	-1.26
4.	राष्ट्रीय एम०एस०टी० राडार सुविधा (एन०एम०आर०एफ०)	- 2.67
5.	इसरो भू-मण्डल जैव-मण्डल कार्यक्रम	- 1.51
6.	शैक्षित संस्थानों में प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पाण्ड) तथा अन्य संबंधित प्रायोजित योजनाएं।	-3.75

उपलब्ध परिणाम :

श्रोस-सी उपग्रह में रखे गए गामा किरण स्फोट परीक्षण ने अनेक गामा किरण स्फोटों का मापन किया है, जोकि गामा किरण और रेडियो स्पंदक यांत्रिकी को समझने में महत्वपूर्ण हैं। मंदक विभव विश्लेषित्र (आर०पी०ए०) नीतभार के परिणामों ने सूर्यास्त के बाद प्रसर-एफ की अनियमितताओं के विकास के दौरान एफ-क्षेत्र के निचले भाग में विद्यमान बृहत गतिकीय अनियमितताओं को सूचित किया है।

एन०एम०आर०एफ० में आयोजित पर्यवेक्षणों ने वायुमण्डलीय गतिकीयों को समझने में बहुमूल्य निवेश प्रदान किया है।

क्रायो-सैम्पलर बैलून-वाहित परीक्षण ने मध्यमण्डल में अनुरेख गैस सांद्रण के विश्लेषण के लिए विविध ऊंचाइयों पर गैस के नमूने एकत्र किए हैं, जिनमें क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, कार्बनडाइआक्साइड, मिथेन इत्यादि गैसें शामिल है, जो कि ओजोन के अवक्षय और ग्लोबल ऊष्मन की परिघटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

परिज्ञापी राकेट परीक्षणों ने प्रसर-एफ के प्रवर्त होने के दौरान स्फुलिंग यांत्रिकीयों की भूमिका की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुमूल्य निवेश प्रदान किए हैं। लेंग्म्योर प्रोब और अनुनाद कोण तापमान के मापनों ने लगभग २५० किलो मीटर की ऊंचाई पर उच्चिष्ठ् सहित इसी प्रकार की संरचना प्रकट की है।

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान निर्धारित धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

		(करोड़ रुपये में)
1.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला	1.50
2.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	9.14
3.	अन्तरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला	0.47
4.	राष्ट्रीय एम०एस०टी० राडार सुविधा	0.98
5.	इसरो भूमण्डल जैवमण्डल कार्यक्रम	0.30
6.	रिस्पॉण्ड और अन्य योजनाएं	2.09

अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाएं

*258. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए कितने राज्यों ने उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था तैयार कर ली है;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई निदेश जारी किए है; और

(ग) यदि् हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विद्युत उत्पादन सहित अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य संवर्द्धन और समन्वय क्रियाकलापों हेतु राज्य नोडल एजेंसियां स्थापित की हैं। अन्य राज्यों ने हालांकि अभी तक अलग एजेंसियां स्थापित नहीं की हैं फिर भी अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कार्य विभिन्न विभागों/एजेंसियों जैसे कि विद्युत विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत निगम, ग्रामीण विकास अथवा ग्रामीण निर्माण कार्य विभागों आदि द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित राज्य सचिवों और नोडल एजेंसियों के मुख्य कार्यकारियों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि अपारंपरिक ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और संवर्द्धन के लिए ऊर्जा/विद्युत विभागों के तहत एक एकल समर्पित शक्ति प्राप्त एजेंसी/बोर्ड स्थापित किया जाए। अन्तरिक अवधि में, केवल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य बिजली बोर्डों ने एक अलग कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।

यूरेनियम के भंडार

*259. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ स्थानों पर यूरेनियम के प्रचूर भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो ये स्थान कहां-कहां हैं और वहां से अब तक कितने यूरेनियम का दोहन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक स्थानों पर यूरेनियम की उपलब्धता का पता लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने देश में यूरेनियम के बहुत से स्रोतों का पता लगाया है जो यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में कुल मिलाकर लगभग 78,000 टन है। ये निक्षेप बिहार के सिंहभूम पश्चिम और सिंहभूम पूर्व जिलों, मेघालय के जिला पश्चिम खासी हिल्स, आन्ध्र प्रदेश के कुडडप्पा और नालगोंडा जिलों तथा मध्य प्रदेश के राजनंद गांव और सरगोजा जिलों में सूचित और अनुमानित श्रेणियों में स्थित हैं। बिहार में तीन निक्षेपों अर्थात् बिहार के जिला सिंहभूम पूर्व के जादुगोडा, भाटिन और नरवापहाड़, का इस समय यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू०सी०आई०एल०) द्वारा दोहन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) परमाणु खनिज प्रभाग (ए०एम०डी०) यूरेनियम का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण और अन्वेषण कर रहा है। परमाणु खनिज प्रभाग यूरेनियम-युक्त अयस्क के निक्षेपों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति और आधुनिक उपस्करों से लैस है। इसने समय-समय पर, देश के कई भागों में निक्षेपों का पता लगाया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब तक आवश्यक होगा, और अधिक यूरेनियम निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण किया जाता रहेगा।

गरीबी रेखा

*260. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग अनुमानतः कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) गरीब लोगों के अनुपात और संख्या के आकलन संबंधी विशेषज्ञ दल द्वारा लगाये गये अनुमानों की तुलना में इन अनुमानों में कितना अन्तर है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए गरीबी की रेखा की परिभाषा की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा घरेलू खपत उपभोक्ता व्यय पर आयोजित पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम आंकड़े वर्ष 1987-88 में आयोजित पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। योजना आयोग ने 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में 195.97 मिलियन, शहरी क्षेत्रों में 41.7 मिलियन तथा सम्पूर्ण देश में 237.67 मिलियन व्यक्तियों के गरीबी की रेखा से नीचे होने का अनुमान लगाया था। योजना आयोग द्वारा गठित "गरीबों के अनुपात तथा संख्या संबंधी विशेषज्ञ दल" ने वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में 229.4 मिलियन, शहरी क्षेत्रों में 83.55 मिलियन तथा सम्पूर्ण देश में 312.75 मिलियन व्यक्तियों के गरीबी की रेखा से नीचे होने का अनुमान लगाया है। दोनों अनुमानों में भिन्नता आकलन की पद्धति में अन्तर के कारण हैं।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट को मुद्दे पर और अधिक सार्थक परिचर्चा हेतु प्रकाशित कर दिया गया है तथा इसकी सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी

2468. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1992-93 के दौरान दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या यह चयन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुपात में नहीं किया गया है;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) 86

(ख) अनुसूचित जाति -9

अनुसूचित जनजाति- कोई नहीं।

(ग) अगस्त, 1991 में कुल मिलाकर 50 रिक्त पद इस अनुबंध के साथ विज्ञापित किए गए थे कि और अधिक रिक्त पदों को उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलभ्यता के आधार पर भरा जा सकेगा। विज्ञापित 50 रिक्त पदों में से अग्रनीत किए गए आरक्षित रिक्त पदों सहित विज्ञापित किए गए आरक्षित रिक्त पदों

की संख्या 15 थी अर्थात् 9 पद अनुसूचित जातियों के लिए और 6 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे।

तथापि, कुल मिलाकर 86 अभ्यर्थी अर्हित हुए जिनमें से 84 ने पद ग्रहण किया। भरे गए 84 रिक्त पदों में (जिनमें विज्ञापित 50 पद भी शामिल हैं) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित विवरणिका में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार रखे गए 40 बिंदु रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या 25 (अर्थात् 15 अनुसूचित जातियों के लिए और 10 अनुसूचित जनजातियों के लिए) थी।

अक्तूबर, 1991 में हुई दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में, विवरणिका और दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970 (समय-समय पर यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विहित शिथिल किए गए अर्हता मानक पर अनुसूचित जाति के केवल 9 अभ्यर्थी अर्हित हुए थे और उनका चयन कर लिया गया था।

(घ) 149.

(ङ) ओक्षित उपबंध, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 में पहले से विद्यमान है। उसका नियम 22 यह उपबंध करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

2469. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिये केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन की कब तक सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम की एक उपायोजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं के छोटे-छोटे समूहों को रोजगार सुविधाएं मुहैया कराना है। योजना उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी भागों में लागू की जा रही है।

स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाने वाला धन

2470. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा जुटाने के लिये राज्य वार किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान/सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने स्थानीय या विभागीय अधिकारियों द्वारा इन संगठनों द्वारा दिए गए "उपय ा प्रमाण पत्र" की मौके पर जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, सहायता दी गई स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या, स्वीकृत और रिलीज की गई राज्यवार राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कापार्ट ने इसके द्वारा सहायतार्थ परियोजनाओं की निगरानी के प्रयोजन के लिए मानिटर के रूप में अनेक अनुभवी लोगों को लगाया है । परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिए जाने के बाद उपयुक्त किस्तों में निधियां रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त रिलीज कर दिए जाने के बाद, स्वयंसेवी एजेंसी को एक उचित समय के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में एक प्रगति रिपोर्ट देनी होती है। आमतौर पर इस अवस्था में सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। मानिटर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना के निष्पादन में यदि कोई कमी देखी जाती है तो स्वयंसेवी एजेंसी को उपयुक्त परामर्श दिया जाता है स्वयंसेवी एजेंसी से परियोजना को मार्गदर्शिकाओं का सख्ती से पालन करते हुए चलाने का आश्वासन मिल जाने के बाद निधियों की अगली किस्त रिलीज की जाती है। परियोजना के पूरा होने पर एजेंसी अंतिम प्रगति रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, कापार्ट परियोजना के पूरा होने के बाद की अवस्था सहित विभिन्न दो अथवा तीन चरणों में इसके संचलन की निगरानी करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1991-92				1992-93				1993-94 (अनन्तिम)				1994-95 (जुलाई, 94 तक) (अनन्तिम)			
	परि० की सं०	एजेन्सियों की सं०	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परि० की सं०	एजेन्सियों की सं०	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परि० की सं०	एजेन्सियों की सं०	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परि० की सं०	एजेन्सियों की सं०	स्वी० राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	147	103	140.70	103.77	84	46	153.21	113.43	65	65	185.21	166.66	34	34	92.00	87.00
अ० नि० दी०स०	—	—	—	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	4	4	0.58	1.76	1	1	3.77	2.23	2	2	6.98	1.89	2	2	4.49	12.16
बिहार	98	58	137.27	88.99	146	88	168.73	179.06	67	65	214.29	171.57	38	38	117.96	85.98
दिल्ली	24	24	4.57	6.07	22	14	27.27	10.22	6	6	16.74	1.25	3	3	10.09	6.21
गुजरात	6	4	8.95	14.20	6	4	26.10	15.92	5	5	41.11	22.80	—	—	—	5.98
हरियाणा	24	15	24.49	12.46	14	9	23.69	22.19	14	14	57.08	33.56	1	1	3.85	8.58
हिमाचल प्रदेश	3	7	1.32	3.82	6	4	25.61	5.56	—	—	—	18.68	1	1	13.02	1.99
जम्मू व कश्मीर	2	2	6.20	0.22	1	1	0.23	5.70	—	—	—	3.22	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कर्नाटक	22	15	24.66	19.69	15	9	14.75	12.94	7	7	24.98	21.03	7	7	17.19	5.96
केरल	20	14	18.27	7.71	7	5	11.68	7.45	6	6	11.03	5.78	—	—	—	3.38
मध्य प्रदेश	31	29	8.82	19.38	23	20	23.61	11.96	7	7	31.48	18.86	2	2	8.87	11.09
महाराष्ट्र	15	8	22.11	21.72	7	5	15.02	13.96	4	4	13.29	12.04	1	1	6.15	3.16
मणिपुर	20	16	19.08	18	15	15	10.06	10.03	10	10	44.94	26.50	9	9	32.02	18.16
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1.90	—	—	—	—	1.10
मिजोरम	—	—	—	8.90	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—
नगालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.84	1	1	3.58	—
उड़ीसा	25	19	52.80	38..4	29	21	73.28	48.21	14	12	55.10	84.55	12	12	41.54	28.61
पंजाब	1	1	0.15	0.15	—	—	—	—	—	—	—	2.36	—	—	—	—
राजस्थान	40	25	19.39	49.04	20	12	29.35	21.42	18	18	59.67	44.51	13	13	40.59	31.72
तमिलनाडु	56	28	104.59	82.60	60	36	99.95	87.89	39	39	112.87	89.55	10	10	31.09	28.79
त्रिपुरा	1	1	8.09	—	—	—	—	—	1	1	5.89	5.19	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	348	281	217.20	177.17	260	172	285.91	177.12	73	73	211.07	277.45	47	47	122.08	93.75
प० बंगाल	230	181	191.91	134.02	215	166	323.29	220.06	53	53	198.84	244.31	34	34	123.86	98.03
योग	1122	835	1011.05	804.05	934	628	1315.51	971.35	392	388	1296.47	1254.63	215	215	668.38	530.20

पेयजल की आपूर्ति

2471. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांवों में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कितनी योजनायें प्राप्त हुई और उनमें से कितनी स्वीकृत की गई;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिये राज्यों को कितना धन निर्धारित किया गया;

(ङ) इस संबंध में क्या लक्ष्य तय किया गया है; और

(च) 1994-95 के दौरान इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) 1985 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिना पेयजल सुविधा वाले 43906 समस्याग्रस्त गांवों का चयन किया गया था। 31-3-1994 तक सभी 43906 समस्याग्रस्त गांवों में कम से कम एक पेयजल स्रोत मुहैया करा दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	योजनाओं की संख्या
1985-86	107
1986-87	479
1987-88	92
1988-89	401
1989-90	582
कुल	1661

(घ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को निधियों का आबंटन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आबंटन
	(रुपये करोड़ में)
1992-93	55.05
1993-94	76.48
1994-95	86.16
1995-96	इसका निर्धारण वर्ष दर वर्ष
1996-97	के आधार पर होगा

(ङ) 1992-93 और 1993-94 में ग्रामीण जल सप्लाई के लिए 9346 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 11011 गांवों को कवर किया गया। 1994-95 में 10,000 बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष 2 वर्षों के लिए लक्ष्य इन वर्षों के परिव्यय के आधर पर वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(च) 1994-95 में 86.16 करोड़ रुपय के आबंटन की तुलना में 43.08 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2472. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के अविकसित और अगम्य क्षेत्रों के विकास हेतु 80:20 हिस्से के आधार पर राज्य सरकारों की सहभागिता से 2 अक्तूबर, 1993 से एक योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अतंर्गत जारी की गई धनराशि कई मामलों में अयुक्त पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना जो 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई थी, का उद्देश्य 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष की आयु से नीचे के शारीरिक रूप से सक्षम सभी ग्रामीण गरीबों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो कार्य चाहते हैं, को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित कराना है। सुनिश्चित रोजगार योजना अब देश के 261 जिलों के 1778 खण्डों में चल रही है। ये खण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरूस्थली क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं।

(ख) से (घ) 1993-94 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 548.77 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। 31 मार्च, 1994 तक सूचित खर्च 182.94 करोड़ रुपये है।

1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च का स्तर प्राथमिक तौर पर कम है क्योंकि योजना को समय पर शुरू नहीं किया जा सका था। चूंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में विधान सभा चुनाव थे जिससे योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ और निधियों की दूसरी किश्त वित्तीय वर्ष के अंत तक ही रिलीज की जा सकी। सुनिश्चित रोजगार योजना एक सतत योजना है। जिसका प्रत्येक राज्य अथवा खण्ड के लिये कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है इस योजना के अंतर्गत खर्च गैर कृषि मौसम के दौरान मजदूरी रोजगार की मांग पर निर्भर करता है जो राज्य दर राज्य के हिसाब से भिन्न-भिन्न होता है। चूंकि यह योजना मांग पर आधारित है अतः इस योजना के अंतर्गत राज्यों को रिलीजें निष्पादन के आधार पर की जा रही हैं।

ए०पी०-1 और ए०पी०-2 परियोजनाएं

2473. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीदरलैंड सरकार नें आन्ध्र प्रदेश सरकार को ए०पी०-1 और ए०पी०-2 परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) कितने गांवों में ये दोनों परियोजनाएं चलाई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) नीदरलैंड से सहायता वाली परियोजना-ए०पी०-1 के लिए 1825.51 लाख रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में आन्ध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की मार्फत नीदरलैंड सरकार से 1437.37 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार, परियोजना-ए०पी०-2 के लिए 5048 लाख रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में आन्ध्र प्रदेश सरकार को पूर्व वित्त के रूप में उपलब्ध कराई गई 450.09 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त, 2424.27 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) ए०पी०-1 परियोजना के अंतर्गत 201 फ्लोराइड से प्रभावित गांवों को कवर किया गया था और ए०पी०-2 परियोजना के अंतर्गत 277 गांवों को कवर किया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में विकास केन्द्र

2474. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्रस्तावित विकास केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र को अब तक कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अधीन बिहार को छः विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं। ये भागलपुर, दरभंगा, हजारीबाग, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर और छपरा जिलों में हैं। इन विकास केन्द्रों में से पांच की परियोजना रिपोर्टों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्याकंन किया जा रहा है, जबकि छपरा की परियोजना रिपोर्ट अभी बिहार सरकार से प्रत्याशित है। परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन होने के बाद केन्द्रय सहायता जारी की जाती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

2475. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वार्षिक औद्योगिक विकास दर कितनी है;

(ख) इनमें लघु क्षेत्र का वर्षवार क्या योगदान है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान लघु क्षेत्र का रोजगार निर्माण में क्या योगदान है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ने 1991-92 में 0.6%, 1992-93 में 2.3% और 1993-94 में 3.0% विकास दर दर्शायी है।

(ख) निरन्तर आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लघु क्षेत्र के योगदान को नकारना संभव नहीं है। किन्तु, कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु क्षेत्र के अनुमानित योगदान को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

कुल औद्योगिक उत्पादन (प्रतिशत) में लघु क्षेत्र का अनुमानित योगदान।

1990-91	39.50%
1991-92	38.99%
1992-93	39.46%

स्रोत : विकास आयुक्त, लघु उद्योग।

विवरण-II

लघु क्षेत्र में रोजगार (मिलियन में)

1991-92	12.98
1992-93	13.41
1993-94 (अ)	13.94

अ = अनन्तिम

स्रोत : विकास आयुक्त, लघु आयोग।

[हिन्दी]

गुजरात में कृषि का विकास

2476. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात को कृषि के विकास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया,

(ग) क्या राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं में क्षेत्रकीय आबंटनों को विकास के विभिन्न सेक्टरों में उनके साथ परामर्श से अन्तिम रूप देता है। वर्ष 1993-94 के लिए कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का अनुमोदित परिव्यय 126.26 करोड़ रु० है। 1993-94 के लिए संशोधित परिव्यय 110.51 करोड़ रु० है।

(ग) योजना आयोग को गुजरात सरकार से चालू वर्ग हेतु अतिरिक्त राशि का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योगों को सहायता

2178. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृपि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र योजना के अधीन प्रति जिला उद्योग केन्द्र 4 लाख रु० की एकमुश्त राशि के बजाय 1994-95 के दौरान 50:50 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र पर प्रतिवर्ष लगभग 12.9 लाख रु० व्यय हुआ था। तथापि, इस अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि जिला उद्योग केन्द्र योजना अब राज्यों को स्थानांतरित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास योजना के अधीन तीन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कुरनूल जिले के उदयमलपुरम में एक परियोजना स्वीकृत की गयी है जिसमें कुल 328.18 लाख रु० की लागत अन्तर्ग्रस्त है।

आंध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2179. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन योजनाओं हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। योजना आयोग की उनके क्रियान्वयन अथवा मानीटरिंग में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, यह सामान्तया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है।

हैदराबाद को पानी की आपूर्ति

2480. **श्री धर्ममिक्षम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद, जुड़वा शहरों को पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कृष्णा नदी से पानी लाने संबंधी प्रस्ताव को योजना आयोग ने स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय निर्माण कार्य किसचरण में हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री) (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत 640 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली नागार्जुन सागर से हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दोनों शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु एक परियोजना पहचान रिपोर्ट विश्व बैंक की सहायता के लिए भेजी गयी है।

(ग) चूंकि परियोजना अभी पहचान किये जाने के स्तर पर ही है, इसलिए अभी निर्माण कार्य और निधियों के खर्च किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व बैंक की सलाह के अनुसार राज्य सरकार जल स्त्रोतों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता अध्ययनों, सेक्टर कार्य नीति दस्तावेज तैयार करने, अतिरिक्त कस्बों को शामिल करने तथा अन्य मुद्दों में व्यस्त है।

केरल स्टेट कॅयर मार्केटिंग फेडरेशन का प्रस्ताव

2481. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों की बिक्री पर छूट योजना की अवधि बढ़ाने के संबंध में "केरल स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड" से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार को केरल स्टेट को-आपरेटिव कैयर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड से 1994-95 के दौरान छूट योजना की अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प और शैचालय

2482. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और सार्वजनिक भवनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गये रैम्प और शैचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में कोई भवन संहिता बनायी है;

(घ) यदि हां, तो इस संहिता के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विद्यमान स्थानीय व्यवस्था में इस भवन संहिता को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री) (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भवन उप-नियमों में इस संहिता को शामिल न किये जाने के कारण इसे अभी अधिदेशात्मक स्तर नहीं मिला है, अतः इसका कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है।

(ङ) भवन उप-नियमों में परिशोधन करना देश के सम्बद्ध नगरपालिका निकायों का कार्य का कार्य है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तटीय क्षेत्र की सुरक्षा

2483. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई नई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस संबंध में कोइ विशेष सुरक्षा दर्जा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या इस वर्ष "लिट्टे" द्वारा केरल और तमिलनाडु में घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तटवर्ती सीमा की चौकसी की वर्तमान प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केरल और तमिलनाडु में एल०टी०टी०ई० की घुसपैठ से संबंधित कोई मामला तटरक्षकों की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में उद्योगों में निवेश

2484. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में मंझोले और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी राशि निवेश करने का विचार है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधारभूत स्तर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों में स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक (करोड़ रुपये में)

नाम	प्रत्याशित लागत	आठवीं योजना परिव्यय
1	2	3
भारत गोल्ड माइन्स लि०		
क) चिंगारगुण्टा खान परियोजना चरण-2	7.00	
ख) इंजीनियरी वर्कशाप का आधुनिकीकरण	4.50	

1	2	3
ग) खान निर्माण एवं नियंत्रण प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	5.00	
इस्पात		
वी०आई०एस०एल०		
क) नया निजी विद्युत संयंत्र	49.00	19.00
ख) एस०एम०एस० के लिये सुविधायें	56.00	1.00
ग) रोलिंग मिलों के लिये सुविधायें	57.00	1.00
के०आई०ओ०सी०एल०		
क) छर्रा संयंत्र का विस्तार	271.00	271.00
ख) निजी विद्युत संयंत्र	120.00	60.00
वस्त्र		
नेटेका के तहत 4 मिलों का आधुनिकीकरण		36.48
भारी उद्योग		
I) एच०एम०टी० बंगलौर		650.00
II) तुगभद्रा इस्पात परियोजना		1.00
एस०पी०सी०		
मण्डया नेशनल पेपर मिल लि०	28.63	5.00

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

2485. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की निगरानी हेतु किसी मशीनरी का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की निगरानी हेतु अलग से किसी मशीनरी का गठन नहीं किया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को सूचना देना अपेक्षित है।

डी०पी०ए०पी०/डी०डी०पी० पर सम्मेलन

2186. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1994 में नई दिल्ली में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)/मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) पर राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सिफारिश की गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के अनुसार 1995-96 से सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है।

विवरण

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में 18-19 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के सचिवों के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिये गये हैं :—

1. क्षेत्र विकास के लिए वाटरशेड आधारित नीति, कार्यक्रमों का समेकन और कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में तकनीकी समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।

2. तकनीकी समिति द्वारा सिफारिश किये गये मानदण्ड के आधार पर सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों का विस्तार इसी वर्ष किया जाना चाहिए।

3. राज्य स्तर पर एक अलग विभाग प्रमुख पूर्णतया इन्हीं कार्यक्रमों की देखरेख करे और कार्य योजना तैयार करने, कार्यक्रमों के समन्वय और समेकन से संबन्धित सभी कार्यों को देखें।

4. जिला स्तर पर सभी क्षेत्रों में जहां एक तिहायी खण्ड़ों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, एक जिला अतिरिक्त परियोजना निदेशक होगा जो मरूभूमि विकास सहित पूर्णतया इन कार्यक्रमों की देख-रेख करेगा।

5. शुष्क, अर्धशुष्क, और सूखे उप-आर्द्र क्षेत्रों में समेकित भूमि और जल प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन होना चाहिए।

6. भूमि तथा जल संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को उचित नीति उपाय करने हैं इन्हें महाराष्ट्र के पैटर्न पर कानूनों में शामिल किया जा सके जिससे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जल क्षमता तक पानी के

7. पानी तथा भूमि प्रबन्ध के लिए प्राथमिक उपचार कार्यों का पता लगाने के अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग पर नक्शे बनाने के लिए प्रत्येक सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरूभूमि विकास कार्यक्रम जिले में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेन्सी एक खण्ड ले सकती है।

8. पंचायतों को शामिल करने की आवश्यकता है।

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क और शीत मरुस्थली क्षेत्रों के लिए अलग मार्गदर्शिकाएं तैयार करेगा।

10. सरकारी अधिकारियों, फील्ड कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

2187. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण, पिछड़े और जन-जातीय क्षेत्रों में अब तक हुए कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के लिये कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें बेरोजगार और अल्परोजगार ग्रामीण गरीबों को आकस्मिक मजदूरी कार्य मुहैया करना है। 1-4-1989 से यह कार्यक्रम देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना को 1993-94 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के चुने हुए 120 पिछड़े जिलों में जहां बेरोजगार और अल्प-रोजगार का बाहुल्य है, लागू किया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1989-90 से योजना के प्रारम्भ होने से लेकर जून, 1994 तक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 14660 करोड़ रुपए के खर्च से 4436 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया है।

(ख) जवाहर रोजगार योजना हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 18400 करोड़ रुपए तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3855 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

वायुसेना मुख्यालय में निर्णय लेने में विलम्ब

2188. **मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन 1994 की संख्या 9 में बड़ी संख्या में ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनमें वायुसेना मुख्यालय और मंत्रालय स्तर पर निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण भारी मात्रा में अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ी है ;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय ने इन विलम्बों के कारणों की जांच करने हेतु कोई विश्लेषण किया है और उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ग) क्या इस पहलू की किसी समिति द्वारा भी जांच की गई है;

(घ) क्या इन समितियों ने निर्णय लेने में तीव्रता लाने तथा वित्तीय प्राधिकार सौंपे जाने के संबंध में सिफारिशें की हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मार्च, 1993 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1994 की रिपोर्ट संख्या-9 में यह उल्लेख किया गया है कि वायु सेना मुख्यालय के विदेश क्रय विंग से सम्बद्ध 12 मामलों में निर्णय लेने में हुए विलंब के कारण 126.79 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(ख) सरकार ने इन मामलों का विश्लेषण किया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित मामले 1988 से 1993 तक की अवधि से सम्बद्ध हैं। इन मामलों में मुख्यतय विलंब इसलिए हुआ कि उस समय एफ०एफ०ई० पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब न हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

जोरहाट कोयला सर्वेक्षण स्टेशन

2189. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के जोरहाट कोयला सर्वेक्षण स्टेशन ने अपर्याप्त धनराशि के कारण अपना अनुसंधान कार्य बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके अनुसंधान कार्य को पुनः शुरू करने हेतु कौन से कदम उठाये हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जोरहाट के कोयला सर्वेक्षण स्टेशन को अपने अधिदेश के अनुसार पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास कार्य प्राप्त नहीं हुआ। सी०एस०आई०आर० द्वारा नीति के अनुसार इस प्रकार के केन्द्रों को या तो बन्द कर दिया जाता है अथवा उनका पोषण करने के लिए उच्च स्तरीय ग्राहक उपलब्ध करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए उनकी गतिविधियों को पुनः उन्नतिशील बनाया जाता है। अतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रयोगशाला की गतिविधियों को पुनः उन्नतिशील बनाने का निर्णय लिया गया है।

मद्रास सिटी को पेय जल

2190. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए आवश्यक अध्ययन पूरा करने के बाद वीरानम जल आपूर्ति योजना अनुमति हेतु प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धन का अन्य कार्यों के लिये उपयोग करना

2191. **श्री मंजय लाल :**
श्री प्रेम चन्द्र राम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भूमि विकास कार्यक्रमों के लिये आबंटित राशि को लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बिहार सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा बराज

2192. **श्री श्याम विहारी मिश्र :**
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में गंगा नदी पर बराज के निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बराज के निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचनाअनुसार उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी, नहीं।

(ख) सिंचाई विभाग ने नींव कार्य के लिए मृदा परीक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया है। इस कार्य के एक भाग के निर्माणार्थ टैण्डर अभी हाल ही में आमंत्रित किये गये हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान।

[अनुवाद]

दवाई के लिए तम्बाकू का प्रयोग

2493. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न औषधियों के निर्माण में तम्बाकू के प्रयोग का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिकित्सकीय प्रयोजनार्थ देश में पैदा किए गए तम्बाकू के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विमान अनुरक्षण योजना

2494. **श्री अनंतराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) में विमान के अनुरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी एयर टेक्सियों को भी इन अनुरक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हॉल) विविध प्रकार के वायुयानों की सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग का कार्य कर रहा है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने उत्पाद/सर्विस सीमा का विविधीकरण करने तथा अपने ग्राहकों की आधारभूत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निजी आपरेटरों के लिए सिविल वायुयान अनुरक्षण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्राइवेट ऑपरेटरों के बोइंग-737 वायुयान पर चैक बी और चैक सी का कार्य किया है तथा इन वायुयानों एवं अन्य वायुयानों की और अधिक व्यापक सर्विसिंग करने के लिए व्यवस्था कर रहा है।

दक्षिणी राज्यों का आर्थिक विकास

2495. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के क्षेत्र में संभाव्यताओं की खोज की दृष्टि से इन राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कहां तक एक साथ क्षेत्र के विकास के लिए तैयार हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आठवीं योजना तथा उसके तहत वार्षिक योजनाओं के माध्यम से निवेशों को विभिन्न राज्यों के बहुमुखी सामाजिक आर्थिक विकास हेतु तैयार किया जाता है।

(ख) चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आठवीं योजना/वार्षिक योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना	वार्षिक योजना 1992-93	वार्षिक योजना 1993-94	वार्षिक योजना 1994-95
1. आन्ध्र प्रदेश	10500	1675	1851	2130
2. कर्नाटक	12300	1915	3025	3215
3. केरल	5460	915	1008	1260
4. तमिलनाडु	10200	1751	2101	2750
5. पांडिचेरी	400	90	108	135

(ग) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कोई स्कीम संयुक्त रूप से क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

10 अगस्त, 1994 को होने वाली सदन की बैठक के लिए

आर्थिक खनिजों का हवाई सर्वेक्षण

2496. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई जहाज उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक खनिजों का हवाई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) उड़ान अभिकरण से हवाई जहाज उपलब्ध न होने के कारण जनवरी, 1993 से मार्च, 1993 की अवधि में वायुवाहित सर्वेक्षण

नहीं किए जा सके। तथापि, नवंबर, 1993 से मार्च, 1994 तक सर्वेक्षण किए गए जोकि देश में ऐसे सर्वेक्षणों के लिए सर्वोत्तम मौसम होता है। उड़ान मौसम के दौरान सर्वेक्षणों के लिए हवाई जहाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि उड़ान अभिकरणों के साथ दीर्घावधि आधार पर एक अनुबंध किया जाए।

मौसम का पूर्वानुमान

2197. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग ने 5 जून, 1994 को पूर्वानुमान लगाया था कि दिल्ली में गर्मी समाप्त हो गई है;

(ख) क्या 8 जून, 1994 को दिल्ली में गर्मी ने 50 वर्षों का रिकार्ड तोड दिया था;

(ग) यदि हां, तो समस्त सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम का सही पूर्वानुमान न लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गये ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। गर्मी में कमी के सामान्य रूख का पूर्वानुमान लगाया गया था यद्यपि तापमान संबंधी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से इंकार नहीं किया गया था।

(ख) जी, नहीं। पिछले 50 वर्षों में दिल्ली में 17 जून, 1945 को अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सैल्सियम रिकार्ड किया गया था, जबकि 8 जून, 1994 का अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सैल्सियस था।

(ग) 5 जून से 15 जून, 1994 तक की तापमान विभिन्नताओं की संलग्न विवरण के अनुसार गर्मी में कमी का सामान्य रूख स्पष्ट है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में 5-15 जून, 1994 के दौरान रिकार्ड किया गया अधिकतम तापमान

दिनांक	अधिकतम तापमान (से०)	सामान्य से अलग (डिग्री से०)
1	2	3
5-6-1994	43.6	+2.6
6-6-1994	42.6	+1.6
7-6-1994	45.3	+4.3
8-6-1994	46.2	+5.2

1	2	3
9-6-1994	42.5	+1.5
10-6-1994	41.6	+4.6
11-6-1994	34.0	-6.0
12-6-1994	28.8	-11.2
13-6-1994	34.0	-7.0
14-6-1994	39.2	-0.8
15-6-1994	41.5	+1.5

टिप्पणी : भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाये गये मानदण्ड के अनुसार किसी स्थान विशेष में गर्मी बनी रहती है, अगर

(I) उस स्थान में उस अवधि के दौरान सामान्य अधिकतम तापमान (दीर्घकालिक औसतमान) 40 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक हो, और

(II) उस स्थान का अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान से 5-4 डिग्री सेन्टीग्रेड ज्यादा हो।

भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के लिए योजना परिव्यय

2198. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी से आठवीं पंचवर्षीय योजना की कुल योजना परिव्यय में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उत्तरोत्तर योजना परिव्यय की दर में गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान कार्यक्रमों पर संभावित प्रभाव क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) कुल केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परव्ययों के प्रतिशत के रूप में चौथी, पांचवीं, छठीं, सातवीं तथा आठवीं योजनाओं के दौरान आई०सी०ए०आर० के लिए परिव्ययों का अनुपात क्रमशः 0.958, 0.551, 0.720,0.445 तथा 0.512 प्रतिशत है।

(ग) योजना परिव्ययों का निर्धारण परिषद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों तथा गति-विधियों के संबंध में परिषद् का अनुमान है कि उसके अनुसंधान प्रयासों पर बहुत कम अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कानूनी सहायता कार्यक्रम

2500. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक महाराष्ट्र में कानूनी सहायता कार्यक्रम से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के निर्धारित सिद्धातों में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में इस योजना के लिए आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान और आज तक महाराष्ट्र में विधिक सहायता कार्यक्रम द्वारा फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति
1991-92	55,656
1992-93	35,790
1993-94 और आज तक	उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) विधिक सहायता कार्यक्रम को कानूनी आधार तभी मिलेगा जब विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को प्रवर्तन में लाया जा जाएगा।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा विक्षीय वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जारी किए गए अनुदानों और प्रस्तुत किए गए लेखों की वावत स्थिति निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	मंजूर किया गया अनुदान	
1991-92	50,000	लेखे अभी प्राप्त
1992-93	1,25,000	होने हैं।
1993-94	कुछ नहीं	

ग्रामीण विकास योजनाएं

2501. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में शामिल मंत्रालय के अधीन कौन-कौन सी प्रमुख केन्द्रीय या केन्द्र प्रायोजित

परियोजनाएं और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और संक्षेप में उनके लक्ष्य क्या है;

(ख) आठवीं योजना में ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिये कुल स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक लक्ष्य क्या हैं;

(ग) 31-3-1994 तक का राज्य वार और योजनावार कुल वास्तविक परिव्यय और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994-95 के लिये कितना वित्तीय नियतन और वास्तविक लक्ष्य रखा गया है और अब तक राज्य वार वास्तव में कितना आबंटन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं :—

(1) जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)

(5) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)

इन योजनाओं के संक्षिप्त उद्देश्य नीचे दिए गये हैं :—

(1) जवाहर रोजगार योजना

योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को अतिरिक्त लाभदायक रोजगार मुहैया कराना है और साथ ही सामाजिक तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करना और ग्रामीण गरीबों के लिए परिसम्पत्तियां सृजित करना है जिससे ग्रामीण आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

यह लाभार्थी उन्मुख स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा सब्सिडी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण की मार्फत परिसम्पत्तियां मुहैया कराके ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा पार कराने में समर्थ बनाना है।

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है जहां पर स्वच्छ पेयजल का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है।

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

योजना का मुख्य उद्देश्य फसल और पशुधन के उत्पादन तथा भू-जल की उत्पादकता एवं मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रभाव को कम करना तथा अन्ततः क्षेत्र में सूखे पर नियंत्रण पाना है।

(5) **मरूभूमि विकास कार्यक्रम**

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य मरूस्थलीय क्षेत्रों में मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना तथा भूमि जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित तथा विकसित करना ताकि दीर्घ काल में परिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा सके।

(ख) आठवीं योजना के दौरान प्रमुख योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा लक्ष्य नीचे दिए गये हैं :

	कार्यक्रम	कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)	लक्ष्य
1.	जवाहर रोजगार योजना	18,400	5000 (मिलियन श्रम दिन)
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,650	126 (लाख परिवार)
3.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	5100	केन्द्रीय निधियों तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों से सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं महैया कराने का प्रस्ताव है।
4.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1000	लक्ष्य राज्यों द्वारा निर्धारित
5.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	500	किए जाते हैं।

(ग) और (घ) विवरण I, II, III और IV संलग्न है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना/गहन जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना का आबंटन और लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94 के दौरान उपयोग की गई राशि (लाख रुपये में)			1993-94 के दौरान भौतिक उपलब्धि (लाख श्रम दिन)			1994-95					
								केन्द्रीय आबंटन			भौतिक लक्ष्य		
		जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना	जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना	जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना'	जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	28568.86	4246.73	2566.02	903.06	125.84	62.42	21679.97	4995.00	4800.00	946.90	198.33	
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.60	—	136.17	4.85	0.00	3.64	258.01	0.00	960.00	9.38	0.00	
3.	असम	7911.51	—	963.09	278.24	0.00	31.75	7136.97	0.00	2760.00	211.97	0.00	
4.	बिहार	60445.49	8078.50	1608.36	1321.04	153.21	31.44	42524.45	13785.00	6280.00	1035.22	305.08	
5.	गोआ	353.83	—	—	8.53	0.00	0.00	278.77	0.00	0.00	7.84	0.00	
6.	गुजरात	10533.51	1182.44	146.21	210.55	22.09	6.75	7958.29	3110.00	1940.00	177.45	63.04	
7.	हरियाणा	2164.35	—	993.85	33.29	0.00	15.20	1911.69	0.00	1760.00	33.29	0.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	1303.08	—	2.47	34.54	0.00	0.05	885.81	0.00	140.00	28.68	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू व कश्मीर	1080.67	145.50	133.75	27.60	3.44	3.46	1800.00	683.00	1340.00	86.36	30.74	
10.	कर्नाटक	17567.06	1690.62	678.26	588.64	62.66	32.12	14557.15	3772.00	3760.00	415.72	97.93	
11.	केरल	7788.33	—	171.20	120.43	0.00	2.60	5296.09	0.00	800.00	97.10	0.00	
12.	मध्य प्रदेश	36260.38	2538.38	2503.49	769.25	NR	51.26	27471.67	12195.00	8920.00	723.33	291.90	
13.	महाराष्ट्र	25626.40	1388.61	430.10	1129.94	58.56	31.53	23634.14	8174.00	3944.00	1231.45	387.19	
14.	मणिपुर	301.82	—	35.46	6.58	0.00	NR	330.69	0.00	880.00	5.78	0.00	
15.	मेघालय	359.46	—	—	9.55	0.00	NIL	386.94	0.00	—	7.82	0.00	
16.	मिजोरम	350.70	—	470.98	6.32	0.00	8.52	163.00	0.00	800.00	4.08	0.00	
17.	नागालैंड	668.66	—	975.15	16.02	0.00	33.92	414.77	0.00	1120.000	11.51	0.00	
18.	उड़ीसा	19582.43	1911.22	1280.35	479.07	43.89	31.43	17587.54	5715.00	5720.00	522.34	154.31	
19.	पंजाब	1922.51	—	—	38.57	0.00	0.00	1359.42	0.00	0.00	25.39	0.00	
20.	राजस्थान	14247.06	1628.85	926.99	403.13	47.24	50.00	11413.49	3555.00	4880.00	385.21	112.14	
21.	सिक्किम	273.07	—	20.27	10.14	0.00	0.82	151.01	0.00	160.00	6.19	0.00	
22.	तमिलनाडु	26530.04	793.98	319.48	855.02	26.08	10.96	19598.35	2604.00	1832.00	727.58	87.89	
23.	त्रिपुरा	838.66	—	659.35	23.41	0.00	16.14	429.52	0.00	720.00	13.19	0.00	
24.	उत्तर प्रदेश	69531.24	1979.92	647.68	1739.18	51.98	15.00	52833.41	6668.00	5420.00	1165.44	133.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	पश्चिम बंगाल	24031.32	1884.00	2621.00	495.18	38.38	52.53	19428.42	4900.00	4960.00	498.98	114.41	
26.	अंडमान व निको०	107.20	—	2.41	1.81	0.00	0.10	152.70	0.00	40.00	43.05	0.00	
27.	दादर व नगर हवेली	80.68	—	1.51	2.34	0.00	0.04	82.89	0.00	20.00	2.29	0.00	
28.	दमन व द्वीव	25.94	—	—	0.59	0.00	NIL	48.83	0.00	—	1.48	0.00	
29.	लक्षद्वीप	73.58	—	—	2.21	0.00	NIL	76.55	0.00	—	1.39	0.00	
30.	पांडिचेरी	122.53	—	—	4.27	0.00	0.00	149.47	0.00	0.00	3.08	0.00	
	योग :	358841.82	27470.75	18293.60	9523.45	633.37	491.68	280000.00	70256.00	63956.00	8389.48	1976.05	

विवरण-II

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन, उपलब्धि और लक्ष्य

क्रमांक	राज्य	1993-94 उपयोग * (लाख रुपये में)	1993-94 उपलब्धियां (सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या)	1994-95 *आबंटन (रुपये लाख में)	1994-95 भौतिक लक्ष्य (परिवारों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8813.75	259697	8344	166884
2.	अरुणाचल प्रदेश	523.65	15207	623	12468
3.	असम	1841.78	63381	2747	54938
4.	बिहार	10873.59	335908	16232	324640
5.	गोआ	24.51	736	142	2840
6.	गुजरात	3354.85	79725	3063	61260
7.	हरियाणा	1318.31	34026	736	14715
8.	हिमाचल प्रदेश	378.02	9128	240	4796
9.	जम्मू व कश्मीर	426.67	7408	1000	20000
10.	कर्नाटक	4026.36	132861	5603	112055
11.	केरल	1973.75	53698	2038	40767
12.	मध्य प्रदेश	10040.21	242673	10573	211466
13.	महाराष्ट्र	7329.26	217671	9096	181926
14.	मणिपुरा	175.91	6333	449	8982
15.	मेघालय	158.33	2635	478	9567
16.	मिजोरम	282.09	4684	201	4027
17.	नागालैंड	310.79	4368	337	6737
18.	उड़ीसा	6263.38	160000	6769	135382
19.	पंजाब	1471.24	33736	523	10464
20.	राजस्थान	4213.30	116567	4393	87857

2	3	4	5	6
21. सिक्किम	40.96	1218	56	1120
22. तमिलनाडु	7269.39	214888	7543	150860
23. त्रिपुरा	540.29	162	643	12856
24. उत्तर प्रदेश	20197.02	445403	20335	325353
25. पश्चिम बंगाल	2959.40	73818	7478	149552
26. अंडमान व निको०	17.51	492	71	1421
27. दादर व नगर हवेली	14.89	372	15	300
28. दमन व द्वीव	18.74	507	28	561
29. लक्षद्वीप	6.59	81	7	140
30. पांडिचेरी	36.29	1407	58	1161
अखिल भारत	95591.39	2534925	109822	2115097

अनन्तिम

विवरण-III

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए आबंटन, उपलब्धि और लक्ष्य

		1993-94		1994-95	
क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपयोग (करोड़ रुपये में)	उपलब्धि (गांवों की संख्या)	आबंटन (लाख रुपये में)	लक्ष्य (गांवों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	41.240	1408	4644.00	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.176	149	842.00	200
3.	असम	18.120	751	1422.00	1200
4.	बिहार	22.217	3530	5469.00	10000
5.	गोआ	0.837	56	129.00	100
6.	गुजरात	18.594	458	3039.00	1500
7.	हरियाणा	15.817	700	2008.00	1000

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	8.041	570	942.00	900
9.	जम्मू व कश्मीर	14.855	62	2599.00	500
10.	कर्नाटक	36.791	5150	4272.00	9000
11.	केरल	13.164	164	2172.00	600
12.	मध्य प्रदेश	49.730	5963	5142.00	9000
13.	महाराष्ट्र	43.743	1343	6182.00	3000
14.	मणिपुर	2.962	155	309.00	250
15.	मेघालय	5.787	743	420.00	700
16.	मिजोरम	2.100	167	236.00	200
17.	नागालैंड	0.909	60	422.00	220
18.	उड़ीसा	18.137	5449	2434.00	5500
19.	पंजाब	11.305	343	775.00	1000
20.	राजस्थान	64.738	2328	8222.00	6500
21.	सिक्किम	3.720	70	372.00	200
22.	तमिलनाडु	29.284	3751	3682.00	6300
23.	त्रिपुरा	3.943	215	350.00	600
24.	उत्तर प्रदेश	69.652	6047	8616.00	10000
25.	पश्चिम बंगाल	22.344	1750	3326.00	5000
26.	अंडमान व निको०	0.000	10	38.00	30
27.	दादर व नगर हवेली	0.000	0	22.00	10
28.	दिल्ली	0.117	0	25.00	0
29.	दमन व द्वीव	1.099	2	13.00	30
30.	लक्षद्वीप	0.350	4	10.00	2
31.	पांडिचेरी	0.260	21	26.00	28
	योग	525.025	41428	68160.00	77770

विवरण-IV

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन, उपलब्धि और लक्ष्य

राज्य	1993-94 आबंटित राशि (लाख रुपये में)	उपलब्धि (हैक्टेयर में) भूमि विकास	जल संसाधन	वनरोपण	1994-95 आबंटित राशि (लाख रुपये में)	लक्ष्य*
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम						
1. आंध्र प्रदेश	1804.50	155.41	23.75	172.40	1993.00	
2. बिहार	1242.00	31.12	28.52	25.93	1380.00	
3. गुजरात	1119.00	102.47	25.30	30.56	1236.00	
4. हरियाणा	202.50	20.16	14.08	3.84	225.00	
5. जम्मू व कश्मीर	321.75	19.86	2.23	11.34	357.50	
6. कर्नाटक	1873.50	233.96	9.85	80.47	2068.00	
7. मध्य प्रदेश	1213.50	26.35	9.68	54.07	1345.00	
8. महाराष्ट्र	2014.50	70.47	22.60	188.31	2218.00	
9. उड़ीसा	931.50	25.97	31.51	81.16	1033.00	
10. राजस्थान	771.00	85.21	11.94	23.30	853.00	
11. तमिलनाडु	985.50	169.65	5.88	74.44	1095.00	
12. उत्तर प्रदेश	2079.00	287.89	35.55	38.99	2307.00	
13. पश्चिम बंगाल	776.25	51.52	5.40	157.76	862.50	
योग :	15334.50	1280.04	226.28	942.57	16973.00	
मरूभूमि विकाय कार्यक्रम						
1. गुजरात	337.50	18.87	7.05	13.05	382.00	
2. हरियाणा	637.50	0.00	31.88	18.22	718.00	
3. हिमाचल प्रदेश	300.00	10.02	1.81	15.90	340.00	
4. जम्मू व कश्मीर	450.00	4.72	8.61	2.95	510.00	
5. राजस्थान	5700.00	122.83	15.97	106.60	6450.00	
	7425.00	156.44	65.32	156.72	8400.00	

* लक्ष्य राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

समुद्र विकास

2502. **डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र विकास के लिए क्या कार्यक्रम है; और

(ख) इस अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अनुसंधान

(2) गहरा समुद्र संस्तर खनन कार्यक्रम

(3) तटीय क्षेत्रों सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम।

(4) मौलिक अनुसंधान और जनशक्ति विकास

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. **अंटार्कटिक कार्यक्रम :** अंटार्कटिक के लिए वार्षिक वैज्ञानिक अभियानों की व्यवस्था कर के अंटार्कटिक समुद्री पर्यावरण और अंटार्कटिक महाद्वीप में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

2. **गहरा समुद्र संस्तर खनन कार्यक्रम :** भारत को आबंटित खान स्थल में बहुधात्विक पिण्डिकाओं की संसाधन संभावना और उनके स्थानिक वितरण का मूल्याकंन करना और पिण्डिकाओं से सम्बद्ध खनन और धातुकर्म के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को जारी रखना।

3. **तटीय क्षेत्रों सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम :** तटीय मछुआरों को सभावित मत्स्य क्षेत्रों पर सूचना का प्रकीर्णन, समुद्री पर्यावरण की लगातार मॉनिटरिंग, स्वदेशी तौर पर निर्मित दो तटीय अनुसंधान जलयानों की प्राप्ति, समुद्री तरंगों से बिजली के उत्पादन के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का परिष्करण, अन्दमान द्वीप समूह की अम्लीय मृदा में झींगा पालन का प्रदर्शन, सात स्थानों पर पारम्परिक मत्स्यन जलयानों और तट के बीच पारस्परिक संचार प्रणालियां प्रारम्भ करना, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना द्वारा निर्जीव संसाधनों के लिए विदोहन प्रौद्योगिकियां विकसित करना, मात्स्यकी संसाधन मूल्याकंन को जारी रखना, आधुनिक ज्वार प्रमापियों का प्रयोग कर के समुद्र स्तर विभिन्नताओं को मापना, तूफान महोर्मियों और प्रत्याशित समुद्र स्तर चढ़ावों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिरूपों का विकास करने हेतु उत्कृष्ठ पैमाने पर मानचित्रों को तैयार करना, महासागर आंकड़ों के सुदूर संग्रह के लिए महासागर आंकड़ा प्लवों का एक नेटवर्क विकसित करना, समुद्री एक्वेरिया और समुद्री जल जीव शीला की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन, एक समर्पित समुद्री उपग्रह के विकास के लिए सहयोगात्मक अध्ययन करना।

4. **मौलिक अनुसंधान और जनशक्ति :** समुद्री जीवों से जैव सक्रिय पदार्थों के निष्कर्षण के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन करना तथा महासागर के क्षेत्र में जनशक्ति के विकास के लिए अध्येतावृति कार्यक्रम चलाना।

(ख) महासागर विकास के कार्यक्रमों को चलाने के लिए आठवीं योजना में 130 करोड़ रुपये के सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

असम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2503. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में 31 मार्च, 1994 तक कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम के वार्षिक उत्पादन तथा लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ग) असम में उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार और अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) कार्यान्वयनाधीन ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केवल 31 मार्च, 1993 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय असम राज्य में अवस्थित थे। इन सभी उपक्रमों के उत्पादन मूल्य, निवल लाभ/हानि तथा इनमें काम करने वाले कामगारों की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 31-3-1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा 23 फरवरी, 1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड 1 की पृष्ठ संख्या 47 से 60 तक में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल पूंजीनिवेश (सामान्य शेयर एवं ऋणों के रूप में)	उत्पादन/ प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	निवल लाभ/ हानि	कर्मचारियों की संख्या
1.	असम अशोक होटल निगम लि०	201	84	— 5	89
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि०	23841	48586	2901	1852
3.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	709	20	— 149	100
4.	ऑयल इण्डिया लि०	51051	53625	3778	10971

[हिन्दी]

बृहस्पति से टक्कर

2504. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "शोधेमेकर लेवी-9" की बृहस्पति उपग्रह से टक्कर हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस टक्कर का पूरा ब्यौरा क्या है तथा देश की किन-किन वेधशालाओं में इस टक्कर को देखा गया ;

(ग) इस पर भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इसका पारिस्थितिक संतुलन, खुगोलिकी तथा ब्रह्माण्ड पर क्या असर पडेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) धूमकेतु शूमेकर-लेवी 9 के 21 पिण्ड 17 जुलाई को 00.56 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बृहस्पति से एक के बाद एक टकराते चले गए तथा अंतिम बड़ा पिण्ड 22 जुलाई, 1994 को 13.11 बजे टकराया। ये खगोलवैज्ञानिक घटनाएं शक्तिशाली थीं तथा उन्होंने जोवियन वायुमण्डल पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाले जैसे-मीथेन गैस की सहानता में परिवर्तन तथा वायुमण्डल को आच्छादित किये हुए गैस के गर्म बादलों से अत्याधिक विकिरण का उत्सर्जन 1 इस घटना ने ग्रह के नजर आने वाले वायुमण्डल में बड़े परिवर्तन किये।

भारत में निम्नलिखित वेधशालाएं अवलोकन तथा विश्लेषण के कार्यक्रम में संलग्न हैं :

(1) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बंगलौर (आई०आई०ए०) की कवालूर (कर्नाटक) स्थित वेणुबापू वेधशाला।

(2) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान की कोडाईकनाल वेधशाला

(3) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान की गौरीबिदानूर वेधशाला

(4) उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थित जापल रंगापुर वेधशाला

(5) ऊटी रेडियो टेलिस्कोप

(6) जायंट मीटरवेव रेडियो टेलिस्कोप (जी०एम०आर०टी०), पुणे

(7) उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल

इसी प्रकार अन्य जो संस्थान इसमें संलग्न हुए उनमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट आफ़ फण्डामेंटल रिसर्च, बम्बई तथा रामन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर शामिल हैं।

(ग) वैज्ञानिकों के अनुसार यह इस शताब्दी की एक अनोखी घटना है। इस घटना ने भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों के बीच सनसनी पैदा कर दी है। इस घटना से ग्रहों से धूमकेतु पिण्डों की बड़ी टक्करों की प्रकृति तथा परिणाम के बारे में विस्तृत सूचना मिलेगी।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पृथ्वी की पारिस्थितिकी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग

2505 **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में लधु उद्योगों को लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना की समीक्षा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को भी इस योजना में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचल) : (क) और (ख) जी, हां।

सामान्य लघु उद्योग छूट योजना के अधीन सी०ई० प्रशुल्क के तहत आने वाली अधिकतर वस्तुएं गुजरात में आने वाले एककों सहित लघु उद्योग एककों की 30 लाख रुपये मूल्य तक की वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है और 75 लाख तक बाद में निपटान पर रियायती दर पर शुल्क लगाया जाता है बशर्ते ऐसे एककों का कुल कारोवार पिछले वित्तीय वर्ष में 200 लाख रुपये से ज्यादा न रहा हो।

(ग) इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र शामिल है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पनडुब्बी की क्षमता

2506. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय पनडुब्बी की क्षमता में गिरावट की प्रवृत्तिय व्यक्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाऐ जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार 31 मई, 1994 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार से अवगत हैं।

(ख) भारतीय नौसेना के बल स्तर भू-सामरिक परिस्थिति, किसी निश्चित समय में संभावित खतरे, इस संदर्भ में नौसेना को सौंपे गए कार्य और संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में निर्धारित किये जाते हैं। तदनुसार नौसेना उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

2507. **डा० साक्षीजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य के कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जिले कौन-कौन से हैं;

(ग) औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए सरकार क्या मानदंड अपनाती है; और

(घ) ऐसे जिलों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि राज्य के आठ पहाड़ी जिलों को पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल किया जाए।

(ग) केन्द्र सरकार ने पिछड़ेपन का निर्धारण करने हेतु एक समान राष्ट्रीय मानदंडों के एक सेट तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है। उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) जिलों में स्थापित नए औद्योगिक एकक जिन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाएगा, वे आयकर अधिनियम की धारा 80 आई०ए० के उपबन्धों के अधीन 5-वर्ष के करावकाश के पात्र होंगे।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

2509. **श्री काशीराम राणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए कितने अनिवासी भारतीय भारत आये किन्तु इस प्रक्रिया में उन्हें आयी कठिनाईयों के कारण वापस चले गये;

(ख) क्या सरकार ने तत्संबंधी कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के बाद 30-6-1994 तक अनिवासी भारतीयों (एन०आर०आईज) द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए 478 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। प्रक्रिया में उनके सामने आयी कठिनाई के कारण अनिवासी भारतीयों के वापिस चले जाने के बारे में कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। देश में अनिवासी भारतीयों के पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिनमें एन०आर०आई०/ओ०सी०बी० को इक्विटी में 100% भागेदारी और निवेश की गई पूंजी को स्वदेश ले जाने की अनुमति शामिल है। आनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर उत्साहजनक रही है।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी प्रमुख का रिक्त पद

2510. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से संघ लोक सेवा आयोग में कोई कार्यकारी प्रमुख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद को कब तक भरा जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मागरिट अल्वा) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग में सचिव का पद कार्यकारी प्रमुख का होता है तथा यह 27-8-1993 से खाली है। संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये 3 पैनल अस्वीकार कर दिए गए हैं। इस पद को यथासंभव शीघ्र भरने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी बीच पद पर नियमित पदधारी का चयन होने तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा सचिव के कार्यों को देखने के लिए वरिष्ठतम अपर सचिव को प्राधिकृत किया गया है।

गुजरात में पेय जल योजनाऐं

2511. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी एजेंसी ने गुजरात की विभिन्न पेय जल योजनाओं में सहयोग करने की सहमती जतायी है; और

(ख) यदि हां, तो शहरवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेय जल की आपूर्ति

2512. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "ड्रिंकिंगवाटर स्टिल ड्रीम फार ओवर वन लाख विलेजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) समाचार पत्र में छपे समाचार से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं :—

(1) पिछले 9 वर्षों के दौरान जल सप्लाई योजनाओं पर कुल 9235.742 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(2) 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार पेयजल समस्या से प्रभावित 161722 गांवों में पेयजल का एक भी स्रोत नहीं था।

1-4-1992 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या घटकर 2243 हो गई थी तथा 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार यह घटक 278 रह गई।

(3) बस्तियों के 1991-93 के सर्वेक्षण से तैयार किए गए आंकड़ों का मान्यकरण 48 तकनीकी तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस मान्यकरण के परिणाम की सितंबर 1994 तक उपलब्ध होने की संभावना है।

(4) धन के निकाल लिये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों और पिछड़े वर्गो के लिए डी०डी०ए०फ्लैट

2513. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और पिछड़े वर्गो को आवास दिलाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणियों में कितने लोगों को अब तक आवास उपलब्ध कराये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेंशन संबंधी लाभ

2514. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रुप –सी" संवर्ग के केन्द्रीय सरकार के "पप्री-1973" कर्मचारियों की तुलना में "पोस्ट-1973" के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रुप "सी" संवर्ग के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का पेंशन संबंधी लाभ निर्वाह वेतन-भत्ते के मानदण्डों के अनुरूप है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन व्यक्तियों का निर्वाह पेंशन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए "एक पद एक पेंशन" की नीति लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय पेंशन संबंधी लाभ उस समूह अथवा संवर्ग से संबद्ध नहीं होते जिसके ये कर्मचारी होते हैं। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पेंशन ढांचे को 1-1-1986 से युक्तिसंगत बना दिया गया है तथा इससे होने वाले लाभ 1973 से पूर्व तथा 1973 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित 1-1-1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को दे दिए गए हैं। पेंशन संबंधी लाभों का निर्धारण ली जाने वाली परिलब्धियों, अर्हक सेवा की अवधि तथा इनमें से प्रत्येक लाभ की गणना के लिये निर्धारित फार्मूलों के संदर्भ में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को पेंशनरों का अनुज्ञेय पेंशन की न्यूनतम राशि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिये बिना अब 375/-रुपये प्रति मास है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 के पश्चात् जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि के प्रतिपूर्ति के लिये छः मास के अन्तराल पर महंगाई राहत का भुगतान भी किया जा रहा है। विद्यमान पेंशन ढांचे की पुनरीक्षा को पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में परिवर्तन

2515. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी और कुछ अन्य स्थानों पर एल०आई०जी०फ्लैटों को एम०आई०जी०फ्लैटों और जनता फ्लैटों को एल०आई०जी०फ्लैटों में बिना इनमें कोई परिवर्तन किये ही बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि निर्माण लागत में वृद्धि के कारण कम कुर्सी क्षेत्र में आंशतः तैयार फ्लैटों के आबंटन का निर्णय लिया है, जिसमें आवंटियों द्वारा स्वयं अन्य मंजिले बनाने की गुंजाईश होगी। पूरी तरह बन जाने पर ये फ्लैट एल०आई०जी०/एम०आई०जी० फ्लैटों के न्यूनतम निर्धारित आकार से कुछ बड़े होंगे और साथ ही आबंटियों द्वारा डी०डी०ए० को तैयार हिस्से के लिए ही

कीमत चुकाने का भी लाभ होगा। इसके अलावा, आकार विस्तार की गुंजाईश से आवंटियों को फ्लैट टाइप निर्माण की तुलना में निजी कब्जे का पूरा मकान रखने और जरूरत के अनुसार रिहायशी कमरे बनाने की सुविधा होगी।

[हिन्दी]

बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी

2516. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के दो जिलों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित करने का है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत सरकार का बिहार के दो जिलों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी घोषित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अधीन इकाईयां

2517. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अधीन प्रत्येक वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने तथा विस्तृत अध्ययन करने उच्च-स्तरीय समिति गठित की थी,

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सभी इकाइयों को पूर्ण रूप से अर्थक्षम बनाने हेतु कुल कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करने के लिए एक तकनिकी समिति सरकार द्वारा स्थापित की गयी थी कि क्या नवीकरण/समस्याजनक उपस्करों आदि पर कुछ निवेश से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) के दूर्गापुर, बरौनी और नामरुप-I और II एककों का प्रचालन हो सकेगा।

(ख) 19-7-1994 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में तकनिकी समिति ने उपरोक्त संयंत्रों के प्रचालन को बनाये रखने के लिए आवश्यक अन्य उपचारी उपायों के साथ-साथ समस्या-प्रवण-उपस्करों और प्रतिस्थापन मरम्मत और संशोधन के लिए जरूरी क्षेत्रों की शिनाख्त की है। समिति ने उपरोक्त संयंत्रो द्वारा प्राप्त की जाने वाले स्ट्रीम दिवसों और उत्पादन क्षमताओं का मूल्यांकन भी किया है।

(ग) सरकार तकनिकी समिति की रिपोर्ट पर एच०एफ०सी० के प्रबन्धन/बोर्ड की टिप्पणी जाननी चाही है।

(घ) समिति ने इन संयंत्रों की नेमप्लेट क्षमताओं को कम करने के साथ 263.18 करोड़ रु० के निवेश का अनुमान लगाया है। तथापि, समिति ने कहा है कि एच०एफ०सी० के पास भारी बकाया योजना और गैर-योजना ऋण, संचयित ब्याज भार तथा निगम ऋण है और ये दायित्व क्षमताओं को कम करने तथा उपर्युक्त राशि के निवेश के बाद संभावित भावी नकद प्राप्तियों से पूरे नहीं किये जा सकेंगे।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा मतदाता-कार्ड तैयार किया जाना

2518. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साफ्टवेअर निर्यात प्रभाग ने मतदाता पहचान-पत्र तैयार करने के लिए किफायती द्रुत और दोषरहित प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी०ई०एल०) ने निर्वाचक परिचय-पत्र बनाने के लिए "बी ई-परिचय" नामक एक एकीकृत प्रणाली का विकास किया है। बी०ई०एल० ने सूचित किया है कि इस प्रणाली पर कम लागत आती है तथा इसका प्रचालन आसान है और इसके द्वारा बनाए गए कार्ड निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। यह प्रणाली पर्सनल कंप्यूटर पर संचालित की जाती है और इसकी क्षमता एक घंटे में पचास कार्ड बनाने की है। बी०ई०एल० ने हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलेप्मेंट कारपोरेशन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति पहले ही कर दी है। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलेप्मेंट कारपोरेशन को राज्य के मत दाताओं के लिए परिचय-पत्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत

2519. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए महाराष्ट्र को कितनी धनराशि दी गई है और 1994-95 में अब तक इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय स्रोत में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

के लिए महाराष्ट्र को 271.17 लाख रुपये प्रदान किए गए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पाद हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान सिंधु दुर्ग जिले में विजयदुर्ग में 1.5 मेवा० की पवन ऊर्जा प्रदर्शन परियोजना चालू की गई है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए नीति पैकेज की घोषणा हेतु अनुरोध किया गया है।

मुम्बई के लिए जल-मल व्ययन निपटान परियोजना

2520. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई जल और मल जल व्ययन निपटान परियोजना चालू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत झुग्गी झोंपड़ी वासियों के लिए और कितने सुलभ शौचालय बनाने और कौन-कौन सी अन्य सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) वृहद बम्बई नगर निगम का विचार विश्व बैंक सहायता से 580 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर बम्बई सीवेज निस्तारण परियोजना शुरू करने का है। इसके अर्न्तगत वोर्ली और बांदरा पर समुद्री नालों (आउट फाल), घाटकोपार और भांडुप पर फेनिल समुद्रताल (लगून), बांदरा में सीवेज पम्पिग स्टेशन का निर्माण तथा झौंपड पट्टी क्षेत्र में सफाई शौचालयों आदि का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा अनंतिम तौर पर 1994-95 के अन्त में मूल्याकंन के लिए हाथ में ली जानी है।

(ग) और (घ) वृहद बम्बई की झौंपडपट्टियों के निवासियों के लाभार्थ प्रोजक्ट में 44 करोड़ रु० की लागत से 2250 अतिरिक्त जन सुविधाएं तथा सीवर प्रणाली के निर्माण की बात परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस घटक का क्रियान्वयन साध्यता अध्ययन के नतीजों, भूमि की उपलब्धता, स्थानीय जनता के सहयोग तथा इन सुविधाओं के नियमित संचालन और रख-रखाव में जनता के प्रतिनिधियों पर निर्भर होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

2521. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन करने और इस सक्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

औषध क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और विकास

2522. **श्री शांताराम पोतदुखे :**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन बल्क औषधों को मूल्य नियंत्रण से छूट दी गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान के लिए औषध प्रमुख क्षेत्र के रूप में प्रौद्योगिकी विकास का पता लगाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा औषध उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है और समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) औषध डिजायन के विकास की दिशा में भारतीय औषध उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच दृढ़ संपर्क स्थापित करना।

(2) औषध अनुसंधान के उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें औषध कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना शुरू की जा सकती है।

(3) महत्वपूर्ण मध्यवर्तियों के लिए सार्वभौमिक प्रतियोगी प्रोद्योगिकी के विकास को समर्थन देना, जहां भारत औषधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हो।

(4) उद्योग/शैक्षणिक संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर विचार करना तथा सरकार और उद्योग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा सहित अनुशंसा करना। ऐसी परियोजनाएं मूल रूप से उत्पाद और लक्ष्योन्मुख होनी चाहिए।

(5) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मानीटर करने के लिए उचित तंत्र का विकास करना।

(6) औषध और भेषण अनुसंधान की प्रोन्नति और विकास के लिए अपेक्षित और खासतौर पर इस प्रयास में उद्योग की सहभागिता के बारे में अन्य उपाय सुझाना।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में औषध और भेषज अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए धनराशि निर्धारित की है।

(ग) डी०पी०सी०ओ०, 1987 के अंतर्गत अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में सूचीबद्ध प्रपुंज औषधों को छोड़कर अन्य सभी औषधें मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं।

लघु उद्योगों के लिये धनराशि

2523. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने और इस क्षेत्र की सहायता के लिए नवीन वित्तीय साधन विकसित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार को ज्ञात है कि लघु उद्योगों को संस्थानात्मक वित्त में विशेषकरके कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए उनका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 1991 में "लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबद्ध मुद्दों की जांच" के लिए तत्कालीन उप-गवर्नर श्री पी०आर० नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 में प्रस्तुत की। बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1993, 3 जुलाई, 1993 और 20 नवंबर, 1993 के तहत लघु उद्योगों को पर्याप्त तथा समय पर ऋण सुनिश्चित करने के उपायों का एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. लघु औद्योगिक क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय बैंकों को लघु उद्योग, अति लघु उद्योग और अन्य लघु एककों को क्रमशः प्राथमिकता देनी चाहिए।

2. बैंकों को लघु औद्योगिक इकाइयों को उनके वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर गणना करके निकाली गई राशि की सीमा तक कार्यशील पूंजी ऋण मंजूर करना चाहिए जिनकी ऋण सीमा प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

3. बैंकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु औद्योगिक क्षेत्र की उचित मांगों को पूरी तरह पूर्ति करने हेतु ऋण प्रवाह को बढ़ाना चाहिए।

4. बैंकों को लघु एककों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी की "सिंगल विंडो स्कीम" को अपनाना चाहिए।

5. बैंको को लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष शाखायें खोलने का आदेश किया गया है।

6. लघु औद्योगिक क्षेत्र के ऋण लेने वालों से प्राप्त ऋण के आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित कार्य-विधि और समय-सीमा को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

7. बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों के बीच अधिक तालमेल स्थापित करने के लिए उपाय किये गये हैं।

फर्जी भर्ती

2524. **श्री जीवन शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** 04 अगस्त, 1994 के फर्जी नियुक्ति के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1388 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की अभी जांच कर रहा है। इस मामले में एकत्रित किए गए रिकार्ड की जांच करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहले ही अभियुक्तों और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा इस मामले में जांच-पड़ताल का कार्य निरन्तर रूप से चल रहा है। तथापि, स्पष्ट कारणों से इस मामले में एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2525. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) और (ख) जी हां।

सरकार को निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई है :–

(1) डवाकरा (ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना)

यूनिसेफ डवाकरा समूहों को प्रदान की गई आवर्ती निधियों के एक तिहाई अंश का भुगतान करता है और डवाकरा को कार्यान्वित करने वाले स्टाफ के 5 वर्ष तक के वेतन का भी भुगतान करता है।

(2) ग्रामीण जल आपूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता

विभिन्न राज्यों में चल रही ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विभिन्न विदेशी एजेंसियों से सहायता प्राप्त हुई है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना परियोजनाओं के विवरण

क्र०सं०	राज्यों का नाम	परियोजनाओं की संख्या	विदेशी एजेंसी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	डच

1	2	3	4
2.	गुजरात	3	"
3.	कर्नाटक	1	"
4.	केरल	8	"
5.	उत्तर प्रदेश	6	"
6.	कर्नाटक	1	डानिडा
7.	केरल	1	"
8.	उड़ीसा	1	"
9.	तमिलनाडु	1	"
10.	आन्ध्र प्रदेश	1	ई०ई०सी०
11.	राजस्थान	2	"
12.	तमिलनाडु	1	"
13.	महाराष्ट्र	1	ब्रिटिश ओ०डी०ए०
14.	उड़ीसा	1	"
15.	कर्नाटक	1	विश्व बैंक
16.	महाराष्ट्र	1	"
17.	उत्तर प्रदेश	1	"
18.	मध्य प्रदेश	1	जर्मन
19.	राजस्थान	1	"
20.	प० बंगाल	1	"

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शौचालय और सड़कें

2526. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात की अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों में जवाहर रोजगार येाजना के अन्तर्गत शौचालयों तथा सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में भावी कार्ययोजना क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे बेरोजगार और अल्प रोजगार ग्रामीण गरीबों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है। कार्यान्वयन एजेंसियां अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें रोजगार सृजन करने वाला कोई भी कार्य कर सकती हैं बशर्ते कि वह जवाहर रोजगार योजना नियमावली में निर्धारित शर्त के अनुसार हो। यद्यपि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शौचालयों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण अनुमेय गतिविधियां हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सहित किसी भी राज्य को इस प्रयोजन हेतु अलग से निधियां संस्वीकृत नहीं की हैं।

[अनुवाद]

पंजाब में औद्योगिक विकास केन्द्र

2527. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1994 तक पंजाब सरकार से औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) अभी तक कितनी रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) अभी तक मंजूरी के लिए कितने प्रस्ताव लम्बित हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अधीन, पंजाब को दो केन्द्र आबंटित किए गए हैं, एक भटिंडा ज़िले और एक गुरदासपुर ज़िले में 1 दोनों केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और राज्य सरकार को 9.74 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गयी है।

सरकारी क्वाटरों का एफ०ए०वी०/एन०ए०वी० आधार पर आवंटन

2528. **प्रो० (सावित्री लक्ष्मणन)** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 22 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्स्ट अवेलेबल वेकेंसी/नैक्स्ट अवेलेबल वेंकेसी के आधार पर 525 क्वाटरों में से आवंटित किये गये टाइप-II के सरकारी क्वाटरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 अगस्त, 1991 को स्वीकृत किये गये टाईप-II के उन क्वाटरों का ब्यौरा क्या है, जो अभी आवंटित नहीं किए गये हैं; और

(ग) फर्स्ट अवेलेबल वेकेंसी/नैक्स्ट अवेलेबल वेंकेसी के आधार पर स्वीकृत किये गये क्वाटरों को कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्राम संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन):

(क) एफ०ए०वी० - 313

एन०ए०वी० - 207

(ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं)

(ख) शून्य

(ग) चूंकि वास्तविक आबंटन रिक्तियों पर निर्भर करता है इसलिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र/स्थान	आबंटित क्वार्टरों की संख्या	एन०ए०वी०	एफ०ए०वी०
1	2	3	4	5
1.	डी०आई० जैड एरिया	058	023	035
2.	किदवई नगर	002	—	002
3.	लोधी कालोनी	001	—	001
4.	एम०बी० रोड	267	107	160
5.	एल०आर० काम्पलैक्स	103	049	054
6.	नौरोजी नगर	001	—	001
7.	नेताजी नगर	004	001	003
8.	आर०के० पुरम	022	008	014
9.	सादिक नगर	003	—	003
10.	एस०एन० पुरी	007	001	006
11.	तिमार पुर	013	003	010
12.	नानक पुरा	010	002	008
13.	आराम बाग	024	009	015
14.	गुलाबी बाग	001	001	—
15.	मंदिर मार्ग	001	001	—
16.	हनुमान रोड़	008	002	006
	योग :	525	207	318

लेवल प्लेईग ग्राउंड

2529. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेबल प्लेईंग ग्राउंड के लिए विदेशी उद्योगपतियों के साथ-साथ भारतीय उद्योगपतियों की मांग पर भी विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में कमी करना, मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपनाना, जहां कहीं आवश्यक हो वहां बराबर शुल्क लगाना, निगमित कर में कमी करना, कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कार्रवाई करना इत्यादि शामिल हैं।

विदेशी परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2530. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों में निवेश लगाने और परियोजना के कार्यान्वयन के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से विदेशी निवेश सहित औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ एकल बिन्दु अनुमोदन प्रणालियों, उन्नत बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं तथा अनुमोदन/कार्यान्वयन संबंधी रूकावटों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार अदालतें

2531. **श्री सुधीर सावंत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बार एसोसिएशन के वकीलों ने परिवार अदालतों में उन्हें उपस्थित होने से वंचित करने के विरोध स्वरूप हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली बार एसोसिएशन के वकीलों ने दिल्ली में कुटुम्ब न्यायालयों के प्रस्तावित गठन के विरुद्ध 1-7-1994 को एक दिन की पूर्ण सांकेतिक हड़ताल की थी।

(ख) और (ग) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को प्रवृत्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कावेरी चतुर्थ-चरण जल आपुर्ति परियोजना

2532. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बंगलौर शहर में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति कितनी है;

(ख) बंगलौर शहार की वर्तमान प्रति व्यक्ति जल आपुर्ति कितनी है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने कावेरी चतुर्थ-चरण जल आपूर्ति परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संराधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) किसी शहर में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति हेतु किसी एजेंसी द्वारा कोई अन्तर-राष्ट्रीय मानक या मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा ऐसे शहरी क्षेत्रों, जहां पाईपों से जल आपूर्ति तथा भूमिगत मलजल-निर्यास पद्धति उपलब्ध हैं, के लिए प्रति व्यक्ति 125 एल०पी०सी०डी० की आपूर्ति की सिफारिश की गई है।

(ख) बंगलूर शहर में इस समय प्रति व्यक्ति जल अपूर्ति 100 एल०पी०सी०डी० है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी चतुर्थ चरण परियोजना के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की गई है। हाल ही में उन्होंने बाह्य सहायता के लिए परियोजना पेश करने हेतु आग्रह किया है।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु आरक्षण

2533. **श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य कार्यवाही में मारे गए सैनिकों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्री-मेडिकल/प्री-इंजीनियरिंग/कृषि इत्यादि पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सीटों में वृद्धि करने हेतु बहुत से अनुरोध मिले है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) कई राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने मेडिकल/इंजीनियरी कालेजों, भारतीय तकनीकी संस्थानों आदि में प्रवेश के लिए भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत रक्षा कार्मिकों की संतानों को आरक्षण/प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी रक्षा मंत्रालय को सेंट्रल पूल में से एम०बी०बी०एस० और बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में युद्ध अथवा शांतिकाल (सैन्य सेवा की वजह से हुई

मृत्यु/निःशक्तता) में मारे गए/निशक्त हुए रक्षा कार्मियों और शौर्य पुरस्कार विजेताओं की संतानों के लिए कुछ सीटों का आबंटन करता है। वर्ष 1994-95 में रक्षा मंत्रालय को एम०बी०बी०एस० में 25 सीटें और बी०डी०एस० में 1 सीट आबंटित की गई है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड इन सीटों का आबंटन निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रत्येक के समाने दी गई प्राथमिकता के अनुसार करता है :—

श्रेणी	प्राथमिकता
(1) सैन्य कार्रवाई में मारे गए	1
(2) सैन्य कार्रवाई में निशक्त हुए और सैन्य सेवा के हटाए गए।	2
(3) सेवावधि में मारे गए और सैन्य सेवा की वजह से उनकी मृत्यु हुई मानी गई हो।	3
(4) सैन्य सेवा में निशक्त हुए और सैन्य सेवा की वजह से हुई निशक्तता के कारण सैन्य सेवा से निकाले गए।	4
(5) शौर्य पुरस्कार और अन्य पुरस्कार विजेता	5

भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षा कार्मिकों की संतानों के लिए 4 सीटें इंजीनियरी कालेजों में भी उपलब्ध हैं। इन सीटों में प्रवेश शैक्षणिक गुणता के आधार पर ही दिया जाता है।

इन सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। परंतु कई राज्यों ने सेंट्रल पूल में योगदान करना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें उन उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए भी अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिनके अपने-अपने क्षेत्र में मेडिकल कालेज नहीं हैं।

रुग्ण चमड़ा इकाईयां

2531. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार रुग्ण पड़ी चमड़ा इकाईयों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन रुग्ण इकाईयों को पुनरूज्जीवित करने के लिए किसी पैकेज योजना को लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चमड़ा उद्योग का एक परंपरागत ग्रामीण व कुटीर स्तर का आधार है तथा इसका प्रभुत्व लघु व कुटीर क्षेत्र में है। देश में रुग्ण चमड़ा एककों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत योजनाएं

2535. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा 1993-94 के लिए राज्यवार मंजूर की गई विद्युत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1993-94 के लिए मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई विद्युत पारेषण योजनाओं/परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग द्वारा 1993-94 के दौरान विद्युत सृजन स्कीमों को निवेश अनुमोदन का राज्यवार ब्यौरा निम्न अनुसार है:

1.	राजस्थान	1
2.	पंजाब	2
3.	पश्चिम बंगाल	2
4.	केरल	1
5.	आंध्र प्रदेश	2
	जोड़ :	8

(ख) योजना आयोग 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली परियोजना को मंजूरी देता है तथा 1993-94 में मध्य प्रदेश के लिए इस परिव्यय की कोई पारेषण स्कीम/परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

[हिन्दी]

जे०जे० कालोनियों का गिराया जाना

2536. **श्री भीमसिंह पटेल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1994 के हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणों को गिराए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ ही झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में निर्माणों को गिराए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) अतिक्रमणों तथा अनधिकृत निर्माण को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे अतिक्रमणों/ढांचों को हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित भूस्वामी एजेन्सियों द्वारा संगत अधिनियम के तहत समय-समय पर पुलिस

की सहायता से की जाती है। भूस्वामी एजेन्सियों के अनुरोध पर अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्धारित प्राथमिकता स्थलों पर बने झुग्गी-झौपड़ी समूहों, जो जनवरी, 1990 में अस्तित्व में थे, को वैकल्पिक स्थलों पर पुनः स्थापित किया जाना है। सार्वजनिक भूमि पर जनवरी, 1990 के पश्चात् बनी झुग्गियों को पता लगते ही निर्धारित पद्धति के अनुसार हटाया जाता है।

[अनुवाद]

योजना लक्ष्य

2537. **श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 की वार्षिक योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का कितना लक्ष्य रखा गया;

(ख) क्षेत्र-वार इसका कितना लक्ष्य पूरा किया गया;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्र लक्ष्य पूरा करने में असफल रहें; और

(घ) इन क्षेत्रों का कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वार्षिक योजनाओं 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विभिन्न सेक्टरों के लिए/निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

मद	यूनिट	1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. खाद्यान्न	मिलियनटन	183.00	180.01	188.00	180.52
2. विद्युत सृजन	मिलियन किलोवाट	302700	301066	316700	3233.23
3. कोयला	मिलियनटन	238.2	238.2	249.0	246.0
4. कूड आयल उत्पादन	मिलियनटन	28.464	26.946	28.645	27.015
5. रेलवे फ्रेट ट्रेफिक	मिलियनटन	351.00	350.00	370.00	358.61
6. उर्वरक (एन०एंड०पी०)	मिलियनटन	10.000	9.736	10.450	9.082
7. बिक्री योग्य इस्पात (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	मिलियनटन	11.82	11.33	13.13	11.980

(घ) वार्षिक योजना 1994-95 में कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलापों के लिए 5815.70 करोड़ रु०, ऊर्जा के लिए 32915.34 करोड़ रु०, परिवहन के लिए 14908.80 करोड़ रु० और उद्योग एवं खनिज के लिए 12565.68 करोड़ रु० का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

सरकारी क्वार्टरों का अस्थायी आवंटन

2538. **श्री केशरी लाल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1992 के दौरान एफ०ए०वी० आधार पर सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल से टाइप बी० और सी० के सरकारी क्वार्टरों के अस्थायी आवंटन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी ऐसे स्वीकृत मामलों को निपटा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो लंबित मामलें कब तक निपटा दिए जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि वास्तविक आबंटन रिक्तियों पर निर्भर करता है इसलिए कोई समय सीमा तय करना संभव नहीं है।

लघु उद्योगों को बढ़ावा

2539. **श्री राम कापसे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ जिलों का चयन किया है और इन उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है जो इन जिलों में लघु उद्योग लगाने के इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ऐसे कितने जिलों की पहचान की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का यह प्रसाय रहा है कि देश के सभी जिलों में लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु एककों को अधिक महत्व देते हुए देश में 85 जिलों का पता लगायां है तथा वहां लघु एककों की स्थापना के लिए मिश्रित ऋण देने का निर्णय लिया है। 62 जिलों के लिए बैंक उधार देने वाले प्रमुख अभिकरण हैं। जबकि शेष 23 जिलों के लिए एस०एफ०सी० मुख्य उधार देने वाले अभिकरण हैं। 85 जिलों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

एस०एफ०सी० को आवंटित जिलों के नाम की सूची।

राज्य	जिला	अधिकारियों का क्षेत्राधिकार/ एस०एफ०सी० की शाखाऐं
1	2	3
आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	एलुरु
(3)	गुंटूर	गुंटूर
	हैदराबाद	हैदराबाद
दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
(1)		
गुजरात	वडोदरा	वडोदरा
(2)	वलसाड	वापी
हरियाणा	करनाल	करनाल
(2)	फरीदाबाद	फरीदाबाद
कर्नाटक	बेलगाम	बेलगाम
(4)	बेल्लरी	बेल्लरी
	शिमोगा	शिमोगा
	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग
महाराष्ट्र	ग्रेटर बम्बई	ग्रेटर बम्बई
(1)		
पंजाब	फरीदकोट	फिरोजपुर
(5)	गुरदासपुर	अमृतसर
	पटियाला	पटियाला
	होशियारपुर	होशियारपुर
	रोपड़	रोपड़
तमिलनाडु	दक्षिण आरकोट	कुड्डालोर

1	2	3
(5)	मद्रास	मद्रास
	मदुराई	मदुराई
	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली
	पेरियार	बरोड

23

जिले के प्रमुख बैंक के नाम की सूची।

राज्य	जिला	प्रमुख बैंक
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	आंध्र बैंक
(3)	कृष्णा	इंडियन बैंक
	रंगा रेड्डी	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बिहार	धनवाद	बैंक ऑफ इंडिया
(3)	**पटना**	**पंजाब नेशनल बैंक**
	गया	पंजाब नेशनल बैंक
गुजरात	अहमदाबाद	देना बैंक
(3)	राजकोट	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
	सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
हरियाणा	अंबाला	पंजाब नेशनल बैंक
(2)	गुडगांव	सिंडिकेट बैंक
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(1)		
कर्नाटक	बंगलौर (शहरी)	कॅनरा बैंक
(1)	धनवार	विजया बैंक
	कनारा (दक्षिण कन्नड़)	सिंडिकेट बैंक
	मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
केरल	एर्नाकुलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राज्य	जिला	प्रमुख बैंक
(8)	कोट्टायम	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
	कोजीकोडे	कॅनरा बैंक
	त्रिचूर	- वही -
	त्रिवेन्द्रम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	ऐल्लेप्पी	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
	पालघाट	कनारा बैंक
	क्वीलॉन	कनारा बैंक
मध्य प्रदेश	भिंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
(12)	छत्तरपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	जबलपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	रायपुर	देना बैंक
	राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
	सतना	इलाहाबाद बैंक
	छिंदवाड़ा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	होशंगाबाद	- वहीं -
	मंदसौर	- वहीं -
	अंबिकापुर (सरगुजापुर)	- वहीं -
	दुर्ग	देना बैंक
	खरगांव (पश्चिमी नीमर)	बैंक ऑफ इंडिया
महाराष्ट्र	पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(1)		
पंजाब	अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक
(4)	जालन्धर	यूको बैंक
	लुधियाणा	पंजाब एंड सिंध बैंक
	संगरुर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

राज्य	जिला	प्रमुख बैंक
राजस्थान	भीलावाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
(3)	जयपुर	यूको बैंक
	उदयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
तमिलनाडु	चेंगलपट्टु	इंडियन बैंक
(6)	कोयम्बटूर	कनारा बैंक
	सेलम	इंडियन बैंक
	कामराजर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	उत्तरी आरकोट	इंडियन बैंक
	तंजावूर	- वही-
उत्तर प्रदेश	वाराणसी	यूनियन बैंक ऑफ इंडियन
(4)	आगरा	कनारा बैंक
	कानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
	मेरठ	सिंडिकेट बैंक
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	यूको बैंक
(8)	दक्षिण 24 परगना	यूनाइटेड बैंक
	उत्तरी 24 परगना	इलाहाबाद बैंक
	बीरभूम	यूका बैंक
	बर्दवान	- वही -
	हुगली	- वही -
	कलकत्ता	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	मिदनापुर	- वही -

62

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

2540. **श्री तारा सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तिपहियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन कर रहा है;

(ख) क्या 1991-92, 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान उत्पादन दर में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) कंपनी द्वारा तिपहियों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एस०आई०एल०) के तिपहियों के उत्पादन-निष्पादन में सुधार हुआ है जो कि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वास्तविक संख्या में

1993-94	1992-93	1991-92
4254	2704	2961
अप्रैल, 1994	604 नग (185)*	
मई, 1994	503 नग (235)*	
जून, 1994	610 नग (455)*	

* कोष्ठकों में संख्याएं पिछले वर्ष की समान अवधि में तिपहियों के उत्पादन-निष्पादन के आंकड़े दर्शाती हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से गृह-निर्माण परियोजनाएं

2541. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में गृह निर्माण परियोजनाएं आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) कितने घर निर्मित किये जा चुके हैं/निर्माणधीन हैं; और ये कहां-कहां हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल कितने घरों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) एक जर्मन वित्त संस्थान के०एफ०डब्ल्यू० ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कम लागत के मकान बनाने के लिए हडको और एच०डी०एफ०सी०को भारत सरकार के माध्यम से ऋण सहायता मुहैया करायी है। इसी संस्थान ने निर्मित केन्द्रों को क्रियाशील बनाने, कम लागत की आवास योजनाओं, स्लम सुधार परियोजनाओं, महाराष्ट्र के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का पुनर्निर्माण करने और कम लागत की सफाई योजनाओं आदि के लिए हुडकों/एच०डी०एफ०सी० को प्रत्यक्ष अनुदान देने के लिए हाल ही में कुछ करार किए हैं।

(ग) और (घ) के०एफ०डब्ल्यू० सहायता के उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित/निर्माणधीन तथा बनाए जाने हेतु प्रस्तावित मकानों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	निर्मित/निर्माणधीन मकानों की संख्या	ऋण राशि (लाखों में)	स्थान
1	2	3	4	5
1.	हुडको=के०एफ०डब्ल्यू०-1	573	26.70	लखनऊ
	(ऋण परियोजना)	512	22.33	कानपुर
		1085	49.03	
2.	हडको-के०एफ०डब्ल्यू०-1	3105	108.67	इलाहाबाद मंडल
	II	2610	184.22	झांसी मंडल
	(ऋण परियोजना)	2690	116.55	गढ़वाल मंडल
		2762	96.67	कानपुर मंडल
		2968	103.88	बरेली मंडल
		2874	72.59	मरोदाबाद मंडल
		2255	95.75	कुमांयू मंडल
		4310	150.85	आगरा मंडल
		6694	234.29	गोरखपुर मंडल
		4355	150.42	मेरठ मंडल
		5182	181.37	वाराणासी मंडल
		5530	193.55	फरीदाबाद मंडल
		5465	191.27	लखनऊ मंडल
		58000	1797.84	
3.	हडको-के०एफ०डब्ल्यू.III (अनुदान)	अब तक, रूड़की में एक निर्मित केन्द्र के लिए 12.60 लाख रु० स्वीकृत किये गये हैं और 7 अन्य केन्द्रों के प्रस्ताव निर्मित प्रक्रियाधीन हैं।		
4.	हडको-के०एफ०डब्ल्यू-IV (एजेंसियों को कार्यान्वित	अब तक, उत्तर प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए 57 रिहायशी ईकाइयां बनाने हेतु 14.86		

	करने हेतु ऋण)	लाख रु० की ऋण सहायता योजना के०एफ०डब्ल्यू० को प्रस्तुत की गई है।
5.	के०एफ०डब्ल्यू-एच०डी० एफ०सी० I-	लखनऊ में 1450 रिहायशी ईकाइयां बनाने के लिए 246.50 लाख रु० की राशि स्वीकृत कर जारी कर दी गयी है। ऋण राशि एच०डी०एफ०सी० द्वारा लाभार्थियों को उनके मकानों के निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के मार्फत जारी की गयी है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल शोधन संयंत्र

2542. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी सहायता से दिल्ली में नए जल शोधन संयंत्रों को स्वचालित बनाने की योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए कितनी धनराशि दी है;

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) संघ सरकार ने 379.00 लाख रुपये दिए हैं। दिल्ली सरकार ने योजना के लिए किसी अलग निधि की व्यवस्था नहीं की है।

(ग) इलेक्ट्रान विभाग, भारत सरकार, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा तथा दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा द्वारा परामर्श हेतु प्रस्ताव पहले ही से आमंत्रित किए गए हैं।

(घ) दिसम्बर, 1995 तक इस योजना के पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

निर्माण विकास बोर्ड

2543. **श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण उद्योग के विकास के लिए निर्माण विकास बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस उद्योग में लगे श्रमिकों को किस प्रकार लाभ पहुंचाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

फ्लोराइड प्रभावित गांव

2544. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और रंगारेड्डी जिलों के ऐसे कितने गांव पहचाने गए हैं जो फ्लोराइड से प्रभावित हैं;

(ख) इन गांवों के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) इन गांवों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और रंगारेड्डी जिलों में बस्तियों के सर्वेक्षण 1991-93 भाग-2, (जिसके आंकडों का वैधीकरण किया जा रहा है) के अनुसार फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की अनंतिम संख्या क्रमशः 590 और 253 है।

(ख) और (ग) नीदरलैंड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना ए०पी-3 के अंतर्गत नालगोंडा जिले 60 गांवों और 397 बसावटों (जिसमें रास्ते में पड़ने वाली कुछ बसावटें भी शामिल हैं) और रंगारेड्डी जिले में 25 गांवों को कवर करने के लिए द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के तहत 273.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक योजना तैयार की गई है और इसे नीदरलैंड सरकार के पास विचार हेतु भेजा गया है।

फ्लोराइड पर नियंत्रण करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उप-मिशन के अंतर्गत रंगारेड्डी जिले में 97 गांवों को कवर करने के लिए 377.60 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना संस्वीकृत की गई है।

"पृथ्वी" का कार्यनिष्पादन

2545. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पृथ्वी" प्रेक्षपास्त्र के प्रयोग-परीक्षण पूरे कर लिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रेक्षपास्त्र की क्षमता संतोषजनक है;

(ग) क्या सेना में इस प्रेक्षपास्त्र को अपनाये जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पृथ्वी प्रेक्षपास्त्र प्रणाली प्रयोक्ता परीक्षणों के अंतिम चरण में है। अब तक किए गए उड़ान परीक्षणों ने इस अभियान के सभी उद्देशयों को प्राप्त किया है।

(ग) और (घ) पृथ्वी प्रेक्षपास्त्र के प्रयोक्ता परीक्षणों की सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर इसे सेवा में शामिल किए जाने की संभावना है।

सरकारी आवासों की मरम्मत

2516. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 से 1990 की अवधि के दौरान दिल्ली के कितने सरकारी आवासों विशेषकर लोधी कालोनी, लक्ष्मीबाई, नगर, और किदवई नगर क्षेत्रों में, को व्यापक मरम्मत के लिए खाली कराया गया;

(ख) क्या इन आवासों की मरम्मत करादी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारीगण ऐसे कुछ आवासों में लम्बे समय से अवैध कब्जा जमाये हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक उत्पादन

2517. **श्री एस०वी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1993, जुलाई से दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी से जून 1994 के दौरान औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) उद्योग के किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई और किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई;

(ग) क्षेत्रवार औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि नहीं होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की विकास दर तथा रुपये में निर्यात संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अवधि	उत्पादन	निर्यात
जनवरी-जून 1993	-1.0%	30.1%
जुलाई-दिसम्बर 1993	8.6%	25.9%
जनवरी-जून, 1994	8.6%	16.6%

*

* जनवरी-मार्च, 1994 से संबंधित

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन सामान्यतः मांग संबंधी बाधाओं, कड़ी ऋण नीति और 1991 के दौरान भुगतान संतुलन संबंधी गम्भीर संकट को देखते हुए अपनाए गये स्थिरीकरण संबंधी उपायों के अल्पाकालिक प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ है।

(घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में किये गये नीति संबंधी उपायों और बाद के बजट में घोषित व्यापार संबंधी नीति और सहायक राजकोषीय तथा वित्तीय उपायों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन की विकास दर को तेज करना है।

विवरण

1993-94 के दौरान नकारात्मक विकास दर्शाने वाले उद्योग समूह

1. खाद्य उत्पाद
2. कपड़ा उत्पाद
3. विद्युत मशीनें
4. अन्य विनिर्माणकारी उद्योग

1993-94 के दौरान सकारात्मक विकास दर्शाने वाले उद्योग समूह

1. बीवरेज, तम्बाकू और उत्पाद
2. सूती कपड़ा
3. पटसन, सन और मेस्टा कपड़ा
4. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद तथा फर्नीचर एवं फिक्चर्स
5. कागज और कागज उत्पाद
6. चमड़ा और फर उत्पाद
7. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद
8. रसायन और रसायन उत्पाद
9. गैर धात्विक खनिज उत्पाद
10. मूल धातु तथा मिश्रित उद्योग
11. धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे
12. मशीनरी, मशीन औजार और हिस्से पुर्जे
13. परिवहन उपकरण और हिस्से पुर्जे।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

2518. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री संदीपान भगवान थोरात :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के पेनिसिलिन-जी संयंत्र को मैक्स-जी०बी० कम्पनी को लीज पर देने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) समझौता ज्ञापन में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड के अन्य विभागों की तुलना में पेनिसिलिन जी संयंत्र के काम की स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित न किए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) संयुक्त उद्यम सहयोग करार के माध्यम से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० के पेन्सिलीन संयंत्र में प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० और मैक्स-जी०बी० के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसको सरकार ने अंतिम स्वीकृति देनी है, जो अभी तक नहीं दी गई है। यह मामला अब रिट याचिका सं० सी०डब्ल्यू० 3160/94, 3161/94 और 3181/94 के जरिये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष है।

रिमोट सेंसिंग

2519. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधीन रिमोट सेंसिंग क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए कुछ निजी फर्मों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिलने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग सुदूर संवेदन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहा है।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन/अन्तरिक्ष विभाग की प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण नीति के अनुसार तथा इस प्रौद्योगिकी की असीम सम्भावनाओं पर विचार करते हुए अनेक निजी क्षेत्र के उद्योगों को सुदूर संवेदन से संबंधित क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इन क्षेत्रों में विविध सुदूर संवेदन यंत्रों का निर्माण, आंकड़ा अर्थनिर्वाचन और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का विकास शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां 1 जनवरी 1993 से सुदूर संवेदन, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार इलेक्ट्रोयांत्रिकी/सतह उपचार तथा इलेक्ट्रोप्रकाशिकी के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के साथ 24 प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण करार किए गए हैं।

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को निजी क्षेत्र के साथ कार्यभार की सहभागिता से लाभ हुआ है। इसके साथ ही उद्योगों द्वारा निर्मित उन उत्पादों, जो प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण करारों में आवृत्त है, की बिक्री के लिए इसरो को रायल्टी का भुगतान भी प्राप्त हो रहा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा

2550. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों को वैधानिक शक्तियां दी जाएंगी जिससे कि वह राज्य सरकारों की अनुमति लिए बिना मामलों की जांच पड़ताल कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस धारणा का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : (क) से (घ) भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची, राज्य सूची की सूची II की प्रविष्टि संख्या 1 तथा 2 के अनुसार लोक व्यवस्था तथा पुलिस, राज्य के विषय है अतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केवल राज्य सरकारों की सहमति से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्य पुलिस की शक्तियां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिए जाने से संबंधित प्रक्रिया को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डी०एस०पी०ई०) अधिनियम, 1946 में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सामान्य सम्मति दिये जाने से संबंधित मामला जब केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1993 को हुई अन्तर राज्य परिषद की उप-समिति की बैठक में उठाया गया तो मुख्यमंत्रियों का विचार था कि राज्य सरकार

की सम्पति प्रत्येक मामले में अलग-अलग प्राप्त की जानी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए, जहां तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच की सांविधिक शक्तियां प्रदान किये जाने का प्रश्न है, तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि जब तक कोई ऐसा वैधानिक रूप से स्वीकार्य/व्यावहारिक विकल्प, जो कि राज्य सरकारों को भी स्वीकार्य हो, तैयार नहीं कर लिया जाता, वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाए।

ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजगार

2551. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण क्षेत्र के अर्ध-प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाने का विचार है; और

(घ) इस योजना के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई अथवा दिये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (घ) ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मजदूरी रोजगार के दो बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नामतः (1) जवाहर रोजगार योजना और (2) सुनिश्चित रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है तथा योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्य लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार होते हैं और इसमें कार्य की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल या कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के कार्य किए जा सकते हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कामगारों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह रोजगार की अनुसूची के अनुरूप है तथा इसे राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनिमय के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये तथा पिछड़े जिलों में और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये देश के 120 पिछड़े जिलों में इस कार्यक्रम को गहन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल राशि का 5% और अधिक से अधिक 75 करोड़ रुपए, विशेष और नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

दूसरी योजना, अर्थात् ई०ए०एन० उन 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 261 जिलों के 1778 पहचान किए गए पिछड़े ब्लाकों में कार्य कर रही है जोकि सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर कृषि मौसम के दौरान उन जरूतर मंद लोगों को रोजगार प्रदान करना है जो 18 वर्ष के ऊपर और 16 के नीचे की उम्र के हैं। ज०रो०यो० और ह०ए०एस० के अंतर्गत 1993-94 तक और वर्ष 1994-95 के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

(रुपये लाख में) (लाख श्रम दिवस)

क्र०सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज			भौतिक उपलब्धि		
		जे० आर० वाई० (1989-90 से (1993-94)	गहन जवाहर रोजगार योजना (1993-94)	सु० रो० यो० 1993-(1994)	जे० आर० वाई० 1989-90 1993-94	गहन ज० रो० यो० 1993-94	सुनिश्चित रोजगार योजना 1993 -1993-94-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	85519.89	4995.00	3600.00	3799.419	125.94	62.42
2.	अरुणांचल प्रदेश	806.49	0.00	240.00	33.63	0.00	3.64
3.	असम	23710.51	0.00	2070.00	760.51	0.00	31.75
4.	बिहार	166271.90	13795.30	4710.00	5242.24	153.21	31.44
5.	गोआ	1395.05	0.00	0.00	43.71	0.00	0.00
6.	गुजरात	34127.85	3115.00	405.00	1091.46	29.09	6.75
7.	हरियाणा	8721.52	0.00	1320.00	172.57	0.00	15.20
8.	हिमाचल प्रदेश	1945.47	0.00	35.00	168.58	0.00	0.05
9.	जम्मू व कश्मीर	8168.90	683.00	835.00	237.44	3.44	3.46
10.	कर्नाटक	52578.46	3771.00	2820.00	2302.69	62.66	32.19
11.	केरल	26196.65	0.00	580.00	841.80	0.00	2.60
12.	मध्य प्रदेश	188701.85	11606.00	5695.00	4315.11	NR	51.26
13.	महाराष्ट्र	83228.93	7959.00	2645.00	4371.26	58.56	31.53
14.	मणिपुर	1563.49	0.00	660.00	39.68	0.00	NR
15.	मेघालय	1517.31	0.00	160.00	42.37	0.00	NIL
16.	मिजोरम	1562.58	0.00	600.00	41.53	0.00	8.52
17.	नागालैण्ड	2506.45	0.00	840.00	98.68	0.00	33.99

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	58351.50	5370.00	4268.00	2013.92	43.89	31.43
19.	पंजाब	6527.86	0.00	0.00	146.15	0.00	0.00
20.	राजस्थान	52494.67	3655.00	3660.00	2079.63	47.24	50.00
21.	सिक्किम	1017.79	0.00	116.00	52.26	0.00	0.82
22.	तमिलनाडु	75174.89	2322.76	1055.00	4120.63	26.08	10.96
23.	त्रिपुरा	2422.94	0.00	610.00	96.65	0.00	16.14
24.	उत्तर प्रदेश	210166.21	6668.00	2806.25	8050.81	51.98	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	81845.48	4900.00	4055.00	2588.38	38.38	52.53
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	438.10	0.00	10.00	11.75	0.00	0.10
27.	चंडीगढ़	68.91	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	407.81	0.00	5.00	14.86	0.00	0.04
29.	दमन व द्वीव	122.16	0.00	5.00	3.30	0.00	NIL
30.	दिल्ली	279.51	0.00	0.00	3.19	0.00	NIL
31.	लक्षद्वीप	311.15	0.00	25.00	11.88	4.00	NIL
32.	पांडिचेरी	835.65	0.00	0.00	26.25	0.00	NIL
	कुल	1102187.83	68829.76	43910.25	42825.94	633.37	491.68

विवरण-II

1994-95

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रय आबंटन के अंतर्गत			इसके अतंर्गत जारी की गई निधियां			सु०रो०यो० के दौरान	भौतिक लक्ष्य के अंतर्गत	
		जे आर० वाई०	गहन जवाहर रो०यो०	अभिनव	जे० आर० वाई०	गहन ज० रो०यो०	अभिनव	रिलीज निधियां 1994-95	जे० आर० वाई०	गहन जवाहर रो०यो०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	21679.87	4995.00		10840.00	1247.50		4800.00	946.99	198.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.01	0.00		0.00			960.00	9.38	0.00
4.	असम	7136.97	0.00		3568.49			2760.00	211.96	0.00
5.	बिहार	42524.45	137585.00		21262.23	934.50		6280.00	1035.22	305.08
5.	गोआ	278.77	0.00		139.39			0.00	7.84	0.00
6.	गुजरात	7958.29	3110.00		4003.05			1940.00	177.45	63.04
7.	हरियाणा	1911.69	0.00		1242.59			1760.00	33.29	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	885.81	0.00		442.80			140.00	28.68	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1800.00	683.00		813.97			1340.00	86.36	30.74
10.	कर्नाटक	14557.15	3772.00		7278.59	457.75		3760.00	415.72	97.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	5296.09	0.00		2648.05			800.00	97.10	0.00
12.	मध्य प्रदेश	27471.67	12195.00		13735.84			8920.00	723.33	291.90
13.	महाराष्ट्र	23634.14	8174.00		11817.06	83.50		3944.00	1231.45	397.19
14.	मणिपुर	330.69	0.00		0.00			880.00	5.78	0.00
15.	मेघालय	386.94	0.00		193.47				7.82	0.00
16.	मिजोरम	183.00	0.00		81.50			800.00	4.08	0.00
17.	नागालैण्ड	414.77	0.00		0.00			1120.00	11.51	0.00
18.	उड़ीसा	17587.54	5715.00		8793.77			5720.00	522.34	154.31
19.	पंजाब	1359.42	0.00		679.71			0.00	25.39	0.00
20.	राजस्थान	11413.49	3655.00		7418.73	913.75		4890.00	385.21	112.14
21.	सिक्किम	151.01	0.00		75.51			160.00	6.19	0.00
22.	तमिलनाडु	19598.35	2604.00		6859.43			1832.00	727.58	87.89
23.	त्रिपुरा	429.52	0.00		214.76			720.00	13.19	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	52833.41	6668.00		26514.35			5420.00	1165.44	133.11
25.	पश्चिम बंगाल	19428.42	4900.00		9714.21	297.25		4960.00	498.98	114.41
26.	अंडमान व नि० द्वीप स०	152.70	0.00		152.70			40.00	3.05	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	दादर व नगर हवेली	02.39	0.00		41.44			20.00	2.29	0.00
28.	दमन व द्वीप	48.83	0.00		0.00				1.48	0.00
29.	लक्षद्वीप	76.55	0.00		38.28				1.38	0.00
30.	पांडिचेरी	147.47	0.00		74.73			0.00	3.08	0.00
	कुल जोड़	290000.00	70256.00	7500.00*	138644.65	3952.25	NIL	63956.00	8389.48	1976.05

*राज्यवार आबंटन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों की संख्या

2552. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बेरोजगार युवकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इनमें से अशिक्षित, अर्द्ध-शिक्षित, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित और स्नातक युवकों की संख्या क्या है;

(ग) नवीं योजना के अंत तक इनमें से कितने युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ क्या - अतिरिक्त प्रयास किये जायेंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) आठवीं योजना के प्रारंम्भ अर्थात् अपैल 1992 में बेरोजगारी के 17.0 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। योजना आयोग में किए गए मूल्याकंन से पता चलता है कि अप्रैल 1993 तथा अप्रैल 1994 के प्रारंभ में बेरोजगारी क्रमशः 17.3 मिलियन तथा 18.5 मिलियन थी। इन अनुमानों में आयु सीमा, शैक्षिक स्तर तथा प्रशिक्षण के आधार पर ब्यौरे तैयार नहीं किए गये है। आठवीं योजना में वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार अवस्था प्राप्त कर लिए जाने की परिकल्पना की गई है। रोजगार वृद्धि को त्वरित करने के लिए, योजना कार्यनीति में क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों तथा उच्च रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों के तेजी से विकास पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

समेकित परती-भूमि विकास परियोजना

2553. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समेकित परती-भूमि विकास योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की; और

(ग) सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत माइक्रो-जलाशय स्तर की विस्तृत माइक्रो-प्लानिंग के आधार पर परियोजना प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है यह योजना राज्य सरकारों से प्राप्त स्थानीय विशिष्ट के आधार पर है, अतः राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं अत्यन्त अवक्रमित भूमि पर कार्यान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आरम्भ किए गए कार्य की सफलता का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है। लोगों को इन परियोजनाओं से लाभ परियोजना का 3 से 5 वर्षों तक चालू रहने के पश्चात् होगा।

(ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य-वार दी गई प्रति वर्ष सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विस्तृत माइक्रो – प्लानिंग कार्य शुरू करने के पश्चात ही परियोजना अनुमोदित की जाती है। पर्याप्त राशि मुहैया करने के अतिरिक्त परियोजना राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के माध्यम से तकनीकी निवेश भी सुनिश्चित करती है परियोजना की सफलता, परियोजना तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा प्रबंध करने के चरणों पर लोगों की भागीदारी तथा सहयोग करने पर निर्भर करती है। परियोजना की सफलता राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के अधिकारियों के दौरों त्रैमासिक प्रगति रिर्पोट के माध्यम से परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रगति की निगरानी द्वारा और स्वतंत्र मूल्यांकनकारियों की नियुक्ति द्वारा भी सुनिश्चित की जाती है। राज्य सरकारों को समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निरीक्षण और निगरानी के लिए राज्य स्तर की स्थाई समिति गठित करने की भी सलाह दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम की उपलब्ध राज्यवार केन्द्री सहायता दर्शाने वाला विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य	रिलीज की गई धनराशि		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	170.73	57.94	409.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.86	—	—
3.	बिहार	79.64	5.08	406.96
4.	गुजरात	72.96	103.92	357.37
5.	हरियाणा	444.13	432.82	305.00
6.	हिमाचल प्रदेश	344.93	90.95	44.00
7.	जम्मू व कश्मीर	167.62	—	42.79
8.	कर्नाटक	235.94	84.59	161.49
9.	केरल	134.86	192.76	207.50
10.	महाराष्ट्र	108.50	9.00	102.76
11.	मध्य प्रदेश	299.84	34.15	503.26
12.	मणिपुर	89.01	5.26	83.66

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	77.38	—	—
14.	मिज़ोरम	75.30	67.20	105.00
15.	नागालैंड	183.35	—	120.17
16.	उड़ीसा	151.93	92.62	261.16
17.	पंजाब	185.00	196.68	163.56
18.	राजस्थान	769.51	162.51	546.45
19.	सिक्किम	181.03	42.81	108.49
20.	तमिलनाडु	63.79	2.98	30.88
21.	त्रिपुरा	52.36	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	409.35	31.65	247.64
23.	पश्चिम बंगाल	343.07	59.87	224.82
24.	दिल्ली	—	—	15.00
	योग	4652.09	1672.79	4447.74

परती-भूमि का विकास

2551. **डा० वसंत पवार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान परती-भूमि विकास योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को शामिल किया गया;

(ख) परती-भूमि के विकास हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष की राशि में जोड़ दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख) देश में समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कर्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत माइक्रो जलाशय स्तर की विस्तृत भाइक्रो-प्लानिंग के आधार पर परियोजना प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है। चूंकि यह योजना स्थानीय विशिष्ट परियोजनाओं के आधार पर है; अतः कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, 1993-94 के दौरान 137.11 करोड़ रुपये के परिव्यय से 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए देश के विभिन्न जिलों में 2.04 लाख

हेक्टेयर बंजर भूमि के विकास के लिए 52 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तथापि, "बंजर भूमि विकास योजना" नामक कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) परियोजना में बताये गये विशेष क्षेत्र के विकास के लिए तीन से पांच वर्षों की अवधि के लिए धनराशि स्वीकृति की जाती है। ये धनराशि परियोजना अवधि के दौरान इस्तेमाल की जा सकेगी। अतः राशि रद्द नहीं होती।

आंध्र प्रदेश में परती-भूमि का विकास

2555. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में परती-भूमि के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कितनी सहायता दी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :(क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में बंजर भूमि सहित विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर वनीकरण/वृक्षारोपण किया जाता है। समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम, अनुदान सहायता योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, सामाजिक वानिकी योजना सहित विभिन्न केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :

वर्ष	वित्तीय आबंटन (रुपये लाखों में)
1991-92	2878.00
1992-93	2510.52
1993-94	3324.70

तथापि, जुलाई 1992 में, बंजर भूमि विकास विभाग के सृजन से, वनेतर बंजर भूमि के विकास के लिए विभाग ने मार्च 1994 तक समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत 2715.44 लाख रुपये के परिव्यय से 9 परियोजनाऐं, और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत 195.89 लाख रुपये के परिव्यय से 21 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। यह परियोजनाएं 3 से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत यह आबंटन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उपरोक्त कुल आवंटन में सम्मलित है।

डी०डी०ए० कर्मचारी

2556. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) की भ्रष्टाचार निरोध शाखा ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सात अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है।

(ख) सी०बी०आई० के अनुसार, इन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मामलों के व्यापक ब्यौरों में जालसाजी, आफिस रिकार्ड में हेरा-फेरी, ज्ञात आय स्रोतों से अधिक का होना, रिश्वत की मांग और गर्हित उद्देश्य घर पर अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण की फाइले रखना।

(ग) सी०बी०आई० के अनुसार, मामले जांचाधीन है तथा उनके निपटान में कुछ और समय लगेगा।

दहेज के कारण हुई मौते

2557. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान अद्यतन देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने दहेज के कारण हुई मौतों और यातना के कितने मामले राज्यवार निपटाने हेतु लंबित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामले निपटाए गए;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) ये लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विकास केन्द्र

2558. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून 1988 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 100 विकास केन्द्र खोलने की योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार क्या प्रगति हुई है;

(घ) राज्यवार तथा केन्द्रवार इस योजना के लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ङ) विकास केन्द्रों को अब तक प्रदान की गई सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) योजना के अधीन, सारे देश में 70 केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, बैंकिंग, सड़क तथा दूरसंचार आदि मुहैया की जायेंगी ताकि उद्योगों को इन केन्द्रों की ओर आकर्षित किया जा सके। 68 विकास केन्द्रों, जिनका पता लगा लिया गया है तथा घोषणा कर दी गयी है, में से 39 केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और अब तक 73.24 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता राशि भी जारी की जा चुकी है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

विकास केन्द्र का नाम	5-8-1994 तक दी गई राशि (रुपये लाख में)
1	2
आंध्र प्रदेश (4)	
1. हिंदपुर	200.00
2. खम्माम (वेमसूर मंडल)	50.00
3. अंगोले	200.00
4. विजयानगरम-बोबिली	200.00
अरुणाचल प्रदेश (1)	
5. निकलोक नगरलंग	—
असम (2)	
6. चारिद्वार	—
7. बालिजाना	—
बिहार (6)	
8. भागलपुर	—
9. दरभंगा	—
10. हजारीबाग	—
11. बेगूसराय	—
12. मुजफ्फरपुर	—
13. छपरा	—

1	2
गोवा (1)	
14. इलैक्ट्रोनिक सिटी	50.00
गुजरात (3)	
15. गांधी धाम	50.00
16. पालनपुर	50.00
17. वागरा	300.00
हरियाणा (2)	
18. बावल	200.00
19. अंबाला	—
हिमाचल प्रदेश (1)	
20. कांगड़ा	—
जम्मू और कश्मीर (2)	
21. गंदेरबाल	—
22. सम्भा	200.00
कर्नाटक (3)	
23. धारवाड़	300.00
24. रायचूर	200.00
25. हसन	200.00
केरल (2)	
26. अलेप्पी-पट्टानामतिता	50.00
27. कन्नौस-कोजीखोडे-मालापुरम	50.00
मध्य प्रदेश (6)	
28. बाराई	300.00
29. चैनपुरा	100.00
30. घिरौंगी	600.00

1	2
31. खेड़ा	400.00
32. सतलापुर	50.00
23. सिलतारा	200.00
महाराष्ट्र (5)	
34. अकोला	200.00
35. चंद्रपुर	200.00
36. धुले	200.00
37. रत्नागिरी	200.00
38. नांदेड	—
मणिपुर (1)	
39. कंगलाटोंनबि	—
मिजोरम (1)	
40. लुआंगमुआल	—
नागालैंड (1)	
41. दीमापुर	50.00
उड़िसा (4)	
42. छत्रपुर	50.00
43. चिपलिमा	50.00
44. डुबरी	50.00
45. केसिंगा	—
पांडिचेरी (1)	
46. करायकल	—
पंजाब (2)	
47. भटिंडा	700.00
48. पठानकोट	274.00

1	2
राजस्थान (5)	
49. आबुरोड	200.00
50. भीलवाड़ा	50.00
51. बीकानेर	200.00
52. झालावाड़	50.00
53. धौलपुर	50.00
तमिलनाडु (3)	
54. झरोड़	150.00
55. पनानगुड़ी-थिरुमारुगल	—
56. तिरुनेल्वेली (गंगाईकोन्डल नानूर ब्लाक)	200.00
त्रिपुरा (1)	
57. उत्तर चम्पापुरा, त्रिपुरा (पश्चिम)	50.00
उत्तर प्रदेश (8)	
58. बचौली बुजुर्ग	50.00
59. बनचारा	50.00
60. चौधरपुर	50.00
61. दिबियापुर	—
62. खुर्जा	50.00
63. मुंगरा-सथारिया	50.00
64. सहजनवा	150.00
65. शिवराजपुर-पदमपुर	50.00
पश्चिम बंगाल (3)	
66. बोलपुर	—
67. जलपाईगुड़ी	—
68. मालदा	—

प्रत्येक राज्य के सामने कोष्ठक में दर्शाये गए आंकड़े उस राज्य का आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या दर्शाते हैं।

वैगन विनिर्माण

2559. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैगनों के निर्माण कार्य में लगी भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन की तुलना में लाइसेंसशुदा निर्माण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या लाइसेंसशुदा क्षमता की तुलना में वास्तविक निर्माण कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विगत तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन की तुलना में लाइसेंसशुदा क्षमता निम्नानुसार है :—

(चार पहिया यूनिटें)

	लाइसेंसशुदा क्षमता	वास्तविक उत्पादन		
		1991-92	1992-93	1993-94
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	4000	3150	3085	2220
ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड्	3000	3007.5	3707.5	2120

(ख) से (घ) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में, विगत तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन लाइसेंसशुदा क्षमता से कम है। ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के मामले में, वर्ष 1991-92 व 1992-93 में वास्तविक उत्पादन लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक है, लेकिन वर्ष 1993-94 में कम है। वास्तविक उत्पादन उपलब्ध आर्डरों की मात्रा पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश

2561. **डा० साक्षीजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना केन्द्रीय पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31 मार्च, 1993 तक उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सत्रह उपक्रम थे। इन उपक्रमों से संबंधित ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-I के विवरण पृष्ठ संख्या 228 में दिया गया है।

विगत तीन वर्ष के दौरान इन उद्यमों में किए गए केन्द्रीय पूंजीनिवेश से संबंधित ब्यौरा 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-3 में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के वर्तमान उद्यमों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के वर्तमान उद्यमों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

नाम	अनुमानित लागत	आठवीं योजना परिव्यय
1	2	3
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०		
क) हैवी फॉर्ज शॉप, हरिद्वार	35.49	
ख) गैस टरबाईन, हरिद्वार	31.25	
ग) जी०टी० ब्लेड्स का विनिर्माण, हरिद्वार	25.00	
हिन्दुस्तान केबल्स लि०		
I) आप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट	42.81	
II) फाइबर ऑप्टिकल केबल का विनिर्माण	36.00	
इण्डियन ऑयल कारपो०		
प्रोपाइलिन रिक्वरी, मथुरा	47.53	
भारतीय गैस प्राधिकरण लि०		
गैस क्रेकर, औरैया	2941	
भारतीय उर्वरक निगम लि०		
नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र, गोरखपुर	670	
वस्त्र		
क) बी०आई०सी० कॉटन मिल्स, कानपुर का आधुनिकीकरण एवं अन्य योजनाएं		125
ख) नोएडा में राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र		5.00
ग) एनटीसी, उत्तर प्रदेश के अधीन 4 मिलों का आधुनिकीकरण		39.58

1	2	3
भारी उद्योग		
I)	स्कूटर्स इण्डिया, लखनऊ	0.10
II)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, इलाहाबाद	1.00

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

2562. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों की समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जांच संबंधी निष्कर्ष क्या रहें हैं;

(ग) क्या आयोग के निष्कर्ष और उसके द्वारा की गई दंडात्मक सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी शक्तियों और कार्यों के निष्पादन के मामले में किसी मंत्रालय/विभाग का अधीनस्थ नहीं है और इसे भी संघ लोक सेवा आयोग के समान स्वतंत्रता और स्वायत्ता प्राप्त है। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग के समान यह कोई सांविधिक निकाय नहीं है।

(ग) और (घ) प्रक्रियात्मक और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी होती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह अनुशंसात्मक है। सक्षम प्राधिकारी मामलों के मान्य कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह से असहमत हो सकते हैं तथापि राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित असहमति के मामलों में जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों से असहमत होने/सिफारिशें को न मानने की अवस्था में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मामले पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस मंत्रालय से सलाह लेनी चाहिए। अधिकतर मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मान ली जाती है। वर्ष 1990 से 1992 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 7669 मामलों में अपनी सलाह दी है और केवल 40 मामलों में असहमति सूचित की गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में उन मामलों पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करती है जिन पर उनकी सिफारिश नहीं मानी गई अथवा उस पर कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मंत्रालय द्वारा आयोग की रिपोर्ट की प्रति और उसके साथ आयोग द्वारा दी गई किसी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन की प्रति संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है।

[अनुवाद]

पुनर्नियुक्ति पर भूतपूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण

2563. श्री अटल विहारी वाजपेयी :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सिविल पदों में (सरकारी क्षेत्र उपक्रमों आदि में पदों के सहित) भूतपूर्व सैनिकों को पुनः नियुक्ति देने पर उन्हें सशस्त्र बलों में की गई उनकी सेवाओं का लाभ देते हुए उनके वेतन के निर्धारण के लिए निर्धारित किए गए नियमों/विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुल सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में भूतपूर्व सैनिकों को (एक) वेतन एकाक निर्धारण (दो) पदोन्नति में महत्व आदि देने के लिए उनके द्वारा सशस्त्र बलों में दी गई उनकी सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों को समान रूप से इन लाभों को दिए जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति पर उनके रक्षा पेंशन पर मंहगाई राहत भी नहीं दी जा रही है जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है; और

(ङ) इस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है और इस मामले को सुलझाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मागरिट अल्वा) : (क) भूतपूर्व सैनिकों की सिविल पदों में पुनर्नियुक्ति के समय वेतन का निर्धारण समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31-7-1986 के का०ज्ञा० संख्या 3/1/85-स्थापना (वेतन-II) की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं तथा सिविल पदों पर पुनः नियुक्त होते हैं, के वेतन का निर्धारण सेवा निवृत्ति के समय लिए गए अन्तिम वेतन की बराबर की स्टेज पर किया जाता है। यदि सिविल पदों के वेतनमान में ऐसी कोई स्टेज नहीं है तो वेतन का नियतन अगली ऊपरी स्टेज पर किया जाता है; बशर्ते कि यह सिविल पद के वेतनमान के अधिकतम तक सीमित होगा। पेंशन में से 500/- रुपए घटाकर शेष के बराबर की राशि (55 वर्ष की आयु से पहले सेवा निवृत्त होने वालों के मामले में) इस प्रकार से निर्धारण वेतन में से काट ली जाती है। कमीशन रैंक से नीचे के सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में पुनर्नियुक्ति पर वेतन सिविल पदों के न्यूनतम वेतनमान पर निर्धारित किया जाता है तथा वेतन निर्धारित के लिए उनकी पेंशन की सम्पूर्ण राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। किन्तु यदि वे मात्र सिविल पेंशन के आशय से संयुक्त सेवा का विकल्प देते हैं तो सिविल पद में उनका वेतन सशस्त्र सेना में पूरे किए गए सेवा वर्षों के बरारबर अग्रिम वेतनवृद्धियां देकर सिविल पद के न्यूनतम वेतनमान के बजाय उनके मूल वेतन के बराबर अथवा उच्चतर स्टेज पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) सरकारी आदेशों के तहत भूतपूर्व सैनिकों को देय तथा अनुज्ञेय प्रसुविधाएं देने से इंकार किए जाने संबंधी कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) तथा (ङ) सिविल पदों में पुनर्नियुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन पर मंहगाई राहत की अनुमति नहीं दी गई है परन्तु पुनर्नियुक्ति वेतन पर उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाता है। पुनर्तियुक्ति के पश्चात् पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति न देने संबंधी सरकारी नीति का समर्थन न्यायालयों द्वारा किया गया है।

"भेल" की इक्विटि भागीदारी

2564. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने इस समय स्थापित की जा रही इन विद्युत परियोजनाओं में इक्विटि भागीदारी लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "भेल" का स्वयं विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कुछ स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं में आंशिक इक्विटी धारिता करने का विचार किया है।

(ग) और (घ) उपयुक्त भागीदारी के साथ विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करना विविधकरण हेतु ऐसे क्षेत्रों में से एक है जिन पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विचार किया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

2565. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार के सेवा क्षेत्र विशेषरूप से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान किए जा रहे नेटवर्क के निर्माण और रख-रखाव हेतु भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की विशेषज्ञता का उपयोग करने का विचार है;

(ख) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कोटद्वार के पास उपलब्ध क्षमता का इसके पास के पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी०ई०एल०) दूरसंचार विभाग के लिए विभिन्न दूरसंचार उपस्करों का निर्माण और उनकी आपूर्ति कर रहा है।

इस कम्पनी ने विशेषतया स्विचिंग और ट्रांसमिसन उपस्करों का निर्माण करने के लिए कोटद्वार में एक पृथक यूनिट स्थापित की है। कम्पनी की मौजूदा क्षमताएं और इस समय इसके पास दूरसंचार विभाग में प्राप्त आर्डर इस प्रकार है :—

विवरण

उपस्कर	मौजूदा क्षमता	मौजूदा प्राप्त आर्डर
स्विचिंग उपस्कर	10,000 क्षमता तक की एक्सचेंजों की प्रति वर्ष 1,50,000 लाइनें	शून्य
मल्टिप्लेक्सर		
2 एम०बी०	1500 टर्मिनल	शून्य
8 एम०बी०	1200 टर्मिनल	116
34 एम०बी०	600 टर्मिनल	शून्य

गांवों के लिए ट्रांसमिसन और स्विचिंग उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सेवाएं देने के प्रयोजन से बी०ई०एल०, कोटद्वार ने गावों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त 8 ट्रंक लाइनों सहित 32 लाइनों की क्षमता वाले एक लघु एक्सचेंज का वर्ष 1990 में विकास किया था। भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इस उपस्कर के लिए दूरसंचार विभाग से अभी आर्डर प्राप्त किया जाना है।

बी०ई०एल०, कोटद्वार इस स्थिति में है कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा में सुधार करने में दूरसंचार विभाग की सहायता कर सके।

दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह बी०ई०एल० की संस्थापित क्षमता के अनुरूप पर्याप्त आर्डर देकर उसकी सुविधाओं का लाभ उठाए।

ताप ऊर्जा

2566. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतिश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर से ताप ऊर्जा तैयार करने और उसके विकास द्वारा विद्युत पैदा करने में कोई सफलता मिली है;

(ख) अब तक राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनाएं शुरू की गई है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी;

(घ) क्या सरकार ने इस स्रोत से बनाई जाने वाली विद्युत की उत्पादन लागत और गुणवत्ता का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मैसर्स एस०एस०पी० द्वारा तमिलनाडु ने अपतट पर 100 मेवा की क्षमता के एक महासागरीय ताप ऊर्जा रूपान्तरण (ओटीईसी) संयंत्र की "स्वयं बनाओं स्वयं चलाओं" के आधार पर स्थापना

के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड/तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी तथा एक अमेरिकी कम्पनी मैसर्स सी सोलर पावर इनका० (एस०एस०पी०) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार की शहरी जल-आपूर्ति योजनाओं के लिए धनराशि

2567. **श्री मंजय लाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी जल-आपूर्ति योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के नवादा, गया, पटना और हसुआ क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष अनुदान की धनराशि प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विधियां रिलीज की है। संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरो के अनुसार 147 कस्बों में जल आपूर्ति स्कीमों के लिए केन्द्र के शेयर की पहली किश्त के रूप में 11.71 करोड़ रुपये रिलीज किये गये थे।

(ग) और (घ) ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए गया, पटना और नवादा कस्बे पात्र नहीं हैं, चूंकि उनकी आबादी 20,000 (1991 की जनगणना) से अधिक है। 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 'हसुवा" नामक कोई कस्बा नहीं है लेकिन बिहार मे नवादा जिले में "हिसुवा" नामक एक कस्बा है। राज्य सरकार ने ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के अन्तर्गत विचार किये जाने के लिए अभी हाल ही में 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और वे विचाराधीन हैं।

विवरण

1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्वीकृत कस्बों की संख्या, उनकी अनुमानित लागत और रिलीज किया गया केन्द्रीय शेयर

क्र०सं०	राज्य	कस्बों की संख्या	कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये)	रिलीज किया गया केन्द्रीय शेयर (लाख रुपये)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	0.00	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं हुई
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.00	0.00	x x

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1	212.23	26.06	
4.	बिहार	—	0.00	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं हुई
5.	गोआ	2	49.92	6.24	
6.	गुजरात	8	568.62	71.08	
7.	हरियाणा	4	241.99	30.25	
8.	हिमाचल प्रदेश	2	70.30	8.79	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	0.00	0.00	
10.	कर्नाटक	9	681.16	85.15	
11.	केरल	1	236.00	28.21	
12.	मध्य प्रदेश	32	1640.79	205.10	
13.	महाराष्ट्र	6	682.87	85.36	
14.	मणिपुर	3	61.23	7.65	
15.	मेघालय	—	0.00	0.00	x x
16.	मिजोरम	1	41.24	4.26	
17.	नागालैण्ड	—	0.00	0.00	x x
18.	उड़ीसा	5	401.84	50.23	
19.	पंजाब	2	226.12	26.73	
20.	राजस्थान	10	655.73	81.97	
21.	सिक्कम	—	0.00	.000	x x
22.	तमिलनाडु	15	657.90	82.24	
23.	त्रिपुरा	1	41.30	5.16	
24.	उत्तर प्रदेश	42	2623.04	327.88	
25.	पश्चिम बंगाल	3	324.38	39.13	
26.	अंडमान एवं निकोबार द्विपसमूह	—	0.00	0.00	( )
27.	चंडीगढ़	—	0.00	0.00	( )

28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	0.00	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं हुई
29.	दमन एवं द्वीप	—	0.00	0.00	( )
30.	दिल्ली	—	0.00	0.00	( )
31.	लक्षद्वीप	—	0.00	0.00	( )
32.	पांडिचेरी	—	0.00	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं हुई
	योग	147	9419.66	1171.71	

x x कस्बे स्वीकृत मानदण्डों/दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र नहीं हैं।

( ) 20,000 से कम आबादी वाले कस्बे नहीं हैं।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2568. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अंतरिक्ष विषय पर तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराने के लिए भारत ही एकमात्र दावेदार है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर यह सम्मेलन कराया जाएगा;

(ग) इस सम्मेलन के लिए सम्भावित कार्य-सूची क्या है; ओर

(घ) क्या बह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग से प्राप्त लाभों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों में प्रचार करने हेतू किसी नये फार्मूले को अपनाने का प्रस्ताव है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत ने बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (काप्यूस) के फरवरी, 1994 सत्र के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर उप समिति की बैठक में बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और शान्तिपूर्ण उपयोगों पर तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनीस्पेस-III के आयोजन का प्रस्ताव किया था इस सम्मेलन के स्थान के बारे में विचार-विमर्श प्रगति में है तथा इस सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत भी एक दावेदार है।

(ख) भारत ने यूनीस्पेस-III सम्मेलन के आयोजन के लिए किसी विकासशील देश को वरीयता देने का प्रस्ताव किया है तथा 1996 के दौरान बेंगलूर शहर में इस सम्मेलन के आयोजन की भी पेशकश की है। परन्तु बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति (यू०एन० -काप्यूस) में यूनीस्पेस-III सम्मेलन की आयोजना, इसकी कार्यसूची, इसके स्थान और समय के संबंध में अभी सहमति नहीं हुई है।

(ग) इस प्रस्तावित सम्मेलन के लिए कार्यसूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) जी, हां। भारत द्वारा यूनीस्पेस-III सम्मेलन के आयोजन के प्रस्ताव का उद्देश्य अर्न्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों को अन्तरिक्ष के उपयोग से लाभों के अधिक न्यायसंगत भाग के लिए नए फार्मूले को निर्धारित करना है।

अपनी ओर से, भारत विकासशील देशों के लाभ के लिए विशेष रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के सुदूर संवेदन के क्रियान्वयन, बाह्य अन्तरिक्ष में न्यूक्लियर पावर स्त्रोतों के उपयोग, अन्तरिक्ष मलबा, अन्तरिक्ष परिवहन प्रणालियों और संचार उपग्रहो के लिए भू-स्थायी कक्षीय स्थानों के आवंटन से संबद्ध प्रश्नों के बारे में सर्वानुमति पर पहूंचने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

भारतीय अन्तरिक्षयानिकी फैडरेशन के वार्षिक सम्मेलनों के दौरान विकासशील देशों के लाभ के लिए विशेष कार्यशालाओं के आयोजन में भारत सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है।

पेयजल मिशन

2569. **श्री एस०एम० लालजान बाशा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों की हाल ही में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में ग्रामीण जल आपूर्ति और पेयजल मिशन के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो पेयजल मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल):(क) 2-8-1994 को राज्यों के ग्रमीण जल सप्लाई के प्रभारी सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों को कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपाय करने के लिये कहा गया था;

1. सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां कवर करना।
2. आंशिक रूप से कवर किए गए शेष गांवों को कवर करना।
3. उपमिशन के अंतर्गत संयंत्र लगाकर तथा अन्य स्रोतों के जरिए जल गुणवत्ता की समस्या वाले अधिक से अधिक गांवों को कवर करना।
4. पेयजल स्रोतों की सतता को बनाये रखने के लिये जल संरक्षण के उपाय करना।
5. लोगों की भागीदारी से पेयजल स्रोतों के संचलन और रख-रखाव को स्थिर बनाना।
6. अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास तथा सूचना प्रबन्ध प्रणाली अपनाने को प्राथमिकता देना।
7. आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष 2 वर्षों के लिए तत्काल कार्य योजना प्रस्तुत करना।

***दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां**

2570. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के अन्त में दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या कितनी थी और 1994 के आरम्भ काल में कितनी इकाइयां लगी हैं;

(ख) पंजीकृत तथा अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(घ) अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों और प्रदूषण नियंत्रण साधनों को अपनाने में असफल रहने वाली इकाइयों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली नगर निगम में पंजीकृत एककों की संख्या 31-12-1993 तक 72,096 है और 1-1-1994 से 31-7-1994 तक इनकी संख्या 1587 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उद्योग विभाग में पंजीकृत एककों की संख्या 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार 18,522 है और 1-1-1994 से 31-7-1994 तक इनकी संख्या 286 है। जहां तक गैर पंजीकृत एककों का संबंध है, दिल्ली सरकार के पास कोई आकंड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित एकक प्रदूषण फैलाने वाले एककों में आते हैं :—

1) राजघाट थर्मल पावर स्टेशन

2) इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर स्टेशन

3) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन

4) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 एककों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के उपबंध के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले 115 एकक बन्द किये गए है। वायु अधिनियम, 1981 के उपबंध का उल्लंघन करने के लिए 300 एककों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है। प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 18 एककों को बन्द किया गया है। अतः ऐसे मामलों में कार्यवाही करने वाले अभिकरण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली नगर निगम हैं।

पेट्रो-रसायन उद्योग

2571. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार देश में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रमुख पेट्रो-रसायनों मुख्यतया प्लास्टिक तथा सिंथेटिक फाइबरों की प्रति व्यक्ति खपत इन उत्पादों की विश्व औसत की तुलना में कम है। व्यापार नीति, औद्योगिक नीति तथा वित्तीय नीति के क्षेत्रों में 1991 से प्रमुख सुधार शुरू किए गए हैं। इस उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सीमा शुल्क की दरों को युक्तियुक्त बनाया जा रहा है। जोखिम वाले रसायनों को छोड़कर जिनकी सूची छोटी सी है, सभी पेट्रो-रसायन वस्तुओं का निर्माण बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गुजरात में परती भूमि विकास कार्यक्रम

2572. **श्री एन०के० राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को परती भूमि विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ स्वयंसेवी संगठनों की सेवाएं भी ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्वयंसेवी संगठनों की पूर्व-अर्हता मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत राज्य तथा केन्द सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा वन तथा वनेतर बंजर भूमि के विकास सहित अवक्रमित भूमि पर वनीकरण/वृक्षारोपण क्रियाकलाप किये जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को प्रत्येक वर्ष आबंटित धनराशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	आबंटित धनराशि करोड़ रुपये में
1991-1992	58.20
1992-1993	67.14
1993-94	66.84

(ख) जी हां।

(ग) अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वनेतर बंजर भूमि के विकास के लिए पंजीकृत लाभ निरपेक्ष संगठन, सोसाइटियां, सहकारिताएं, कम्पनियां या ट्रस्ट तथा मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज़ तथा विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकस बोर्ड को आवेदन दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत कोई अन्य पूर्व-अर्हता नहीं रखी जाती है और अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड परीक्षण के बाद आवेदन पत्रों को स्वीकार करता है। स्वैच्छिक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत परियोजना का परीक्षण करके, परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी या राज्य वन विभाग को भेजा जाता है। ज़िला ग्रामीण विकास ऐंजेसी स्वेच्छिक एजेंसी की क्षमता तथा विश्वसनीयता की जांच के पश्चात् अपनी सिफारिश भेजना है। इन सिफारिशों तथा परियोजना की तकनीकी सम्भाव्यता के आधार पर इसे राष्ट्रीय बजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष स्वैच्छिक संगठनों को, की गई रिलीज़ों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	एजेंसी का नाम	वर्ष 1991-92	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94
1.	सर्वोदय पशु विकास सहकारी मंडली लिमिटेड, अहमदाबाद	—	1.75	1.63
2.	सेन्टर फॉर एनवायरनमेंटल एजूकेशन नेहरू फाउनडेशन, राजकोट	—	—	2.01
3.	सेल्फ एमप्लॉइड विमूडन असोसिएशन, अहमदाबाद	1.03	—	0.51
4.	सार्थी पंचमहल	3.57	—	—
5.	वनवासी महिला गृह उद्योग उत्पादक सेवा मंडल, भारूच	5.94	1.91	1.90
6.	ग्राम विकास ट्रस्ट, जामनगर	—	3.15	—
7.	मोटा पौंड विभाग वृक्ष उत्पादक सहयोग, वालसाड़	—	2.70	—
	योग :	10.54	9.51	6.05

[अनुवाद]

गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2573. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और अन्य एजेन्सियों द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के कुछ अवसर पैदा किए गए है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप, राज्य-वार कितना रोजगार पैदा किया गया है;

(घ) क्या 1994-95 और 1995-96 में इस प्रकार के रोजगार के और अवसर पैदा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में, गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है। इन कार्यक्रमों में खादी, पॉलीवस्त्र तथा ग्रामीण उद्योग को उन्नति शामिल है। हाल ही में, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश के कुछ पिछड़े जिलों में विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम भी चलाया हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान सृजित रोजगार के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) तथा (ङ) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए कुल लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	लक्ष्य (लाख व्यक्ति)
1994-95	57.30
1995-96	59.85

विवरण

1992-93 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में राज्यवार सृजित रोजगार

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1.02

1	2	3
4.	बिहार	3.59
5.	गोवा	0.05
6.	गुजरात	0.91
7.	हरियाणा	0.84
8.	हिमाचल प्रदेश	0.60
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0.82
10.	कर्नाटक	1.74
11.	केरल	1.98
12.	मध्य प्रदेश	0.92
13.	महाराष्ट्र	4.62
14.	मणिपुर	0.38
15.	मेघालय	0.10
16.	मिजोरम	0.06
17.	नागालैंड	0.05
18.	उड़ीसा	1.63
19.	पंजाब	1.53
20.	राजस्थान	3.91
21.	सिक्किम	0.06
22.	तमिलनाडु	9.98
23.	त्रिपुरा	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	10.73
25.	पश्चिम बंगाल	2.95
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
27.	चंडीगढ़	0.01
28.	दादरा और नागर हवेली	—

1	2	3
29.	दिल्ली	0.18
30.	दमन और द्वीव	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	0.04
	योग :	52.45

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कार

2574. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग ने अस्थि विकलांग और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कार का उत्पादन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं कि इन कारों का उत्पादन बंद न हो ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मारूति उद्योग लिमिटेड विकलांग व्यक्तियों के प्रयोग के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कारों का उत्पादन जारी रखने में समर्थ नहीं है क्योंकि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन किटों का उत्पादन जापान के आपूर्तिकर्ता ने करना बंद कर दिया है और आपूर्ति का कोई अन्य उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि

2575. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सड़कों पर रहने वालों को रैन बसेरे और सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु गत दो वर्षों के दौरान कितनी योजनाएं मंजूर की है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ योजना-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) गत दो वर्षों अर्थात 1992-93 और 1993-94 के दौरान हुडको ने, मध्य प्रदेश में पटरी वासियों को रैन-बसेरों और "भुगतान करो-उपयोग करो" शौचालय मुहैया कराने के लिए, दो योजनाऐं स्वीकृत की है। यद्यपि, ये योजनाएं, नेहरू रोजगार योजना के अंग नहीं हैं।

(ख) इन दो स्कीमों में से एक के लिए 26 लाख रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी दी गई है।

[अनुवाद]

नारियल जटा का उत्पादन

2576. **श्री के० मुरली धरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल-जटा के उत्पादन की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) उत्पादन की तुलना में नारियल-जटा की कुल वार्षिक मांग क्या है;

(ग) क्या इसका आयात भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नारियल जटा क्षेत्र की ठीक-ठीक उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं है। किन्तु कयर बोर्ड उत्पादन क्षमता के ठीक-ठीक मूल्यांकन के लिए केरल में एक अध्ययन आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहा है। एकत्र की गई सूचना संसद के समक्ष रख दी जायेगी।

(ख) नारियल जटा की वास्तविक वार्षिक मांग उपलब्ध नहीं है। 1992-93 में नारियल जटा के उत्पादन का अनुमान 1,43,900 मी०टन लगाया गया था, 82,700 मी०टन निर्यात और घरेलू बाजार में नारियल जटा के रूप में उपयोग कर लिया गया था। शेष 61,200 मी०टन नारियल जटा को नारियल की चटाइयों और मैटिंग्स तथा रस्सी में परिवर्तित किया गया था। वर्ष 1993-94 में नारियल जटा के उत्पादन का अनुमान 1,53,900 मी०टन लगाया गया था जिसमें 88,900 मी०टन का उपयोग नारियल जटा के रूप में किया गया था और 65,000 मी०टन को उत्पादों तथा रस्सी में परिवर्तित किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

असम की विकास योजनाएं

2577. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पास असम राज्य से संबंधित विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय, वास्तविक लक्ष्य संसाधन संग्रहण और राज्य को प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं;

(ग) ये योजनाएं कब से विचाराधीन हैं; और

(घ) इन योजनाओं को शीघ्रता से मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग सिंचाई तथा विद्युत संबंधी परियोजनाओं को निवेश की दृष्टि से प्राप्त करता है। योजना आयोग के पास ऐसी कोई परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हैन्ड पम्प और कुएं

2578. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान आज तक केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और सूखा प्रीाावित क्षेत्रों में हैन्डपम्प लगाने और कुओं के निर्माण के लिए कितनी राशि आबंटित की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में हैन्ड पम्प लगाने और कुओं के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल):(क) विशेष रूप से राज्य में हैन्उ पम्प लगाने व कुओं के निर्माण हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई। यद्यपि उत्तर प्रदेश को वर्ष 1994-95 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत 86.16 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 43.08 करोड़ रुपए रिलीज किए गए है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2579. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इनमें कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है; और

(ग) इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को और अधिक क्रयादेश दिलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित क्रयादेश प्राप्त हुए हैं—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
कम्प्यूटर प्रणालियां	110	49	116
नियंत्रण प्रणालियां और यंत्रीकरण	42	48	73
सामरिक महत्व वाली इलेक्ट्रानिकी और संचार प्रणालियों	55	44	99

1	2	3	4
इलेक्ट्रानिक संघटक और विशिष्ट रक्षा उत्पाद	26	29	37
उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पाद	27	31	44
कुल	281	231	395

(ग) (I) क्रयादेश की बुकिंग बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कम्पनी में विपणन कार्यों को बढ़ाना प्रारम्भ किया है और इन कार्यों की देखभाल करने के लिए निगामित स्तर पर एक कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है।

(ii) विपणन कार्यपालकों और कर्मचारियों को उनकी विपणन निपुणता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने के वास्ते इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परामर्शदाताओं की सहायता ले रही है।

(iii) अपने उत्पादों/सेवाओं के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने अनेक अनुभागों के लिए आई एस ओ-9000 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है।

(iv) निजी उद्योगों और एम् एन सी द्वारा अपनाई गई उद्यमशील विपणन विधियों की बराबरी कर सकने के लिए, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्रयादेश बुक करने के लिए विपणन एजेंट नियुक्त करने की योजना है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम

2580. **श्री एस०वी० सिदनाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों, भारतीय उद्योगों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों ने भारतीयं अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया है; और

(ख) किन-किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों ने इस कार्य में सहयोग दिया है और दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग में अपनी गहरी रुचि दिखाई है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विवरण I, II, III और IV संलग्न हैं।

विवरण-I

उन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के नाम, जिन्होंने भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है :

1. ए०पी०एस० विश्वविद्यालय, रींवा
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

3. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
4. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
5. अमरीकन कॉलिज, मदुरै
6. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास
7. बेंगलूर विश्वविद्यालय, बेंगलूर
8. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
9. बर्दवान विश्वविद्यालय, वर्दवान
10. बेरहमपुर विश्वविद्यालय, बेरहमपुर
11. बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा
12. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली
13. बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति, बम्बई
14. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
15. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
16. कोचीन विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम
17. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे
18. केन्द्रीय इलेक्ट्रीक्ल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी
19. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
20. दीनबन्धु एण्ड्यूज कॉलेज, मारिया
21. इंजीनियरिंग कॉलेज, अमरावती
22. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
23. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम
24. जी०एस० प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर
25. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
26. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर
27. इंडियन स्कूल ऑफ माइनस, धनबाद
28. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
29. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

30. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

31. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

32. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

33. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बेंगलूर

34. रेडियो भौतिकी संस्थान, कलकत्ता

35. विज्ञान के अन्वेषण के लिए भारतीय एसोसिएशन, कलकत्ता

36. भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बेंगलूर

37. भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर

38. भारतीय उष्णकटिबंध मौसमविज्ञान संस्थान, पुणे

39. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अग्रिम अध्ययन के लिए संस्थान, असम

40. भारतीय फोटो अर्थनिर्वाचन संस्थान, देहरादून

41. विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर

42. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

43. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान

44. जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकीनाड़ा

45. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम

46. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

47. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर

48. केल्ट्रॉन, केरल

49. एम०एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा

50. मदास विश्वविद्यालय, मद्रास

51. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद

52. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

53. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल

54. मेंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलागंगोत्री

55. मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर

56. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे

57. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग
58. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेसी, हैदराबाद
59. राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएं, वेंगलूर
60. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली
61. ऊस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
62. पूना विश्वविद्यालय, पुणे
63. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
64. पी०जी०डी०ए०वी० कालेज, दिल्ली
65. आर०डी० विश्वविद्यालय, जबलपुर
66. रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की
67. आर०वी० इंजीनियरिंग कालेज, बेंगलूर
68. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
69. रबड़ अनुसंधान संस्थान, कोट्टायूम
70. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली
71. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरत
72. रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर
73. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति
74. श्रीनगर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
75. दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत
76. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई
77. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
78. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
79. कृषि विाज्ञन विश्वविद्यालय, बेंगलूर
80. उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल
81. विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन
82. वेदशाला आब्जरवेट्री, अहमदाबाद
83. वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान तिरूचिरापल्ली।

विवरण-II

उन प्रमुख भारतीय उद्योगों के नाम जिन्होंने भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है :

1. एयरोथर्म प्रोडक्टस, अहमदाबाद
2. अलवर मैटल उद्योग, तिरूवनन्तपुरम
3. आन्ध्र फाउण्ड्रीज, हैदराबाद
4. अनुप इंजीनियरिंग लिमिटेड, अहमदाबाद
5. ए०पी०एल०ए०बी०, थाने
6. एमकिट फार्जिंग
7. आर्ट इण्डस्ट्रीयल स्कूल, चिदम्बर नगर जिला तमिलनाडु
8. एशियाटिक ऑक्सीजन, मद्रास
9. एस्ट्रोआप्टिक्स, बम्बई
10. आतिश इंजीनियर्स, बम्बई
11. ओरो इंजीनियरिंग, पाण्डीचेरी
12. बेलको, कोरबा
13. भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे
14. भारत हैवी इलेक्ट्रीक्लस, हरिद्वार/हैदराबाद/बेंगलूर/तिरूचिरापल्ली
15. भारत हैवी प्लेट्रस एंड वेसल्स, विशाखापतनम
16. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलूर
17. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
18. केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की
19. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी
20. सेन्ट्रल मशीन टूल्स इंस्टिट्यूट, बेंगलूर
21. सेन्ट्रल इलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, कराईकुडी
22. कमर्शिएलाइनेशन सेंटर, हैदराबाद
23. डी०एम०आर०एल० हैदराबाद
24. एचजय इंडस्ट्रीज, राजकोट

25. इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, हैदराबाद
26. इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण तथा विकास केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम
27. इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन टूल्स, पुणे
28. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, बम्बई
29. एन्टरेमोंड पालिकोटर्स, बम्बई
30. फेरोडाई, बम्बई
31. गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर
32. ग्लासटिक्स इण्डिया, मद्रास
33. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, भड़ौच
34. गोदरेज एंड बॉयस, बम्बई
35. गवर्नमेंट टूल रूप एंड ट्रेनिंग सेन्टर, बेंगलूर
36. हीटेक्स प्रोडक्टस, थाने
37. हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, आवडी, मद्रास
38. हिन्द हाई वेक्यूम, बेंगलूर
39. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, बेंगलूर/हैदराबाद/कोरवा
40. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बेंगलूर/कालामेसरी
41. आई०बी०पी० कम्पनी लिमिटेड, नासिक
42. इण्डियन हाइड्रोलिक इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
43. भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलूर
44. भारतीय टेलीफोन उद्योग, बेंगलूर
45. इण्डोथर्ग, थाने
46. इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, बम्बई
47. इण्डस्ट्रीयल ऑक्सीजन कम्पनी
48. इंस्ट्यूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट
49. ज्योति, बड़ौदा
50. केरल ऑटोगौबाइल्स लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम
51. कार्तिक रसायन उद्योग, मद्रास

52. केसको इण्डस्ट्रीज, पुणे

53. केल्ट्रोन, तिरूवनन्तपुरम

54. केल्ट्रोन इलेक्ट्रो सिरेमिक, कुट्टीपुरम

55. केरल हाइटेक इण्डस्ट्रीज, तिरूवनन्तपुरम

56. कोबाशी मशीन टूल्स, हैदराबाद

57. केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (के०एस०ई०डी०सी०) तिरूवनन्तपुरम

58. लार्सन एंड टूर्बो, बम्बई

59. मिश्र घातु निगम (गिधानी), हैदराबाद

60. मशीन टूल्स, एड्स एंड रिकण्डीशनर्स, हैदराबाद

61. मद्रास इण्डस्ट्रीयल लाइनिंग्स, मद्रास

62. मेथर प्लेट्ट इण्डिया, मद्रास

63. मेकनो इंजीनियरिंग कम्पनी, बेंगलूर

64. माइक्रोपेक, बेंगलूर

65. मुकुन्द्र आयरन एंड स्टील वर्क्स, बम्बई

66. राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएं, बेंगलूर

67. नवभारत मेटल इण्डस्ट्रीज, कोचिन

68. नेल्को, बम्बई

69. न्यूक्लियर फ्यूल कम्पलेक्स, हैदराबाद

70. ओर्डनेंस फैक्ट्री, नागपुर

71. आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा

72. पदमाट्रोनिक्स, अहमदाबाद

73. पी०एस०आई० डेटा सिस्टम्स, बेंगलूर

74. पेटरनर्स, मद्रास

75. परमाली वालेस, भोपाल

76. प्रभाकर प्रोडक्ट्स, मद्रास

77. पी०वाई०एन० प्रिसिजन कम्पोनेंट्स, हरियाणा

78. रामकृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, मद्रास

79. रीजनल रिसर्च लेबोरेट्रीज, तिरूवनन्तपुरम

80. सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), बम्बई

81. सीता इलेक्ट्रॉनिक, हैदराबाद

82. एस०एम०पी० इन्टरप्राइजिज, पुणे

83. सुपर इण्डक्टो कास्टिंग्स, हैदराबाद

84. सूरज मेटल मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, अहमदाबाद

85. टेन्सी टूल रूम, मद्रास

86. टर्बो टेक प्रिसिजन, बेंगलूर

87. यूनाइटिड सिस्टम्स इंजीनियर्स, होसुर

88. विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, बेंगलूर

89. वी०पी० पॉलिकॉन लिमिटेड, अहमदाबाद

90. वल्कान लेवल, बम्बई

91. वालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज, पुणे

92. वेदको प्रोडक्टस, अहमदाबाद।

विवरण-III

उन केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के नाम, जिन्होंने भारतीय कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है।

1. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग

1. कृषि मंत्रालय

2. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

3. जल संसाधन मंत्रालय

4. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

5. वस्त्र मंत्रालय

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

7. भूतल परिवहन मंत्रालय

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय

10. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

11. परमाणु ऊर्जा विभाग

12. महासागर विकास विभाग

13. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

14. दूरसंचार विभाग

15. भारत मौसमविज्ञान विभाग

11. राज्य सरकारें

सभी राज्य सरकारें तथा केन्द्र शासित प्रदेश।

विवरण-IV

उन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (एजेंसियों) के नाम, जिन्होंने भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है और दीर्घकालीन तकनीकी सहयोग में गहन रुचि प्रकट की है :

1. अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्षयानिकी फैडरेशन (आई०ए०एफ०)

2. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह (इन्मारसैट) संगठन

3. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई०टी०यू०)

4. अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई०सी०ए०यू०)

5. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), यू०एस०ए०)

6. इन्टरपुतनिक, रूस

7. वैज्ञानिक संघो की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् (आई०सी०एस०यू०) की अन्तरिक्ष अनुसंधान पर समिति (कोस्पार)

8. अन्तरिक्ष अनुसंधान पर समिति-खोज और बचाव उपग्रह (कॉस्पाससारसैट) प्रणाली

9. संयुक्त राष्ट्र संघ

10. अरबसैट संगठन

11. यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी (ई०एस०ए०)

12. फ्रेंच अन्तरिक्ष एजेंसी

13. जर्मन सरकार

14. जर्मन एयरोस्पेस अनुसंधान संस्थान

15. संयुक्त राज्य अमरीका राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा)

16. रूसी सरकार

17. एयरोस्पेस उद्योग मंत्रालय, चीन

18. अन्तरिक्ष क्रियाकलापों के लिए स्वीडिश बोर्ड

19. राष्ट्रमण्डल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन, आस्ट्रेलिया

20. सीरिया का सुदूर संवेदन का जनरल संगठन

21. मारीशस सरकार

22. यूनाइटिड किंगडम सरकार

23. यूक्रेन सरकार

24. ब्राजील सरकार

25. चीली सरकार

मिग विमानों को बदलना

2581. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने मिग-23 बी एन विमान की सभी चार स्क्वैड्रनों के स्थान पर अधिक उन्नत मिग-27 विमान बदलने की अपनी योजना को छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारतीय वायु सेना की प्रहारक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिग-23 बी एन वायुयान की उपयोगिता अवधि बढ़ाकर भारतीय वायुसेना की स्कवाड्रन सेवा में इसका उपयोग जारी रखा जाए। इस निर्णय से भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संयुक्त उद्यम

2582. **श्री फुल चंद वर्मा :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1994 में उनकी अमरीका की यात्रा के दौरान भारत में संयुक्त उद्यम लगान संबंधी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान अमरीकी उद्योगपति भारत में कितना पूंजी निवेश करने के लिए सहमत हुए है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) प्रधान मंत्री के यू०एस०ए० के दौरे के दौरान सरकारी स्तर पर संयुक्त उद्यमों के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बायोगैस संयंत्र

2583. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने गोबर-आधारित बायो-गैस संयंत्रों की सामुदायिक और संस्थागत स्थापना की गई;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान सरकार का विचार ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने परिवार लाभान्वित होंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 200 सामुदायिक संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इन लक्षित संयंत्रों से खाना पकाने और रोशनी की जरूरतों के लिए और कुछ मामलों में विद्युत उत्पादन से कुल लगभग 3000 परिवारों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न वर्षों में स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2	—	6

1	2	3	4
बिहार	1	—	—
गोवा	—	—	10
गुजरात	15	5	8
हरियाणा	—	2	—
जम्मू कश्मीर	1	—	—
कर्नाटक	—	3	8
केरल	—	—	—
मध्य प्रदेश	2	6	10
महाराष्ट्र	17	19	34
उड़ीसा	4	17	—
पंजाब	39	27	34
राजस्थान	1	6	4
तमिल नाडु	11	10	22
उत्तर प्रदेश	26	90	70
पश्चिम बंगाल	1	3	—
दिल्ली	2	1	8
जोड़	122	189	214

कमर्शियलाइजेशन ऑफ सी०एस०आई०आर० नालेज

2584. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कमर्शियलाइजेशन आफ०सी०एस०आई०आर० नालेज बेस" पर मशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकृत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके स्वीकृत की जा रहीं सिफारिशों और उनसे प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) माशेलकर समिति द्वारा विपणन व्यवस्था, विपणन समूहों का कर्मचारी संबंधी गठन विपणन के लिए बजटहेड, प्रशिक्षण, प्रक्रिया संबंधी लचीलापन, उपभोक्ता उन्मुख कार्य की मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी विपणन के लिए

प्रौद्योगिकी का मूल्य, प्रौद्योगिकी विपणन उपलब्धि, अध्ययन विश्राम छुट्टी (सेबैटिकल लीव) इत्यादि के संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। बौद्धिक सम्पदा लाइसेंस शुल्क के बदले में साम्यता और निजी क्षेत्र की कम्पनियों के निदेशक मंडल में सी०एस०आई०आर० के स्टॉफ के प्रतिनिधित्व से संबंधित सिफारिशों को विशेषज्ञ समिति द्वारा जांचा जा रहा है। आर्थिक प्रोत्साहन संबंधी सिफारिशों को इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि बौद्धिक सम्पदा अथवा निवल अधिशेष (सी०एस०आई०आर० के दिशानिदेशों के बताए गए के अनुसार समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय के बाद शेष) जो भी कम होगा उसका वितरण किया जाएगा। विपणन क्रियाविधि के संबंध में की गई सिफारिशों के विषय में व्यवसाय विकास और ज्ञानाधार के विपणन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए लागू होने वाले कुछ निश्चित अनुबंधों के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया।

बहु-आयामी व्यायामशालाएं

2585. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बहु-आयमी व्यायामशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये व्यायामशालाएं कहां-कहां खोले जाने का विचार है और स्थान के चयन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ग) इन व्यायामशालाओं में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कम से कम 5 प्रत्येक जोन (पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम) में एक-एक बहु-आयामी व्यायामशालाएं खोले जाने का निर्णय लिया है। इन, बहु-आयामी व्यायामशालाएं खोलने का अभिप्रायः स्थानीय निवासियों के उपयोग हेतु हल्की व्यायाम मशीनें मुहैया कराना है।

गैर-कानूनी झोपड़ियां

2586. **श्री श्रीकांत जैना :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान सुरक्षा को खतरे में डालते हुए रक्षा सम्पत्ति कार्यालय द्वारा प्रबंधित वृहत् भूमि क्षेत्र पर इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के नजदीक बड़ी संख्या में अवैध झोपड़ियां बना दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से ये अवैध झोपड़ियां रक्षा-भूमि पर बनाई जा रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस भूमि को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट पूर्वी महरम नगर में सर्वेक्षण संख्या 176 में 112.57 एकड़ क्षेत्र का रक्षा भूमि है और उसकी व्यवस्था दिल्ली क्षेत्र का रक्षा संपदा अधिकारी करता है। वर्ष 1973 से पूर्व लगभग 145 व्यक्तियों ने 0.623 एकड़ रक्षा भूमि पर अनधिकृत रूप से आवास संबंधी कुछ निर्माण-कार्य करवा लिया था। अब कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। सरकार को संबंधित संगठनों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास बनी झोपड़ियों की वजह से उड़ान सुरक्षा को कोई खतरा महसूस किया जा रहा है।

वर्ष 1974 से दिल्ली स्थित रक्षा संपदा अधिकारी ने केवल एक अनधिकृत अतिक्रमण को हटवाया हैं अतिक्रमण अर्थात् झुग्गी-झोपड़ी के निवासियों को हटाने की समस्या इस बात से जुडी हुई है कि उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जाए। रक्षा संपदा अधिकारी ने यह मामला वर्ष 1988 में दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया था। इसके वास्ते एक उचित कार्य योजना अभी तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

2587 **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता का कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत घरेलू और वाणिज्यिक मांग को पूरा करने के लिए काफी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) देश में वाणिज्यिक रूप से काम कर रहे परमाणु विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता और इन संयंत्रों द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्पादित की गई विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

बिजली घर का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)		वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू करने की तारीख	उत्पादित विद्युत (मिलियन यूनिट में)		
				91-92	92-93	93-94
तारापुर	यूनिट-1	160	10/69	745	1146	898
	यूनिट-2	160	10/69	965	788	925
राजस्थान	यूनिट-2	200	04/81	1062	925	1097
मद्रास	@यूनिट-1	220 #	01/84	869	1191	373
	@यूनिट-2	220 #	07/92	1292	787	1015
नरोरा	यूनिट-1	220 #	01/91	532	1031	*
	यूनिट-2	220 #	07/92	—	648	335
ककरापार	यूनिट-1	220	05/93	—	—	621

* नरोरा यूनिट-1 मार्च, 1993 में टरबाइन में आग लगने की घटना के बाद पुनर्स्थापन कार्य के लिए पूरे वर्ष बन्द रहा।

@ संदर्भाधीन अवधि के दौरान मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर-2 का परिचालन विद्युत स्तर निर्धारित विद्युत क्षमता के 75 प्रतिशत स्तर तक सीमित रखा गया।

\# मद्रास परमाणु बिजलीघर-1, मद्रास परमाणु बिजलीघर-2, नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 और नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 जिनकी प्रत्येक की विद्युत क्षमता प्रारम्भ में 235 मैगावाट तक निर्धारित की गई थी, को 1-1-1992 से पुनः निर्धारित करके प्रत्येक बिजलीघर के मामले में 220 मेगावाट कर दी गई।

(ग) तथा (घ) इस समय परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत का जितना उत्पादन किया जा रहा है वह देश में उत्पादित की जाने वाली कुछ बिजली का लगभग 2 प्रतिशत है और यह देश में विद्युत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा पूरा नहीं कर सकता है। विभिन्न राज्यों द्वारा विद्युत की बड़ी मांग ताप तथा पन स्रोतों से पूरी की जाती है। विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस समय काम कर रहे बिजलीघरों में बेहतर निवारक तथा प्रागुक्तीय अनुरक्षण प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। परमाणु विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को स्थापित करने का काम भी धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप हाथ में लिया जा रहा है। निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं से सन् 1997 तक विद्युत उत्पादन क्षमता में 1100 मेगावाट विद्युत की और बढ़ौतरी हो जाएगी।

[अनुवाद]

मैसर्स भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड के क्रयादेशों की स्थिति

2588. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को प्राप्त हुए क्रयादेशों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस कंपनी को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ग) इस कंपनी की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या-क्या विभिन्न वैकल्पिक उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कंपनी में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यथा 31 जुलाई, 1994 को कंपनी की क्रयादेश स्थिति 437 करोड़ रुपये थी।

(ख) कंपनी को विगत तीन वर्षों में हुआ लाभ निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

1991-92	1992-93	1993-94
1.56	2.07	2.50

(ग) विगत में कंपनी को लगातार लाभ हुआ है। कार्य-क्षमता में और सुधार लाने की दृष्टि से, कंपनी ने अपने प्रचालनों के क्षेत्र में विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त कंपनियों से तकनीकी जानकारी हासिल की है। लागत नियंत्रण व जनशक्ति में कमी करने जैसे उपाय भी आरंभ किए गए हैं।

(घ) और (ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम वर्ष 1990-91 से चल रही है। मार्च, 1994 तक 64 कर्मचारियों ने इस स्कीम को अपनाया है।

लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए सहायता

2589. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फिक्की" के एक दल ने प्रधान मंत्री से मिलकर लघु उद्योग क्षेत्र तथा दूसरे महत्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्र के लिए सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्तमान में - लघु उद्योग क्षेत्र को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक फिक्की शिष्टमंडल, जिसमें उसका अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य थे,

12 जुलाई, 1994 को प्रधान मंत्री से मिला तथा देश के विकास के लिए एक दस्तावेज-"विजन 2005-एस्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट" पेश किया।

जहां तक लघु उद्योग का संबंध है, फिक्की ने अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान से अपने प्रबन्ध लागत में कमी करके लघु तथा मझौले उद्योगों के शीघ्र व सुचारू विकास के प्रोत्साहन की आवश्यकता का सुझाव दिया। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी विकास योजना (प्रौद्योगिकीय सहायता सेवाओं सहित) शुरू की है।

(घ) केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। कुछ मुख्य प्रोत्साहन इस प्रकार हैं — उत्पादक शुल्क में छूट/राहत, रिआयती वित्त, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, उत्पादन विशेष के लिए मदों का आरक्षण, लघु औद्योगिक एककों से खरीदने के लिए मदों का आरक्षण, किराया-खरीद पर मशीनरी, तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं, औद्योगिक परिसर का प्रावधान आदि।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पूंजीनिवेश

2590. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 30 जून, 1994 तक उत्तर प्रदेश की विभिन्न सूचीबद्ध और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कुल कितना पूंजी निवेश किया;

(ख) आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितनी संस्थाओं को मान्यता दी है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी संस्थाओं को प्रमाण पत्र दिये गये ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्षरूप से सूचीबद्ध संस्थानों में इसके द्वारा 6896.80 लाख रुपये का कुल निवेश किया गया है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या और उन संस्थाओं की संख्या जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं नीचे दी गई है :—

वर्ष	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या	उन संस्थाओं की संख्या जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी प्रमाण-पत्र जारी किये गये है।
1991-92	203	100
1992-93	1175	195
1993-94	327	108

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा केन्द्र

2591 **श्री धर्मभिक्षम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने इस संबंध में राज्य के संभावित स्थलों की जांच की है। किसी परमाणु बिजलीघर को स्थापित करने की प्रक्रिया में व्यापक सुरक्षा तथा पर्यावरणीय पुनरीक्षाएं किया जाना शामिल होता है और यह वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में किसी परमाणु विद्युत परियोजना को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

2592. **श्री एस०वी० सिदनाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में राष्ट्रीय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं, महानगरों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय विकास और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी बैकअप यूनिटों और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2593. **श्री फूलचन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में सम्बद्ध कुल पूंजी परिव्यय क्या है और इन उपक्रमों में सरकार की क्या हिस्सेदारी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम का कुल पूंजी व्यय कितनी है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसे किसी उपक्रम को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के छः रजिस्टर्ड कार्यालय थे। प्रत्येक उपक्रमों के स्थानों का, साम्या और ऋण के रूप में कुल निवेश सरकार का हिस्सा और पूंजीगत व्यय का उपक्रमवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कोई नया केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	पी०एस०ई० के नाम	स्थिति	निवेश	सरकार का हिस्सा	1992-93	पूंजीगत व्यय 1991-92	1990-91
1.	फैरों स्क्रैप निगत लिमिटेड	भिलाई	915	*	680	868	1205
2.	एम०पी०अशोक होटल कारपोरेशन	भोपाल	341	*	एन०ए०	एन०ए०	8
3.	नेपा लिमिटेड	नेपानगर	8734	5946	454	510	415
4.	नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड	सिंगरौली (जिला सोधी)	200752	*	27877	28031	26585
5.	एन०टी०सी० (एम०पी०) लिमिटेड	भोपाल	23992	*	(–)6	11	18
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	बिलासपुर	125000	*	(–)11650	30850	35717

* शेयर नियंत्रक कम्पनी के पास होते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बायो-गैस संयंत्र

2594. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) 1993-94 के दौरान इसका कितना लक्ष्य रखा गया था और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही;

और

(ग) राज्य के सभी जिलों को कब तक इस लक्ष्य के अंतर्गत लाया जाएगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) वर्ष 1994-95 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 20,000 परिवार आकार के और तीन सामुदायिक संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों को लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राज्य में परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा 19,000 संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान 19,600 से अधिक परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसियों ने राज्य में 4,100 से अधिक संयंत्र लगाए हैं। वर्ष 1993-94 में राज्य के लिए निर्धारित 6 सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया।

(ग) राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम दोनों को ही पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है।

तमिलनाडु में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा

2595. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तमिलनाडु में "पायलट" परियोजना के द्वारा समुद्र की ज्वारीय तरंगों से बिजली के उत्पादन में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के व्यावहारिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रों में ऐसी पायलट परियोजनाओं को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विझीनजम, केरल में एक प्रायोगिक लहर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है और इस प्रौद्योगिकी के परिष्करण का कार्य प्रगति पर है। यह संयंत्र अभी भी विकास प्रक्रिया के अंतर्गत है। तमिलनाडु में ऐसा कोई संयंत्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) जब भी आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन परियोजना प्रस्तावों की जांच की जाएगी।

रोजगार स्तर

2596. **श्री एस०एम० लालजान बाशा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार रुग्ण इकाइयों में कर्मचारियों की छंटनी रोकने हेतु श्रमिक सहकारिता और अन्य प्रकार के संगठनों के गठन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस प्रयोजनार्थ संसाधन जुटाने के लिए कोई योजनाएं तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को किसी बीमार कम्पनी का हवाला देना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सहकारी समिति के माध्यम से बीमार कम्पनी को पुनर्जीवित करना इस अधिनियम के तहत परिकल्पित उपायों में से एक है। बी०आई०एफ०आर० मामला दर मामला के आधार पर इस उपाय पर निर्णय लेता है। योजना आयोग दबारा इस संबंध में कोई विशेष कदम उठाना अपेक्षित नहीं है।

नशीली दवाओं की बोतलों की भरमार

2597. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां विषाक्त पेट बोतलों को पुनः परिशोधन के पश्चात प्रयोग हेतु भारत में भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कुल कितनी पेट बोतलों को भारत में भेजा गया;

(घ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2598. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कार्यरत केन्द्र सरकार के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम की लाभ और हानि का ब्यौरा है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में नए सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केवल 31-3-1993 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 17 उपक्रम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक राज्य में स्थित थे। उद्यम का नाम, 31-3-1993 तक कुल निवेश और वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान अर्जित लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में नया उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कर्नाटक में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	31-3-1993 तक निवेश (सामान्य शेयर+ऋण)	लाभ/हानि		
			1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	अंतरिक्ष कारपो० लि०	25	26	0	0
2.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	20500	3644	3482	4614
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	19359	3093	3575	3425
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	12799	(--) 3559	(--) 1829	(--) 3529
5.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि०	1670	101	101	324
6.	एचएमटी लि०	32190	272	3608	1415
7.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०	47729	5234	5118	4869
8.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	54575	8589	5723	3607
9.	कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	463	98	46	32
10.	कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि०	63151	9975	13871	5313
11.	मण्डयन नेशनल पेपर मिल्स लि०	7336	(--) 1668	(--) 1317	(--) 571
12.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	22967	(--) 5043	(--) 1696	(--) 846

1	2	3	4	5	6
13.	मसाला व्यापार निगम लि०	150	15	(–) 38	13
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	1769	59	79	47
15.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि०	271	(–) 43	(–) 77	(–) 45
16.	विजय नगर स्टील लि०	1272	— संकलित किया जा रहा है —		
17.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	16665	(–) 979	(–) 169	631

लघु इकाइयों को सहायता

2599. **श्री एस०एम० लालजान वाशा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने देश की कुछ इकाइयों को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी इकाइयों को सहायता दी गई;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश की लघु इकाइयों की एक बडी संख्या रुग्ण है; और

(घ) इन इकाइयों को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां। एन०एस०आई०सी० अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन देश के विभिन्न भागों में लघु एककों की सहायता करता रहा है।

(ख) एन०एस ०आई०सी० ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन 1991-92 के दौरान 18027 लघु औद्योगिक एककों, 1992-93 के दौरान 19752 एककों और 1993-94 के दौरान 22105 एककों की सहायता की है। राज्यवार आंकड़े एकत्र किए जायेंगे और प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

(ग) मार्च, 1992 के अंत में आन्ध्र प्रदेश में रुग्ण लघु एककों की संख्या 29586 थी।

(घ) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें उपाय करती हैं। ये निम्नलिखित हैं :

(1) प्रबंधकीय समस्याओं पर ध्यान देनें के लिए सरकार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, कार्यशालाओं का आयोजना, उपचार केन्द्रों का आयोजना आदि करती है।

(2) प्रौद्योगिकीय समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सरकार तकनीकी अधिकारियों द्वारा एककों का निरीक्षण, लघु उद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से कार्यशाला संबंधी सुविधाएं, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, औजार कक्षों और उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास केन्द्रों के माध्यम से परीक्षण सुविधाएं तथा अन्य तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराती है।

(3) विपणन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार मूल्य में वरीयता, सरकारी खरीद कार्यक्रम में मूल्य में वरीयता, के जरिए विपणन सहायता और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिए विपणन सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें राज्य लघु उद्योग विकास निगम के जरिए विपणन सहायता उपलब्ध कराती हैं

(4) आधारभूत सुविधाए संबंधी सहायता उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व हैं जो विकसित औद्योगिक भूखंड, शैड आदि उपलब्ध कराती है।

(5) केन्द्र सरकार अपने पुनर्वास कार्यक्रमों में रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्तीय सस्थाओं के जरिए वित्त उपलब्ध कराने से भी संबंधित है। वित्तीय समस्याओं पर ध्यान देने के लिए रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्न प्रकार है :—

(i) रुग्ण एककों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी-सिद्धांत जारी किया जाना।

(ii) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों को तथा जिन एककों की परियोजना लागत 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है उन्हें एक प्रतिशत वार्षिक दर से नाममात्र सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घकालिक ईक्विटी टाइप सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(iii) केन्द्र सरकार के आदेश पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुर्व डिप्टी गर्वनर श्री पी०आर० नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने ऋण, रुग्णता संबंधी समस्याओं और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच की। समिति ने रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन करना, राज्य स्तरीय न्यायधिकरण की स्थापना करना, शिकायतों को दूर करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों का मंच के रूप में प्रयोग करना, राज्यस्तरीय अंतर सस्थागत समिति को फिर से चालू करना इत्यादि शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी कुछ सिफारिशों पर निर्णय की पहले से ही घोषणा कर दी है। जैसे रुग्ण एककों की संशोधित परिभाषा और रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना पर लिए जाने वाले शुल्क की कम ब्याज दर।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय किया है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र कार्यशील पुंजी ऋण के रूप में अपने वार्षिक उत्पादन का 20% तक प्राप्त करेंगे।

(v) लघु उद्योग बैंको के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम का भाग है।

तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण

2600. **श्री राम नाईक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुद्र में छोड़े जाने वाले विषैले और घरेलू अपशिष्ट से सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र प्रदूषित हो गया है और समुद्री जीव विनाश के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सभी तटवर्ती राज्यों में कोई अध्ययन किया है अथवा करने का विचार है तथा तटवर्ती राज्यों के लिए इस बारे में निर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) नदियों और सकरी खाड़ियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छोड़े गए असंसाधित घरेलू मलजल और अर्धसंसाधित तथा असंसाधित औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़ने से देश की तटरेखा के साथ-साथ चुनिंदा स्थानों पर समुद्र जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। समुद्र में अपशिष्टों को गिराने के कारण समुद्री जीवों के विनाश की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) महासागर विकास विभाग द्वारा वर्ष 1990 से भारी धातुओं, रोगोत्पादक जीवाणु और पीड़क नाशक-अवशिष्टों जैसे समुद्री प्रदूषकों के स्तरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। एकत्र किए गए आकड़ों को तटीय जलक्षेत्रों में प्रदूर्षण के स्तरों की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1986) के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्ध और हस्तन नियम (हैज़र्ड्स वेस्ट्स मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग रूल्स) तैयार किए हैं। इन नियमों के अन्तर्गत संकटमय अपशिष्टों के प्रबन्ध और हस्तन के लिए मार्गदर्शक दिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक और मानक तटीय जलक्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अगीकार/लागू किए जाते हैं।

[हिन्दी]

टी०ए०पी०पी० के ग्लम बक्से

2601 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर रिएक्टर फ्यूएल रीप्रासेसिंग प्लांट स्टोर, तारापुर ने स्टेनलेस स्टील के डबल माड्यूल फाइवग्लस बाक्सों के रु० 5 लाख 6 हजार का क्रयादेश किसी फर्म को दिया था;

(ख) क्या खरीद के बाद ये बक्से पावर रिएक्टर फ्यूएल रिप्रासेसिंग प्लांट के बाहर बिना प्रयोग में लाए पड़े रहे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। विद्युत रिएक्टर ईंधन पुर्नसंसाधन संयंत्र ने 5.06 लाख रुपए की लागत के स्टेनलेस स्टील से बने पांच डबल माड्यूल ग्लब बाक्सों के लिए क्रयादेश दिया था और वे जनवरी 1991 तक प्राप्त हो गए थे।

(ख) से (घ) ये ग्लव बाक्स विद्युत रिएक्टर पुनसंसाधन संयंत्र संबंधी मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के रूप में विशेष प्रकार के उपस्कर रखने के लिए थे। किसी काम कर रहे विकिरण सक्रिय संयंत्र में बेक-फिट

उपाय के रूप में ऐसे ग्लव बाक्सों की स्थापना करने के लिए विस्तृत तैयारियां करना और सुरक्षा अभिकरणों से आवश्यक अनुमति लेना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, यह कार्य केवल संयंत्र के बंद रहने की अवधि के दौरान ही किया जा सकता है ताकि संयंत्र के मुख्य कार्यों में कोई अवरोध न आए। समय बचाने की दृष्टि से इन सभी गतिविधियों के लिए कार्रवाई एक साथ प्रारम्भ की गई थी लेकिन ग्लव बाक्सों की सप्लाई उन्हें स्थापित करने के लिए की जाने वाली तैयारियां पूरी कर सकने से काफी पहले हो ही गई। ग्लव बाक्सों का उपयोग शीघ्र ही किया जाएगा।

[अनुवाद]

वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज

2602. **श्री मोहन रावले :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जुलाई, 1994 को पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक अधिकारी को कथित रूप से भारतीय सूत्र से वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज हासिल करते समय पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा दस्तावेजों की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी श्री मोहम्मद अफजल बाजवा को 11 जुलाई, 1994 को उस समय पकड़ा गया जब वे एक भारतीय से वर्गीकृत सामग्री प्राप्त कर रहे थे। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) वर्गीकृत सूचना/दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

राज्यों में जर्मन निवेश

2603. **डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने विदेशी निवेश सहयोग हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी ने राज्य सरकारों के सभी हिस्से दारों को एकल खिड़की सेवा लागू करने के लिए कहा है जिसमें सांविधिक मंजूरी और प्रशासनिक मंजूरी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के साथ सीधे बातचीत हेतु जर्मनी की मांग स्वीकार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्होंने किन परियोजनाओं में निवेश हेतु विशेष रूचि दिखाई हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इन्डो-जर्मन चैम्बर आफ कामर्स ने राज्य सरकारों के अनुमोदनों की गति में तीव्रता लाने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जर्मनी के चांसलर श्री कोल द्वारा हमारे प्रधान मंत्री को दिए गए ज्ञापन में जर्मनी ने यह सुझाव दिया है कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसके माध्यम से एक ही एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर सभी स्वीकृतियां दे दी जाएं।

(ग) श्री कोल के ज्ञापन का उत्तर देते समय केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने सिंगल विंडो एजेंसी की स्थापना पहले ही कर दी है जो सभी प्रकार की स्वीकृतियों का निपटान करती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जर्मनी के भारत में पूंजी निवेश के हाल में अनुमोदित प्रस्ताव मुख्यतया इंजीनियरिंग, सिरेमिक, रसायन, विद्युत जनित्रण और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए हैं।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

2604. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में प्रस्तावित कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के टूट गये गुबंद के पुनर्निर्माण के लिए नये सिरे से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कैगा यूनिट-1 के भीतरी संरोधक गुम्बद के पुनर्निर्माण जोकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा गुम्बद के एक हिस्से में खराबी आ जाने संबंधी जांच पूरा होने पर अनुमति दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा, के लिए नए सिरे से पर्यावरण संबंधी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(ग) से (ङ) यह परियोजना अभी भी निर्माणधीन अवस्था में है और कोई नाभिकीय ईंधन अथवा भारी पानी अभी तक उस स्थल पर स्थानांतरित नहीं किया गया है। अतः पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में व्यापक अध्ययन शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है।

केन्द्रीय भंडार

2605. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारों को कपड़ा धोने के साबुन की सप्लाई करने वाले कतिपय सप्लायरों ने 1994-95 बजट में शुल्क लगाने पर अपने उत्पादों की दरों में वृद्धि कर दी थी और बाद में इस वृद्धि को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान न तो इनमें से कुछ सप्लायरों के उत्पादों पर कोई कर लगाया गया था और न इनमें से कुछेक ने सरकार को उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दरों को बढ़ाने के क्या कारण थे ;

(ङ) ऐसे सप्लायरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या की जाएगी;

(च) क्या कपड़े धोने के साबुन और डिटरजेंटों के सप्लायरों को सप्लाई आदेश देने में भेदभाव किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार द्वारा इन सप्लायरों में से प्रत्येक को माहवार और उत्पादवार दिए गए सप्लाई आदेशों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) इस समय केन्द्रीय भण्डार में कपड़े धोने के साबुनों (लांडरी साबुन) के दो ब्राण्ड अनुमोदित किए गए हैं जो मोती सोप फैक्टरी तथा चरखा डिटर्जेंट एण्ड सोप एन्टरप्राइजेज (फरिश्ता साबुन) द्वारा बनाये जाते हैं। इन दोनों ब्राण्डों की सप्लाई करने वालों ने संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद मार्च, 1994 में अपने उत्पादों की दरें बढ़ा दी थी क्योंकि उक्त विधेयक में लांडरी साबुनों पर उत्पाद शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था और विद्युत सहायता के बिना बनाये गये कपड़े धोने के साबुनों पर उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली गई थी। सप्लाईकर्त्ताओं ने उक्त वृद्धि मई, 1994 में यह कहकर वापस ले ली कि उत्पाद शुल्क समाप्त हो गया है।

(ग) से (ङ) सप्लाईकर्त्ताओं के उत्पादों पर उनके द्वारा दिए जाने वाले कर तथा उत्पाद शुल्क के बारे में सुचना केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध नहीं है। फिर भी केन्द्रीय भण्डार ने इन सप्लाईकर्त्ताओं को पहले ही इस बात की पुष्टि करने को कहा है कि क्या उन्होंने केन्द्रीय भण्डार को दिए गए कपड़े धोने के साबुनों की सप्लाई के लिएं किसी उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। केन्द्रीय भण्डार ने इन सप्लाईकर्त्ताओं को यह भी बताया है कि यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो ऐसे शुल्क के कारण लिए गए अधिक मूल्य के लिए वे जमा पत्र (क्रेडिट नोट) देंगे।

(च) तथा (छ) जी, नहीं। फिर भी सप्लाई आदेशों की मात्रा भण्डारों की आवश्यकता तथा स्टाक में उपलब्ध मान के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

(ज) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान की गई खरीद के ब्यौरे विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

कपड़े धोने का साबुन

निर्माता मैसर्ज, चरखा डिटरजैन्ट एंड सोप इन्टरप्राइजेज

आपूर्तिकर्त्ता मैसर्ज, मित्तल एन्टरप्राइजेज
(अप्रैल, 93 में शुरू)

ब्राण्ड फरिश्ता

माह	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)
	1992-93		1993-94		1994-95	
अप्रैल	–		4,000	0.52	6,500	0.87
मई	–		–	–	–	–
जून	–		3,750	0.48	8,200	1.04
जुलाई	–		3,500	0.45		
अगस्त	–		4,000	0.52		
सितम्बर	–		1,000	0.13		
अक्तूबर	–		4,500	0.58		
नवम्बर	–		2,500	0.32		
दिसम्बर	–		3,750	0.48		
जनवरी	–		3,500	0.45		
फरवरी	–		7,950	1.00		
मार्च	–		–	–		

विवरण-II

कपड़े धोने का साबुन

निर्माता	मैसर्ज, मोती सोप फैक्ट्री
आपूर्तिकर्त्ता	मैसर्ज, मोती सोप फैक्ट्री निर्माता सीधे ही सप्लाई करता है।
ब्राण्ड	मोती 255 स्पेशल

माह	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)
	1992-93		1993-94		1994-95	
अप्रैल	14,885	1.92	23,650	2.85	19,650	2.48
मई	22,200	2.87	22,100	2.71	22,100	2.59
जून	16,220	2.10	20,500	2.48	18,000	2.26
जुलाई	22,800	2.95	33,050	4.00		
अगस्त	22,600	2.92	20,000	2.42		
सितम्बर	21,800	2.82	19.150	2.31		
अक्तूबर	20,300	2.62	22,900	2.77		
नवम्बर	18,270	2.36	18,900	2.28		
दिसम्बर	19,300	2.49	20,250	2.48		
जनवरी	19,150	2.47	21,900	2.73		
फरवरी	--	--	24,650	3.08		
मार्च	--	--	3,900	0.48		

विवरण-III

कपड़े धोने का साबुन

निर्माता मैसर्ज जनता सोप फैक्ट्री

आपूर्तिकर्त्ता उपरोक्त

ब्राण्ड टेलीफोन

माह	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)
	1992-93		1993-94		1994-95	
अप्रैल	--	--	2,050	0.24	--	--
मई	--	--	--	--	--	--
जून	--	--	--	--	--	--
जुलाई	--	--	2,150	0.29		
अगस्त	5,000	0.64	--	--		
सितम्बर	--	--	--	--		
अक्तूबर	--	--	--	--		
नवम्बर	4,500	0.57	--	--		
दिसम्बर	4,150	0.53	--	--		
जनवरी	--	--	--	--		
फरवरी	--	--	--	--		
मार्च	2,150	0.31	--	--		

शहरी आधारमत योजनाएं

2606. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **शहरी विकास मंत्री.**यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी विकास मंत्रियों की सरकारी और गैर सरकारी भागीदारी से व्यापक शहरी आधारभूत योजनाओं और नागरिक सेवाओं के लिए वित्त पोषण के नए उपायों का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के उद्देश्य क्या थे और इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केन्द्रीय स्थानीय शासन तथा नगर विकास परिषद की 25 वीं बैठक 7 मई, 1994 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के स्थानीय स्वायत्त शासन के कुछ प्रभारी मंत्रियों तथा अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74 वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में पारित किए गए संकल्पों में से एक, शहरी अवस्थापना से संबंधित था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि पूंजी बाजार, पालिका विकास बाण्डों, इत्यादि की सुलभता तथा निजी क्षेत्र के निवेशकर्त्ताओं के लिए प्रोत्साहन पैकेज द्वारा सार्वजनिक तथा निजी सहयोग से शहरी अवस्थापना के वित्तपोषण से संबंधित नए उपायों का पता लगाया जाए। परिषद ने शहरी विकास के विभिन्न पक्षों जैसे शहरी स्थानीय निकायों का वित्त-पोषण, शहरी परिवहन, छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास (आई०डी०एस०एम०टी०), शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं इत्यादि का पुनरालोकन भी किया।

(ग) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के संदर्भ में शहरी क्षेत्र सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में कुछ राज्य सरकारों के प्रभारी मत्रियों की एक समिति गठित की जाये। इस समिति की सहायता एक जांच (स्टीयरिंग) समिति द्वारा की जाएगी जिसमें विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारी तथा तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

[हिन्दी]

कोर्ट बिल्डिंग

2607. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए वित्तीय सहायताओं का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा चालू वित्त वर्ष में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा आयोजित स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम का उपबंध किया गया था। 24.48 करोड़ रुपए (राज्यों/सघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित रकम की लगभग 50% रकम) की पहली किस्त उन्हें पहले ही जारी कर दी गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई रकम के ब्यौरे सलंग्न विवरण में

दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान (आज तक) जारी की गई रकम (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	189.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.0
3.	असम	67.0
4.	बिहार	147.0
5.	गोवा	17.0
6.	गुजरात	85.0
7.	हरियाणा	40.0
8.	हिमाचल प्रदेश	17.0
9.	जम्मू-कश्मीर	17.0
10.	कर्नाटक	123.0
11.	केरल	82.0
12.	मध्य प्रदेश	151.0
13.	महाराष्ट्र	162.0
14.	मणिपुर	17.0
15.	मिजोरम	17.0
16.	मेघालय	17.0
17.	उड़ीसा	96.0
18.	पंजाब	43.0
19.	राजस्थान	116.0
20.	सिक्किम	कुछ नहीं
21.	नागालैंड	17.0

22.	तमिलनाडु	163.0
1	2	3
23.	त्रिपुरा	17.0
24.	उत्तर प्रदेश	362.0
25.	पश्चिम बंगाल	243.0
	संघ राज्यक्षेत्र	
26.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.0
27.	चंडीगढ़	12.0
28.	दिल्ली	167.0
29.	दादरा और नागर हवेली	7.0
30.	दमन और द्वीव	7.0
31.	लक्षद्वीप	7.0
32.	पांडिचेरी	17.0
	योग	2418.0

बेरोजगार ग्रामीण युक्क

2608. **श्री एन०जे० राठवा :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार दिया गया, उनकी संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य में जुलाई, 1993 के बाद से बेरोजगार ग्रामीण युवकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान सृर्जित अतिरिक्त रोजगार अवसरों के अनुमान राज्यवार अथवा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रवार नहीं किए जाते हैं। जुलाई, 1993 के बाद गुजरात में ग्रामीण रोजगार में वृद्धि के अनुमान भी नहीं किए गए हैं।

(घ) समग्र ग्रामीण रोजगार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रमुख ग्रामीण रोजगार स्कीमों में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों सलंग्न विवरणों-I,II और III में दी गई हैं।

(ङ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (बि०आर०वाई०) के लिए आठवीं योजना आबंटन का केन्द्रीय हिस्सा क्रमशः 3350 करोड़ रुपये तथा 18400 करोड़ रुपये है। राज्यवार आवंटन वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर केवल वार्षिक योजनाओं में ही किए जाते हैं। रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई है। यह एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है तथा राज्यों को निधियां वर्ष प्रति-वर्ष आधार पर दी जाती हैं।

विवरण-I

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां-सहायता दिये गये परिवार

(परिवारों की सं०)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	165680	222842	138079	179038	204024	259697
2.	अरुणाचल प्रदेश	15022	10888	12519	13642	16630	7314
3.	असम	45249	46116	37711	40204	67158	63031
4.	बिहार	331578	336972	276337	261252	390585	335908
5.	गोआ	3129	2989	2608	2456	3446	3452
6.	गुजरात	68227	72326	56861	61842	74909	79725
7.	हरियाणा	16326	21756	13606	23349	17989	31026
8.	हिमाचल प्रदेश	5845	11819	4871	6956	5863	9244
9.	जम्मू व कश्मीर	8163	13581	6803	7331	11193	4906
10.	कर्नाटक	103701	108841	86425	103856	136981	132861
11.	केरल	56335	57562	46950	50517	49836	53698
12.	मध्य प्रदेश	219698	294810	183097	184083	258521	240178
13.	महाराष्ट्र	177472	197967	147906	177651	222394	217671

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	1310	4908	1092	3158	4848	6333
15.	मेघालय	3930	2874	3275	3011	4655	2635
16.	मिजोरम	6259	2811	5216	3474	6971	4684
17.	नागालैण्ड	6572	5442	5477	3996	7273	5489
18.	उड़ीसा	108589	111712	90457	93226	165479	160000
19.	पंजाब	13806	27453	11507	25248	12792	33736
20.	राजस्थान	105818	131986	88189	101366	107400	116567
21.	सिक्किम	1251	1610	1043	1142	1352	1218
22.	तमिलनाडु	148749	161603	123969	141987	184136	214888
23.	त्रिपुरा	4635	16343	3863	11414	15000	16017
24.	उत्तर प्रदेश	413427	462259	369554	387961	416354	415103
25.	पश्चिम बंगाल	185332	201476	154457	171695	182836	76925
26.	अंड०व निको० द्वीपसमूह	1564	1502	1304	895	1726	1171
27.	चण्डीगढ़	--	--	--	--	--	--
28.	दादरा और नगर हवेली	312	313	261	300	372	372
29.	दिल्ली	1564	550	--	524	690	507
30.	दमन और द्वीव	625	482	522	--	--	--
31.	लक्षद्वीप	150	124	133	156	159	81
32.	पाण्डिचेरी	1251	1343	1043	1043	1407	1457
	अखिल भारत	2251519	2536566	1875135	2068773	2573279	2529494

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना-वास्तविक उपलब्धि

(लाख मानक दिवस)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94 (पलही चाल)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	698.88	680.41	659.76	677.93	1025.61	903.06

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.47	6.57	10.01	6.52	10.01	4.85
3.	असम	100.94	124.02	119.72	109.72	228.90	278.24
4.	बिहार	893.77	836.73	937.94	1036.16	1467.71	1321.04
5.	गोआ	10.96	9.56	8.36	8.12	10.12	8.53
6.	गुजरात	244.25	254.13	296.73	235.03	211.40	210.55
7.	हरियाणा	37.67	37.49	33.71	32.63	38.64	33.29
8.	हिमाचल प्रदेश	30.47	34.16	29.77	26.16	33.73	34.54
9.	जम्मू व कश्मीर	95.88	60.37	62.87	43.01	72.75	12.92
10.	कर्नाटक	418.36	401.64	441.08	418.29	718.01	588.64
11.	केरल	138.98	177.08	138.63	134.54	133.47	120.43
12.	मध्य प्रदेश	812.43	945.39	643.77	709.66	766.00	769.25
13.	महाराष्ट्र	654.72	771.64	838.77	823.53	1378.27	1129.94
14.	मणिपुर	3.87	5.11	9.84	5.23	14.84	6.68
15.	मेघालय	23.07	12.02	11.61	8.90	16.89	8.09
16.	मिजोरम	3.71	5.95	4.37	4.78	5.24	6.32
17.	नागालैण्ड	21.71	27.92	20.74	15.47	14.74	11.15
18.	उड़ीसा	300.09	348.86	306.52	326.39	557.70	479.07
19.	पंजाब	29.42	19.76	24.67	31.78	29.93	38.57
20.	राजस्थान	242.64	387.63	340.62	339.09	426.66	403.13
21.	सिक्किम	9.58	13.62	6.66	13.42	8.19	10.14
22.	तमिलनाडु	521.03	831.73	671.94	767.86	853.62	855.02
23.	त्रिपुरा	19.02	20.71	18.10	13.94	22.04	23.41
24.	उत्तर प्रदेश	1472.69	1562.14	1389.00	1496.29	1779.57	1739.18
25.	पश्चिम बंगाल	544.08	491.99	557.24	525.55	563.81	495.18
26.	अंड० व निको० द्वीपसमूह	2.68	2.18	4.47	1.71	3.27	1.81
27.	दादरा और नगर हवेली	3.51	3.94	3.55	2.70	2.73	2.34

28.	दमन और द्वीव	1.45	0.88	1.63	0.12	1.63	0.59
29.	लक्षद्वीप	2.64	2.23	2.55	2.68	2.62	2.21
30.	पाण्डिचेरी	3.37	5.20	3.32	3.81	5.16	4.27
अखिल भारत		7351.34	8081.06	7537.95	7821.02	10383.26	9502.44

27-5-1994 के अनुसार

जवाहर रोजगार योजना (दूसरी चाल)

(वास्तविक उपलब्धि)

(लाख मानवदिवस)

क्र०सं०	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि 1993-94 (अनंतिम)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	--
3.	असम	--
4.	बिहार	153.21
5.	गोआ	--
6.	गुजरात	22.09
7.	हरियाणा	--
8.	हिमाचल प्रदेश	--
9.	जम्मू व कश्मीर	3.44
10.	कर्नाटक	62.66
11.	केरल	--
12.	मध्य प्रदेश	NR
13.	महाराष्ट्र	58.56
14.	मणिपुर	--
15.	मेघालय	--

1	2	3
16.	मिजोरम	--
17.	नागालैंड	--
18.	उड़ीसा	43.89
19.	पंजाब	--
20.	राजस्थान	47.24
21.	सिक्किम	--
22.	तमिलनाडु	26.08
23.	त्रिपुरा	--
24.	उत्तर प्रदेश	51.98
25.	पश्चिम बंगाल	38.38
26.	अंड० व निको० द्वीपसमूह	--
27.	चंडीगढ़	--
28.	दादर व नगर हवेली	--
29.	दमन व द्वीव	--
30.	दिल्ली	--
31.	लक्षद्वीप	--
32.	पांडिचेरी	--
	अखिल भारतीय	556.12

27.5.94 के अनुसार

विवरण-III

रोजगार आश्वासन स्कीम (वास्तविक उपलब्धि)

क्र०सं०	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 सृजित रोजगार (कार्य दिवस लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.12

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.64
3.	असम	31.75
4.	बिहार	31.44
5.	गोआ	--
6.	गुजरात	6.75
7.	हरियाणा	15.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0.05
9.	जम्मू व कश्मीर	3.46
10.	कर्नाटक	32.12
11.	केरल	2.60
12.	मध्य प्रदेश	51.26
13.	महाराष्ट्र	31.53
14.	मणिपुर	NR
15.	मेघालय	NIL
16.	मिजोरम	1.04
17.	नागालैंड	33.92
18.	उड़ीसा	31.43
19.	पंजाब	--
20.	राजस्थान	50.00
21.	सिक्किम	0.82
22.	तमिलनाडु	10.96
23.	त्रिपुरा	16.14
24.	उत्तर प्रदेश	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	52.53
26.	अंड० व निको० द्वीपसमूह	0.10
27.	चंडीगढ़	--

1	2	3
28.	दादर और नगर हवेली	0.04
29.	दिल्ली	NIL
30.	अंडमान और द्वीव	--
31.	लक्षद्वीप	NIL
32.	पांडिचेरी	--
	अखिल भारतीय	481.20

एन आर :

बताया नहीं गया।

[अनुवाद]

द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों की समस्याएं

2609. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० मुरलीधरन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास द्वितीय विश्व युद्ध के कितने वयोवृद्ध सेनानियों के पेंशन के मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए किस तिथि को समिति नियुक्त की गई थी;

(ग) क्या समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्व-युद्ध के सैनिकों ने पेंशन पाने के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है और कार्य-मुक्त करते समय उन्हें सेवा-उपदान का भुगतान कर दिया गया था। वे किसी भी प्रकार की पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं।

(ख) से (ङ) तथापि, प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्ध के सेनानियों के पेंशन के लिए बार-बार प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों तथा उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें समुचित राहत दिए जाने से संबंधित मांग पर विचार करने तथा उन पर अपनी संस्तुति देने के लिए 9 जुलाई, 1992 को एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विश्व-युद्ध के सेनानियों को पेंशन देने के लिए सिफारिश नहीं की

है। तथापि, उक्त समिति ने केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है।

आई०एस०ओ० 9000 का प्रमाणीकरण

2611. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन उद्योगों को आई०एस०ओ०-9000 सीरीज प्रमाणन प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्यवार कितने उद्योग उक्त प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की ओर से इन उद्योगों को क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है/हो रहा है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) गुणवत्ता पद्धति के लिए आई०एस०ओ०-9000 प्रमाणन प्राप्त करना एक स्वैच्छिक कार्य है तथा भारतीय एवं विदेशी दोनों ऐसे कई अभिकरण हैं जो ऐसे प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं। मानकों की आई०एस०ओ०-9000 श्रृंखला के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाले एककों की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि ऐसे प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाला एक अभिकरण है, ने मानकों को आई०एस०ओ०-9000 श्रृंखला के तहत 71 संगठनों को प्रमाणन प्रदान किया है। इस समय भारतीय मानक ब्यूरो के पास ऐसे प्रमाण-पत्र देने संबंधी 25 अनुरोध लंबित पड़े हैं।

(ग) गुणवत्ता प्रमाणन धारक, चालू आयात-निर्यात नीति 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1994) के तहत कार्य पद्धति पुस्तिका के परिशिष्ट 35 में विनिर्दिष्ट मदों के आयात हेतु हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस देने का पात्र हो जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में विकास योजनाएं

2612. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बंजर भूमि विकास योजना शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य की परती भूमि अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में वानिकी तथा अम्ल युक्त भूमि विकास करने के लिये भी कोई योजना बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिये चुने गये जिलों के परियोजना-वार नाम क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी हैक्टेयर भूमि शामिल की जायेगी;

(ङ) ये योजनाएं कब से लागू की जायेंगी; और

(च) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ होगा ?

(ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा संयंत्र का निर्यात

2613. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के कपड़ा मशीनरी उद्योग में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान इस उद्योग में पूंजी निवेश की आंकलित राशि क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए कपड़ा मशीनरी उद्योग में निम्नलिखित पूंजी निवेश किया गया था :—

निवेश वर्ष	राशि (रु० करोड़ में)
1991-92	56.22
1992-93	88.53
1993-94	96.15

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

2614. **डा० साक्षीजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार उन भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देती है जिन्हें विश्व युद्ध के दौरान शौर्य पुरस्कार मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी मासिक पेंशन दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी पेंशन राशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी,नहीं।

(ख) से (ङ) लागू नहीं होता।

12.00 मध्याह्न

अनुवाद

* **श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : भारत में अधिकांशतः कॉफी उत्पादक छोटे किसान ही हैं। कॉफी के बगीचों में से 95% बगीचों के ये लोग ही मालिक है। इन लोगों की अच्छी आर्थिक स्थिति हमारे देश की प्रगति का एक मानक है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके निर्यात पर लगाए गए शुल्क से उसके उत्पादन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इस कदम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की बढ़ी हुई कीमतों के कारण केवल काफी उत्पादकों को ही लाभ होगा। इससे केवल उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही सहायता मिलेगी जो कि इस्टेट कॉफी में उत्पादन और वितरण कार्य में लगी हुई हैं।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि कॉफी के निर्यात पर जो शुल्क लगाया जा रहा है उसे हटाया जाए।

12.01 म० प०

की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के मामले पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा सभा का बहिष्कार

श्री० ई० अहमद (मंजेरी) : यह सभी सदस्यों के लिए खेद की बात है कि विपक्ष अभी भी सभा का बहिष्कार कर रहा है। मैं, इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री या सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार तथा विपक्ष के बीच कोई वार्ता हो रही है। क्या सरकार द्वारा विपक्ष के विचारार्थ कोई ठोस प्रस्ताव रखे गए हैं या उनके बीच आपस में कोई चर्चा हो रही है? मैं जानता हूं कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके बारे में सभा को भी सूचित किया जाए क्योंकि राष्ट्रीय मामलों, जैसे आवास नीति, चीनी नीति और कुछ अन्य नीतियों पर सभा में विचार विमर्श किया जाएगा अतः संसदीय प्रजातंत्र में सार्थक वार्ता तथा चर्चा हेतु, विपक्ष का होना अत्यावश्यक है।

क्या सरकार ने कोई प्रस्ताव तैयार किया है? क्या इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है?

श्री० पी० जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : विपक्ष दो सप्ताह से संसदीय कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है। यह बड़ी असाधारण स्थिति है। भारतीय संसद के इतिहास में सम्भवतः ऐसा पहली बार हुआ है जबकि विपक्षी दलों ने इतनी लम्बी अवधि के लिए बहिष्कार किया है।

जब सभा में महत्वपूर्ण मामलों नीतियों पर चर्चा की जा रही हो तो विपक्ष को सभा में उपस्थित रहना चाहिए। आज की कार्यसूची में आवास नीति पर चर्चा की जानी है। सभा में कृषि नीति तथा संस्कृति नीति पर भी चर्चा की जायेगी। अतः उस अवसर पर सभा में विपक्ष का रहना जरूरी है। विपक्षी दलों की मांग की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

सरकार जो भी करने वाली है, उसके बारे में उसे बताना चाहिए। क्या वे ऐसी स्थिति को बने रहने देंगे या फिर सभा में स्थिति सामान्य करने के लिए कोई नए प्रयास करेगी?

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं, इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में अरुचि व्यक्त नहीं कर रही है बल्कि भरपूर रुचि ले रही है ताकि इस बारे में कोई न कोई निर्णय अवश्य लिया जा सके, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में कई बार चर्चा हुई है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इस संबंध में पहल की है परन्तु अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

सरकार द्वारा कई विकल्प रखे गए, जिसमें कुछ समय के लिए प्रतिवेदन को लंबित भी किया गया ताकि इसके फलस्वरूप विपक्षी दल चर्चा हेतु सामने आए परन्तु इसके बावजूद भी इसके बारे में एक आम राय नहीं बन पायी।

हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक और सुझाव इस मामले को मध्यस्थता हेतु माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा को भेजे जाने के संबंध में आया है। अब कई विकल्प है जिन पर विचार किया जाना है।

सरकार एक और पहल कर सकती है और वह यह है कि सरकार विपक्ष को अथवा विपक्षी दलों अथवा समूहों के नेताओं को इस संबंध में चर्चा करने हेतु बुला सकती है मेरे विचार से यही मार्ग रह गया है क्योंकि अभी तक जो भी चर्चा हुई है वह सरकार की पहल पर नहीं हुई। अतः यदि सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के लिए पहल करती है तो मेरे विचार से एक बेहतर निष्कर्ष निकल सकता है।

हम सभी लोग चिन्तित हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बारे में पूरी सभा चिन्तित होगी। इस मामले को और आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए अतः मैं सुझाव देता हूं तथा सरकार, प्रधान मंत्री महोदय, तथा विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सामने आएं तथा उनके जो भी मतभेद है उन्हें राष्ट्र के हित में, देश तथा संसद के समक्ष जो समस्याए आ रही हैं, उनके हित में भूल जाएं तथा एक निर्णय पर पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तरी बिहार के कुछ तथ्यों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तरी बिहार में खासकर खगरिया जिले तथा अनेक जिलों में बाढ़ का भयानक प्रकोप है और भयानक हैजा फैला हुआ है। कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, न ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था है, न दवाओं की व्यवस्था है, यहां तक कि बैड़ेज लगाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार दीवालिया हो चुकी है। वहां पर लोग मर रहे हैं, बाढ़ का भयानक प्रकोप है। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें, ताकि सरकार बिहार के लोगों की सहायता हेतु कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री० ई० अहमद : महोदय, जो कुछ हमने कहा है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से अथवा किसी और से, पूछने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वह सारा राष्ट्र जानता है। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है। कृपया सरकार अपने विचार प्रस्तुत करें क्योंकि उनके पास भी कई सुझाव होंगे। यह सदैव बेहतर तथा वाक्षानीय होता है कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही

है अथवा पहले से ही कर चुकी है, इस बारे में कुछ कहें। मेरे विचार से सभा के माननीय सदस्यों को इस बारे में जानकारी रहनी चाहिए।

श्री पी० सी० थामस : वास्तव में हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे। बहरहाल हमें आशा है कि इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री महोदय उत्तर देंगे तथा मामले को निपटाने हेतु सरकार की ओर से आगे सुझाव भी आएंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, सर्व प्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि इस स्थिति का समाधान ढूंढने तथा सभा की कार्यवाही में विपक्ष उपस्थिति हो सके इसके लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसके लिए हम सभी आभारी हैं।

महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि हम सभी की बात सुनने के लिए तैयार हैं तथा आपके सभापतित्व में हुई कई बैठकों में हमने बार-बार यही कहा कि हम सबके विचार जानना चाहते हैं। यदि किसी बात पर असहमति है तो हमने बार-बार कहा है कि उन मामलों पर चर्चा की जाए ताकि यदि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में कुछ विवादास्पद मामले हैं तो उन मामलों में चाहे वे जो भी हो, उन्हें संशोधित अथवा संवर्द्धित किया जा सके।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजतक इस मामले का समाधान नहीं हो पाया है लेकिन हमारी धारणा है कि संसदीय प्रणाली के कार्यकरण में विपक्षी सदस्यों की भगीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने हमेशा चर्चा में भाग लिया है और हमने बार-बार यही कहा है कि जिस सुझाव से समाधान सम्भव है, उसका स्वागत करते हैं।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, उदारमति से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उदारमति पहले भी थी और इसकी घोषणा पहले भी की गई थी। हम विशेषरूप से यह जानना चाहते है क्या सरकार कोई पहल करेगी और क्या सरकार सभी सम्बन्धित दलों का सम्मेलन बुलाएगी। मैं समझता हूं इस समय इसी के बारे में विचार करना होगा।

अभी तक सरकार ने सभी दलों का सम्मेलन नहीं आयोजित किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार सभी दलों के ऐसे किसी सम्मेलन को बुलाने के लिए प्रयास करे ताकि कोई समझौता हो सके।

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है उस पर मेरा एक निवेदन है उनका कहना है कि सरकार उदार मन से सुझावों का स्वागत करती है। इस बारे में कई सिफारिशें की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी कई सिफारिशें की गई थीं। मैं इस मामले पर सरकार के प्रस्तावों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या इस बारे में सरकार के कोई प्रस्ताव हैं और क्या उन प्रस्तावों पर विपक्ष द्वारा किसी आपत्ति को दर्शाया गया हैं .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, दोनों पक्षों के प्रस्तावों पर जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक इस पर यहां चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर होगा। अतः उनको सदन से बाहर उस पर विचार विमर्श करने दीजिए।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं अब उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो सदन को इस बारे में सूचित किया जाए।

महोदय, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का इस मामले में सरकार पर बहुत भारी उत्तरदायित्व हैं। हालांकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने गतिरोध का समाधान करने में पहल की है, फिर भी मैं इस मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं। सरकार राष्ट्र के साथ-साथ इस सदन के प्रति भी जवाबदेह है सरकार को इस मामले में किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों के बारे में बताना चाहिए और यह भी बताए कि क्या सरकार सभी दलों की बैठक में उन प्रस्तावों पर चर्चा करना चाहेगी। सरकार को यह अवश्य बताना चाहिए कि क्या उन्होंने विपक्ष के सम्मुख किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बैठकों में दोनों ओर से आए हुए प्रस्तावों पर चर्चा होने दीजिए। यदि वह उन पर सहमत होंगे तो उन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप सभा पटल पर कोई सुझाव रखेंगे तो उसमें समझौता होने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मामला उठाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है।

12.12 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत बड़ा प्रांत है। उच्च-न्यायालय इलाहाबाद में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15-20 जिलों से वह स्थान बहुत दूर पड़ता है और कुछ जिलों से कई किलोमीटर दूर पड़ता है। 1980 में श्री बनारसीदास की सरकार ने केन्द्र के पास यह प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने और यहां की जनता ने आंदोलन चलाया और सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। केन्द्र सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया था कि यहां पर खंडपीठ की स्थापना जरूरी है चूंकि यहां के जिले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बहुत दूर पड़ते हैं और यहां के लोगों को बस और ट्रेन से इलाहाबाद पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार यह कहती है कि हम हर व्यक्ति को सस्ता न्याय देते हैं तो इससे यह जाहिर हो जाता है कि यहां के लोगों को कितना कष्ट हो रहा है तब भी कोई परवाह नहीं की जा रही है। कई बार प्रस्ताव केन्द्र के पास आ चुका है। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है और यहां के वकील भी वहां बहुत कम है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ बहुत जरूरी है यहां के लोग इसको और बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इस मांग को सरकार मंजूर करें और यहां पर खंडपीठ की स्थापना की जाए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर विधि मंत्री बैठे हैं तो वे इस बारे में बता सकते हैं। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार में लंबित है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी मांग है। 1980 से इस सदन में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव, यदि आप किसी विशेष प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। कृपया आप उसी प्रक्रिया के अनुसार चलिए। उस पर इस सदन में चर्चा होने दीजिए और फिर आपको जवाब मिल जाएगा। यह शून्य काल है और हमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : विधि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार में लम्बित है मैं उससे सहमत नहीं हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मेरी बारी का क्या होगा, महोदय ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैने आपका नाम नहीं पुकारा है। हमें इसे 12.30 बजे तक समाप्त करना है अतः आपने सहयोग की नितान्त आवश्यकता है। श्री आर० अन्वारासु, आप बोलिये। आपके तो छुट्टी पर होने की आशा की क्योंकि अभी हाल ही में आपका विवाह हुआ है।

श्री आर० अन्वारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम में लगभग अस्सी हजार एफ० सी० आई० के कर्मचारी कार्यरत हैं। उनमें से अधिकतर ठेके के मजदूर हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं के अर्न्तगत पूरे देश में एफ० सी० आई० के सभी डिपो में ठेका श्रमिकों को भर्ती करने पर पाबन्दी लगा दी हैं लेकिन प्रबन्ध मंडल इन संविधिक अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं कर रहा है और इन डिपो में ठेका मजदूरों की भर्ती अभी भी जारी है। ठेका मजदूरों की भर्ती पर पाबंदी वाली अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन से बनाने के लिए अधिकतर डिपुओं को बन्द कर दिया गया है।

महोदय, विशेषकर केरल में, ठेका मजदूरों के एफ० सी० आई० प्रबन्ध के खिलाफ एक विशाल प्रर्दशन किया था। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत बन्दी बनाया गया। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि उनकी समस्या सुलझाने के बजाय इन निर्दोष श्रमिकों के खिलाफ इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब ब्यौरों की आवश्यकता नहीं है आपका उद्देश्य इस मामले को सरकार के ध्यान में लाना है।

श्री आर० अन्वारासु : यह ठीक है महोदय, एफ० सी० आई० कर्मचारी संघ ने एफ० सी० आई० प्रबंध के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है और एफ० सी० आई० श्रमिक संघ और प्रबन्ध

के मध्य हुए समझौते की शर्तों को अभी तक लागू नहीं किया गया है और इसलिए, महोदय, दक्षिण में सभी डिपुओं के बन्द होने का खतरा है। एफ० सी० आई० के प्रबन्धकों इस समस्या को और अधिक जटिल बनाया जा रहा है अतः मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वह इस समस्या को सुलझाने हेतु तुरन्त कदम उठाए तथा प्रबन्ध और श्रमिक संघ के बीच हुए समझौते को तुरन्त लागू करवाएं।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, बम विस्फोट की मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी द्वारा कई महत्वपूर्ण आन्दोलित तथ्यों का पता चला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एफ० सी० आई० के बारे में ही कुछ कहने के लिए अपना नाम दिया था।

श्री पी० सी० थामस : मैंने इस विषय के बारे में बोलने के लिए भी अपना नाम दिया था जोकि अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप एफ० सी० आई० के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस : एफ० सी० आई० के सभी संघों के साथ एफ० सी० आई० कर्मचारी संघ एक परिसंघ बना लिया है और उन्होंने हड़ताल का नोटिस दे दिया है उन्होंने इसके मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्मुख पहले से ही धरना देना आरम्भ कर दिया है और यह 8 तारीख से तब तक जारी रहेगा जब तक मामला सुलझा नहीं लिया जाता। वे 11 और 12 अगस्त को हड़ताल करने वाले हैं जिसके पश्चात् 13 से 15 अगस्त की तीन छुट्टियां हैं। यदि इस प्रकार हुआ तो पूरी की पूरी वितरण प्रणाली प्रभावित होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इन से बातचीत करें और शीघ्रतिशीघ्र मामले का निपटान करें।

श्रीमती कमला कुमारी करेद्धुला (भद्राचलम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम चुनावक्षेत्र के गांवों के लोग लम्बे अरसे से जिस समस्या को झेल रहे हैं वह है पीने के पानी की विकट समस्या। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। जनजाति विकास और अन्य सम्बंधित कार्यक्रमों से अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है । जैसाकि यह क्षेत्र कोयला उत्पादन करने वाले शुष्क क्षेत्र में है नलकूप और अन्य पम्प वगैरह लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में सहायक नहीं होंगे।

यह बात व्यंग्यात्मक प्रतीत होगी कि गोदावरी जैसी बारहमासी नदी इस क्षेत्र के नजदीक बह रही है और इस का पानी भद्राचलम निर्वाचन क्षेत्र के पानी की कमी वाले गांवों तक नहीं पहुंचाया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस उद्देश्य हेतु शीघ्र ही एक कार्यक्रम बनाया जाए और इस क्षेत्र में ग्रसित लोगों की पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करायें।

श्री श्रवणकुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जबलपुर और कटनी जैसे कुछ शहरों में पिछले 3-4 महीनों से टेलीफोन व्यवस्था बुरी तरह अनियमित हो गई है।

हाल ही में यह व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और अधिकतर टेलीफोन ज्यादातर खराब रहते हैं। समाचारों में यह भरा पड़ा है कि विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जबलपुर के निवासियों के बीच यह धारणा है कि यदि टेलीफोन निष्क्रय है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनके टेलीफोन बिल का भुगतान नहीं किया गया है इसके मुख्य अपराधी लाइनमैन और तकनीकी कर्मचारी है जो उच्च अधिकारियों की मिलीभगत में कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण जबलपुर की हालात भी इसी प्रकार की है और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन पूरी तरह खराब है। वहां के लोगों और प्रेस ने विभागीय जांच के लिए बार-बार मांग की है मेरा सरकार से निवेदन है कि विभागीय जांच कराई जाए और परिस्थितियों को ठीक किया जाए।

श्री पाला के एम० मैथ्यू (इदुक्की) : मैं संक्षेप में एक अविलम्बनीय और अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसने दक्षिण भारत के लोगों में मुख्यतः केरल और विशेष रूप से इदुक्की में उत्तेजना फैला दी है। चाय के मूल्य में हुई भारी गिरावट ने इदुक्की जिले के छोटे चाय उत्पादकों को बुरी तरह प्रभावित किया है जिसमें 40,000 से अधिक स्थायी और अर्धस्थायी श्रमिक कार्यरत हैं। कुछ चाय बागानों के मालिकों को छोड़कर अधिकतर उत्पादन छोटे किसान हैं। समस्या इतनी गंम्भीर है कि इन छोटे उत्पादनों ने चाय पत्तियां तोड़नी बन्द कर दी हैं क्योंकि फसल की लागत चाय की विक्री से प्राप्त होने वालें मूल्य से अधिक है। पिछले तीन महीने के दौरान इतना औसत मूल्य केवल 26 रु० था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मूल्य 43 रु० के आसपास था। उत्पादन लागत 37 रु० के आसपास पड़ता है। यदि हालात इसी प्रकार जारी रहे तो बड़े चाय बागानों के मालिक काम छोड़ देंगे और छोटे किसान चाय पत्ती तोड़ना बन्द कर देंगे और वे पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। रूस और अन्य पारम्परिक चाय आयातकों द्वारा चाय खरीदने में असफल होना ही मूल्य गिरावट का मुख्य कारण है।

मेरा वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्र कदम उठाए। एक कदम जिसे वाणिज्य मंत्रालय उठा सकता है कि हमारे ऋण का भुगतान रु० में करने की व्यवस्था हो और इसे सूची में भी शामिल किया जाये।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसमें हस्ताक्षेप करें और उद्योग वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालयों को भी कुछ निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कोसी प्रमण्डल अन्तर्गत बख्तियारपुर से बिहारीगंज तक का रेल मार्ग तत्कालीन रेल मंत्री स्व० ललित नारायण मिश्रा ने स्वीकृत किया था। यह रेल मार्ग मधेपुरा और पूर्णिया की ओर जाता है। किसी कारणवश अभी तक यह निर्माण कार्य लम्बित है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में शीघ्रतिशीघ्र इस रेल लाईन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाये।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, पिछले सत्र के दौरान इस सदन ने सर्वसम्मति

से मेरे चुनाव क्षेत्र फूलबनी में साम्प्रदायिक झगड़े की पूर्व संध्या में स्थिति की गम्भीरता और विकटता के सन्दर्भ में समर्थन का प्रस्ताव पारित किया था। माननीय गृह मन्त्री ने भी वक्तव्य दिया था कि वे राज्य सरकार से वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे और इस विषय में हम वक्तव्य देंगे। जैसाकि मेरे क्षेत्र में शीन्ति भंग होने की पूरी सम्भावना और आशंका है मेरा निवेदन है कि हमें स्थिति को विगड़ने से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि महोदय, सदन की मांग की प्रतिक्रिया में आप सरकार को निदेश जारी करेंगे।

डा० विश्वनाथम कैनिथी (श्री काकुलम) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

भारत के इतिहास के कालवर्त्त में आज का दिन महत्वंपूर्ण है क्योंकि यह वराहगिरि वेंकटगिरि के जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को बरहामपुर तत्कालीन अविभाजित मद्रास राज्य के एक परिचित परिवार में हुआ था।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् वह इग्लैण्ड चले गए और 1914-16 के दौरान इन्होंने बार-एट लॉ पूरा किया। 1914 में ही इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वह उनके आदर्श और कार्यक्रमों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने इग्लैण्ड में लेवर पार्टी के नेताओं से घनिष्ट सम्बन्ध विकसित किए। मद्रास के उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी वकालत आरम्भ की। थोड़े ही समय में यह लोकप्रिय वकील बन गए। इन्होंने सक्रिय राजनीति के लिए अपना समय निकलना आरंभ किया। उन्होंने कई आन्दोलनों में भाग लिया और कई बैठकें आयोजित की और अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किये। उन्होंने स्वयं को श्रमिकों का नेता माना वह एक महान हस्ती बन गए जब उन्होंने रेलवे के श्रमिक विरोधी कानूनों के खिलाफ उसके विरुद्ध एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया उन्होंने 1931 में इगलैण्ड में हुए गोल मेज सम्मेलन में श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें जेल हुई और कई बार वह भूमिगत हुए। उन्होंने मद्रास में राजाजी और प्राकम के मन्त्रिमण्डल में कैविनेट मन्त्री के रूप में कार्य किया वह भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए और उन्होंने जवाहर लाल नेहरू के मन्त्रिमण्डल में श्रम मन्त्री वैकिंग और उद्योग मन्त्री के रूप में कार्य किया।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्मारक टिकट जारी करने और संसद भर में इस महान नेता के चित्र का अनावरण भी करने के लिए कुछ प्रबन्ध करें। जिसने श्रमिकों के हित के लिए संघर्ष किया था।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : महोदय, सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के वाबजूद भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में इण्डियन एयर लाइंस की उड़ानें अनियन्त्रित रूप से रद्द की जा रही हैं।

6 अगस्त 1994 को तीन उड़ाने जैसे आई० सी० 701 कलकत्ता डिबरूगढ़, आई० सी० 711 कलकत्ता-गुवाहाटी और आई० सी० 743 कलकत्ता-अगरतल्ला रद्द की गई 7 अगस्त को भी आई० सी० 213 कलकत्ता-जोरहाट उड़ान रद्द की गई थी।

पिछले सप्ताह की तीन उड़ानों में सप्ताह में केवल एक उड़ान चलाई गई और दो उड़ाने रद्द की गईं। वर्तमान उड़ाने रद्द करने का कारण कुछ पायलटों के त्यागपत्र को बताया गया था अतः मेरा प्रश्न है कि बाकी देश की उड़ान समय-सारणी किस प्रकार प्रभावित हुए बिना रहती है जबकि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की उड़ान समय सारणी रद्द की जाती हैं? पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि जब कभी भी इण्डियन एयरलाइन्स की साभाव्य समय सारणी में जरा किसी फेर-बदल होती है तो इससे सर्वप्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रभावित होता है और उसके बाद लद्दाख जैसा अगम्य क्षेत्र प्रभावित होता है।

क्या सरकार क्षेत्र की आवाज सुनेगी विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर कई स्थानों से विभाजन की आवाज कभी कभी सुनी जाती है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे.....**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, अत्यन्त विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, अब 12.30 बजे हैं पहले बोलने वाले वक्ताओं को समय का समन्वय करना चाहिए। 4-5 वक्ताओं के नाम रह गए हैं। मैंने पांचों के नाम बोल दिये होते परन्तु पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषणों को लम्बा कर दिया मगर वे लोग अपने भाषणों को छोटा कर देते थे 4-5 लोगों को समन दिया जा सकता था। अतः यह कल के लिए सबक हैं। पूर्व वक्ताओं को अपने साथियों को समय देने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे तो घड़ी के अनुसार चलना है। इसलिए आज तो आप मुझे मांफ करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आप व्यावहारिक बनिए,

उपाध्यक्ष महोदय : आज तो मुझे माफ करें।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.31 म० प०

सभापटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि० और शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन

शहरी-विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रख गया देखिए सं० एल० टी० 6236/94]

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6237/94]

इंडियन एयर अर्थस लि० और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में, राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6238/94]

(2) भारत इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6239/94]

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि० तथा उर्वरक विभाग व रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6240/94]

(2) मद्रास उर्वरक लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझैता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6241/94]

(3) इंडियन पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6242/94]

(4) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6243/94]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1994

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय मैं,

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1994, जो 10 मई 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 444 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6244/94]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति। (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6245/94]

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6246/94]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं ;

(1) (एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6247/94]

(3) भारत डायनमिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग (रक्षा मंत्रालय) के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6248/94]

12.34 म० प०

वित्त संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : महोदय, मैं आयकर विभाग द्वारा की गई सर्वेक्षण, तलाशी और अधिग्रहण कार्रवाइयों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

12.34$\frac{1}{2}$ म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा 9 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.35 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **केरल में कुरियाकुट्टी-करपाड़ा विद्युत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता**

• **श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, केरल में पालघाट जिले के स्थायी

• मूलतः मलयालम में किए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी और पेयजल उपलब्ध कराने तथा बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कुरियाकुट्टी-करपाड़ा परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना से 18688 हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचने की संभावना है। यदि यह परियोजना कार्यान्वित हो जाती है तो चितूर तालूक के कोझीन्हपारा में, जो पालघाट जिले में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, को पुनः पेयजल उपलब्ध हो जाएगा केरल सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को वर्ष 1994 में प्रस्तुत की गई थीं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट की शीघ्र जांच करके इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

(दो) जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 3x3 केरल में कोट्टायम जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में मेचल, नेहनापाड़ा और ईरूमपड़ा से गुजरने वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता ।

श्री पी० सी० थामस (भुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल से कोट्टायम जिले में मेलुकावु तथा मुनिलावु पंचायतों के पहाड़ी क्षेत्र -जहां जनजातीय तथा अन्य जनसंख्या रहती है- शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित है। तथापि, इस क्षेत्र में उचित सड़क सुविधा नहीं है। चुंकि इस पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है, राज्य सरकार इस कार्य को करने की स्थिति में नहीं है। केन्द्र सरकार को इस योजना को जनजातीय उप-योजना अथवा केन्द्रीय सड़क निधि योजना में शामिल करने के लिए उपाय करने चाहिये और इस क्षेत्र के मेचल, नेहलापाड़ा, ईरूमपड़ा और अन्य क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क बनानी चाहिए। केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र में तुरन्त सर्वेक्षण कराने के लिए आदेश देना चाहिए जिससे केरल के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में से पश्चिमी घाट के साथ-साथ कासरगोड़ जिले से त्रिवेन्द्रम तक एक पहाड़ी राजमार्ग से जोड़ा जा सकता है। ऐसे पहाड़ी राजमार्ग से केरल के विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले मसाले उत्पादन केन्द्रों का विकास सुनिश्चित होगा।

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अरब सागर तट में मत्स्य-पोतों मछलियां उतारने के केन्द्र बनाने तथा मत्स्य बंदरगाह स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : महोदय, बार-बार समुद्री कटाव और मानसून के दौरान समुद्र में होने वाले तीव्र उतार चढ़ाव और ऊंची लहरों के कारण मत्स्य पोतों के लिए फाट पर लगने की प्राकतिक सुविधाओं के पूरी तरह, पूर्णतया क्षतिग्रस्त होते जाने के कारण कन्याकुमारी जिले के अरब सागरीय समुद्री तट में मत्स्य अवतरण केन्त्र तथा मत्स्य बन्दरगाह बनाना आवश्यक हो गया है। इस तरह इस क्षेत्र के मछुआरों के अस्तित्व को ही भारी खतरा है। कन्याकुमारी जिले के तटीय गांवों के समस्त निवासी मछुआरे हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख हैं। वे पूर्णतया मत्स्य पकड़ने पर निर्भर हैं। प्राकृतिक पार्किंग तथा उनमें मत्स्य पोतों की संचालनात्मक सुविधाओं को क्षति के कारण, उन्हें देश के अन्य भागों में मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ाता है जहां उन्हें स्थानीय मछुआरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है और उनमें जीवन तथा सम्पत्ति को खतरा है।

मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अरब सागरीय तट में मत्स्य अवतरण केन्द्रों और मत्स्य बन्दरगाहों को शीघ्र खोलने का अनुरोध करता हूं।

(चार) केरल से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, केरल हमारे देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अधिक साक्षरता और जनसंख्या के घनत्व के कारण, केरल राज्य में बैरोजगार साक्षर लोगों की संख्या सर्वाधिक है। एक छोटा राज्य होने के कारण रोजगार प्राप्ति के अवसर बहुत कम हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षित लोग भारत तथा विदेशों में स्थानान्तरण करने पर बाध्य होते हैं। लाखों केरल वासी विदेश में, विशेषकर खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। केरल में त्रिवेन्द्रम में एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें कालीकट से भी हैं। लेकिन इन विमानपत्तनों से संचालित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बहुत कम है।

अतः में केन्द्र सरकार से इन विमानपत्तनों से विभिन्न देशों को उडानों की संख्या में और अधिक वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं। इससे उन लोगों को लाभ होगा जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं और इससे देश में विदेशी मुद्रा भेजने में भी सुविधा होगी।

12.39 म॰ प॰

अनुदान की अनुपूरक मांग, (रेल)-1994-95
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-1991-92

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल)-मदसंख्या 11 तथा 12 पर विचार करेगें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जायें—मांग सख्या 16"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 6, 8, 13, 14, 15 तथा 16"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे)

मांग की संख्या		मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
16.	परिसंपत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव	अन्य व्यय रेलवे निधियां	12,000

1991-92 के लिए सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अतिरिक्त मागें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	स्वीकृति के लिए सदन में पेश की गई मांग की रकम
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	16,47,50,076
8.	परिचालन व्यय-चलस्टाक और उपस्कर	7,78,63,334
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	37,79,30,598
14.	निधियों में विनियोग	87,36,39,308
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	94,67,58,501
16.	परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय पूंजी	15,31,36,695
	रेलवे निधियां	34,58,39,864

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, रेल मंत्री जी कहां हैं ?

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, रेल मंत्री जी की अनुपस्थिति में हम इन पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ? रेल मंत्री जी और विपक्षी दल यहां उपस्थित नहीं है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : सरकार की तरफ से यहां कौन है ?

श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री जी की अनुपस्थिति में हम इन पर चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दूरद्रष्टा रेल मंत्री क्यों नहीं आ पाए ?

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : चूंकि यह संयुक्त जिम्मेदारी है और दूसरे मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, अतः चर्चा आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री और अधिकारियों की अनुपस्थिति में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर कैसे चर्चा हो सकती है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे माननीय सदस्यों द्वारा लिये गये संगत और उचित सुझावों को नोट कर सकते हैं और इस बीच माननीय रेल मंत्री जी आ जायेंगे। अतः हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये परम्पराएं अच्छी नहीं हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आ जायेंगे। उन्होंने चर्चा के लिए पहले ही मांगों को प्रस्तुत कर रखा है। निःसन्देह, अब मंत्री यहां उपस्थित हैं जो सुझावों को नोट करेंगे और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लायेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इस मत पर सहमत होंगे।

श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : जब रेल मंत्री और रेल बोर्ड के अधिकारी भी यहां उपस्थित नहीं है तो चर्चा करने का क्या फायदा ?

श्री रमेश चेन्नितला : रेलवे बोर्ड का भी कोई अधिकारी यहां उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज श्री विजय राघवन को प्रत्येक विषय पर बोलने का पहला अवसर मिल रहा है। अतः आप उनकी बात सुनने से इन्कार क्यों कर रहे हैं। उन्हें बोलने दो।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : यह पहले ही समाप्त हो रहे शून्य काल का परिणाम है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, अनुवाद का कार्य कराने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजयराघवन, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अनुवाद का कार्य कराने के लिए कोई व्यवस्था की है।

श्री वी० एस० विजय राघवन : मैंने पहले ही जानकारी दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आपने अनुवाद का कार्य कराने की कोई व्यवस्था नहीं की है तो हम अगले सदस्य का नाम पुकारेंगे और आपको बाद में अवसर मिलेगा।

श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे	—	उपस्थित नहीं
श्री शरद दिघे	—	उपस्थित नहीं
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही	—	उपस्थित नहीं

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से रेल दुर्घटना की तरह मेरा पहला वक्ता होना भी केवल आकस्मिकता ही है।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अगर यह स्थिति रहेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही। जब मंत्री जी हाउस में नहीं होंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तीन मंत्री महोदय उपस्थित हैं। वे नोट करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यह तीन मंत्रियों की बात नहीं है। हिन्दुस्थान में रेल मंत्री हैं और हम रेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम केमीकल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ग्रामीण विकास के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे खान के बारे में नहीं करेंगे। जिनका जवाब वह मंत्री जी देंगे। **(व्यवधान)** मेरा एक सजैशन है कि हाउस को लंच के लिए स्थगित कर दिया जाये और लंच के बाद शुरू किया जाये। जब तक रेल मंत्री जी को इन्फार्म कर दिया जाये। रेल मंत्री जी यहां रहेंगे और हमारी बात सुनेंगे तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय दो या तीन मिनट में आ जायेंगे।

श्री बूटा सिंह (बालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सभा को नियमों और परिपाटियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जब मंत्री महोदय और अधिकारियों की ओर से भी यहां कोई उपस्थित ही नहीं है तो आप मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कैसे कर करते हैं ? इसलिए, सरकार को पूरी गम्भीरता से यह निदेश दिया जाये कि वह मंत्री महोदय को यहां लाये ताकि सदस्य अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर सकें।

मंत्री महोदय के यहां उपस्थित हुए बिना कोई चर्चा कैसे लाभदायक हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूर्णतया सही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री यहां पर उपस्थित हों, आपको यह डायरैक्शन देना चाहिए । **(व्यवधान)** यदि आप ऐग्री करते हैं तो लंच कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : यह कार्यसूची में अंकित एक नियमित कार्य है नामतः अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए सूचना देना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी चल चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि तब तक डिबेट आरंभ की जाए। जब तक वे पहुंचेंगे तब तक हम नोट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की उनुपूरक मांगों (रेलवे) और अधिक अनुदान की मांगों (रेलवे) पर चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रेल मंत्री महोदय के आने तक मैं रेलों से सम्बन्धित उर्वरक और रसायन तथा इस्पात के बारे में भी बोल सकता हूं। रेलवे ने इस्पात क्षेत्र से काफी लाभ अर्जित किया है।

आप हमारे देश में हमारी प्रणाली में रेलों के महत्व को जानते ही हैं। रेलवे ने हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को मजबूत बनाने में अत्यधिक योगदान दिया है। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को और अधिक मजबूत बनाना ही आज की आवश्यकता है। उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरूणाचल प्रदेश तथा असम जैसे अन्य पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से लेकर पश्चिम में मुम्बई, महाराष्ट्र तक भारत में विभिन्नता है।

मैंने पहले भी कई बार यह बताया है कि भारत एक देश से भी कुछ अधिक है। यह एक लघु विश्व है। यह विभिन्न धर्मों, कई भाषाओं और विभिन्न जातियों का देश है। इस प्रकार हमारे देश में मिली-जुली संस्कृति है। हमारे देश का व्यापक आयाम है। ऐसे देश में करोड़ों लोग एक भाग से दूसरे भाग तक रोजाना यात्रा करते हैं और वे अपनी यात्रा किये मुख्य साधन के रूप में रेलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कुछ ही लोग विमान यात्रा का व्यय सहन करने में सक्षम हैं अतः दूरस्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए लोगों द्वारा सड़क का नहीं बल्कि रेल सेवाओं का ही उपयोग किया जाता है और वे उसी पर निर्भर रहते हैं।

हमारे दश में रोजाना लगभग 11000 से 12000 रेलगाड़ियां चलती हैं जो एक करोड़ से भी अधिक यात्रियों को लाती-ले जाती हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में रेल एक शताब्दी से भी अधिक पुरानी है। चार या पांच वर्ष पहले हमने दक्षिण पूर्व रेलवे का शताब्दी समारोह मनाया था। हमारा सम्बन्ध दक्षिण पूर्व रेलवे से ही है क्योंकि हमारा राज्य उसी के अन्तर्गत आता है।

रेलवे के महत्व पर विचार करते हुए हमने इसके लिए अलग बजट निर्धारित किया है। दूसरा ऐसा कोई भी मंत्रालय अथवा विभाग नहीं है। जिसे यह अपूर्व लाभ अथवा रेल बजट की तरह अलग से बजट रखने की विशिष्टता प्राप्त हो। महोदय सामान्य वजट को प्रति वर्ष फरवरी के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाता है और उससे तीन या चार दिन पहले रेल मंत्री द्वारा इस सभा में रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही विकास नहीं किया गया है बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी रेलवे यही प्रक्रिया अपनाता रहा है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं अन्य मंत्रालयों में हमारे सचिव हैं और वे अपने मंत्रालयों में नौकरशाही प्रणाली रखते हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध हैं, इनमें थोड़ा सा अन्तर है। यहां प्रमुख के रूप में रेलवे बोर्ड का चैयरमैंन होता है जो रेल मंत्रालय का सचिव भी हो सकता है। उन्हें कुछ हद तक स्वायत्ता प्राप्त है। हमारी प्रशासकीय प्रणाली में रेलवे का अत्यावश्यक महत्व है। **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर वाद-विवाद चल रहा है लेकिन रेल मंत्री महोदय सभा में उपस्थित ही नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : श्री पी० जी० नारायणन महोदय, इसीलिए तो मैं सामान्य मुद्दों पर बोल रहा हूं। मैं अनुपूरक मांगों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। रेल मंत्री महोदय के यहां पहुंचने तक मैं रेलवे से सम्बधित सामान्य मुद्दों पर ही बोलता रहूंगा। मुझे अभी अनुपूरक मांगों पर चर्चा करनी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : उनकी तरफ से मैं यहां उपस्थित हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : मैं जानता हूं कि आप यहां उपस्थित हैं। मैंने कोई आपत्ति नहीं उठाई हैं। यह आपत्ति उन्होंने उठाई है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रेल व्यवस्था अब विश्व में सबसे बड़ी है। कुछ समय पहले तक यह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था थी। परंतु पूर्व सोवियत संघ के रेलवे नेटवर्क, जिसे अब तक विश्व में सबसे बड़ी नेटवर्क माना जाता था, के विघटन होने के पश्चात् अब उसका स्थान भारत ने ले लिया है और भारतीय रेलवे विश्व में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था हो गई है। यह विश्व में सबसे बड़ा खान-पान प्रबंधक भी है। इस तरह रेलवे के पास विश्व में सब से बड़ी भोजन व्यवस्था हैं। वह हजारों लोगों की सेवा करता है। इस तरह रेलवे भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें 15 लाख से 17 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे के बाद, दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम कोयला और इस्पात है। इस तरह भारतीय रेल सबसे बड़ा नियोक्ता, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम तथा सबसे बड़ा भोजन प्रबंधक भी है। इसका अपना बजट तथा अपनी परंपरा आदि है आशा है कि यह कुशलता से तथा लाभ पर चले। यह लोकोपकारी संगठन नहीं है। यह एक वाणिज्यिक प्रबंधन है। इसे सरकारी तौर पर लाभ कमाने हेतु भी कार्य करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि यह घाटे में चल रही है और इसके सामाजिक दायित्व भी हैं। परंतु, साथ ही साथ रेलवे को लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करना है। माननीय सदस्यों को इस बात की चिंता है कि जहां रेल सुविधा नहीं है, जिन क्षेत्रों में रेल लाइन नहीं हैं, वे वास्तव में पिछड़े ही रहेंगे। वे पिछड़े हैं। ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण संचार तथा रेलवे लाइनों का अभाव है, देश में नई औद्योगिक और आर्थिक नीतियां हैं और कई प्रतिबंधों को हटाया गया है। अब उद्यमियों को लाइसेंस, परमिट तथा आशय पत्र के संबंध में बिना अधिक प्रतिबंध के कहीं भी जाने और वहां उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता है। परंतु ये उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों, जहां रेल सुविधा नहीं हैं, वहां अपने उद्योग स्थापित नहीं करना चाहते। प्रत्येक राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास करना, सामाजिक न्याय और संतुलित विकास करना हमारा उद्देश्य है। यह हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। रेल लाइनें न होने के कारण यदि उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जाते और वहां अपने उद्योग स्थापित नहीं करते तो हम किस तरह सामाजिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह विकास हेतु क्षेत्रीय असंतुलन का सामना कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही रेलवे की पृष्ठभूमि के बारे में बोल रहे थे। अब वे सीधे अतिरिक्त अनुदानों की मांगें के संबंध में बोलेंगे।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मुझे क्षमा करें। मुझे बताया गया था कि यह विधेयक दोपहर में आ रहा है। मैं अन्य बैठक में था।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह अन्य कार्यों को भी शून्य काल की ही तरह महत्व न देने का परिणाम है।

मैं सामान्य रूप से रेलवे की पृष्ठभूमि तथा देश की प्रणाली में रेलवे के महत्व के बारे में बता रहा था। मैं मध्याह्न भोजन के पश्चात् अनुदान की मांगों के बारे में उल्लेख करूंगा। हमारे जैसे विशाल देश में रेलवे जैसे संगठन के लिए यह बिलकुल स्वाभाविक है कि वह अनुदान आदि की अनुपूरक मांगों के साथ सभा के समक्ष आए।

1.00 म० प०

एक समय में ही समग्र मांगें वार्षिक बजट, सामन्य बजट में शामिल करना संभव नहीं है। हमारी प्रणाली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हैं। जिसमें पूरक मांगें आदि करने की आवश्यकता होती है। आज हमारे सामने दो बातें हैं। एक वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें और दूसरा वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदान।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं। अब सभा 2 बजे म० प० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदान की अनुरपूरक मांग (रेल) 1994-95 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे) तथा वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं। इससे पूर्व, पहले के तीन लम्बे सत्रों के मैं देश में रेलवे द्वारा निभाई जा रही प्रशंसनीय भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बोल रहा था। रेलवे एक वृहत् संगठन है जिसका जाल लगभग 42,000 किलोमीटर तक फैला है और जिसमें लगभग 18 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुदान की मांगे किए जाने का उल्लेख करते समय विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों ने रेल सुविधाओं तथा अपने निजी क्षेत्रों तक रेल लाइनों का विस्तार करने हेतु मांग की है। आज हम रेलों के बिना किसी क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। रेलवे हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए ईजन की तरह हैं। इन मांगों के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। रेलवे जेसे संगठन के लिए जिसका बजट करोड़ों रुपयों का है, उसके लिए हम केवल 12,000 रुपये की अनुपूरक मांग कर रहे हैं। यह नाममात्र है। यह बहुत सामान्य है। इसके बाद निसंदेह 293.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांगें और 294 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदानों की मांगे हैं। ये व्यय वर्ष 1991-92 में हुए और कुछ व्यय मदों पर भी हुआ जिसका बाद में पता लगाया जा सकता है यह सामान्य बात है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। इस संगठन की विशालता को देखते हुए यह राशि अधिक नहीं हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस अवसर पर मैं रेलवे के कार्यकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रेल हमारे देश की जीवन रेखा है। रेलवे को रेल किराये से प्रतिदिन 34.6 करोड़ की आय होती है। हमें रेलवे पर गर्व है जो विश्व में सबसे बड़ा है। रेलवे की गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम, विभिन्न क्षेत्रों की रेल लाइनों का विस्तार करने की आवश्यकता है। वहां संसाधनों का अत्यधिक अभाव है और संसाधन की बाधा है। हम इस बात को समझते हैं। लगभग बीस वर्ष पूर्व वर्ष 1974-75 में रेलवे को दी जाने वाली बजटीय सहायता 75 प्रतिशत थी। क्या आप जानते हैं कि अब रेलवे को कितनी बजटीय सहायता मिल रही है? दो दशकों में यह सहायता 14 प्रतिशत कम कर दी गई है। बजटीय सहायता 75 प्रतिशत से कम होकर 14 प्रतिशत हो गई है। रेलवे वास्तव में गहरे संकट में हैं। इस तरह अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति उन्हें अपने संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें अपने कार्यकरण को भी कारगर बनाना है। उन्हें आर्थिक व्यवस्था और आंतरिक बचत की ओर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ उन्हें सरकारी ऋणों की ओर भी ध्यान देना है और बचत आदि के माध्यम से अपने संसाधनों को सृजित करना है।

सामान्यतः हमारे जैसे देश में क्षेत्रीय असंतुलन से असंतोष बढ़ रहा है। जैसाकि माध्याह्न भोजन से पूर्व मैंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता समय की मांग है। यह भी रेलवे से संबंधित हैं। हम इस असंतोष को कम नहीं कर सकते हैं। असंतोष विभिन्न क्षेत्रों में रेल लाइनों का विस्तार न किये जाने के कारण बढ रहा है। यदि प्रति वर्ष एक हजार किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएं तो 30,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है।

एक अन्य समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं वह है अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या जब हम रेलवे क्षेत्र में 30,000 लोगों को रोजगार देते हैं और इसके परिणामस्वरूप हम अप्रत्यक्ष रूप से 7,50,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। यदि हम विस्तार कार्य में वार्षिक तौर पर 1000 किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग को शामिल कर सकते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से 30,000 तथा अप्रत्यक्ष रूप से 7,50,000 लोगों को नौकरियां उपलब्ध करा सकते हैं। परन्तु इस कार्य हेतु हमें धन राशि कहां से मिलेगी? जैसा कि मैं समझता हूं रेलवे सरकार से 7 प्रतिशत व्याज पर ग्रहण की मांग करती आ रही है। स्वाभाविक रूप से तर्क यह है कि कम होती जा रही बजटीय सहायता तथा रेलवे द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों पर अधिक आश्रित रहने के फलस्वरूप, रेलवे को कुछ शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने यह बात स्वीकार नहीं की है और रेलवे अपने आपको बड़ी दुविधाजनक स्थिति में पा रहा है।

निःसंदेह मुझे बांड जारी करना एक स्वागत योग्य कार्य है रेलवे ने इस प्रकार के बांड जारी करने का निर्णय ले लिया है रेलवे द्वारा मुझे बांड जारी करना एक प्रसंशनीय कार्य है क्योंकि सरकारी उपक्रमों को, या तो आंतरिक बचतों अथवा बाजार से उधार लेने पर आश्रित रहना पड़ता है। हमें यह पता करना होगा कि कितनी धन राशि की व्यवस्था की जा सकती है ताकि रेल व्यवस्था, रेल लाइनों के विस्तार आदि कार्य को व्यापक तौर पर शुरू किया जा सकें।

मैं इस वर्ष छः महीनों के दौरान रेलवे का कार्य निष्पादन कैसा रहा इस पर बोलना चाहूंगा। रेलवे का कार्य निष्पादन गत छः महीनों के दौरान बहुत ही अच्छा रहा है। इस अवधि के दौरान विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ और इसके लिए मैं रेल मंत्री से लेकर अन्य सभी संबंधित लोगों

को बधाई देता हूं। उनके मार्ग निर्देशन में रेलवे ने अच्छा कार्य किया है। गत तीन वर्षों के दौरान इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष यात्रियों के आवागमन में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 की इसी अवधि के दौरान 1,803 मिलियन यात्रियों का आवागमन हुआ था। वह इस वर्ष की इसी अवधि में बढ़ कर 1866 विमियन हो गया है, इस प्रकार यात्रियों के आवागमन में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। माल के आवागमन के संबंध में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 1993 में 178.65 मिलिग्रन टन माल का आवागमन हुआ था अब वह बढ़कर 185.97 मिलियन टन हो गया है। यात्रियों के आवगमन से हुई आय के बारे में 11.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अतः माल तथा यात्रियों के आवागमन में वृद्धि काफी अच्छी रही। हमारे देश में प्रतिदिन 13 मिलियन लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु रेल द्वारा यात्रा की है।

इस समय रेलवे के प्रमुख के रूप में एक नए चेयरमैन है। इन्होंने हाल ही में अपना कार्य भार संभाला है मैं, यह समाचार पढ़ कर बड़ा प्रसन्न हुआ जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इस समय रेलवे के परिचालन अनुपात में दो प्रतिशत की वृद्धि का समग्र लक्ष्य है। यदि यह प्राप्त कर लिया जाता है तो लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत होगी।

अतः परिचालन अनुपात में 3 प्रतिशत, चल तथा अचल दोनों प्रकार की परिसम्पत्ति के जुटाने में उसे 4 प्रतिशत, परिसम्पत्तियों की विश्वसनीयता तथा उनके संघटन के निरसन में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अतः यह बहुत अच्छे परिणाम हैं तथा जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। रेलवे ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मैं शुभ कामनाएं देता हूं।

दूसरी बात, कम्प्यूटरीकरण एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से कई लाभ हैं। रेलवे क्षेत्र में यह कार्यक्रम बड़ी ही तत्परता से कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले 2 वर्षों की अवधि संभवतः रेलवे की कुल बुकिंग का केवल 20 प्रतिशत बुकिंग ही ऐसी रह जाएगी जो कम्प्यूटर द्वारा नहीं होगी।

अब सामान परिवर्तन पर बल दिया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जहां तक रेलवे कार्यक्रमों का संबंध है, इस अवधि में नई रेल लाइनों के निर्माण के बनिस्वत आमन परिवर्तन के कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है इस 'यूनीगेज' परियोजना के पहले दो वर्षों में 3000 कि० मी० रेल लाइन का आमन परिवर्तन किया गया है इस वर्ष लगभग 1420 कि० मी० आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे का मुख्य कार्य देश में सशक्त, तथा कम लागत पर यातायात व्यवस्था उपलब्ध करना है। मैं 'कम लागत पर यातायात व्यवस्था' उपलब्ध कराने वाली बात को पुनः दोहराता हूं। रेलवे परिचालान लागत को कम करने तथा अपने कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने जिसका तात्पर्य उन्हें और अधिक दक्ष बनाया जाना है, हेतु भरसक प्रयास कर रही है। यह एक सतत तथा चुनौती पूर्ण कार्य है। रेलवे अधिक दक्ष व्यवस्था बनाने तथा अपने को मितव्ययी बनाने हेतु भरसक प्रयास कर रही हैं। रेलवे में यह सभी कार्य हो रहा है।

मैं, सभा का अधिक समय नहीं लूंगा आप लोग अब मुझे घूरने लग गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप मुझे देख रहे हो कि मेरी ऊंगली घंटी पर है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : तो, मैं कुछ समय तक बोल सकता हूं।

गत तीन वर्षों से रेलवे अपनी कई सीमाओं के बावजूद माननीय मंत्री महोदय ने मार्ग निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। निःसंदेह, इस कार्य में हमारे प्रधान मंत्री महोदय का भी समग्र मार्ग निर्देशन तथा प्रेरण रहती है। हांलाकि धन की कमी रहती है ही, सरकार को रेलवे के लिए मुक्त रूप से धन उपलब्ध कराना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में रेलवे का विस्तार किया जाना चरूरी है और इसके लिए उन्हें पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। अब मैं रेलवे के उद्देश्यों पर बोलना चाहता हूं। उनके उद्देश्य हैं, स्वच्छता साफ-सफाई सुरक्षा और समय की पाबंदी। अब तक मैं रेलवे के कार्यकरण की प्रसंशा करता रहा था परन्तु इस विषय के संबंध में मैं समान रुप से प्रसंशा नहीं कर सकता हूं और वे इस मुद्दे पर अपने कार्यकरण की हमारी ओर से प्रशंशा करने की आशा भी नहीं कर सकते हैं। समय की पाबंदी के संबंध में यदि हम लोग राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो वे बड़े उत्साह वर्धक हैं। परन्तु हम लोग हमारे निवास स्थान से दिल्ली आने वाली रेल गाड़ियों के बारे में संबंधित हैं। हमारे लिए सम्बलपुर से एक रेल गाड़ी है। वह अधिकतर निजामुद्दीन देर से पहुंचती हैं। दो दिन पूर्व यह गाड़ी पांच घण्टे विलम्ब से पहुंची। यह एक आम बात हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है ? रेलवे कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों पर ही निगरानी रखती हैं। उन रेल गाड़ियों की समय बद्धता पर अधिकारियों को गौरव होता है। परन्तु अन्य गाड़ियों के बारे में वे क्या कर रहे हैं ? हमें यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे सम्बलपुर से दिल्ली आने वाली गाड़ी में 1 जुलाई से एक रसोई यान लगाया जायेगा। परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, जबकि कई महीने गुजर गए हैं। रेलवे द्वारा जो आश्वासन दिया है उसे पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए।'

यात्रियों को सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के संबंध में पिछड़े क्षेत्रों जैसे उड़ीसा, विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारी अपनी मजबूरियां है। हमारी अपनी शिकायतें हैं। हम लोगों ने इन सभी बातों को मण्डल (डिवीजनल) प्रबंधक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय (जोनल) मुख्यालय तथा मंत्री महोदय के समक्ष भी बार-बार उठाया था। परन्तु इन पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अब मैं बड़े ही संक्षेप में अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांगों के बारे में कहना चाहता हूं तत्पश्चात् मैं बोलना बन्द करूंगा। हर बार मैं यह मांग करता रहा हूं कि उड़ीसा में खुर्दा से बोलनगिर और नालरोड़ से जूनागढ़ तक दो नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इस वर्ष के बजट में इस कार्य हेतु धन राशि उपलब्ध भी कराई गई है। कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए माननीय रेल मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री को वहां पर आधार शिला रखने हेतु जाना चाहिए। रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

नाऊपाड़ा-गुनापुर रेल लाईन का आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया जाना चाहिए। सम्बलपुर से तलचर रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए। यह कार्य बड़ी ही धीमी गति से हो रहा है विगत में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि यह कार्य बीसवीं सदी म ही पूरा होगा अथवा उसके बाद पूरा होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वर्ष 1984 में इस कार्य

हेतु आधार शिला रखी थी। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि इस परियोजना को पांच वर्षों के भीतर ही पूरा कर दिया जायेगा। दस वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं परन्तु अभी तक एक तिहाई कार्य भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस परियोजना पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें। इसकी अत्यावश्यकता है तथा उड़ीसा के लोगों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजना है। इससे पुरी तथा भुवनेश्वर के बीच की दूरी लगभग 200 कि० मी० कम हो जायेगी।

सम्बलपुर को तत्काल एक सम्पूर्ण डिविजन बनाया जाना अत्यावश्यक है तथा इस डिविजन का कार्यक्षेत्र, बम्बई से हावड़ा रेल लाइन के उड़ीसा राज्य से गुजर रही रेल लाइन तक फैला हुआ है। झारसीगुड़ा जैसे स्थान जो कि मात्र 50 कि० मी० की दूरी पर है को इस डिवीजन में नहीं रखा गया है। यह स्थान दूसरे डिवीजन में शामिल है, जो कि वहां से 250 कि० मी० दूर है। इसके पीछे क्या तर्क है? हमारे यहां सम्बलपुर एक नया डिविजन है। पूर्व के सम्बलपुर जिले के क्षेत्र को इस डिविजन में शामिल नहीं किया गया है।

भुवनेश्वर में जो मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है उसे और अधिक सशक्त तथा उसके कार्यकरण को कारगर बनाए जाने की आवस्यकता है जैसेकि मैंने बताया था कि रेलवे के विस्तार आदि कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए जोन बनाए जाने चाहिए। अब ऐसा समय आ गया है कि रेलवे का पुनर्गठन नए जोनों और नए डिविजनों में किए जाने हेतु सोचा जाना चाहिए। एक ऐसा नया जोन बनाया जाए जिसमें पुरी उड़ीसा, मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश और बिहार का भाग शामिल हो तथा उस जोन का मुख्यालय उड़ीसा राज्य में हो। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता इससे दुःख होता है।

अतः यह अत्यन्त दुखदायी स्थिति है कि इसके दोनों क्षेत्रीय मुख्यालय एक स्थान पर एक महानगरीय शहर में स्थित हैं। इसका क्या तर्क है। क्या ऐसा इसलिए है कि कुछ राज्यों के लोग बहुत सीधे सादे हैं, वे शान्तिप्रिय हैं और समस्याएं उत्पन्न नहीं करते हैं। उन्हें क्यों हमेशा उपेक्षित किया जाता है। परिस्थितियां अब बदल रही है हमें जायज मांगों को समझने में सक्षम होना चाहिए और इसके लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठने चाहिए ताकि भविष्य में भ्रामक स्थिति से बच सके।

अब मैं भूमि में बेदखल किये गये लोगों के बारे में कहूंगा। लोग रेल परियोजनाओं के लिए अपनी जमीनें दे रहे हैं अतः भूमि से बेदखल किये गये लोगों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उन्हें नौकरी प्रदान की जाऐ।

कोचीन विलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार के लिए भी मैं सुझाव देना चाहता हूं टीटागढ़ से होकर बम्बई जाने के लिए एक नई रेलगाड़ी चलानी चाहिए। सम्बलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस गाड़ी बहुत लम्बी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। यह लगभग आधे भारत को कवर करती है और अपनी दूरी तीन दिन में तय करती है। यह प्रत्येक जोन से होकर गुजरती है। लेकिन इसमें भोजन मान नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे जोन स्तर पर भी कुछ रेलगाड़ियों के रुकने के लिए निर्णय लेने में समर्थ क्यों नहीं है। गौड़पुरा और बतरिया पर उत्कल अथवा लिंक एक्सप्रेस का रंगाकी पर बोकारो-एलेप्पी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोके जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये। मुझे माननीय मन्त्री जी से उत्तर प्राप्त हुआ हैं मेरा कहना है "आप किस प्रकार इस नतीजे पर पहुंचे कि इस स्टेशन

से काफी यात्री नहीं चढ़ते हैं ?" मेरा आप से निवेदन है कि आप इस बोकारो एलेप्पी एक्सप्रेस को रंगाली पर रोकने का प्रावधान करें।

मैं यह बात बनाना चाहता हूं कि यात्रियों का समय बहुत कीमती होता है। कई एक्सप्रेस गाड़ियों को वरीयता नहीं दी जाती है। मालगाड़ियों को बरीयता प्रदान की जा रही है। मैं इसका आंकड़ों सहित प्रमाण दे सकता हूं और तर्क के साथ कह सकता हूं कि यदि नियन्त्रण प्रणाली को विवेक अथवा समझदारी पूर्वक लागू किया जाये तो कई रेलगाड़ियों का ठीक समय पर आना-जाना सुनिश्चित हो सकेगा कुछ गाड़ियों को तो इन्तजार कराते रहते हैं और कुछ अन्य गाड़ियों को जाने देते हैं। मैं सम्बलपुर और राऊरकेला के बीच एक ई० एम० यू० रेलगाड़ी चलाने के लिए भी अनुरोध करता हूं। सम्बलपुर तालचेर प्रस्तावित लाइन पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाए जाने पर भी विचार किया जाये।

इन मांगों के लिए हम बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले की छानबीन करें। मुझे समझ नहीं आता है कि हमें हमेशा नकारात्मक उत्तर ही क्यों प्राप्त होता है और घिसा पिटा उत्तर यह होता है कि ऐसा सम्भव नहीं है. यह व्यवहार्य नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि यह उत्तर किस प्रकार सकारात्मक बन पाएगा ? जब लोग हिंसा और आन्दोलन का रास्ता अपना लेंगे ? तब यह नकारात्मक उत्तर सकारात्मक उत्तर बन जाएगा। अधिकारियों को युक्तिसंगत होना चाहिए।

महाप्रबंधक ने गाड़ियों को रोकने के स्टेशनों की आवश्यकता से स्वयं को आश्वस्त करने के पश्चात् ही कहने की सिफारिश की है। लेकिन रेलभवन में बैठे हुए विद्वान व्यक्तियों ने उस सिफारिश को बिना किसी कारण के नामंजूर कर दिया। स्थानीय व्यक्ति होने के नाते गाड़ियों को रोकने के लिए स्टेशनों के मूलाधार और वास्तविक मांग को समझते हैं। लेकिन आयी शिफारिशों को जोन स्तर के महाप्रबन्धक द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है। बाकी की आयी सिफारिशों में से 90 प्रतिशत सिफारिशों का दिल्ली में रेलवे बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है। बिना किसी डर के मैं यहां करना चाहता हूं कि माननीय रेलमंत्री एक डाकघर की तरह हैं वह हमें लिखकर बताते हैं कि यह सम्भव नहीं है यह व्यवहार्य नहीं हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि वह व्यक्तियों की वास्तविक भागों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है और उड़ीसा में मेरा क्षेत्र और भी पिछड़ा हुआ है। वे कृपया करके हमें इस बात से आश्वस्त करें कि हमारी मांगें को वास्तविक और साधारण हैं, पूरी की जायेंगी और यदि इन्हें दोहराने के लिए मुझे पुनः अवसर प्राप्त हुआ तो मैं इसे अपना दुर्भाग्य ही कहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का तहेदिल से समर्थन करता हूं इस बीच मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह हम सबके लिए और इस सरकार ने लिए भी उपयुक्त समय है कि हम अपनी रेल प्रभाली के महत्व को पहचाने और इसे मजबूत करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री विजयराघवन हैं। लेकिन श्री टोपे भी आपसे पहले चर्चा में भाग लेना चाहते है क्योंकि उन्हें हमसे पहले कुछ और काम हैं वह जल्दी चले जाएंगें।

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : कृपया उन्हें पहले बोलने दीजिए। मैं उनके बाद बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्धारित तीन घंटे के समय में से 45 मिनट बीत गए हैं आप संक्षेप में बोलने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : हमें भी बोलना है। टाइम नहीं है तो टाइम बढ़ा दीजिए। नार्थ इण्डिया का तो कोई मैंम्बर भी नहीं बोला हैं।

[अनुवाद]

* **श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अनुदन की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं। विभिन्न वर्गों से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रेल बजट के आवंटन में केरल को पर्याप्त हिस्सा प्राप्त नहीं मिला है। अनेक लोगों द्वारा समय-समय पर इस बारे में शिकायत की गई है जो कि निराधार नहीं है क्योंकि वर्ष 1993-94 के रेल बजट में केरल में रेलवे के विकास के लिए मात्र 10 करोड़ रुपए ही आवंटित किये गये थे जबकि कुल व्यय 6500 करोड़ रुपए हुआ था। यह तथ्य इस बात को और भी-संदेहास्पद बना देता है कि केरल के साथ काफी अन्याय हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, केरल में बहुत सी रेलवे विकास परियोजनाएं धीमी गति से लागू की जा रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि रेल मंत्रालय समयबद्ध पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के प्रति उदासीन है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे निम्नलिखित परियोजनाओं को तत्काल पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठायें।

पहला मुद्दा यह है कि मैं माननीय मंत्री का ध्यान राजधानी एक्सप्रैस की ओर दिलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम. मैं माननीय मंत्री जी को राजधानी एक्सप्रैस का विस्तार तिरुवनन्तपुरम तक करने के लिए बधाई चाहूंगा। यह रेलगाड़ी 1794 को हजरत निजामुद्दीन और तिरुवनन्तपुरम के बीच चलाई गई थी। परन्तु इस समय यह रेलगाड़ी केरल में केवल एर्णाकुलम स्टेशन पर रुकती है। अतः केरलवासी अभी तक राजधानी एक्सप्रैस का पूरा लाभ नहीं उठा पा सके हैं। पालघाट स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने की मांग को स्वीकृति नहीं दी गई है। यहां तक कि यह रेलगाड़ी सिगनल बदलने आदि के लिए बालघाट स्टेशन पर प्रायः रुकती है। यदि यह रेलगाड़ी यथा प्रस्तावित एलापुझा लाइन पर चलेगी तो इससे इसके परिचालन समय में एक घंटे की कमी होगी। इन तथ्यों के आधार पर मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पालघाट स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रैस के रुकने की सरकारी तौर पर घोषणा करने से रेलगाड़ी के वास्तविक परिचालन समय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से केरल के उत्तरी जिलों के लोगों के लिए, जो कि इस राज्य की कुल जनसंख्या का 40% है, राजधानी एक्सप्रैस की सुविदा-प्राप्त कर सकेंगे। पालघाट में रेलगाड़ी के रुकने से तमिलनाडु में कोयम्बतूर के लोगों को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त. पालघाट रेलवे मंडल मुख्यालय है। एक काफी पुरानी मांग है। कि मात्रावार में सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों की उपेक्षा की गई है। मैं और केरल के मेरे सहयोगियों ने इस संबंध में अनेक बार माननीय रेल मंत्री से भेंट की है और इस आशय के

* मूलतः मलयालम में दिए गऐ भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

अनेक अभ्यसवेदन प्रस्तुत किए हैं। मैं अपनी मांग दोहराना चाहूंगा और मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे पालघाट में राजधानी एक्सप्रैस को रुकने की स्वीकृति दें जो कि सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम होगा और मालावार के लोग हमें एक विशिष्ट गाड़ी मानेंगे और जिससे गाड़ी के समय अथवा परिचालन समय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मेरा दूसरा मुद्दा सोरनूर-मंगलौर लाइन के दोहरीकरण के बारे में है। अनेक बार इस आशय के आश्वासन दिए गए थे कि कोंकण रेलवे परियोजना को पूरा करने के साथ-साथ इस लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी पूरा किया जाएगा। वस्तुतः यह आश्वासन उन आश्वासनों के आधार पर दिया गया था कि राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे परियोजना के साथ इसे जोड़ने का निर्णय किया था। कोंकण रेलवे परियोजना के मार्च, 1995 तक पूरा होने की आशा है। परन्तु सोरनूर- मंगलौर लाइन का दोहरीकरण करने के लिए अभी तक निश्चित कदम नहीं उठाए गए हैं। सोरनूर-मंगलौर लाइन का दोहरीकरण किए बिना कोंकण रेलवे के लाभ केरल के लोगो को प्राप्त नहीं हो सकेंगे इसी तरह कोवलम-तिरुवनन्तपुरम लाइन के दोहरीकरण का कार्य धीमी गति से हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेल विभाग सौरनूर-मंगलौर लाइन के समय पर दोहरीकरण करने के प्रति उदासीन है। वास्तव में 1993-94 में इस परियोजना के लिए मात्र 10 करोड़ रु० ही रखे गए थे। बजट आवंटन से रेलवे की इस परियोजना के प्रति रुचि के अभाव का पता चलता है। अतः मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे सौरनूर-मंगलौर लाइन के दोहरीकरण किए जाने पर विचार करें इसके बिना कोंकण रेलवे का शानदार उद्घाटन केरल के लोगों के लिए हार्न का अवसर नहीं बन पाएगा।

इरोड-एर्नाकुलम विद्युतीकरण परियोजना जिसे काफी समय पहले स्वीकृति दी गई है, निःसन्देह धीमा गति से पूरी हो रही है। मंत्री जी ने घोषणा की है कि रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य को तिरुवनन्तपुरम तक बढ़ाया जाएगा। यह अत्यधिक प्रशंसनीय कदम है। परन्तु इसे अभी तक पालघाट तक भी नहीं किया गया है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण कार्य को कम-से-कम एर्णाकुलम तक पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

एक दूसरा मुद्दा मैं पालघाट स्टेशन पर रेल आरक्षण प्रणाली के संबंध में उठाना चाहूंगा। इस स्टेशन पर टिकट आरक्षण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत होने के बावजूद भी वहां पर वापसी यात्रा टिकट की सुविधा नहीं है। यात्रियों के वापसी यात्रा टिकट खरीदने के लिए कोयम्बतूर तमिलनाडु जाना पड़ता है। यात्रियों को इस अनावस्यक असुविधा से बचाने के लिए समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

पालघाट और मदुरई डिवीजन के अंतर्गत पोलाची, पालानी और मदुरई जैसे स्थानों के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों के समय में हाल ही में किए गए परिवर्तनों से यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई है। रेलगाड़ी सं० 761, 768 और 764 के समय में परिवर्तन करने से दैनिक आमदनी में एक हजार रुपये कमी आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई दुर्भावना रही है। कुछ अधिकारी पुधुनागरम स्टेशन का दर्जा कम करके सिगनल स्टेशन बनाना चाहते थे। तथापि, विचार-विमर्श करने बाद रेलवे ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अतः मुझे लगता है कि रेलवे अधिकारियों का कोई षडयंत्र है जिससे रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन करके उन्हें यात्रियों के बीच

लोकप्रिय न बनने दें और इस कारण आमदनी में कमी आई। मुझे अंदेशा है कि कुछ अधिकारी कम वसूली की वजह से पुत्थु नागाराम स्टेशन का दर्जा कम करने की बात सोच रहे हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि रेलगाड़ी सं० 761,768 और 764 के समय में किए गए आनावश्यक परिवर्तन को रद्द कर दिया जाए। इस संबंध में मुझे यात्रियों से अनेक शिकयतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से एक और निवेदन करना चाहता हूं जो विनाड एक्सप्रैस के विस्तार के बारे में संबंधित है। यह रेलगाड़ी तिरुवनन्तपुरम से चलकर सौरनूर में रुकती है जहां पर वह वापस चलने से पूर्व लगभग 2 घंटे तक रुकती है। इस समय में रेलगाड़ी का पालघाट तक विस्तार किया जा सकता है। इससे तिरुवनंन्तपुरम के उन यात्रियों को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा जो मद्रास की यात्रा करते हैं। यदि कोवाई एक्सप्रैस के स्थान पर लिंक एक्सप्रैस की व्यवस्था की जाए तो यह तिरुवनन्तपुरम से मद्रास तक दिन में चलने वाली एक्सप्रैस रेलगाड़ी बन जाएगी। विना कोई नाममात्र की अतिरिक्त लागत अथवा वर्तमान समय में परिवर्तन किए बिना यह एक बड़ी उलब्धि होगी। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विनाड एक्सप्रैस का पालघाट तक विस्तार किया जाए।

एक अन्य मुद्दा जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह 91 मालावार में विभिन्न रेलवे स्टेशनों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। मालावार के अनेक रेलवे स्टेशनों में पर्याप्त और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यद्यपि मंत्री जी ने अनेक रेलगाड़ियां चलाई हैं। परन्तु मालाबार में एक भी नई रेलगाड़ी नहीं चलाई है। यह कोई नई शिकायत नहीं है कि मालाबार की सभी प्रकार से उपेक्षा की गई है। मेरी इच्छा है कि मंत्री जी कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे मालावार के लोग यह महसूस कर सकें कि वे भी इस राज्य और देश का एक हिस्सा हैं।

महोदय, एक अन्य मुद्दे की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केरल में रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण) का कार्यालय नहीं है। केरल में रेलवे विकास परियोजनाओं की गति धीमी होने का एक कारण यह भी है कि हर छोटे से छोटे कार्य के लिए मद्रास स्थित रेलवे प्रमुख अभियंता के कार्यालय जाना पड़ता है। इस तथ्य के बावजूद भी कि केरल में पालघाट और तिरुवनन्तपुरम दो प्रमुख रेलवे मंडल हैं। केरल के कुछ क्षेत्र तमिलनाडु के मदुरई मंडल में आते हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे पालघाट में एक रेलवे मुख्य अभियंता कार्यालय खोले जाने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय अंत में मैं माननीय मंत्री का ध्यान पालघाट स्थित रेलवे स्लीपर फैक्टरी के कार्य न करने की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह फैक्टरी स्वर्गीय राजीव जी के कार्यकाल के दौरान लगाई गई थी और उस समय श्री माधव राव सिंधिया रेल मंत्री थे । परन्तु इस समय इस फैक्टरी में काम नहीं हो रहा है क्योंकि ठेके का नवीनीकरण नहीं किया गया है। जिसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश युवक बेरोजगार हो गये हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस फैक्टरी को पुनः खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री यह न समझें कि मैं मात्र मांग कर रहा हूं— शिकयतें

और आलोचना ही कर रहा हूं। यदि मैं उन्हें बधाई न दूं तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। उन्होंने केरल में कुछ नयी रेलगाड़िया चलाई हैं और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। जो कुछ भी मंत्री महोदय ने किया है उसे नजरअंदाज करने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन इस सम्माननीय सभा में, मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं उनकी मांग और शिकायतें सभा में रखना भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इस सब के अतिरिक्त मैं उसी बात पर बल देना चाहता हूं जो मैं कई बार इस माननीय सभा में उठाता रहा हूं। वह है केरल में चल रहे कोचों की दयनीय स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है। प्राधिकारियों द्वारा इसमें विपरीत दावे किए जाने के बावजूद कोचें यात्रा करने योग्य नहीं है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री केरल में चलने वाली किसी एक रेलगाड़ी में एकबार यात्रा करे और सच्चाई को स्वयं जाने। बरसात के मौसम में इन कोचों में यात्रा करना भयानक अनुभव है। इनमें शटर को बन्द नहीं किया जा सकता बन्द शटर को खोला नहीं जा सकता और बरसात के पानी में यात्री भीग जाता है। शौचालय अत्यन्त दयनीय अवस्था में है। इन कोचों में नियमित रूप से यात्रा करने वाला यात्री निश्चय ही बीमार पड़ जायेगा। मैं माननीय मन्त्री से इस विषय की गम्भीरता पूर्वक जांच करने तथा केरल को रेलगाड़ी में अच्छे डिब्बे प्रदान किए जाने का अनुरोध करता हूं, जिसमें सुरक्षा पूर्वक तथा स्वच्छ अवस्था में यात्रा की जा सके।

एक बार फिर मैं माननीय मंत्री से अपनी इन कुछ मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं लम्बे समय से लम्बित पड़ी इन मांगों को इस सभा में कई बार उठा चुका हूं। वास्तव में, विगत वर्ष की बजटीय चर्चा में भाग लेते हुए मैंने यही मांगों की थी। मुझे यह कहने के लिए माफ किया जाये कि मैं केरल के अपने सहयोगियों के साथ में मांगें तब तक उठाता रहूंगा जब तक ये पूरी नहीं की जायेंगी। अतः मैं माननीय मंत्री से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि वे केरल में लम्बित परियोजनाओं को पूरी करने के लिए सक्रिय उपाय करें और मेरे द्वारा की गई कुछ अतितत्कालीक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : उपाध्यक्ष महोदय, में वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं। अनुदान की मांगों पर चर्चा करने से पहले, मैं माननीय मंत्री, श्री जाफर शरीफ को बधाई देना चाहता हूं—जैसा कि सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा—क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनके चुनाव को वैध ठहराया है।

महोदय, मैं स्वयं को अपने क्षेत्र मराठवाड़ा क्षेत्र अर्थात् राज्य तक ही सीमित रखूंगा, जो महाराष्ट्र का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वर्तमान सरकार के आर्शीवाद से हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई है, और मनमद-औरगाबाद-परबनी-पुरना की समस्त छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हम मुम्बई तथा हैदराबाद उसी बड़ी लाइन से जा स्कते हैं।

देवगिरी एक्सप्रेस जिसे हमारे क्षेत्र से प्रारम्भ किया गया था, को सिकन्दराबाद तक बढ़ा दिया गया है। देवगिरी मराठवाड़ा का एक पुराना किला है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह एक एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। यह प्रत्येक छोटे स्टेशन पर रुकती है जो इसके रास्ते में आता है। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस देवगिरी एक्सप्रेस को प्रत्येक स्टेशन पर नहीं

रोका जाना चाहिए और इसके नाम के अनुसार इसे एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चलना चाहिए। यह रेलगाड़ी मुम्बई से चलकर सिकन्दराबाद तक जाती है। मराठवाड़ा के सभी अतिविशिष्ट व्यक्ति इस रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। पहले उसमें केवल प्रथम श्रेणी की बोगी थी। बाद में इसके स्थान पर ए० सी० टू टियर स्लीपर कर दिया गया। चूंकि यह एक लम्बी दूरी की रेलगाड़ी है और यह सिकन्दराबाद तक जाती है अतः, यह मांग रही है कि एक और ए० सी० टू टियर अथवा प्रथम श्रेणी बोगी इसमें जोड़ी जानी चाहिए।

दूसरे, मराठवाड़ा से मुम्बई के लिए कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं है। पुणे से मुम्बई अथवा नासिक से मुम्बई जाने वाली रेलगाड़ियां हैं। औरंगाबाद मराठवाड़ा की राजधानी है जो अजन्ता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। समस्त विश्व से लोग इन गुफाओं को देखने के लिए औरंगबाद आते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि नान्देड़ से पुरना तक के लिए एक रेलगाड़ी चलायी जानी चाहिए।

महोदय मेरा अनुरोध यह है कि यदि अब यह पुरना से मुम्बई के लिए प्रारम्भ की जाती है, तो मार्च में रेल लाइन बदलने के कार्य को पूरा करने के पश्चात् इसे नान्देड़ से मुम्बई तक चलाया जा सकता है, जो मराठवाड़ा के लोगों के लिए मराठवाड़ा रेलगाड़ी होगी। मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की सुपरफास्ट रेलगाड़ी के लिए यह मांग बहुत पुरानी है और मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पर ध्यान दे और मराठवाड़ा लोगों के लिए मुम्बई के लिए एक और सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलायें। इसके बाद, महोदय, नान्देड़ और अमृतसर के बारे में-मेरे कुछ सिख मित्र यहां बैठे हैं जो यह जानते हैं कि नान्देड़ एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है—पंजाब से कई लोग नान्देड़ की यात्रा करते हैं। वे ट्रकों में आते हैं। महोदय छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन का कार्य पुरना तक पूरा किया जा चुका है और नान्देड़ तक इसे मार्च तक पूरा किया जायेगा मेरा अनुरोध यह है कि यदि नान्देड़ से अमृतसर तक एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रारंभ की जाती है, तो इन धार्मिक स्थलों को एक रेलगाड़ी द्वारा जोड़ा जा सकेगा। यदि इस मांग को पूरा किया जाता है तो पंजाब से आने और पंजाब को जाने वाले सभी व्यक्तियों को निश्चित रूप से सुविधा होगी। अतः इस मांग पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जालना, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मराठवाड़ा का वाणिज्यिक केन्द्र है। लगभग समस्त माल भाड़ा जालना से जाता है और बजट का लगभग 60 से 70 प्रतिशत माल भाड़े से आता है और यात्रियों से बहुत कम मिलता है। इसलिए, यदि जालना स्टेशन पर गोदामों तथा अन्य कार्यों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाये तो आसानी से अधिक माल ढोया जा सकता है। इसलिए जालना रेलवे स्टेशन पर सभी आवश्यक प्रबन्ध चाहे गोदामों के अथवा अन्य के, किए जाने चाहिए और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि माल को आसानी से ढोया जा सके।

बीड़ से जालना जाने वाली एक रेल लाइन है। जालना शहर एक तरफ है जालना एक नया जिला है और समस्त प्रशासकीय काम्पलैक्स सर्वेक्षण सं० 48 में स्थापित किया गया है। यह स्थानीय लाइन प्रशासकीय काम्पलैक्स के बीच से होकर गुजरती है जहां हस्पताल, कलैक्टरेट, ज़िला परिषद, एस० पी, न्यायालय, तथा अन्य स्थित है, और शहर दूसरे भाग में है। इसलिए उस क्षेत्र के लिए एक रेल ओवर ब्रिज आवश्यक है। मैं यहां तक कि मुख्य मंत्री से भी मिला हूं। वे 50%

लागत को वहन करने के लिए सहमत हो गये है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जालना-बीड सड़क पर रेल ओवरब्रिज बनाया जाना चाहिए ताकि शहर से प्रशासकीय काम्पलैक्स को जाने वाले लोग अधिक आसानी से जा सके।

अब, महोदय, मैं नई लाइनों पर चर्चा करने जा रहा हूं जालना से एक बहुत पुरानी मांग है। जैसे जालना मराठवाड़ा का व्यापारिक केन्द्र है, उसी तरह खमगांव विदर्भ का व्यापारिक केन्द्र है। यदि इन दोनों व्यापारिक केन्द्रों को रेल द्वारा जोड़ दिया जाये, तो वे दोनों पिछड़े क्षेत्र जुड़ जायेंगे। 20-30 वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे संभव नहीं समझा गया था। पिछली बार भी मैं इस विषय में बोला था। श्री मुकुल वासनिक, जो बुलडाना से है, और जो खमगांव का प्रतिनिधित्व करते है, भी इस विषय में बोले थे। माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि इस जालना-खमगांव सर्वेक्षण को पुनः किया जाये। मुझे विश्वास है कि यदि सर्वेक्षण किया जाता है तो इसके परिणाम सकारात्मक होंगे क्योंकि अब समस्त अवसंरचना बदल चुकी है। बाद में रेल लाइन बिछाने का कार्य भी किया जाना चाहिए।

महोदय, एक अन्य बहुत पुरानी मांग है जो मेरी वहन, काकु क्षीर सागर करती रहती है। वे भी मंत्री महोदय से मिली है। हम और मराठवाड़ा के अन्य लोग भी मंत्री से मिले थे। समस्त मांग अहमदनगर, बीड़ तथा पराड़ी की है। मराठवाड़ा में बीड़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई रेल लाइन नहीं है। बीड़ से कोई रेल लाइन नहीं गुजरती। इसलिए यह अहमदनगर बीड़-पराड़ी रेल लाइन बिछायी जानी चाहिए। मंत्री ने उनको तथा हमें भी वचन भी दिया है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस नई रेल लाइन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

एक और लाइन जिसे गांव परिवर्तन के लिए लिया गया था, वह लातुर-मिराज छोटी लाइन है। पंडारपुर वाइटल मंदिर महाराष्ट्र में एक पवित्र मंदिर है। न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि कर्नाटक से भी लोग उस मंदिर की यात्रा करते हैं अतः, भारत की लगभग आधी जनसंख्या पंडारपुर वाइटल मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। एक छोटी रेल लाइन पंडारपुर को न केवल लातुर तथा मिराज से जोड़ती है बल्कि कुरूड़वाड़ी तक भी जाती है। यदि आप पूनी गांज नीति के अनुसार इस लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित कर सकते हैं तो निश्चय ही पंडारपुर जाने वाले तीर्थयात्री सभी लाभों को प्राप्त कर सकेंगे।

अन्त में, मैं क्षेत्रों के पुनर्गठन के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासन का उल्लेख करना चाहता हूं। मराठवाड़ा दक्षिण-मध्य रेल के अन्तर्गत आता है। महाराष्ट्र का कुछ भाग दक्षिण-मध्य रेल के अन्तर्गत आता है। दक्षिण-मध्य रेल का मुख्यालय हैदराबाद है। हम हर समय हैदराबाद नहीं जा सकते। यहां तक कि मराठवाड़ा के लोग भी कार्य करने के लिए सदा मुम्बई जाते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी आदमी दक्षिण-मध्य रेल में नियुक्त नहीं है। इसलिए, इन सभी कारणों को देखते हुए यदि आप मराठवाड़ा क्षेत्र को महाराष्ट्र क्षेत्र के एक भाग में मिला देते हैं अथवा यदि आप इसे मध्य रेल के साथ मिलाते है, तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें लाभ प्राप्त कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः अनुदान की अनुपूरक मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं।

श्री० सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे रेल मंत्रालय से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं आल इण्डिया अन्ना डी० एम० के० और तमिलनाडु के अपने निर्वाचन क्षेत्र डिन्डिगुल के मतदाताओं की ओर से इस चर्चा में कतिपय मुद्दे शामिल करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इन टिप्पणियों पर विचार करेगें और इनका जवाब देंगे।

चालू उदारीकरण कार्यक्रम के अनुरूप रेलवे आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने और अपनी परिचालनात्मक कार्यकुशलता को और अधिक कारगर बनाने हेतु विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है। अतः विभिन्न उपायों की घोषणा की जा रही है और उन में से कुछ उपायों को क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है।

मैं माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुपूरक अनुदानों की मांगों को नियमबद्ध तरीके से लाया गया है अथवा इन्हें किसी अन्य कारण से लाया गया है। मेरे विचार से इन्हें लगातार तीन रेल बजटों में परिकलित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्प अथवा नाममात्र की निधियों का आबंटन करने के फलस्वरूप प्रबल आवश्यकताओं के कारण लाया गया है।

महोदय, हमारे रेल मंत्री के समक्ष यह वांछनीय कार्य है। यह भी सच है कि हम वित्तीय संकट को दूर नहीं कर सकते। रेलवे में शीघ्र ही सभी रेलगाड़ियां समान लाइनों पर चलने लगेगी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वे वित्तीय संकट का सामना भी कर रही हैं। मैं केन्द्र के सामान्य बजट से अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करने के माननीय रेल मंत्री के प्रयासों में उनका सहयोग करना चाहता हूं। रेलें हमारे सामाजिक ढांचे के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई हैं। रेलें विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की भौगोलिक सीमाओं को पार करती हैं। राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को प्रोत्साहित करने में रेलवे द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के लिए मैं उसे बधाई देता हूं। हमारे जैसे विशाल देश में इसके लिए और अधिक प्रेरणा दिये जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रेलवे राष्ट्रीय अखण्डता का द्योतक है और यह भी पूर्णतया सत्य है कि इसके द्वारा यात्रियों को समान रूप से सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सत्य है कि रेलवे द्वारा यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायेंगे तथा रेलवे के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न इकाईयों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेंगी।

जब हम यह देखते हैं कि कतिपय राज्यों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। अथवा उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो हम केवल यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि अब आपकी राष्ट्रीय अखण्डता की भावना कहां गई।

3.00 बजे

मैं यह बताना चाहता हूं कि मद्रास में जन त्वरित परिवहन प्रणाली की प्रगति बहुत धीमी गति से चल रही है। लेकिन दूसरे स्थानों पर क्या हुआ है ? जिस समय दिल्ली के लिए जन त्वरित परिवहन प्रणाली का सुझाव दिया गया था तो उस समय इस पर आगे कार्यवाही करने के लिए एक

करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। और इस सम्बन्ध में केवल एक व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए शीघ्र ही 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाने वाली है। यह कल्पना की गई है कि दिल्ली महानगर परियोजना की लागत लगभग 8.000 करोड़ रुपये आयेगी। यदि इसका सौवां भाग मद्रास जन त्वरित परिवहन प्रणाली के लिए शुरू से ही उपलब्ध कराया गया होता तो अब तक हम अत्यधिक लाभांश देने वाली एक अर्थक्षम परियोजना को पूरा कर चुके होते। इसके अतिरिक्त, इस पर होने वाली अधिक लागत से भी बचा जा सकता था।

मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू की जांच करें और मद्रास में परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाली और अधिक विलम्ब से बचने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। मुझे इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है और यह मद्रास प्रान्त् की पूर्व राजधानी भी रही है तथा बिन्ध्यांचल पर्वत से आगे केवल यही एक महानगर है।

हम यह जानते हैं कि रेल मंत्री कर्नाटक से हैं और हम यह भी जानते हैं कि इन्हें भारतीय रेलों को चलाने का दायित्व सौंपा गया है। हमें इस सब बातों की जानकारी है लेकिन समस्या यह है कि रेल मंत्री महोदय यह नहीं जानते जो हम जानते हैं। उन्हें इस आलोचना से बचने का प्रण करना चाहिए कि वह कर्नाटक तक ही सीमित है। इस सम्बध में ऐसा कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए जो रेल गाड़ियों के चलने में होता है। उन्हें इस धारणा को दूर करना चाहिए कि वह केवल कर्नाटक तक ही सीमित हैं। उन्हें पथ से विचलित होने से पहले सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। तमिलनाडु और अन्य राज्य के लोगो की भी निःसन्देह यही इच्छा है।

मेरे विचार से रेल मंत्री को अभी हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पेरम्बूर इंटग्रेल कोच फैक्टरी की उत्पादन क्षमता को क्यों कम किया गया है लेकिन इसके साथ-साथ कपूरथला की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में रेल मंत्री को रेलवे के लोगों और तमिलनाडु के लोगों को उत्तर देना चाहिए। पेरम्बूर इंटग्रेल कोच फैक्टरी को यह कहा गया है कि वह अपनी उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष 700 कोच तक की कमी करें। आप इसे लाभ कमाने वाली और अग्रगायी कोच फैक्टरी, जिसका उद्घाटन श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं हमारा अभी भी यह विश्वास है कि तमिलनाडु में अभी भी कई बड़ी रेल योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं हालांकि इन परियोजनाओं के लिए नगण्य और अप्रयाप्त निधियों का आबंटन किया गया है। मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस असन्तुलन को दुर करें और तमिलनाडु के साथ बेहतर वर्ताव करें।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र डिन्डिगुल के लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। अभी हाल ही में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से हमारे ऐतिहासिक शहर को प्रोत्साहन मिला है। डिन्डिगुल अन्ना जिले का मुख्यालय है और यह वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम तथा औद्योगिक रूप से सक्रिय है और यह एक कृषीय जिला है।

इसलिए मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि डिन्डिगुल रेलवे जंक्शन को उचित महत्व दिया जाये। वहां विश्राम ग्रहों का निर्माण किया जाये और रेस्टोरेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। डिन्डिगुल रेलवे स्टेशन के निकट उपरिपुल का निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित पड़ा है।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए पर्याप्त निधियों को स्वीकृति प्रदान करके इनका आबंटन करें और अपने अधिकारियों से यह कहें कि इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाये ताकि इस शहर में तेजी से बढ़ रही यातायात की भीड़ से वचा जा सके।

नई डिन्डिगुल-मद्रास एक्सप्रैस रेलगाड़ी से इस शहर का तेजी से आर्थिक विकास होने में सहायता प्राप्त होगी। डिन्डिगुल वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्र के हाल में पुनः अपना महत्व प्राप्त कर रहा है जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ है।

3.05 म० प०

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

रेल लाइनों में परिवर्तन करके एक समान लाइन बनाने की प्रशंसनीय योजना के अन्तर्गत हमारे रेल मंत्री की मदुराई और डिन्डिगुल विशेष परियोजना से उसे भारत की बड़ी रेल लाइन नक्शे में स्थान प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह मदुराई से दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता जैसे मुख्य शहरों तक बरास्ता डिन्डिगुल सीधी रेलगाड़ियां चलायें

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के सभी रेल यात्रियों को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए रेल मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन मैं अभी भी यह अनुरोध करता हूं कि हमारे जैसे विकासशील देश में रेलों के सामाजिक दायित्व को बनाया रखा जाये।

कई औद्योगिक इकाईयों रेलवे पर निर्भर करती है। प्रौद्यौगिकी संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत रेलवे को एकाएक किसी भी विदेशी तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए। यह अच्छा है कि आप आगे बढ़ने की सोचते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको जहां तक हो सके स्वदेशी चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए।

वित्तीय संकट के समय में आप भेजने के लिए अत्यधिक चीजों का आयात करने पर भारी खर्च करने की स्थिति पर दो बार विचार करेगें। यह कहा जाता है कि रेलवे ने अपनी मुख्य भू-सम्पदा का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की योजनाएं अपनाई हैं। मुझे यह कहावत याद आती है कि चमड़ी जाये पर दमड़ी न जाये। अतः मैं माननीय रेल मंत्री को सतर्क करना चाहता हूं। रेलवे की विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण और निजीकरण करते समय उनको संचालित करने का प्रयास करने के लिए आप राज्यों और उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने पर क्यों नहीं विचार करते। उन्हें भारतीय रेलवे का सहायक बनने दें और उसका सहयोग करने दें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं, रेल मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करके एक दीर्घकालीन नीति और सापेक्ष महत्व की योजना तैयार करें। जब हमारी अर्थ व्यवस्था को व्यापक बनाया जा रहा है तो उस स्थिति में मैं यह महसूस करता हूं कि एक संतुलित राष्ट्रीय रेल नीति का होना आवश्यक है। उदारीकरण से हमारी व्यापक रेल व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय रेलवे को हमेशा भारतीय और सही अर्थों में भारतीय ही रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों तथा साथ ही अनुदान की अतिरिक्त मांगों के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं, जिन्हें अनुमोदन हेतु इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में, ये अनुपूरक मांगे नाममात्र धनराशि के लिए हैं, ये केवल 12000 रुपए के लिए हैं। लेकिन उन नई सेवाओं, सेवा के नए माध्यमों को शुरू करने के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया था। अतएव, ये नाममात्र की अनुदान राशियां रेल मंत्रालय को इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शक्तियां प्रदान करेंगी और बाद में इन परियोजनाओं को आवश्यक निधियों की आपूर्ति करेंगी।

मैं देखता हूं कि अनुपूरक मांगों में उल्लेख किए गए कार्यों की संख्या केवल 12 है और टोकन मांग के जरिए मांगी गई धनराशि केवल 12,000 रु० है, जो 1000 रु० प्रति मद होती है। इन 12 मांगों में से एक मांग अतिरिक्त 'रेक' लदान सुविधाओं के बारे में है और दूसरी मांग 'पैलेस मान व्हील्स्' की बड़ी लाइन के लिए आवश्यक 'रेक' से संबंधित है; जबकि मद सं० 3 से 7 विभिन्न स्थानों पर रेल पथों के नवीकरण के बारे में हैं।

मद सं० 8 शयनयान नवीकरण हेतु है। उसके बाद मद सं० 9 से 11 राजधानी रेल के मार्गों पर दूसरे सुदूर सिगनल के लिए है। अंतिम मांग सड़क उपरिपुल से संबंधित है जिसका कार्य निकट भविष्य में शुरू किया जाना है।

महोदय, यह संतोष की बात है कि रेल मंत्रालय अधिक से अधिक संख्या में रेल मार्ग नवीकरण तथा साथ ही शयनयान नवीकरण के कार्यों को शुरू कर रहा है, जैसाकि इन अनुपूरक मांगों से देखा जा सकता है। यह नोट कर भी संतोष होता है कि जहां तक वस्तुओं का संबंध है, उनके अवरोधन को टालने के लिए वे पुनः 'रैक' लदान सुविधा पर सोच विचार कर रहे हैं। सड़क उपरिपुल, जिसे भी इन मांगों के अंतर्गत शामिल किया गया है, इस बात का संकेत देता है कि जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच भी किसी प्रकार का कोई समन्वयन है जिससे रेलवे के भीड़भाड़ भरे यातायात को थोड़ी राहत दिलाई जा सकेगी। अतः इन मांगों का समर्थन करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो, जहां तक रेलवे का संबंध है, एक अच्छे कार्य के लिए उद्दिष्ट हैं।

जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण तथा साथ ही साथ उससे पहले के बजट भाषण में यह संकेत दिया था कि जब रेलवे आमान परिवर्तन पर बल दे रही है तो उसे रेल मार्ग नवीकरण और शयनयान नवीकरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा तथा यातायात की सुरक्षा के लिए वे रेल संचालन हेतु महत्वपूर्ण कारक है दुर्घटनाओं को टालने तथा सुरक्षित रेल यातायात प्रदान करने के दृष्टिकोण से रेल मार्ग नवीकरण, शयनयान नवीकरण तथा प्रमुख सिगनलों, जैसे; दूसरा सूदूर सिगनल देने की आवश्यकता पर और अधिक ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है।

अतः, जैसाकि मैने कहा था रेलवे अब अपना ध्यान महत्वपूर्ण मदों पर केन्द्रित कर रही है और मैं आशा करता हूं कि अब उन मदों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायगा जो रेल यातायात को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे।

इस दृष्टिकोण से , मेरी यह भी इच्छा थी कि बम्बई उपनगरीय रेल से संबंधित कुछ मदों

को भी इन अनुपूरक मांगों में शामिल किया जाना चाहिए था। मैं इस अवसर का लाभ रेल मंत्री तथा इस सदन का ध्यान बम्बई में उप नगरीय रेल यातायात की ओर आकर्षित करने के लिए उठाता हूं जो विध्वंश के कगार पर है। दिन-ब-दिन न केवल रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ रही है अपितु, जहां तक बम्बई का संबंध है, बम्बई उपनगरीय यातायात की उपेक्षा भी की जा रही है।

अभी हाल ही में, बार-बार अव्यवस्थित होने वाले यातायात तथा बम्बई उप नगरीय रेलों के बार-बार विसंघटित होने की कई घटनाएं बम्बई उप-नगरीय जिले में हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप दैनिक यात्री उद्वेलित हो गए और उन्होंने रेलवे की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया तथा तोड़-फोड़ की। इन यात्रियों को बम्बई उप-नगरीय रेल यातायात के ठप हो जाने के कारण अचानक असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

हाल की घटना अभी परसों, 8 अगस्त को डोम्बीविली में एक मालगाड़ी के अचानक पटरी से उतर जाने के कारण हुई। अचानक एक माल गाड़ी यातायात के व्यवस्तम क्षणों के दौरान उस समय पटरी से उतर गई जब लोग अपने-अपने कार्य स्थलों पर समय से पहुंचने के लिए भागमभाग में थे जिससे कि उन्हें कार्यालय में विलम्ब से आया न घोषित किया जाए अथवा उनका आकस्मिक अवकाश न काटा जाए। रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की ऐसी घटनाएं उस समय होती है जब लाखों लोग सुबह के व्यस्थतम यातायात के दौरान अपने-अपने कार्यस्थलों पर पहुंचना चाहते हैं जिसकी परिणति यह होती है कि उपनगरीय यातायात करीब-करीब पांच से छः घंटे तक ठप पड़ जाता है। जहां तक उस विशेष मार्ग का सम्बन्ध है, वहां कल्याण से विक्टोरिया टर्मिनल के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं थी। यह रेल दुर्घटना मध्य रेल के दिवा और डोम्बीविली स्टेशनों के बीच हुई। उसकी परिणति न केवल यातायात ठप होने में हुई अपितु क्रुद्ध भीड़ ने पत्थर फेंके तथा रेल सम्पत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। मैं उनके व्यवहार को उचित नहीं ठहराना चाहता। लेकिन हमें मामले की तह तक भी जाना चाहिए। जब लाखों लोग सुबह के व्यस्ततम यातायात में अपने-अपने कार्यस्थलों को पहुंचने के लिए बेचैन होते हैं तो उपनगरीय रेलों के इस तरह से अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने से, जिसमें यात्री रोज खचाखच भरे होते हैं, न केवल लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपितु वे क्रुद्ध भी हो जाते हैं और तब उनकी परिणति रेल सम्पत्ति को नुकसान के रूप में होती है। हमें इससे अवश्य ही सबक सीखना चाहिए तथा बम्बई उपनगरीय यातायात की समस्याओं पर फौरन ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हों,

इससे पहले गड़बड़ 26 जुलाई, 1994 को हुई थी। 26 जुलाई, 1994 को मध्य रेलवे के अमरनाथ में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति मारा गया था तथा पश्चिम रेल, बम्बई में हुई पत्थर बाजी और लाठी चार्ज में अन्य कई घायल हो गए थे। इस प्रकार अमरनाथ में भी अचानक गड़बड़ हुई और सारा यातायात रुक गया इसी प्रकार, उसी दिन पश्चिम रेल में सुबह 10 बजे से दोपहर 1200 तक अंधेरी और बोरिविली के बीच यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया और बोरिविली स्टेशन पर फंसे यात्रियों ने 1.00 बजे से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तथा संकेतकों, सिगनलों, इत्यादि पर हमला बोल दिया। यात्रियों ने जानकारी के अभाव की भी शिकायत की। अतः, ऐसे मौकों पर न केवल यात्रियों को कोई राहत नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी भी नहीं दी जाती जिससे कि वे वहां से इधर जा सकें अथवा कोई अन्य परिवहन व्यवस्था का सहारा ले सकें। जहां तक बम्बई उपनगरीय रेल सेवाओं का सम्बन्ध है, यह रेल अधिकारियों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा

है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना ध्यान बम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली की ओर ध्यान दें ताकि इस प्रकार की गड़बड़ आगे से न हो जिसके फलस्वरूप यात्री क्रुद्ध हो जाते हैं और तोड़फोड़ करके रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जुलाई माह तथा अगस्त के गत कुछ दिनों में व्यस्ततम यातायात के दौरान बम्बई उपनगरीय रेल सेवा में रेलों के पटरी के उतरने तथा इसके फलस्वरूप यातायात ठप हो जाने की सात घटनाएं हुई हैं।

ऐसी पहली घटना 2 जुलाई को हुई जब शताब्दी एक्सप्रेस बम्बई सेन्ट्रल यार्ड में शंटिंग कर रहे एक इंजन से टकरा गई जिसके फलस्वरूप गाड़ी पटरी से उतर गई और यातायात ठप हो गया। उसके बाद पुनः 4 जुलाई को नालासोपरा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई जिसकी परिणति उपनगरीय रेल यातायात अवरुद्ध होने के रूप में हुई। तत्पश्चात् 7 जुलाई को मीरा रोड और भयन्दर के बीच एक रेलवे क्रेन पटरी से उतर गई।

जहां तक इन सेवाओं का सम्बन्ध हैं, ये सभी घटनाएं महज दुर्घटनाओं की वजह से नहीं हुई बल्कि रेल प्राधिकारियों की उपेक्षा के कारण भी हुई हैं। 13 जुलाई को पुनः भारी वर्षा के कारण पश्चिम और मध्य रेल मार्ग पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई; कल्याण के निकट एक अन्य घटना में एक माल गाड़ी का ब्रेक सिलेन्डर गिर जाने के कारण चार में से तीन ट्रैक (रेल मार्ग) अवरुद्ध हो गए। इससे पता चलता है कि रेलगाड़ियों के ब्रेक पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। रेल मार्गों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। शयनयानों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी समय-सारिणी कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि जब सुबह-सुबह जिस तरह से भीड़ का सैलाब आता है उसी समय अचानक पूरी प्रणाली ठप पड़ जाती है और जब सुबह का हर मिनट कीमती होता है जब लोग अपने-अपने काम पर भाग रहे होते हैं उसी समय बम्बई उपनगरीय रेल सेवा अचानक ठप हो जाती है और जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को गुस्सा आ जाता है उससे बम्बई उपनगरीय रेल सेवा के दैनिक यात्रियों को कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं रेल प्राधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि इससे पहले कि बम्बई में हालात गम्भीर मोड़ लें, बम्बई उपनगरीय रेल सेवा में सुधार किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाय तथा और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। नई परियोजनाएं, जैसे कि छठा 'कोरिडोर' बम्बई उपनगरीय रेल सेवा के लिए तुरन्त शुरू किया जाए चाहे उसके लिए अनुपूरक मांगों का सहारा क्यों न लेना पड़े ताकि बम्बई उपनगरीय यातायात की सघनता एवं भीड़ भाड़ को कम किया जा सके और कम से कम व्यस्ततम क्षणों के दौरान यातायात नियमित रूप से सुगम बना रहे। इसके अलावा जब लोग अपने कार्यालयों से घर लौटते हैं तो कम से कम इस व्यस्त समय में तो बम्बई की उपनगरीय रेल सेवा को समय बद्ध नियमित तथा अधिक से अधिक सुविधा युक्त रहना चाहिए ताकि लोगों को अधिक राहत मिल सके और इन गाड़ियों में अधिक भीड़भाड़ न रह सकें।

इन शब्दों के साथ महोदया, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे बम्बई की उपनगरीय यातायात व्यवस्था पर ध्यान देवें जो कि, विफलता के कगार पर है, जैसा कि मैंने कहा था।

मुझे खेद है क्योंकि इस अवधि के दौरान केवल रेल मंत्री महोदय को ही बोलना था परन्तु मैं आशा करता हूं कि वे हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का फायदा उठाते हुए टिप्पणी करेंगे।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर० शरीफ) : कल ही मैंने दोनों महाप्रबंधकों को बुलाया था। हम लोगों ने इस मामले पर चर्चा की है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

आज रेल के अनुपूरक बजट 1991-92 और 1994-95 हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हम सब इसका समर्थन करते हैं। अनुदान संख्या 6, 8, 13, 15 और 16 के अनुसार 1991-92 में 293.99 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए है यह उस सम्बन्ध में हैं। इसमें भविष्यनिधि, पैंशन, सेवा आदि का खर्च था, 37, 69, 30, 598 रुपये दूसरे एवं अन्य खर्च हुए थे। सभापति जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि रेल परिवार आज देश का सबसे बड़ा परिवार है, इससे तमाम उद्योग जुड़े हुए हैं। इसके कुछ सदस्यों को असन्तोष हो सकता है लेकिन हम सब को विश्वास है कि हमारे वर्तमान रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ जी एक अनुभवी, मेहनती और कुशल प्रशासक हैं, यह इन सब समस्याओं को दूर कर लेंगे।

मैं दो एक समस्याऐं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे प्रमोटी अधिकारियों की एक समस्या है। यह रेल विभाग में 70 प्रतिशत कार्य कर रहे हैं। इनकी फैडरेशन ने 1991 में माननीय रेल मंत्री जी को एक मैमोरेण्डम दिया था। 30 जुलाई, 1992 को मंत्री जी फैडरेशन के अधिकारियों के साथ बैठे। आपने उनकी सब बातें बड़े गौर से सुनी और उनका और बोर्ड का मतभेद दूर करने के लिए आपने बोर्ड को आदेश दिया और कहा कि एक समझौता होना चाहिए। 9 सितम्बर, 1993 को जब यह समझौता नहीं हुआ, रेलवे बोर्ड ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय रेल मंत्री जी ने दूसरा आदेश दिया और कहा कि प्रमोटी अधिकारियों को कोटा ग्रुप ए की प्रोन्नति में 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाय। उसके बाद डेढ़ वर्ष हो गया, आज तक मंत्री जी की बातों का रेल विभाग ने पालन नहीं किया। हमें बड़ा आश्चर्य है कि जहां हम लोग अपने रेल मंत्री पर गर्व करते हैं, वहीं जब यह सब बातें होती हैं तो थोड़ा दुख होता है। इसपर हमें विचार करना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो आपके आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। अब हमने सुना है कि 20 अगस्त, 1994 को यह सारे के सारे प्रमोटी अधिकारी प्रधान मंत्री के आवास पर मार्च करेंगे। यह क्या समस्या है ?

1994-95 की अनुपूरक मांगों को मैं देख रहा था। इसमें 12 हजार की एक टोकन राशि की मांग की गई है। इसमें बिना बारी उन कार्यों को किया जायेगा, जो अब तक सम्पन्न नहीं हुए हैं, नवीन कार्यों को किया जायेगा। इस टोकन राशि में निश्चित ही करोड़ों रुपये खर्च होंगे। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह कहूंगा कि जरा इसपर भी आप ध्यान दें।

हमने बड़े गौर से देखा सूची में 12 निर्माण कार्य है, जिनमें से 10 निर्माण कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे के हैं, एक दक्षिण मध्य रेलवे का है और एक कार्य दक्षिण रेलवे का है। इसमें नार्थ ईस्टर्न रेलवे या नोर्दर्न रेलवे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं इसे देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि रेलवे तो एक बहुत बड़ा विभाग है, उसकी तमाम ब्रांचेज हैं, तमाम जोन्स हैं, उसमें कुछ के लिए ही ऐसा क्यों किया गया है तो ऐसा क्यों ? नार्थ ईस्टर्न रेलवे में भी निर्माण कार्य होना चाहिए लेकिन

इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी का उधर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उधर पूर्वोत्तर के प्रति उपेक्षा न बरती जाय।

हम बनारस से रेल पर आते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में आमान परिवर्तन का कार्य हो रहा था। इलाहाबाद से गोरखपुर तक आमान परिवर्तन कर दिया गया लेकिन औरिहार से छपरा तक अभी होना बाकी है। उसके लिए भी हाउस में बयान दिया गया है कि वह शीघ्र ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं रेल मंत्री जी से कहूंगा कि जरा वह ध्यान दें कि आजकल बनारस स्टेशन की बड़ी चर्चा चल रही है कि इसे उत्तर रेलवे में मिलाया जाय कि पूर्वोत्तर रेलवे में मिलाया जाय।

ये दोनों स्टेशनों पर वाराणसी कैंट स्टेशन पर, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे, दोनों का वहां पर प्लेटफार्म था। दोनों की गाड़ियां उसी स्टेशन पर रुकती थी। अब जब वहां पर छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई तो एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि इसको नार्दन रेलवे के आधीन रखा जाए या पूर्वोत्तर रेलवे के आधीन रखा जाए। वहां से नार्दन रेलवे का ऑफिस तीन किलोमीटर दूरी पर लखनऊ में है और पूर्वोत्तर रेलवे का ऑफिस वहां से केवल एक किलोमीटर दूरी पर वाराणसी में है। यह स्वाभाविक है कि यदि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको डी० आर० एम० वगैरह के नियंत्रण में रखना है तो एक किलोमीटर दूरी वाले स्थान से उसको कनेक्ट करना चाहिये, न कि उसको तीन सौ किलोमीटर दूरी वाले स्थान से करना चाहिये। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस सुझाव पर भी वह गंभीरता से ध्यान दें।

मान्यवर, यहां पर एक दिन जीरों ऑवर में मामला उठा था। वहां पर एक शिवपुर स्टेशन है वहां कोयला उतारा जायेगा और एक साल से वहां पर कोयला उतारा जाने लगा है। शिवपुर स्टेशन बस्ती के अंदर वाराणसी में बसा हुआ स्टेशन है। वहां पर चारों तरफ स्टेशन 20 कदम की दूरी पर बस्ती शुरू हो जाती है और वहां आपने कोयला उतारना शुरू कर दिया। वहां कोयले का गर्दा उड़ता है जिसके कारण तमाम नागरिक परेशान हैं, किसी को क्षय रोग हो रहा है, किसी को टी० बी० हो रही है। वहां अनशन और प्रदर्शन जारी है। वहां पर रोजाना निवेदन किया जा रहा है, डी० एम० गए, यहां तक कि डी० एम० ने कई पत्र लिखे। वहां के कमिश्नर ने पत्र लिखा कि यहां से जो स्कीम आप कोयला उतारने के लिये बनाए हैं इसको 2-4 किलोमीटर दूरी पर, जहां शहर खत्म होता है और आपके दूसरे स्टेशन है वहां पर आप इसको उतारना शुरू कर दें। रेलवे की संसदीय सलाहकार समिति गई और उसने भी उसको देखा, उसने भी कहा कि यह काम बहुत अनुचित है और हम लोग रेल मंत्रालय से सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन आज तक सिफारिश होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अभी कल हमको उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का पत्र मिला है तो उन्होंने कहा कि यह जो कोयला उतारा जाता है उद्योगों के लिए होता है क्योंकि यहां से उद्योग नजदीक हैं। अरे, जब उद्योग वहां से नजदीक हैं तो 4 किलोमीटर दूरी से भी वही समस्या होगी और अब तक आप कहां कोयला उतार रहे थे, अभी तक तो आप वहां नहीं उतार रहे थे अब क्यों उतारना शुरू कर दिया? इसलिये इस पर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। हमने सुना है कि वहां के नागरिक मुकदमा कायम करने जा रहे हैं इससे अपने लोगों को परेशानी होती है और यह विवेक की भी बात नहीं है। रेल अधिकारी माननीय मंत्री जी को गलत सुचनाएं देते हैं इस पर वह ध्यान दें।

मान्यवर, हम कई बार इस हाउस में केटरिंग व्यवस्था के संबंध में कह चुके हैं। हमने यहां पर एक दिन आंकड़ा देखा था, पर साल का आंकड़ा है कि तीन वर्षों में लगभग 122 ठेके कुल विभिन्न लोगों को दिये गए हैं। हम लोग आप पर बहुत निर्भर करते हैं, आपके प्रति बड़ी आशाएं हैं और हम यह भी समझते हैं कि माननीय रेल मंत्री, जाफर शरीफ जी का ध्यान उपेक्षित वर्गों पर, छोटे वर्गों पर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर काफी है लेकिन दुख होता है जब ध्यान रखते हुए भी उनका ध्यान उधर नहीं जाता। इनमें 122 ठेकों में से केवल 7 या 8 ठेके शेड्यूल्ड कास्ट्स को दिए गए, इसलिए इस पर मंत्री जी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदया, मैने एक दिन मंत्री जी से कहा हमको खुशी है कि आपको जब यह जानकारी मालूम हुई तो आपने तत्काल उस पर कार्यवाही की लेकिन अभी तक उस कार्यवाही का कोई रिजल्ट नहीं निकला। वाराणसी के आगे एक मुगलसराय स्टेशन है जो नार्दन रेलवे में आता है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट की एक बेरोजगार लोगों की संस्था है जिसमें कम से कम 40 से अधिक पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक उस संस्था के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। इतने लोग किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते होंगे। एक ठेका आपने 1982-83 में एक एस॰ सी॰ एस॰ टीज की सोसायटी को दिया था, जब आप रेल राज्य मंत्री थे और उसकी बदौलत उनके 28-30 परिवार आपके कृतज्ञ हैं, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है। प्लेटफार्म नंबर 1-2 पर एक सवर्ण का ठेका है और प्लेटफार्म नंबर 3-4-5-6 पर इस सोसायटी को ठेका दिया गया है, लेकिन इस सोसायटी से 4-5 गुना अधिक शुल्क लिया जाता है, जितना प्लेटफार्म नंबर 1-2 से लिया जाता है। मंत्री जी को हमने सारा रिकार्ड भेजा है जांच करवाने के लिए, हाउस में भी इस बात को उठाया गया है, रेल मंत्री जी को भी कहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाई नहीं की गई है। क्या यह शुल्क का अंतर इसलिए है क्योंकि वह ठेका अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया है ? इसी तरह से वाराणसी का जो नया स्टेशन बना है, इसके बारे में भी मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इसका ठेका भी यदि उस अनुसूचित जाति-जनजाति सोसायटी को दे दिया जाए तो 50-60 परिवारों का कल्याण होगा, उन लोगों के परिवार आपके ऋणी रहेंगे। आपने इस काम को करने के लिए कहा भी था, रिपोर्ट भी मंगवाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है, अनुसूचित जाति के लोगों का दुर्भाग्य है, पढ़े-लिखे नौजवानों का दुर्भाग्य है कि इस कार्य को डप कर दिया गया है। अभी आपने फिर इस पर टिप्पणी मंगवाई है और हमें विश्वास है कि आप इस काम को अवश्य करवाएंगे।

महोदया, मैं सिर्फ 1-2 छोटी-छोटी समस्याओं की तरफ और ध्यान दिलाऊंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। दुल्लहपुर, जखनिया और सादात रेलवे स्टेशन पर पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद कोई रेल मंत्री नहीं पहुंचा, लेकिन वहां के लोगों को बहुत खुशी हुई जब जाफर शरीफ जी वहां पर पहुंचे, वहां के लोगों ने बहुत स्वागत किया और कुछ अपनी समस्याएं भी रखीं। एक दो साल से एक नई रेलगाड़ी चलवाई गई है जो गोरखपुर से सीधे बंबई जाती हैं। यह रेलगाड़ी दुल्लहपुर और सादात स्टेशनों के बीच और गोरखपुर के बीच जितने स्टेशन पड़ते हैं, उन सब स्टेशनों पर जो 30-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, रुकती है, लेकिन मऊ के बाद इतनी फास्ट हो जाती है कि जहां पर बड़ी-बड़ी मंडियां हैं, देहात के बाजार हैं या जो बड़े कस्बे हैं, उन पर भी नहीं रुकती है। इसके बारे में वहां के तमाम नागरिकों ने निवेदन किया है, इससे इस क्षेत्र का विकास होगा।....(व्यवधान) ।

आपने इस संबंध में आदेश भी दिया है। मेरा निवेदन है कि दुल्लहपुर, जखनिया और सादात इन तीनों स्टेशनों पर वह गाड़ी रुकनी चाहिए, जो कि 30-32-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि एक स्टेशन पर यह गाड़ी रुकेगी। मेरा निवेदन है कि जो कस्बे हैं, बड़े देहाती बाजार हैं, गल्ला मंडियां हैं, उन पर भी इस गाड़ी को रोकना चाहिए।

शाहगंज, जौनपुर, औडियार 12-13 स्टेशनों की लूपलाईन 50 साल पहले अंग्रेजों के जमाने की है और इस लाईन की इतनी दुर्दशा है कि गाड़ी कहां रूक जाए, इसका कोई पता नहीं होता। इस लाईन पर चलने वाली गाड़ियों से अधिकतर ग्रामीण लोग यात्रा करते हैं, लेकिन न स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था है, न शेड बने हुए हैं, न लाईट है, न कर्मचारी वहां पर काम करना चाहते हैं, जब किसी का उधर ट्रांसफर हो जाता है तो वह उसको कैंसिल करवाने के लिए मंत्री जी के पास दौड़ेगा। सिगनल खराब हो जाएगा तो हफ्ते तक खराब ही रहेगा और गाड़िया आती-जाती रहेंगी।

हमने कई बार निवेदन किया कि वहां पर किराकत, मुफ्तीगंज, औडियार और होमी पनरही यादवेन्दु नगर स्टेशन हैं जहां पर सही व्यवस्था की जाए। उस गाड़ी में उपेक्षित ढंग से पुराने डिब्बे लगाए जाते हैं। आपने वहां पर नए डी० आर० एम० श्री नंदा को भेजा। हमने उनसे कहा कि आप इस गाड़ी को देखने चले, लेकिन वे हमारे साथ नहीं अकेले गए। उस गाड़ी के डिब्बों में सारे बैंच टूटे पड़े हैं, शीशा नहीं है और बाथरूप बहुत गंदा है, इसलिए इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने सिधौना पर एक हाल्ट स्टेशन शुरू कर दिया जो चार वर्ष तक चलता रहा। नागरिकों को उससे बहुत सुविधा थी। वहां पर एक कालेज खुल गया। वहां के स्टुडेंट्स ने बिना टिकट जाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने मंत्रालय को रिपोर्ट दी तो वह बंद हो गया। हम लोगों ने कहा कि क्या लड़कों पर बड़ों को सजा मिलेगी? अपराध के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे बिना टिकट न चलें इसलिए कालेज के प्रिंसिपल से मिले तो हमें कहा गया कि इस पर घाटा चल रहा है इसलिए यह हाल्ट स्टेशन नहीं रहेगा। लाखों स्टेशन हैं तो क्या हर स्टेशन पर आप फायदा कमाते हैं? कोई ऐसी बात तो नहीं है? इसलिए कहीं घाटा उठाना पड़ेगा तो उसको उठाना चाहिए। एक मरौडा हाल्ट स्टेशन हमारे क्षेत्र में बना है। अधिकारियों ने कहा कि तीन एकड़ जमीन चाहिए। बड़ी कीमती जमीन गांव वालों ने दी और सौ ट्रक मिट्टी वहां पर गिरा दी। हमने सोचा कि हाल्ट स्टेशन बन गया है तो गाड़ी रुकेगी। फिर किसी ने कहा कि एक किलोमीटर दूरी पर बस स्टाप हैं इसलिए यह हाल्ट स्टेशन नहीं बनेगा। दिया हुआ कांट्रेक्ट वापिस ले लिया गया और सच्चाई यह है कि वहां से 12 किलोमीटर दूरी पर बस का स्टाप नहीं है तो मैं आज लोकसभा से त्याग पत्र देने को तैयार हूं। जिस आदमी ने वह रिपोर्ट पेश की है उससे जवाब तलब करना चाहिए कि तुमने रेल मंत्रालय को इस प्रकार से गुमराह क्यों किया? यह सोचने की बात है। वहां पर एक मगई नदीं पर छोट सा पुल है। हर महीने ट्रेन आने पर दो-तीन आदमी कट जाते हैं। एक बार तीन वर्ष पहले गोरखपुर एक्सप्रैस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन पाया है। बार-बार कहा जाता है कि इसको चौड़ा कर दिया जाए। यह कहा जाता है कि मगई नदी और बेसो नदी पर पुल को चौड़ा कर दिया जाए। आजादी के बाद दो-सौ से अधिक लोग मर चुके हैं लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम वोट लेने के लिए जाते हैं कि कांग्रेस को वोट दे दो। क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा? रेल

मंत्रालय कहेगा कि जबकि दूसरी सरकार भी थी लेकिन काफी समय कांग्रेस की सरकार थीं जो छोटी सी चीज को पूरा नहीं कर सकी। ये मार्मिक बातें हैं। रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम में एक बड़ा पवित्र काम किया है उसमें माननीय मंत्री जी का बड़ा हाथ था। वाराणसी में एक कैंसर इंस्टीच्युट बना दिया गया जहां पर हिंदुस्तान ने दस करोड़ से अधिक लोग लाभ उठाते हैं। माननीय मंत्री जी अभी वहां जाने वाले थे तो हमने सोचा कि उनसे बात की जाए। लेकिन मंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हम चाहते थे कि वह इंस्टीच्युट आपको दिखाया जाए। वहां पर 12 डाक्टर आज छह साल से नहीं हैं और वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है और कई एम० बी० बी० एस० डाक्टर भी वहां पर नहीं है। वहां के लोगों ने मांग की थी, हमने भी मांग की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां कोई डायरेक्टर नहीं था। अब मंत्रीजी के दिमाग में आया है और आपने एक बहुत अच्छे और वरिष्ठ डाक्टर जिनका नाम शायद एम० पी० शर्मा है, दानापुर के हैं, उनको नियुक्त किया है। जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई, अखबारों में निकला तो वहां की जनता ने आपको बधाई दी कि आपने कम से कम एक अच्छे डाक्टर को वहां डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। अब सुना जा रहा है कि वहां से उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। आप आदेश दें कि उनको तुरंत रिलीव किया जाये। यह भी सुना जा रहा है कि कोई वहां कह रहा है कि इनके आने के हम जूनियर हो जायेंगे। वहां का कैंसर अस्पताल रेलवे के लिए एक गौरव की बात है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उनकी तुरंत रिलीव करायें। हमारे पास मंत्रीजी के आदेशों की कापी पड़ी हुई है। आपने तीन बार आदेश दिये हैं। पहली बार आदेश दिया था कि यहां पर डाक्टर्स की तदर्थ नियुक्ति की जाये। रेलवे से उत्तर गया कि तदर्थ नियुक्ति नहीं होती है। आपने फिर कहा सी० एम० ओ० और डी० जी० आर० एच० एस० को कि ये लोग नियुक्ति कर लें और नियुक्ति तब तक प्रभावित रहेगी जब तक संघ लोक सेवा आयोग से कन्फर्म नहीं हो जाती है। लेकिन आपके इन सारे आदेशों की घोर उपेक्षा की गई है। इस कारण वहां डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आप इस पर ध्यान दें।

हमारे यहां दिल्ली से वाराणसी होकर पटना के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है। कम से कम हम 30-35 सांसदों ने आपसे निवेदन किया था कि आपने यह रेलगाड़ी चलाई, यह एक अच्छी बात है। यह दिल्ली से वाराणसी के लिए यहां से दोपहर 1.20 पर चलती है। इसके ठीक दस मिनट बाद काशी एक्सप्रेस उसी लाइन से, उसी जगह से चलती है। जब शुक्रवार होता है और संसद का सप्ताह का आखिरी दिन होता है तो हमें 1.20 पर यह गाड़ी पकड़नी पड़ती है। यदि कोई गाड़ी शाम को सात बजे चले तो हम लोग शुक्रवार को सदन की पूरी कार्यवाही में हिस्सा लेकर सुविधाजनक रूप से उसको पकड़ सकते हैं। शाम को वाराणसी के लिए कोई गाड़ी नहीं है। हम आपके आभारी हैं, हम लोगों की बड़ी मांग थी कि ऐसे ही वाराणसी से दिल्ली के लिए शाम को कोई गाड़ी चलाई जाये। आपने सप्ताह में तीन दिन डीलक्स को वाराणसी से शाम आठ बजे चला दिया है। हम आठ बजे रात को चलकर सुबह आठ बजे दिल्ली आ जाते हैं और सदन को अटेंड कर सकते हैं। दिन भर हम क्षेत्र का काम करते हैं। यह गाड़ी अक्सर लेट चलती है, जैसे कि श्रमजीवी एक्सप्रेस लेट चलती है। आप पिछले 100 दिन का चार्ट उठाकर देख लें, करीब 90 दिन यह गाड़ी सात-आठ घंटे लेट चलती है और 1.20 के बजाय यह शाम को 7 बजे हमेशा चलती है। इसी को अगर रेगुलर 7 बजे कर दिया जाये तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही वाराणसी से यह दोपहर में तीन बजे चलती है तो इसको आप रात को नौ बजे कर दें। ऐसे ही डीलक्स एक्सप्रेस

का समय कर दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कभी उसमें लाइन क्लियर नहीं होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है। तो इसपर भी ध्यान देना होगा। मैं एक बात पैंटरी कार की सर्विस के बारे में कहना चाहूंगा। मैं 3 अगस्त को यात्रा कर रहा था। मुझे भूख लगी तो वेटर से खाना लाने को कहा। उसने वैज य नौनवेज के बारे में पूछा तो मैंने नौन वेज लाने के लिये कहा। वह खाना दे गया टुंडला स्टेशन आने पर खाना शुरू किया पैसेजरों ने देखा कि मुझे उलटी आने लगी है जिससे हम परेशान हो गये। मेरे शैडों की भी यही हालत होने लगी। मेरे पास कोई टेबलेट भी नहीं थी किसी पैंसेजर से टेबलेट लिया गया और कानपुर पर एक संदेश भिजवाया कि इलाहाबाद पहुचने पर मैडिकल आफिसर उपलब्ध कराया जाये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो एम० ओ० आया और न ही फूड इंस्पैक्टर आया। जब ए० एस० एम० वाराणसी को फोन करवाया तो किसी दूसरी जगह से एम० ओ० और फूड इंस्पैक्टर आये। उन्होंने खाने का सैम्पल लिया। सब पैसेजरों ने मुझे बधाई दी कि किसी की बात नहीं सुनी जाती यदि आप यहां न होते। अब हमें विश्वास हो गया है कि आपके द्वारा हमारी बात रेल मंत्री तक जरूर पहुंचेगी। उसके बाद इस बात की छानबीन की गयी और पाया गया कि उस वेटर का 1990-91 के बाद मैडिकल नहीं हुआ था मांस के टुकड़े का सैम्पल लिया तो पता चला कि वह सड़ा हुआ था। आटा थर्ड क्लास का था। उसके बाद जब मैं उसी गाड़ी से दूसरे दिन वापस आया तो वही वेटर और उसी पैंटरी कार का खाना इतना बढ़िया था कि जितना हमें मंत्री महोदय भी अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं। इस प्रकार शिकायत करने के बाद इतना बढ़िया खाना मिला। हमने पूछा कि इसमें परिवर्तन कैसे आया कि तुमने इतना बढ़िया खाना दिया ? वेटर का कहना था कि यदि वह सैम्पल वापस ले लिया जाये और मंत्री जी तक यह बात न जाये अब खाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी। हमने कहा कि यह बात मंत्री जी तक जरूर जायेगी क्योंकि हमें मालूम था कि रेलवे की डिमांड्स आने वाली है। इसलिए यह सब बात आपके सामने कह रहा हूं। मुझे तो इस बात का गम नहीं है लेकिन पैसेंजरों की क्या हालत हुई होगी जो सैकड़ों की संख्या में वाराणसी स्टेशन उस दिन पर खड़े हो गये थे। उनका फिर यही कहना था कि गाड़ी दो मिनट या दो घंटे और खड़ी हो जाये हमें धैर्य यह सारा वाक्या मंत्री जी तक ध्यान पहुंच जाये इसके लिये शुक्रगुजार हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा।

सभापति महोदया, रेलवे में यह देखा गया है कि दक्षिण की गाड़ियों में खाना अच्छा और साफ सुथरा मिलता है लेकिन न जाने क्यों उत्तर भारत की गाड़ियों में यह गड़बड़ हो रही है ? इसमें हमारा दोष है कि यहां पर गाड़ियों में चेन पुलिंग ज्यादा होती है। इसलिये हमें अपना उत्तरदायित्व पूरा करना होगा। इस संदर्भ में यह निवेदन करूंगा कि यह उत्तर और दक्षिण भारत की बात नहीं है, यह तो रेलवे की बात है जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक जुड़ा हुआ है चाहे वह माल के रूप में हो या यात्रा के रूप में हो और यहां तक कि जो हवाई जहाज से यात्रा करता है, वह भी कभी न कभी रेल से यात्रा करता ही है। मुझे आशा है कि आम जनता की इन तकलीफों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका कृतज्ञ हूं।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : पीठासीन महोदया, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं, आपका अत्यंत आभारी हूं तथा मैं केन्द्रीय सरकार के रेलों पर हो रहे व्यय को बहन

करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड 1 (क) के अनुसरण में सभा के पटल पर रखी गई अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं, इन अनुपूरक मांगों का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में रेल विभाग के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं हमारे माननीय रेल मंत्री ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की है। इसलिए मैं रेलवे की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उन उपलब्धियों में से चार-पांच का उल्लेख करूंगा।

रेल मंत्री महोदय ने यूनी-गेज परियोजना शुरु करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस परियोजना के तहत निर्धारित 2800 कि॰ मी॰ रेल लाइन के आमन परिवर्तन के लक्ष्य की तुलना में 2970 कि॰ मी॰ रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया गया इस प्रकार उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया। 1994-95 के 1600 कि॰ मी॰ रेल लाइन के आमान परिवर्तन लक्ष्य की तुलना में अभी तक 438 कि॰ मी॰ रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य पूरा किया जा चुका है।

कोकण परियोजना पर भी कार्य चल रहा है और यह भी माननीय रेल मंत्री महोदय की एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकार इस परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपयों का निःशुल्क बोनस दे रही है।

तीन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस सहित 336 नई रेल गाड़ियां चलाई गई जो कि निःसंदेह एक रिकार्ड है।

पहले दो राजधानी एक्सप्रेस शुरु की गई थीं। तीन वर्षों के दौरान 7 नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू की गई है। शताब्दी एक्सप्रेस सहित 18 नई मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई हैं। तीन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई है। 2 और शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष 12 रेल गाड़ियों के गंतव्य स्थान को बढ़ाया गया है और 10 रेल गाड़ियों की सेवा को बढ़ाया गया है।

जुलाई, 1994 से 150 मेल तथा एक्सप्रेस तथा 300 पैसेंजर रेल गाड़ियों की गति को 40 से 45 मिनट तक बढ़ाया गया। लगातार तीन वर्षों से रेलवे ने क्रमशः 337.98 मिलियन टन, 350.05 मिलियन टन तथा 362.11 मिलियन टन माल ढो कर राजस्व में वृद्धि की है। वर्ष 1994-95 के लिए 380 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने 1993-94 में 2, 37,000 कंटेनरों को हैडल किया जबकि 1991-92 में इसने 1,08,300 कंटेनरों को ही हैंडल किया।

गत तीन वर्षों के दौरान 46 शहरों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।

4.00 म॰ प॰

कृपया मेरी बात सुनें क्योंकि मैं, आप लोगों ने जो कहा था, उसका ही उल्लेख कर रहा हूं।

महोदया, इस तीन वर्षों की कार्यावधि में 60 से 80 प्रतिशत आरक्षण का कार्य कम्प्यूटर में हो रहा है। जहां तक रेल पथ के विद्युतीकरण का संबंध है गत तीन वर्षों के दौरान 1725 कि॰ मी॰

की तुलना में 11,817 कि० मी० रेल पथ का विद्युतीकरण किया गया। 1993-94 में 91 रेल स्टेशनों को बिजली उपलब्ध कराई गई। अब कुल 7112 रेलवे स्टेशन विद्युतीकृत हो गए हैं रेल मंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि 145 स्टेशनों का विद्युतीकृत किया जायेगा।

जहां तक प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने का संबंध है, यह एक अच्छी उपलब्धि है। हॉलाकि हमने कुछ रेल ईजन खरीदे हैं, हमारे आधुनिक ईजन अन्य देशों के आधुनिकीकृत ईजनों से मुकाबला करने में सक्षम हैं। 1993-94 में रेलवे उत्पादन ईकाई, का कार्यनिष्पादन अच्छा रहा है। वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप में निर्धारित लक्ष्य 145 ईजनों की तुलना में 152 ईजनों का उत्पादन हुआ। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस में निर्धारित लक्ष्य 130 रेल ईजनों की तुलना में 150 रेल ईजनों का उत्पादन हुआ। मद्रास स्थित इंटिग्रल कोच फैक्टरी में भी निर्धारित 1000 रेल डिब्बों की तुलना में 1025 रेल डिब्बों का उत्पादन हुआ। हांलाकि हमारे मैं माननीय रेल मंत्री की केवल अच्छी उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहा हूं फिर भी मैं रेल मंत्री महोदय को अपनी शिकायतों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मेरी शिकायतों में से एक शिकायत यह है कि मैंने रेल मंत्री महोदय को दक्षिण-पश्चिमी जोन को दो भागों में विभक्त करने के लिए बार-बार अनुरोध भेजा है। इन दो जोनों में से एक का मुख्यालय उड़ीसा में हो। यह मेरा सानुरोध निवेदन है क्योंकि वे तथा सारा देश अच्छी तरह जानता है कि रेलवे को अपनी आय की $\frac{1}{3}$ आय दक्षिण पश्चिमी जोन से हो रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1992 में दक्षिण-पश्चिमी रेलवे द्वारा 19532 तथा 1993-94 में 7892.5 वैगनों में माल लादा और उतारा गया। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि इस जोन की व्यापकता तथा यहां पर कार्य के बोझ को देखते हुए इस जोन को दो जोनों में विभक्त कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में भी मुझे बड़े खेद के साथ। रेल मंत्री महोदय को निवेदन करना है कि इस जोन के महाप्रबंधक मध्य रेलवे जोन के साथ-2 दक्षिण पश्चिमी जोन का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। वे केन्द्रीय जोन के साथ-साथ पूर्वी जोन के भी प्रभारी हैं।

4.04 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

यहां पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने एक उत्तर में यह बताया कि उन्होंने उड़ीसा को नई रेल लाइनों तथा लाइनों के दुहरीकरण के लिए कितनी धन राशि दी है। मैं इस बारे में एक के बाद एक का उल्लेख करना चाहता हूं। कारोपुट-रायगढ़ एक नई रेल लाइन है जिसकी लम्बाई 164 कि० मी० है। इस परियोजना की लागत 491.20 करोड़ रुपये हैं तथा मार्च 1994 तक इस परियोजन पर 387.94 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष केवल 17 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को यथा शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए-क्योंकि यह परियोजना काफी समय से चल रही है तथा यदि यह तत्काल पूरी नहीं की जाती है तो इसकी लागत दुगुनी अथवा तिगुनी हो जायेगी। अतः इसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए इसके लिए अधिक धन राशि दी जानी चाहिए।

तलचर-सम्बलपुर रेल लाइन की लम्बाई 172 कि० मी० है। इस परियोजना की लागत 220 करोड़ रुपये है तथा अभी तक 99.66 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, इस वर्ष के लिए 35.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

लाजीगढ़ रोड-जूनागढ़ रेल लाइन की दूरी 54 कि॰ मी॰ है इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये हैं, इस पर केवल 0.50 करोड़ रुपये व्यय किये गए, हैं। इस वर्ष केवल 2 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं।

दैतारी-बासपानी रेल लाइन की लम्बाई 147 कि॰ मी॰ है। इस परियोजना की लागत 242-35 करोड़ रुपये हैं। अभी तक इस पर 11.50 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं तथा इस वर्ष 23 करोड़ रुपये व्यय आवंटित किए गए हैं।

खुर्दा रोड़-बोलंगिर रेल लाइन का कार्य पूरा हो गया है। परन्तु फिर भी मंत्री महोदय ने इस परियोजना को अन्तिम रूप देने हेतु 1 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। दोहरीकरण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बोदला-बिरम कटक और थेरूवाली-पुमदा लाइन की लंबाई 100 किलोमीटर है और इसकी लागत 84.20 करोड़ रुपये है; व्यय की गई राशि 78.05 करोड़ रुपये है और इस वर्ष आबंटित धन राशि 4.17 करोड़ रुपये हैं।

जोरादा रोड-हिंडोल रोड़ लाइन की लम्बाई 28 कि॰ मी॰ है और इसकी लागत 25.09 करोड़ रुपये है। इस पर अब तक 22.46 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और 2-63 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

तलचर-हिंडोल रोड लाइन की लम्बाई 32 कि॰ मी॰ है। इसकी लागत 27.61 करोड़ रुपये है तथा अब तक इस पर 19.91 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और 6.71 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

रजतगढ़-नेरगुडी लाइन की लम्बाई 26 कि॰ मी॰ है और इसकी लागत 37.64 करोड़ रुपये है और इस वर्ष इसके लिए 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

जहां तक विद्युतीकरण का संबंध है, यद्यपि खड़गपुर से खुर्दा रोड़ तथा खुर्दा रोड़ से विजाग तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य हो चुका है तथापि इस कार्य के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यह एक मुख्य लाइन है। रेलवे द्वारा इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है और माननीय मंत्री को भी इसे मान लेना चाहिए। यह एक उचित और औचित्यपूर्ण मांग है। लाइनों के विद्युतीकरण की इन परियोजनाओं के लिए तत्काल अधिक धन राशि आवंटित की जानी चाहिए।

महोदय, आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस सभा में मैंने शोर मचाया था ताकि मंत्री जी मेरी शिकायतों को महसूस करें और मंत्री जी ने मेरी शिकायतों को महसूस किया है और मंत्री जी ने मुझे आशवस्त किया है कि रुपसा-बंगेनपुरी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाएगा। अब तक उन्होंने आधार शिला रखने के तीन बार प्रयास किये हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब तक आपका कार्यक्रम तीन बार रद्द हुआ है। आपने आधारशिला रखने हेतु अपना कार्यक्रम बनाया है। परंतु, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया अपने उत्तर में मुझे आशवस्त करें कि इस सत्र के पश्चात् आप वहां जाएंगे और आधारशिला रखेंगे। अन्यथा, मैं इस सभा से निकल जाऊंगा। यदि माननीय मंत्रीजी के दिल में कोई सहानुभूति है तो उन्हें इस सभा को आश्वस्त करना

चाहिए कि इस के बाद वे वहां जाएंगे और रूपसा-बंगेनपुरी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में आधारशिला रखेंगे।

हरिदासपुर से भुवनेश्वर तक एक रेल लाइन है। जब एक रेलगाड़ी चल रही होती है तो दूसरी रेलगाड़ी नहीं आ सकती। अतः महानदी नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए।

जहां तक इस सभा में मेरे अनुरोध का संबंध है परामर्शदात्री समिति और अनेक मंचों पर यह बात उठाई गई है कि यद्यपि हावड़ा स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां लाखों यात्री कलकत्ता से आते और जाते हैं, हावड़ा स्टेशन की हालत बयान करना कठिन है, नया काम्प्लेक्स जहां रेलवे कार्य कर रहा है वह पूर्वी जोन का है और सभी प्रयोजनों के लिए वे कार्य नहीं कर सकते हैं। वहां यात्रियों तथा कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि कर्मचारियों को पेयजल लैट्रिन से लेना पड़ता है; छत पर पंखे नहीं हैं, यद्यपि वे रोज 25 से 30 लाख रुपये का कारोबार करते हैं परंतु उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, बिजली चली जाती है और उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है। अतः इन सब बातों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि नीलांचल एक्सप्रेस शोरों स्टेशन पर रुकनी चाहिए। इस विधान सभा क्षेत्र के लोग काफी समय से यह मांग करते आ रहे हैं। वे मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र में आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं उनकी यह एक छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सका हूं। अतः इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी भी परामर्शदात्री समिति में इस बात से सहमत हुए है।

मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि बालासोर तथा नीलगिरी रोड़ के बीच बंगला नामक स्थान पर भी रेलगाड़ी रुकनी चाहिये। इसकी जांच की गई है। इसमें कोई खर्च नहीं है। वहां प्रत्येक सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए। केवल तभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा पाऊंगा।

महोदय, हम कई बार अपनी शिकायतें माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाते रहे हैं। मैंने एक मुसलमान महिला के मामले की जानकारी माननीय मंत्री जी को दी थी। एक वर्ष से अधिक समय से मैं इस मामले पर कार्यवाही करता आ रहा हूं। उन्होंने साक्षात्कार दिया था। यद्यपि वह एक अल्पसंख्यक समुदाय की है तब भी उसे नौकरी नहीं दी गयी है और वे लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप से अनुरोध है कि आप आश्वासन दें कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। फाइल आपके पास भेज दी गई है; आपको इस पर विचार करना चाहिए।

जिन परिवारों ने रेल लाइनें बनाने हेतु अपनी जमीन दी है, रेल नियमों के अनुसार उन परिवारों को या तो मुआवजा अथवा किसी तरह का रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक ऐसे परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रेलवे में रोजगार मिलना चाहिए। परंतु इसका उचित रूप से पालन नहीं हो रहा है। मैं इन सभी मामलों को लिखित में माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाऊंगा और मुझे आशा है कि वे बाद में इस पर विचार करेंगे।

मेरे विचार माननीय सभापति और माननीय मंत्री जी का रवैया मेरे प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। मैं हार्दिक रूप से उनका धन्यवाद करता हूं।

डा० वसंत पवार (नासिक) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं इन अनुदानों की मागों का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं मध्य रेलवे की कुछ शिकायतों की जानकारी आपको देना चाहता हूं।

मध्य रेलवे में मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाट क्षेत्र विशेष रूप से ईगतपुरी-कसावा क्षेत्र रहा है। प्रत्येक रेलगाड़ी तकनीकी खराबी के कारण आधे घंटे क लिए यहां रुकती है। मैंने कई बार अनुरोध किया था कि इस तकनीकी खराबी को न्यूनतम किया जाना चाहिए। इसमें ए० सी०/डी० सी० करंट की कुछ समस्या है। परंतु मुझे आशा है कि ए० बी० बी० इंजनों के उपलब्ध होने के बाद हम इस तकनीकी समस्या को समाप्त कर पाएंगे ताकि रेलगाड़ियां निर्धारित समय पर चल सकें।

जैसाकि बताया गया है कि बम्बई उप-नगरीय रेलों में भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें उस क्षेत्र से अलग अधिक उप-नगरीय बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए। नासिक बम्बई का एक उप-नगर है। नासिक से प्रतिदिन यात्री नौकरी करने बम्बई जाते हैं। सुबह एक विशेष सुपरफास्ट कुर्सीयान गाड़ी नासिक से बम्बई के लिए चलनी चाहिये जो कार्यालय खुलने से पहले बम्बई पहुंच जाये तथा शाम को कार्यालय बंद होने के बाद बम्बई से नासिक आये।

मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा बताई गई सभी उपलब्धियों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक उपलब्धि यह है कि उन्होंने बम्बई से मनमाड़ के बीच एक तपोवन एक्सप्रेस चलाई है। मैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री भटनागर का धन्यवाद करता हूं जिनके प्रयासों से यह रेलगाड़ी चलाई गई। परंतु इस गाड़ी को चलाए जाने के तत्काल एक माह बाद इसे परमणी तक बढ़ा दिया गया । अतः अब यह गाड़ी लगातार लेट चल रही है। जो गाड़ी नासिक तथा मनमाड़ के लोगों के लिए चलाई गई थी उसमें इन लोगों के लिए ही जगह नहीं रहती है। रेलगाड़ी में खड़े होने या बैठने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता है। यह गाड़ी शयनयान अथवा भोजनयान के बिना परमणी और बम्बई के बीच आठ घंटे चलती रहती है। तपोवन एक्सप्रेस में भोजनयान भी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी छानबीन करें और सुनिश्चित करें कि तपोवन एक्सप्रेस गाड़ी में भोजनयान का प्रबन्ध किया जाए। कार्यालय जाने वालों के लिए नासिक और मुम्बई के मध्य एक नई गाड़ी आरम्भ की जाए। यह कहा गया है कि नासिक एक अन्तिम लक्ष्य स्टेशन नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नासिक औद्योगिक और खेतीवाड़ी के रूप में विकसित विशाल शहरों में से एक हैं यहां पर कर्षण मोटर कार्यशाला के साथ-साथ विद्युत इन्जीनियरि स्थान भी हैं। रेलवे की इन दोनों इकाइयों को नासिक पर रेलगाड़ियों के अस्थाई रखरखाव के लिए अयोग किया जा सकता है यदि नासिक में स्थान नहीं है तो पास के स्टेशन, भोड़हा, को वह सुविधा दी जा सकती है और गाड़ी चलाई जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अस्थाई लक्ष्य का निमार्ण करने हेतु ऐसा प्रावधान अथवा पूर्वोदाहरण हो सकता है और नई गाड़ी चलाई जा सकती है। पंचवटी एक्सप्रेस के लिए ए० सी० डी० सी० तकनीकी के दोषी होने समस्या है। यह गाड़ी मुम्बई देर से पहुंचती हैं। वी० टी० स्टेशन पर एक या अतिरिक्त प्लेट फार्म का निमार्ण किया जा रहा है। मैं समझता हूं सुबह के समय में, 10 अथवा 10.30 के पहले इसे नासिक से मुम्बई तक की नई गाड़ी के लिए मुहैया कराया जा सकता है। इसे सीघ्र शुरू किया जाना चाहिए ताकि मेरे क्षेत्र के रेल यात्री लाभान्वित हो सकें।

हमने कई बार मांग की है कि नासिक रेल स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा आरम्भ की जानी चाहिए और मुझे पता चला है कि यह कार्य प्रगति पर है लेकिन इसे अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। इसे शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिए।

अब यह कहा गया है कि सात राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां और कई शताब्दी एक्सप्रेस गाडियां चलाई गई हैं लेकिन मध्य रेलवे में भोपाल और मुम्बई के मध्य न तो कोई राजधानी एक्सप्रेस हैं न ही शताब्दी एक्सप्रेस और इसके अलावा भी ऐसी कोई अन्य गाड़ी है जिससे यात्री मुम्बई से दिल्ली होते हुए भोपाल जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं यदि मध्य रेलवे पर शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से मुम्बई तक चलाई जाये अथवा कोई नई गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाये जो मध्य रेलवे में मुम्बई और दिल्ली के बीच चले तो इससे सभी सम्बन्धित लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

गीतांजली एक्सप्रेस, जो मुम्बई से आरम्भ होती है और सीधे भुसवाल पर रुकती है, को नासिक पर रोकने का मेरा एक छोटा सा अनुरोध काफी समय से लम्बित पड़ा है। उसे तकनीकी कारणों से वहां रोका जाता है लेकिन इगतपुरी पर टिकट नहीं दिया जाता है। अतः मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह मेरे अनुरोध पर विचार करें यह 500 कि. मीटर के लगभग अथवा इससे अधिक है यदि आप इगतपुरी अथवा नासिक पर गाड़ी रोकते हैं तो जो लोग पश्चिम बंगाल से नासिक में आकर बस गए हैं, लाभान्वित होंगे। इगतपुरी पर रोकने की हमारी पुरानी मांग है मैं इसके लिए जोर दे रहा हूं ताकि वह कृपया इसपर विचार करें।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पुष्पक एक्सप्रेस, जो मुम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस है, का भी यहां पर स्टाप नहीं है। नासिक रोड़ रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के ठहराव की भी रेल यात्रियों की बहुत पुरानी मांग हैं और मैं माननीय मन्त्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं हमने कई बार पत्र लिखे हैं और हमें हमेशा नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसा करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए नहीं तो यह कार्य लम्बित ही पड़ा रहेगा।

महोदय, नासिक अंगूर, गन्ना और सब्जियां उत्पन्न करके एक बड़ा सब्जी का क्षेत्र हैं जहां से वे मुम्बई भेजी जा रही हैं मैंने सुझाव दिया था कि आप नासिक से मुम्बई के लिए एक वेजिटेबिल एक्सप्रेस गाड़ी चला सकते हैं जो सब्जियों को ढ़ो सकेगी जोकि सड़क मार्ग से सम्भव नहीं है क्योंकि सड़क पर सैकड़ों ट्रक चलते हैं और मार्ग सुविधा जनक नहीं है। यदि सड़क ठीक नहीं है तो समय पर सब्जियां बम्बई नहीं पहुंच सकेगी। अतः आप नासिक से मुम्बई के लिए वेजिटेबल एक्सप्रेस गाड़ी चलाए और इसमें भी आप को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सकेगा। मैने पहले भी यह सुझाव दिया था कि यदि आप एक नई रेल लाइन का निमार्ण करें तो आप महाराष्ट्र और गुजरात को वारास्ता पुणे, नासिक और सूरत को जोड़ सकते हैं। यह सर्वेक्षण किया जाना चाहिए क्या पुणे, नासिक और सूरत के इन तीन औद्योगिक शहरों को रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार नासिक और गुजरात के जनजातीय क्षेत्र को और महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की तरफ ध्यान दें। हमने एक रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, वह मनमाड़-मालेगांव-नर्दना धूलिया लाइन से संबंधित है। विगत में इसके लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक इस कार्य को आरम्भ

नहीं किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मनमाड़-मालेगांव नर्दना-धूलिया रेलपट्टी के सर्वेक्षण कार्य को आरम्भ करे।

ओड़ा, खेरवाड़ी, सुकेने, निदड, लाटसालगांव रेलवे स्टेशनों में कुछ समस्याएं हैं। उनकी मांग की है रेलवे प्लेटफार्मों की लम्बाई के साथ-साथ प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ायी जाएं लेकिन इन कार्यों को शुरु नहीं किया जा रहा है और जो सफाई हमेशा दी जाती है वह यह है कि इस पर यात्री यातायात बहुत कम है। मैं अनुरोध करता हूं कि वहां पर काफी माल यातायात है और सब्जियां, अंगूर, प्याज, गन्ना और चीनी अधिकतम मात्रा में निदड़ लाटसालगांव और नासिक से ढ़ोये जा रहे हैं ये रेलवे स्टेशन अधिकतम मात्रा में लाभ अर्जित कर रहे हैं जोकि प्रत्येक क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये से कम नहीं है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था भी सही ढंग से की जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास होने के साथ-साथ यहां के यात्रियों को भी सुविधायें प्राप्त हो सके।

विगत में मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि वह रेलवे में संसाधन जुटायेंगे हर स्टेशन पर हम काफी संख्या में माल डिब्बे, रेक्स आदि वेकार पड़े देखते हैं यदि इनका उचित इस्तेमाल किया जाए तो उसमें राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ मध्य रेलवे में यातायात के लिए पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध हो सकेंगे।

जहां तक रेल फाटकों का सम्बन्ध है ओड़ा में हमने इलैक्ट्रोनिक रेल फाटक की व्यवस्था की मांग की मैं समझता हूं कि वहां इतना प्रावधान कर दिया गया है लेकिन कुडुंवाड़ी विकास और लाटसालगांव पर इलैक्ट्रौनिक रेल फाटक नहीं है जो राजमार्ग पर स्थित है और जहां बहुत अधिक यातायात है। यदि इस स्थानों, पर इलैक्ट्रोनिक रेल फाटकों का प्रबन्ध कर दिया जाए तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी होऊंगा। इस समय वहां फाटकों पर चौकीदार है लेकिन अब उन्हें इलैक्ट्रोनिक रेल फाटकों में बदला जाना चाहिए। एक और फाटक की मेरी पुरानी मांग है जोकि शोलापुर खण्ड में कुसमोड़ी नामक स्थान के संबंध में है जहां गांव के पास तीन चार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और रेल लाइन पार करते हुए तीन चार लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस मामले पर राज्य सरकार और रेल विभाग के बीच तालमेल की आवश्यकता है। इसके लिए एक नया फार्मूला है कि राज्य सरकारों को फाटक बनाने के खर्च का 50% देना पड़ेगा और उस व्यक्ति के लिए जो फाटक का संचालन करता है के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह कार्य रेलवे और राज्य सरकारों के ताल-मेल से ही किया जा सकेगा, तभी रेल फाटकों से संबंधित ऐसी समस्याओं का निपटान किया जा सकेगा।

ओड़ा और लाटसालगांव में उपरि रेल पुल की मांग है निफाड़ में उपरि रेल पुल बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन यह कहा गया है कि 1995-96 की योजना में इसके लिये प्रावधान किया जाएगा लेकिन राज्य सरकार ने अभी इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है और इसीलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और रेल विभाग के बीच तालमेल की आवश्यकता है। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान देने की कृपा करें।

एक अन्तिम वात जो मैं कहना चाहता हूं वह एक यात्री गाड़ी के बारे में है जो भुसावल से मनमाड़ के वीच चलती है। भुसावल से मनमाड़ के बीच चलने वाली इस यात्री गाड़ी को इगतपुरी

तक चलाया जाना चाहिए और यदि ऐसा कर दिया जाता है तो इसके कई अधिक यात्रियों का लाभ होगा। वह गाड़ी आम व्यक्ति के लिए है और इसे आसानी से आगे तक के लिए बढ़ाया जा सकता है जिससे किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि भुसावल-मनमाड़ यात्री गाड़ी को इंगतपुरी तक बढ़ा दिया जाए और इसे भुसावल-इंगतपुरी और इंगतपुरी-भुसावल यात्री गाड़ी बना दिया जाए। ऐसा करने से और अधिक यात्रियों से लाभ होगा।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यात्रियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में नासिक और निघड के बीच तीन चार डाके पड़ चुके हैं। ऐसा तीन चार वार हो चुका है और इसलिए हमें रेल डिब्बों में कुछ रेल गार्डों की व्यवस्था करनी चाहिए केवल इसी प्रकार हम इसे नियन्त्रित कर सकते हैं यह समय की मांग है यात्रियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। गाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मध्य रेलवे के भुसावल मण्डल पर अधिक ध्यान देने की कृपा करें ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रेल यात्रियों को लाभ हो सके। यदि भुसावल मण्डल पर उचित ध्यान दिया जाए तो रेलवे को भुसावल मंडल से अधिकतम राजस्व अर्जित हो सकता है।

श्री एम० कृष्णस्वामी (वंडिवाशी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं रेलवे की अनुदान की अनुपूरक मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि रेलवे का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा और प्रभावी है। विशेषरूप से रेल मंत्री हमारी रेलवे को बेहतर बनाने हेतु गंभीर कदम उठा रहे हैं। मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुअन्नामलाई नगर में एक रेल फाटक है। यह जिला मुख्यालय है। तमिलनाडु का तिरुअन्नामलाई मंदिरों का शहर और तेजी से विकसित हो रहा है। यहां रामना आश्रम के नाम से एक आश्रम मौजूद है जिसे देखने के लिए प्रति माह अनेक विदेशी यहां आकर रुकते हैं। वास्तव में उन्होंने कुछ जमीन खरीदी है और मकान बनाए हैं तथा वहां रह रहे हैं।

यहां एक और आश्रम बन रहा है। स्वामी जोगी सरत कुमार उत्तर प्रदेश से यहां आए और लगभग 30-40 वर्ष से तिरुअन्नामलाई नगर में बसे हुए हैं। हजारों भक्तजन इनके दर्शनों के लिए यहां आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शहर है और यहां समाहर्ता तथा पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। सभी कार्यालय यहां पर हैं। नगर में एक रेल फाटक हैं। रेलगाड़ियां दो या तीन वार गुजरती हैं। उस समय रेल फाटक बंद रहता है अविलम्बनीय स्थिति में भी लोग यहां से नहीं गुजर सकते हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नगर में एक रेलवे ऊपरिपुल बनाया जाए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नगर है।

इसी तरह, तिरूअन्नामलाई जिले के पोलुर में एक रेलवे ऊपरिपुर की आवश्यकता है। दोनों रेल फाटक राज्य के राजमार्ग पर हैं। यहां यातायात की भीड़भाड़ रहती है। लोग चल नहीं पाते हैं। प्रत्येक आधे या 45 मिनट के बाद यह फाटक बंद हो जाता है। मैं, माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे तिरुअन्नामलाई तथा पोलुर के ऊपरिपुलों की ओर अधिक ध्यान दे।

इसके अतिरिक्त, चिंगलपेट, उथीरामेरू, वंदावासी और तिरुअन्नामलाई से होकर मद्रास से सेलम तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव था। मुझे बताया गया था कि वर्ष 1948 या 1952 में एक सर्वेक्षण हुआ था। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़ा है। रेल मंत्री बजट में सांकेतिक राशि की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि आवश्यक सर्वेक्षण किये जा सके और परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके।

वैकल्पिक तौर पर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मद्रास से पेरमबदूर तक नई रेलवे लाइन बिछाने का एक प्रस्ताव है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी का स्मारक श्री पेरूमबदूर में स्थित है।

यदि मद्रास से श्री पेरमबदूर तक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है तो उस लाइन को कांचीपुरम तक बढ़ाया जाना चाहिए। कांचीपुरम एक बड़ा और पुराना नगर भी है उसी के बाद चेयार और तिरूअन्नामलाई आते हैं। यह संभव है। यह बहुत प्रभावी लाइन है; अतः इस पर विचार किया जा सकता है। रेल मंत्रालय इन लाइनों का सर्वेक्षण करवा सकता है और इस पर अधिक ध्यान दे सकता है क्योंकि यह लाइन बहुत लाभप्रद है। कांचीपुरम भीतरी भाग में स्थित है जो अनेक नगरों को आपस में जोड़ता है। मैं अब भी यह कह सकता हूं कि वहां के रहने वाले लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। अतः मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं इस बात पर विचार करे और यदि संभव हो तो श्री पेरमबदूर कांचीपुरम-चेयार-तिरूअन्नामलाई-सलेम लाइन के लिए कुछ निधि की व्यवस्था करे।

निःसंदेह, मेरे मित्र भी रोजगार के बारे में बता रहे हैं। कई मामलों में मैंने अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान हेतु इस मामले को प्रस्तुत किया। माननीय मंत्रीजी इसे आसानी से स्वीकार कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं, वे अनुकंपा के आधार पर रोजगार उलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जब यह प्रस्ताव विभाग के पास जाता है तो वहां के अधिकारी कुछ आपत्ति लगाकर उस फाइल को वापस लौटा देते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। यदि मैं किन्ही मामलों को मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं तो वे तत्काल उसे स्वीकार करते हैं और अभ्यावेदन के हाशिये पर लिखते हैं। नियुक्त किया जाए', 'विचार किया जाए', क्योंकि वे तथ्यों को जानते हैं और गरीब लोगों की भावनाओं के बारे में जानते हैं। परंतु फिर भी नौकरशाह तथा अन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इस बात पर विचार किया जाए।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करें और चेयार, श्री पेरमबदूर, चेट्टापुट, तिरुअन्नामलाई हेतु नई लाइनों के लिए आवश्यक निदेश जारी करें और साथ ही साथ पुराने प्रस्ताव यथा वंदावाली, तिरूअन्नामलाई तथा अन्य स्थानों से जाने वाली लाईन पर भी विचार करें दक्षिण रेलवे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निदेश दे कि वे इन नई लाइनों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुदान की मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का भी समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सोच रही हूं कि माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूं या उनकी तारीफ के लिए कुछ शब्द कहूं या अपने क्षेत्र के लिए क्षोभ व्यक्त करूं। राजस्थान के उस प्रांत को आजादी के इतने सालों बाद भी याद नहीं किया लेकिन मंत्री जी ने याद किया है। आपने तीन सालों के काम के बाद भी एक क्रांतिकारी कदम से राजस्थान को अछूता नहीं छोड़ा। मैं सोच रही हूं कि क्षोभ से शुरू करूं या धन्यवाद से। धन्यवाद तो कुछ शब्दों में दे दिया। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाके के बारे में क्षोभ व्यक्त करना चाहती हूं। इस समय मंत्री जी सदन से बाहर चले गए हैं तो उस इलाके के प्रति उदासीनता दर्शाती है। एक महिला सदस्य के बोलने से मंत्री जी बाहर चले गए है तो यह दर्शाता है कि वे कितना कद्र करते हैं। संपूर्ण राजस्थान को दृष्टि में रखते हुए दक्षिणी राजस्थान को अछूता छोड़ दिया गया है चाहे ब्राडगेज का मामला हो या उदयपुर से जयपुर तक की लाईन का मामला हो, चाहे मऊ चित्तौड़ से उदयपुर तक लाईन बढाने का मामला हो, चाहे अहमदाबाद की लाईन को उदयपुर से नाथद्वार तक लाईन को एक्सटेंड करने का मामला हो, चाहे टोड़ा राज की लाईन के सर्वे का मामला हो, लेकिन कोई भी मामला इन तीन सालों में सुलझकर नहीं आया है।

सभापति महोदय, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं कि राजस्थान में विदेशी टूरिस्ट करीब-करीब 60 प्रतिशत आता है। उसमें से 50 प्रतिशत उदयपुर जाता है। लेकिन दिल्ली से उदयपुर जाने में करीब 20 घंटे लगते हैं। आपको हमारी चेतक एक्सप्रेस ट्रेन के उन डिब्बों में जाने की जरूरत नहीं है। आप सैलून लगाकर जायें और अपने चेयरमैन के साथ यात्रा करें तो आपको पता चलेगा कि केवल 700-750 किलोमीटर की यात्रा 20 घंटे में तय करके किस प्रकार में संसद में पहुंचती हूं और किस प्रकार हमारे यहां से लोग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेज लेकर आते होंगे। केवल दो फ्लाइट्स दिल्ली से उदयपुर की है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार टूरिस्ट टिकट लेकर वहां पहुंचते होंगे।

यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि वह क्षेत्र एक प्रकार से मिनरल्स का क्षेत्र है। वहां पर प्रचुर मात्रा में राक-फास्फेट, जिक, जिप्सम और मार्बल की खोदने हैं। वहां से किस प्रकार माल को आगे के लिए भेजा जाये इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय ने नहीं सोचा। हमारी बहुत दिनों से मांग है कि उदयपुर से चित्तौड़गढ़ को ब्राड़गेज में परिवर्तित किया जाये, यह हमारी बहुत पुरानी मांग है। मंत्रीजी अपने जवाब में कह सकते हैं कि सम्पूर्ण भारत में जब 20970 किलोमीटर लाइन का गेज परिवर्तन हुआ तो राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा भी उसमें परिवर्तित हुआ। लेकिन वह उस इलाके का हिस्सा है जो हमारी सीमा से लगा हुआ है। यह ठीक बात है। क्योंकि वहां हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन वह इलाका जो राजस्थान, हिन्दुस्तान और यहां तक विश्व को भी खनिज देता हो, क्या उसके बारे में सोचा गया है कि वहां किस प्रकार इन मिनरल्स को भेजा जाये ? वहां मार्बल की इतनी खदानें हैं क्या रेल मंत्रालय ने कभी इस पर सोचा है कि किस प्रकार बम्बई और दिल्ली तथा अन्य इलाकों में मार्बल्स की मांग है, वहां किस प्रकार पहुंचायेंगे ? केवल 90 किलोमीटर ब्राडगेज न करके हम दिल्ली और बम्बई से कटे हुए हैं। उसके साथ-साथ हम दक्षिण भारत से भी कटे हुए हैं। मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इस उदासीनता को तोड़ें। मैं उनके चेयरमैन साहब से भी कहना चाहूंगी कि इस उदासीनता को तोड़कर एक रेशनल ढंग से सोचकर इस प्रभाग को विकसित करें।

उदयपुर से जोधपुर तक कोई ट्रेन नहीं जाती। मारवाड़ जंक्शन तक तीन दिन लग जाते हैं और उसमें कुछ डिब्बे जोधपुर की ट्रेन के लग जाते हैं। मीरा एक्सप्रेस पहले चला करती थी। पिछले दिनों उसको बंद कर दिया गया है। उदयपुर के लोग ज्यादातर मऊ और इंदौर में रहते हैं, लेकिन मऊ-चित्तौड़गढ़ गाड़ी साढ़े दस घंटे तक चित्तौड़गढ़ में पड़ी रहती है। उस गाड़ी को उदयपुर तक बढ़ाया जा सकता है। अहमदाबाद का ज्यादा ट्रेफिक नाथद्वारा तक जाता है, उसको भी नाथद्वारा तक आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दस घंटे वहां भी इंजन खड़े रह सकते हैं। मंत्रीजी इस सम्बन्ध में सोचें और इस दक्षिणी प्रभाग को रेशनल थिंकिंग के साथ सोचकर उसके साथ न्याय करें।

भविष्य निधि, पेंशन और सेवानिवृत्ति जैसे अन्य लाभों के लिए भी इसमें कुछ मांग है। कुछ विधवाओं के पत्र मुझे भी प्राप्त होते हैं। जिसमें जिक्र होता है कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है। शायद मांग का कारण यह हो कि पिछला बकाया हो। यदि यही बात है तो मैं उसका स्वागत करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि मंत्रीजी उन विधवाओं को न्याय देने की कोशिश करेंगे।

जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान पर्यटन का घर है। पर्यटक वहां राजस्थान के दर्शनीय स्थलों को देखने जाता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए वहां पैलेस आन व्हिल चालू की गई और उसे पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया गया था कि हम सही मायनों में इसे चालू करें। लेकिन ब्राडगेज और मीटरगेज के झगड़े के कारण यह नहीं चल पा रही है। भविष्य में भी यह चलेगी या नहीं, पता नहीं है। एक नया रास्ता गुजरात-राजस्थान के कुछ भागों से होकर गुजरा है, मंत्रालय ने सोचा है। लेकिन टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं और राजस्थान के पैलेसेज को देखना चाहते हैं।, उसके मरुस्थल के बारे में जानकारी चाहते हैं। यहां की झीलें देखना चाहते हैं। मेरा यही कहना है कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट्स के साथ यह अन्याय न किया जाये। यह विचार भी दिया जाये कि जहां पर ब्राडगेज करने की योजना है लेकिन टूरिज्म को खतरा है, वहां पर मीटर गेज चालू रखी जाये। इस संबंध में मंत्रालय को सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मंत्रालय की दो बातों के लिये धन्यवाद देना चाहती हूं, पहली तो यह है कि रेलगाड़ी में खाना अब पहले की अपेक्षा बेहतर मिल रहा है और दूसरी बात यह है कि रेलवे में बिहेवियर की तारीफ करते रहते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि बिहेवियर साईस की क्लासेज खोल दी जाये तो इस प्रकार से कुछ नया किया जा सकता है।

सभापति महोदय, एक तरफ तो रेल मंत्रालय को धन्यवाद देने का मन कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने इलाके के लोगों के क्षोभ को व्यक्त करने का भी दायित्व है। हमारे यहां चेतक एक्सप्रेस में सेकिंड ए. सी. का पुराना डिब्बा है, मैं चाहती हूं कि उसको फर्स्ट ए. सी. का कर दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिले-जुले भाव से रेल की अनुपूरक मांगों का स्वागत करती हूं।

श्री हरचंद सिंह (रोपड़) :सभापति महोदय, मैं तो यह बताने के लिये खड़ा हूं कि यही एक महकमा है जो सरकार को रुपया कमाकर देता है। इस महकमें की जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम है क्योंकि आज पंजाब में लोग बसों के बजाय रेल में यात्रा करना पसंद करते हैं। जहां तक रेलमंत्री जी की बात है, इनको पता ही नहीं है कि वे लंका के रहने वाले हैं या भारत के? पंजाब से सबसे ज्यादा कमायी आती है लेकिन रेलों के बारे में पंजाब का नाम नहीं है। पंजाब में

12 हजार गांव है लेकिन कोई भी रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। चंड़ीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है लेकिन पंजाब से किसी जगह से जुड़ा हुआ नहीं है और लोग बसों पर जाते हैं। क्या महकमा यह नहीं सोच सकता है कि कम से कम राजधानी को तो रेल मार्ग से जोड़ दिया जाये? मैंने दो बार चिट्ठी रेलमंत्री को लिखी है और जवाब आता है कि राजपुरा को चंडीगढ़ से मिला रहे हैं। वहां कोई काम-धंधा नहीं है और रेल लाइन मिला रहे हैं। तो चिट्टी क्यों लिखी थी? हम लोगों को चिट्ठी दिखाते हैं कि दो चिट्ठियां दी थीं पर वहां कुछ तो काम हो। कुछ काम करों कि उधर से शिमला तक लाइन चलती रहे। पंजाब में 12,000 गांव है और पंजाब के लोगों को रोज वहां हाई कोर्ट में जाना पड़ता है जो चंडीगढ़ में है, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर भी चंडीगढ़ में है। इसलिए बाकी पंजाब को चंडीगढ़ से मिलाया जाना चाहिए। आप जो यहां कहते हैं वह करके तो दिखाएं। रुपया तो सारा शरीफ साहब दक्षिण में लगाते हैं। उत्तर भारत में कोई आदमी रेलवे का नहीं है। सारी कैबिनेट दक्षिण की है। उत्तर भारत का कोई नहीं है। उत्तर भारत को इन्होंने बिल्कुल इगनोर कर रखा है और यह कभी बरदाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं कि जाफ़र शरीफ़ जी, आप पंजाब को उसकी राजधानी चंडीगढ़ से मिला दें।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति जी, केन्द्रीय रेलवे बजट में पूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे ने कुछ समय से काफी प्रगति की है और खासतौर से जो नैरो गेज (छोटीलाइन) था, उसको (बड़ी लाइन) ब्राड गेज में बदलने में प्रशंसनीय प्रगति की है। फिर भी बहुत कम नयी रेल लाइनें जोड़ी गई हैं। हमारे रेल मंत्री को देखना चाहिए कि हम हर बार कहते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के साथ हम न्याय करेंगे। बारम्बार ऐसा कहते हैं मगर उन इलाकों तक रेल लाइन नहीं जोड़ेंगे तो उनकी प्रगति कैसे होगी?

हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा जिला बस्तर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल से बहुत बड़ा है। केरल वालों ने अपनी बात की। वहां तो राजधानी ऐक्सप्रैस कम से कम त्रिवेन्द्रम तक पहुंची है लेकिन पालघाट पर रोकने के लिए उनकी मांग है। आजादी के 48 वर्ष बाद भी बस्तर जाने के लिए रेल लाइन नहीं बनी। वहां नमक भी हमें महंगा मिलता है। व्यापारी वर्ग अपने ट्रकों और बसों से सामान लाते हैं और महंगी चीजें बेचते हैं। उदाहरण के लिए शहद दिल्ली में 90 रुपये किलो बिकता है और बस्तर में 12 रुपए किलो बेचते हैं, या जितना नमक तो उतना शहद दे दो। यह बस्तर में कितना बड़ा शोषण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े जिले को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहिए। हमारे इस्पात मंत्रालय ने उनसे कहा है कि दिल्ली-राजहरा से बैलाडीला तक रेल लाइन बनाने में हम बहुत पैसे देंगे इसमें समझौता हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार उनको जमीन देने की बात करेगी और उसके बाद रेलवे मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय उसे बनाएंगे क्योंकि वहां से आइरन ओर लाना है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट को अगर आइरन ओर के लिए बैलाडीला से नहीं जोड़ा जाएगा तो चार साल बाद भिलाई स्टील प्लांट बंद हो जाएगा। उसने सबसे अधिक प्रगति की है और सबसे अधिक लोहा विदेश को बेच रहा है रेल मंत्री जी यहां किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं, गोमांगों जी उनको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें उनको नहीं बता सकेंगे क्योंकि इनके पास टेप रिकार्ड तो नहीं है। उनसे में कहूंगा कि इसी साल एक बार हमारे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि वहां रेल लाइन खुल जाएगी और जब सवाल बस्तर के बारे में मनकूराम जी ने पूछा तो उसमें कहा कि ऐसा प्रस्ताव योजना आयोग से मंजूर नहीं हुआ है। यह कैसे हो

गया, जब एक बार आपने हां कह दिया तो बाद में वह बहाना क्यों नहीं हुआ ? कहने का तात्पर्य यह है कि आप तत्काल प्लानिंग कमीशन से मंजूरी लेकर इसी साल कुछ टोकन ग्रांट इस सप्लीमेटरी बजट में अवश्य शामिल करें जिससे कि अक्तूबर तक वहां काम शुरू हो सके तभी हम वहां के आदिवासियों के साथ न्याय हुआ समझेंगे और लोगों के सामने कुछ कहने की स्थिति में आयेंगे।

हमारे यहां एक दूसरा जिला सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है और उसमें भी कोई रेलवे लाईन नहीं है। हम क्या क्या कहें, जितना कहें उतना थोड़ा है और बार-बार कहने में हमें शर्म भी लगती है लेकिन हमारी बातें सुनकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। बाकी सब जगह तो चलेगा लेकिन हकीकत की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिये। करगुजा जिले का हैडक्वार्टर (मुख्य कार्यालय) अम्बिकापुर है जहां से विश्रामपुर मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है लेकिन वह 30 किलोमीटर का टुकड़ा आजादी के 40-45 साल बाद भी, आज तक रेलवे लाइन से बार-बार-मांग करने के बावजूद नहीं जोड़ा गया है। कोई उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है महत्व की बात यह है कि वहां से लगभग एक करोड़ रुपये का कोयला प्रतिदिन 3-4 हजार ट्रकों के जरिये बाहर जाता है जो रेलवे लाईन न होने से सड़क मार्ग से जाता है जिससे वहां की सड़कें रोजाना टूटी रहती हैं, खराब रहती हैं। सिर्फ 30 किलोमीटर रेलवे लाइन की मांग करते रहते 50 साल हो गये। मेरा आपके जरिये रेल मंत्री जी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि यदि आपको वास्तव में हरिजन आदिवासियों से हमदर्दी है, उनके साथ सहानुभूति है तो इसी साल उस रेलवे लाईन को बनाये जाने की मंजूरी दे दें और आवश्यक व्यवस्था इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स के जरिये कर दें, तभी हम मानेंगे कि आपको हरिजन आदिवासियों से हमदर्दी है।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां ...**(व्यवधान)** ..... चलिये, मैं आपकी बात मानकर आदिवासियों की बात करना छोड़ देता हूं। हमारे यहां गोदिया से लेकर जबलपुर तक वैसे तो आदिवासी इलाका नहीं है, और थोड़ा है भी रास्ते में आने वाले मुख्य रूप से चार जिले मध्य प्रदेश में आदिवासी माने जाते हैं लेकिन उसके बीच रेलवे लाईन को नैरो गेज (छोटी लाइन) से ब्रौडगेज (बड़ी लाइन) में कन्वर्ट करने (बदलने) के लिये कह तो दिया जाता है कि कन्वर्ट (बदल) देंगे लेकिन कब कन्वर्ट करेंगे (बदलेंगे) उसका पता नहीं। ऐसा लगता है कि आपने मध्य प्रदेश को रेलवे के नक्शे से ही बाहर कर दिया है, किसी जगह रेलवे लाइनों का काम नहीं हो रहा है, कुल 3 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम ही हुआ है लेकिन सवाल यह है कि अंभी जो गोदिया से जबलपुर रेलवे लाईन है, मेरा रेलमंत्री जी से खास अनुरोध है कि उसको जल्दी से जल्दी अवश्य कन्वर्ट (बदल) दें।

इसके अलावा हमारे बिलासपुर में रेलवे का एक डिवीजन है। हिन्दुस्तान में रेलवे को सबसे अधिक आमदनी साउथ ईस्टर्न रेलवे से होती है लेकिन उसका मुख्यालय आपने कल्कत्ता में रखा है। मैं आपके जरिये रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि चाहे आप कोई नया नाम देकर खोलें, या कुछ भी करें, रेलवे का एक नया जोन मध्य प्रदेश में अवश्य खोलें क्योंकि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जबकि वहां रेलवे का कोई जोन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में रेलवे का जोन अवश्य होना चाहिये। वहां के लिये कलकत्ता से भर्ती की जाती है, जब यहां रेलवे का मुख्यालय ही नहीं बनेगा तो रेलवे में नौकरियों के लिये यहां से भर्ती कैसे होगी। इस कारण मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जैसे अंग्रजों के जमाने में मध्य प्रदेश को 'कटर आंफ बुड एण्ड ड्राअर आंफ वाटर' कहा जाता था, अभी भी उसकी वही हालत है। मैं आपके जरिये कहना

चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में रेलवे का कंट्रीव्यूशन इस तरह से हो कि वहां रेलवे का एक जोन अवश्य स्थापित किया जाये क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और हम जानते हैं कि अभी भी वहां क्या होता है और रेलवे मंत्रालय ने जैसे कई जगह कर भी दिया है, भिलाई के चरौदा गांव में बहुत बड़ा मार्शलिंग यार्ड बनाया गया है, जिसके लिये कई हजार एकड़ जमीन खरीदी गयी है लेकिन जिन किसानों की जमीन ली गयी है, उनके बच्चों को भले ही वे कितने शिक्षित हों, क्वालिफाईड हों, पढ़े-लिखे हों, कोई नौकरी रेलवे में नहीं दी गयी है। मेरा आपके जरिये रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन किसानों की या लोगों की जमीन भिलाई मार्शलिंग यार्ड के लिये ली गयी है, उनके बच्चों को रेलवे की नौकरी में लिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि अनक्वालिफाईड बच्चों को भी लिया जाये लेकिन आज तो उन्हें चपरासी के पद पर भी नहीं लिया जाता है।

5.00 म० प०

मेरा अनुरोध है कि जिनकी जमीनें उसमें गई है उनको हर तरह से रोजगार अवश्य दें चाहे वह किसी भी तरह से दें।

मेरा अगला निवेदन यह है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे सबसे ज्यादा प्राफिट कर रहा है, लेकिन उसको आय के इधर-उधर ले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि उस आय का कम से कम 50% पैसा तो, बिलासपुर के आसपास खर्च करने के लिये दें जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन वहां के लिए पैसा नहीं देते हैं और सारे रेलवे के घाटे को पूरा करने के लिए उस पैसे को दे देते हैं। उस आय में से अंबिकापुर और जगदलपुर आदि के विकास के लिए दे दीजिए। वहां से रेलवे को बहुत आय होती है। चाहे वह लोहे से हो, चाहे वह कोयले से हो, वह सब आमदनी छत्तीसगढ़ की है, लेकिन उसको वहां खर्च नहीं करते हैं और सब की सब आमदनी को दूसरी जगह ले जाते हैं।

अगली बात मैं नौकरियों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे मध्यप्रदेश के लोगों को कोई रोजगार रेलवे में नहीं मिलता है जब तक बिलासपुर रेलवे का नया जोन बनेगा तब तक हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस ट्रेन चलती है वह रायगढ़ से निजामुद्दीन और फिर निजामुद्दीन से अमृतसर तक चलती है। आप उस गाड़ी को यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस गाड़ी की हालत बहुत ही खराब है। दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है। कोई कहीं से भी आ जाए और चला जाए। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय अत्यन्त गन्दे पड़े हैं यह गाड़ी पूरे हफ्ते 4-5 घंटे लेट रोजाना बिना नागा चलती है। यह गाड़ी अब तक तो रायगढ़ से निजामुद्दीन के 26 घंटे लेती है। इससे तो अच्छा है कि इस गाड़ी का समय ही बढ़ाकर 35 घंटे का कर दें और इसे बिलकुल पैसेंजर बना दें क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी एक तरफ से आती है तब इसे वहीं खड़ा कर दिया जाता है। इसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। यदि इसको ठीक ढंग से चलाया जाए, तो यह 22 घंटे में रायगढ़ से निजामुद्दीन और यहां से तीन घंटे में अमृतसर पहुंच सकती है।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कभी गलती से ही सही, परन्तु इस गाड़ी में सफर करें, तो उन्हें इस गाड़ी की वास्तविक स्थिति और उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का पता लग जाएगा। वहां पर कोई आफीसर जाने को तैयार नहीं है। वे तो अधिकारी हैं, लेकिन

मंत्री जी तो पब्लिक द्वारा चुने हुए हैं। उनको तो इस बारे में सोचना चाहिए और उन्हें कभी थोड़ी दूर तक की यात्रा इस गाड़ी से करनी चाहिए।

सभापति महोदय, जितना भी हमारा विकास होता है, उसमें रेलवे का हाथ बहुत ज्यादा होता है। हमको अभी जबलपुर से गोंदिया होते हुए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उस क्षेत्र में बालाघाट में दुनियां की सबसे बड़ी और अच्छी ताम्बे की खदानें हैं, लेकिन वहां रेलवे लाइन नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दुर्ग जहां भिलाई स्टील कारखाना है वहां से बालाघाट मंडला होते हुए जबलपुर तक के लिए एक नई रेलवे लाइन बनाई जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होगी। यदि यह लाइन इस इलाके से जाएगी तो खनीज का माल बाहर जाएगा। और इसके इलाके के हरिजन आदिवासियों का विकास होगा और साथ-साथ यह आमदनी देने वाली लाइन होगी।

महोदय, आज यदि मध्य प्रदेश की प्रगति नहीं हो रही है तो उसका एक ही कारण है कि वहां पर रेलवे लाइन बहुत कम हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक रेलवे लाइन दुर्ग से बालाघाट सिदनी मंडला होते हुए जबलपुर के लिए अवश्य बनाई जाए। मेरा निवेदन रहेगा कि इस लाइन पर भी अवश्य ध्यान दें और निश्चितरूप से किसी भी तरह से इस लाइन को बनाएं, वरना ऐसा नहीं होगा, तो हमें अपने उस इलाके से, बिलासपुर से एक रेल मंत्री बनाना पड़ेगा। तभी कुछ होगा वर्ना लगता नहीं। हमने यह देखा है कि जिस जगह का मंत्री बनता है, वहां का तो काम हो जाता है लेकिन दूसरी जगह का नहीं होता है। जब तक हमारे वहां का रेल मिनिस्टर नहीं होगा, क्या तब तक हम इसी तरह अंधकार में पड़े रहेंगे ? इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० मुरली धरन (कालीकट) : मैं रेलवे की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय मैं अपने मित्र श्री विजय राघवन द्वारा पालघाट में राजधानी एक्सप्रैस को रोके जाने की मांग का समर्थन करता हूं। इससे न केवल केरल के उत्तरी भाग के 6 जिलों को लाभ पहुंचेगा बल्कि त्रिचूर और कोयम्बतूर जिले भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि त्रिचुर से कोचीन तक की यात्रा कम से कम 2 घंटे की है जबकि त्रिचूर से पालघाट तक की यात्रा में केवल 1 घंटे का समय लगता है। यदि पालघाट में इस रेलगाड़ी का स्टेशन बना दिया जाए तो राजधानी एक्सप्रैस द्वारा त्रिचूर से यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि इस समय तकनीकी खराबियों की वजह से पालघाट में रेलगाड़ी रुकती है क्योंकि वहां पर कोई स्वचालित संकेतन (सिगनल) परिवर्तन प्रणाली नहीं है। इस कारण राजधानी एक्सप्रैस पालघाट में 2 मिनट के लिए रुकती है। अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे केरल के लोगों की मांगों पर विचार करें और मुझे आशा है कि रेल मंत्री जी हमारी मांग पर विचार करेंगे। महोदय, राजधानी एक्सप्रैस द्वारा त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कोचीन के लिए टिकट जारी नहीं किया जाता बल्कि उन्हें इरोड तक की टिकट दी जाती हैं। अतः यात्री इरोड़ तक का किराया देने के लिए बाध्य होता है जब कि उस यात्री को केवल कोचीन तक ही जाना होता है। यह त्रिवेन्द्रम से कोचीन की यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ अन्याय है।

महोदय, मंगलौर से निजामुद्दीन के बीच मंगला एक्सप्रैस रेलगाड़ी जुलाई, 1993 में चलाई गई थी। इस समय त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रैस में 22 डिब्बे और

2 डीजल इंजन लगाये जाते हैं जबकि मंगला एक्सप्रैस में केवल 10 डिब्बे ही लगाये जाते हैं। जिससे उत्तरी केरल के लोगों को इस रेलगाड़ी से मंगलौर से निजामुद्दीन की यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती है। इस रेलगाड़ी में केवल 30 प्रतिशत आरक्षण है शेष 70 प्रतिशत तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए आरक्षित है। केरल के उत्तरी भाग के लोगों को केवल 30 प्रतिशत ही आरक्षण मिल रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रैस की तरह ही इस रेलगाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 10 से 22 कर दी जाए।

5.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, यह बताया गया था कि शोरानूर से मंगलौर तक रेल लाइन के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा। अब रेल मंत्रालय ने कुट्टीपुरम से कालीकट तक रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए केवल 2 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं जबकि इसके लिए वास्तव में 60 करोड़ रु० की लागत आएगी। 2 करोड़ रु० की यह राशि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें शोरानूर से मंगलौर तक रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए और अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए। कोंकण रेलवे परियोजना के मार्च, 1995 में पूरा होने पर ही लोगों को लाभ पहुंचेगा।

यदि मंगलौर शोरानूर रेल लाइन को शीघ्र ही दोहरीकरण कर दिया जाता है तो इससे केरल के लोगो को विशेष रूप से उत्तरी केरल के लोगों को लाभ होगा।

मंत्रालय से यह पता चला है कि योजना आयोग ने कोट्टीपुरम गुरुवायूर रेलवे लाइन को स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री जी को इस रेलवे लाइन में व्यक्तिगत रुप से रुचि लेनी चाहिए।

पहली जुलाई से त्रिवेन्द्रम और बम्बई के बीच एक साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाई गई है परन्तु इस रेलगाड़ी में उत्तरी केरल के लिए कोई शयनयान नहीं दिया गया है। इस समय कन्याकुमारी-बम्बई एक्सप्रैस में शोरानूर मंगलौर के लिए केवल एक शयनयान है। अतः मेरा अनुरोध है कि उत्तरी केरल के लिए इस रेलगाड़ी में कम से कम तीन आरक्षित डिब्बों की व्यवस्था की जाए। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

रेल मंत्रालय ने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की घोषणा की है। वे लाइन परिवर्तन को अधिक महत्व दे रहे हैं परन्तु खेद की बात है कि रेल विभाग ने कोल्लम-थेनमाला-चेनगोट्टा से मद्रास तक की छोटी लाइन को बदलने के लिए धनराशि नही दी है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस क्षेत्र के लिए धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा नानगमेचोड़ और वाइथिरी के बीच रेल लाइन बिछाने के संबंध में है। मैंने इस मामले को इस सम्माननीय सदन में अनेक बार उठाया है विनाड़ केरल में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ और आदिवासी जिला है। यदि नानगमेचोड़ रेल लाइन को वाइथिरी तक बढ़ा दिया जाता है तो विनाड़ रेल मानचित्र में शामिल हो जाएगा।

कर्नाटक सरकार ने विशेष रूप से कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने रेल लाइन को नानगेनचोड़

से वाइथिरी तक बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया है। ये न्यूनतम मांगें है और हमें आशा है कि रेल मंत्री केरल के लोगों की इन मांगों पर विचार करेंगें।

एक बार फिर मैं पालघाट स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को रोकने के इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मैं पुनः रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इस पर हमको बोलना है, इसलिए कम से कम एक घंटा और बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : एक घंटा पहले ही बढ़ा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें संबंद्ध मुद्दों तक ही सीमित रहना है। हमें समय सूची का पालन करना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को समय मिल सके। प्रत्येक सदस्य केवल पांच अथवा छः मिनट का समय लें।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सुझाव दिया है मैं केवल दो या तीन मुद्दों तक स्वयं को सीमित रखूंगा। सर्वप्रथम मैं विगत तीन वर्षों के दौरान कतिपय सुधार करने के लिए रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

वे सभी बहुत स्वागत योग्य उपाय है। आंशिक आधुनिकीकरण पहले ही किया जा चुका है और एक बात जो टिप्पणी करने योग्य है वह उर्जा संरक्षण और कम्प्यूटरीकरण है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी कुछ उपाय किए गये हैं और यात्री सुविधाओं में भी कुछ सुधार किए गये हैं। मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं मंत्रीजी को बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यात्री किरायों तथा माल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि से बहुत परेशानी हुई है, विशेषकर गरीब तथा दलित लोगों को। जैसा कि सभी जानते हैं, इससे न केवल यात्रियों बल्कि उपभोक्ताओं के प्रति भी सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई है।

कतिपय अन्य समस्याओं पर भी माननीय मंत्री जी द्वारा गम्भीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक बात यह है कि इससे वरीयताएं निर्धारित करने की कमी है। उन्हें अल्प संसाधनों के आबंटन में वरीयताएं निर्धारित करने के प्रश्न पर बहुत गम्भीर ध्यान देना चाहिए। मंत्री और विभाग सदैव यह कहते हैं कि संसाधन अल्प है, यह सही भी है लेकिन यदि उचित वरीयताएं निर्धारित की जाये तो कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

यह सुविदित है और मेरे विचार से इस बात से सभी सहमत होंगे कि यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्राथमिक स्वच्छता की अवहेलना की जाती है। इस ओर बहुत गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे अन्य बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन पर पहले ही यहां चर्चा की जा चुकी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किराया और माल-भाड़े में वृद्धि किए बिना, उत्पादकता में वृद्धि करके, संचालनात्मक दक्षता में सुधार करके तथा मूल्य नियंत्रण द्वारा

संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है। इन बातों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया और उनका बहुत गम्भीरता से पालन किया जाना चाहिए।

मैं कुछ उन बातों को दोहराना चाहता हूं जिनका केरल के मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं केवल उन मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा। एक शोरनुर-मंगलोर तथा कोलम-त्रिवेन्द्रम लाइनों को दोहरा करने, इरोड़-इरनाकुलम लाइन का विद्युतीकरण करने तथा त्रिचुर-गुरुवयूर लाइन का कुट्टीपुरम तक विस्तार करने के संबंध में है।

दूसरा पुरानी बोगियों तथा कोचों को बदलने के संबंध में है। केरल में चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों को और डिब्बे प्रदान किए जाने चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस को रोकने और अन्य बातों के संबंध में केरल के मेरे सहयोगियों के विचारों का भी मैं समर्थन करता हूं।

मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र इदुक्की राज्य के सर्वोधिक पिछड़े जिलों में से एक है और रेलवे ने उसकी पूर्णतया अवहेलना की है। उस जिले में कोई रेल लाइन नहीं है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि अंगामली से इदुक्की जिले के बीच से मदुरई तक रेल लाइन बिछाने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

विगत तीन वर्षों से मैं लगातार इस सभा में यह मांग उठाता रहा हूं। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी तथा भारतीय रेलवे से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (रांबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने रेल बजट के अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। रेल का जो बजट बराबर आता रहता है, मैं देखता हूं कि रेलवे बजट में अधिकांश हमारे सांसद लोग और उच्चाधिकारी लोग यह मांग करते रहते हैं कि इसमें ऐसी फर्स्ट क्लास लगाया जाये। यह कोई नहीं मानता कि जिनके बीच में से हम लोग चुन कर आते हैं, गांव में जो 80 प्रतिशत जनता रहती है उनको देखिए उस डिब्बे में द्वितीय, तृतीय में एक भी डिब्बा नहीं बढ़ाया जाता, यह में पहली मांग करता हूं कि उसको बढ़ाया जाये। जिन गरीबों के पास कम पैसा है उनके लिये साधारण डिब्बा अधिक से अधिक लगाया जाये।

महोदय, अब मै अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा, पिछली बार भी मैंने कहा कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। सोनभद्र जिले में बिजली, कोयला एल्यूमीनियम सीमेंट बहुत पैदा होता है, हमारे क्षेत्र में ट्रेन चलाने के लिये शक्तिनगर, रेनुकूट से कई बार मांग की है जहां पर तमाम बाहर के लोग आते-जाते हैं। वहां पर एन० टी० पी० सी०, एन० सी० एल० तथा बिड़ला एवं कनोडिया केमीकल की तमाम फैक्ट्रियां हैं उन्हें बनारस, इलाहाबाद जाना पड़ता है। मैं बराबर मांग करता रहा हूं कि एक ट्रेन दिल्ली से वहां के लिये चलाई जाये। मिर्जापुर में कई सालों से एक डीलक्स पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी आती थी जोकि पिछले

कई साल से रुकती थी लेकिन अब वह वहां नहीं रुकती है। वहां की आम जनता को आने के लिये परेशानी होती है। मैंने कई पत्र मंत्री महोदय को लिखे, किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारियों ने कहा है कि यहां पर 22 जोड़ी ट्रेनें चलती है मैं तो कहता हूं कि बहुत चलती हैं लेकिन रुकती नहीं है सोनभद्र और मिर्जापुर के लोगों को कोई सुविधा नहीं है। मैंने रिजर्वेशन के लिये कहा, चिट्ठी भी लिखी थी कि मगध में रिजर्वेशन मिर्जापुर से किया जाये। उन्होंने कहा कि यह गाड़ी सुबह करीब 6 बजे मिर्जापुर पहुंचती है इसलिये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है यह गलत है तथा मुझे बहुत दुख हुआ। हमने हर श्रेणी में वहां के लोगों के लिये मिर्जापुर, सोनभद्र के लिये कोटा की मांग किया है हमारा कहना है कि मिर्जापुर से दिल्ली के लिये मिर्जापुर, सोनभद्र का कोटा निर्धारित किया जाये। उसका नाम पहले डीलक्स था जोकि अब पूर्वा एक्सप्रैस के नाम से हो गई है। वह भी पहले रुकती थी। आज उसका टाइम अच्छा हो गया है इलाहाबाद मुगलसराय रूकती है अगर वह मिर्जापुर या चुनार जंक्शन पर रुक जाये तो उससे शक्तिनगर, बीजपुर, रेनुकूट इत्यादि हमारा जो इंडस्ट्रियल ऐरिया है, जोकि आपको बिजली देते हैं, बिजली की ट्रेनें चलती हैं वहां के लोगों को सुविधा हो जायेगी। पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी में मिर्जापुर से प्रत्येक श्रेणी में कोटा निर्धारित कर रिजर्वेशन किया जाये तथा एक गाड़ी शक्तिनगर या रेनुकूट से चलाई जाये।

महोदय, मेरी एक मांग यह भी है कि शक्तिनगर, रेनुकूट या चोपन से चुनार तक विद्युतिकरण कर दिया जाये तो मिर्जापुर जो डेढ़, दो सौ किलोमीटर पर है इससे वहां की जनता को भी सुविधा मिल जायेगी। मेरा कहना है कि मिर्जापुर और सोनभद्र में हर चीज है। बिजली, कोयला, लोहा तथा और भी बहुत सी चीजें हैं। हमने कई बार स्लीपर कारखाना खोलने के लिये मांग की है। वहां पर सीमेंट के भी कारखाने हैं। स्लीपर कारखाना इलाहाबाद में खुला है और सारा सामान सोनभद्र, मिर्जापुर से जाता है। हमने कई बार यहां पर स्लीपर कारखाना खोलने के लिये मांग की है क्योंकि यहां पर कम लागत में स्लीपर कारखाना बन सकता है। एक मेरा कहना यह है, कि मैंने कई बार इनके अधिकारियों को पत्र लिखा तथा मंत्री जी को भी लिखा और अब यह प्रश्न उठाया था कि ग्राम जोकाही खाता सं. 3 में 147 एकड़ रेलवे की जमीन है जोकि हिंडालको के कब्जे में है, वह जमीन कारखाने से वापिस नहीं ली जा रही है। इसका कारण मुझे यह लगता है कि अधिकारी लोग मालिकों से मिले हुए हैं, वहां जाकर उनके गैस्ट हाउसों में ठहरते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज तक रेलवे का कब्जा नहीं हो पाया जबकि वहां पर सैटलमेंट हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उस, जमीन पर छोटी-छोटी दुकानें बना कर आदिवासी मजदूरों को वहां पर बसाया जाए, जिससे रेलवे को काफी लाभ होगा।

आज एक और उलझन पैदा हो गई है। बारिश के कारण पिछले साल भी वहां पर रिहंद नदी का पुल टूट गया था और मंत्री महोदय ने वाराणसी, गोरखपुर पर गाड़ी दी थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। अब रिहंद के 5 फाटक खोले गए हैं और चोपन ब्रिज का तीसरा पाया ध्वस्त हो गया है। यह औद्योगिक बैल्ट में पिछड़ा हुआ इलाका है, यहां पर यातायात की असुविधा होने की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, ट्रकों का आना-जाना भी बंद हो गया है, केवल बिहार का एक रास्ता है, जहां से सामान आ-जा सकता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल पिछले साल की तरह वहां की समस्या को देखते हुए गोरखपुर, शक्ति नगर, रेनूकूट के लिये एक गाड़ी चलाई जाए। जिस प्रकार वर्ष 1991 में चलाया गया है।

एक मांग और रखना चाहता हूं और वह बंबई के बारे में है। सोनभद्र, मिर्जापुर से बंबई जाने के लिए इलाहाबाद होकर जाना पड़ता है। मैंने मांग की थी कि गोरखपुर, बनारस, शक्ति नगर होते हुए यदि एक गाड़ी बंबई के लिए चलाई जाय तो इससे बंबई तक की दूरी भी 200 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी तथा उस क्षेत्र के विकास में भी सहायता मिलेगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस मांग की ओर ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर से जबलपुर के लिए एक नई रेलवे लाईन बनाने की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है। मंत्री जी ने इसके बारे में बताया है कि इस पर 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण लाईन है और इससे मध्य प्रदेश और बिहार की दूरी कम हो जाएगी। यह इलाका मध्य प्रदेश और बिहार से घिरा हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र है, सिंगरौली है, यहां पर लोग दूर-दूर से आकर बसे हुए हैं, सोनभद्र और शक्ति नगर के इलाके में बड़े बड़े कारखाने हैं। इसलिए यह रेलवे लाईन हमको मिलनी चाहिए।

एक मांग मैंने और की थी कि चुनर रेलवे स्टेशन पर पैदल ब्रिज बनाया जाए। बस से उतर कर आने वालों को 3-4 किलोमीटर पैदल चल कर स्टेशन आना होता है, रेलवे लाईन भी लोग पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए यह पैदल ओवर ब्रिज बनाया जाए। एक गाड़ी जो प्रयागराज एक्सप्रेस के नाम से चलती है उसे वाराणसी तक बढ़ा दिया जाए तथा उसका रूट नई लाइनें इलाहाबाद से, माधोसिंह, कछुवा रोड होते हुए वाराणसी जं. तक किया जाये। इस रेल लाइन का शीघ्र विद्युतीकरण भी किया जाये।

इसी तरह से मिर्जापुर में गेट बंद होने से नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी मांग है कि मिर्जापुर में एक ओवर ब्रिज बनाने के तत्काल आदेश प्रदान किए जाएं।

एक इंटरसिटी गाड़ी के लिए भी मेरी मांग है, ताकि वाराणसी, शक्तिनगर के लिए चुनर, मिर्जापुर होते हुए आवागमन चलता रहे।

छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने के लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से एक गाड़ी इलाहाबाद के रामबाग स्टेशन होते हुए जाती थी, इसी तरह से गोरखपुर तक बड़ी लाईन हो जाने के बाद एक गाड़ी चलाई जाए जो वहां से होते हुए कछुवा रोड, माधोसिंह, गोपीगंज होते हुए इलाहाबाद, दिल्ली तक आ जा सके जिससे करीब-करीब 2 घंटे का यात्रियों का समय बच जाए। मेरी मांग है कि पूर्ण एक्सप्रेस गाड़ी (डीलक्स) तीन दिन वाराणसी से होकर गुजरती है, वह दूसरी लाईन से जाती है, उसको मैं चाहता हूं कि वह कछुवा रोड माधोसिंह गोपीगंज होते हुए इलाहाबाद से दिल्ली आए जिससे एक-दो घंटे का समय बचेगा और उसको कछुआ रोड पर रोका जाए। क्योंकि मिर्जापुर भदोही कालीन उद्योग क्षेत्र है तो वहां के लोग आसानी से दिल्ली या बंबई जा सके तथा गाड़ी रोकने में विलंब से भी बचेगा। मैं यह भी चाहता हूं कि चोपन पुल से टूट जाने से जो इस समय स्थिति खराब हो गई है उसको शीघ्रता से ठीक किया जाए और वाराणसी से शक्तिनगर के लिए तुरंत एक ट्रेन चलाई जाए। मैं इन्ही शब्दों के साथ अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय से संम्बधित अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

अर्कोनिम रेलवे उपरिपुल का निर्माण-कार्य राज्य सरकार से अभी तक वित्तीय आबंटन प्राप्त न होने के कारण रूक गया है। मैं जानता हूं कि इसके लिए रेल बजट में निर्धारित की गई निधियों को पहले ही जारी कर दिया गया है। मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा० सेल्वी जयललिता के साथ उठायें। कृपया राज्य सरकार से आवंटन की लम्बित राशि दिलाने के मामले में शीघ्रता बरती जाए और इस परियोजना का कार्य शीघ्रता से पूरा करने को सुनिश्चित किया जाये।

इस स्थिति में, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि अर्कोनिम रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप को आधुनिक बनाया जाये। इसकी तहत मैं अपने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें, अनेक गांव ऐसे हैं, जहां कोई रेल लाईन नहीं है, की उस आवश्यकता को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जिसे काफी लम्बे समय से महसूस किया जा रहा है। यदि आप वालना को टिंडिवनाम से बरास्ता रानीपत, अकेटि, कालपाई, चेय्यर और वान्दाबानी से जोड़ दे तो इस नई रेल लाईन से कई दूरस्थ गांवों को जोड़कर मुख्यधारा में लाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20 लाख की जनसंख्या है तथा इसमें 10 लाख मतदाता हैं। यद्यपि यह अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है फिर भी हमारे स्थान से होकर जाने वाली मद्रास-बंगलौर और मद्रास कोजीकोट रेल लाईन के अतिरिक्त हमें अन्य कोई रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे देश को आवादी प्राप्त हुए लगभग 50 वर्ष बीत गये हैं फिर भी हमारे लोगों की उस आवश्यकता को अभी तक पूरा नहीं किया गया है जिसकी काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है। जब श्री माधव राव सिंधिया हमारे रेल मंत्री थे तो उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार किया था और नई रेल लाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ किये गये सर्वेक्षण का कार्य भी किया था। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि इसकी लागत 100 करोड़ रू० आयेगी। अब भी मैं उसी मांग को दोहरा रहा हूं जिसे मैं अक्सर इस वर्ष रेल बजट पर चर्चा करने के दौरान हस्तक्षेप करके दोहराता रहा हूं। यदि इसके लिए 100 करोड़ रू० ऋण जुटाने की आवश्यकता है तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से यह राशि इकट्ठी करने को तैयार हूं। अपने रेल मंत्री को यह आश्वासन देते हुए मैं उनसे यह आशा करूगां कि वे इस पर उचित रूप से विचार करें।

कृपया बंगलौर मद्रास के बीच दिन में चलने वाली एक्सप्रैस रेलगाड़ी को अनवरती खानपत में रोका जाये। पिछले कुछ समय से उस क्षेत्र के लोग यह मांग कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कस्वा है। जब यहां अंग्रेजों और टीपु सुलतान के बीच युद्ध हुआ था तो अनवरतीखान टीपु का कमान्डर था जो बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी स्मृति को बनाये रखने के लिए इस स्थान का नाम उसके नाम पर रखा गया है। यहां 20,000 से भी अधिक लोग निवास करते है और उनके वाणिज्यिक सम्पर्क हैं तथा वे अपने कारोबार के सम्बन्ध में मद्रास तथा बंगलौर तक लगभग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस रेलगाड़ी के यहां रुकने से उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस दलील पर उपयुक्त रूप से विचार करें।

मद्रास और अर्कोनिम के बीच ई० एम० यू० गाड़ियां चल रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उन्हें काटपाड़ी तक चलाया जाये। इससे इस क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम होगी। यदि मद्रास अर्कोनिम और इनके ईर्द-गिर्द क्षेत्रों में आबादी में वृद्धि होगी तो पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। यातायात

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की भीड़भाड़ को कम करने और चारो ओर बस्ती बसाने को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ इस अनुरोध को स्वीकार किया जाये। इससे वहां लोगों को सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त औद्योगिक कार्यों में भी सहयोग मिलेगा। मैं यह बात रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि वे इस पर भी समुचित रूप से विचार कर सकें।

माननीय रेल मंत्री ने कांचीपुरम रेलवे स्टेशन का विस्तार करने तथा उसका नवीकेरण करने में प्रबल रुचि दर्शाई है। इस सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अर्कोनिम-कांचीपुरम-चेंगलपुर रेल लाईन को छोटी लाईन से बदलकर बड़ी लाईन कर दिया जाये। इससे माल गाड़ियों को मद्रास से होकर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें। आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के अनुरोध को मानते हुए आप कटपाड़ी-त्रिरुपति बरास्ता वाग्ला सेक्टर की रेल पट्टरियों को बदलने का कार्य कर रहे हैं। मैं भगवान वेकटेश्वर के भक्तों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आप इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करें।

हमें अक्सर पता चलता था कि रेल के पटरी में उतर जाने से रेल-दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं समझता हूं कि वह समय की मांग है कि हम रेलवे में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करे। आप रेल दुर्घनाओं को रोकने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहले से चेतावनी देने वाले वैज्ञानिक उपकरणों के अविष्कार की सम्भावनाओं का पता लगायें।

अराकोनम रेलवे इन्जीनियरिग कार्यशाला अंग्रेजी शासन के दौरान स्थापित की गई सबसे पुरानी कार्यशालाओं में से एक हैं इसे आधुनिक बनाने और इसका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि केवल इन रेल मंत्री के सेवाकाल के दौरान ही यह कार्य संभव है क्योंकि हमारे माननीय रेल मन्त्री इस क्षेत्र से निकट से जुड़े हुए हैं और इनके वहां कई सम्पर्क हैं। अतः मैं आपसे अराकोनम रेलवे कार्यशाला के विस्तार के लिए पर्याप्त निधियां स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मान स्वरूप निशुल्क रेलवे पास दिये जाने की प्रथा प्रचलित हैं। लेकिन अभी हाल ही में समाचार पत्रों के द्वारा मुझे पता चला है कि अब कुछ समय के लिए इस सुविधा को रोक दिया गया है और हम सब लोग इसके कारणों से भी अवगत है। स्वतन्त्रता सेनानियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि इस सुविधा को शीघ्र पुनरारम्भ किया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी मांग-न्यायोचित है, उनमें से अधिकतर गरीब है और इसलिए आप इसे यथा शीघ्र बहाल करें।

महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरु जैसे महान नेताओं के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था मैं जानता हूं कि उनमें से अधिकतर लोग गरीब थे और उन्होंने अपनी शिक्षा और अन्य व्यवसायों को छोड़कर देश के लिए संघर्ष किया। क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की थी और कमाई करने वाले व्यवसायों के अवसरों को छोड़ दिया था इसलिए उनमें से अधिकतर गरीब रह गए और उनके परिवारों को गरीबी की हालत में रहना पड़ा। अतः आप और स्वतंत्रता सैनिकों के परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों के लिए रेलवे में नौकरियों के अवसरों में प्राथमिकता अथवा उनके लिए 5% तक टोकन आरक्षण करने पर विचार करना चाहिए चाहे वे शिक्षित हों अथवा कुशल अथवा अकुशल श्रमिक हों, उन्हें रेलवे में पुर्नस्थापित किया जा सकता है। मैं रेल मन्त्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें और

महान स्वतंत्रता सैनानियों को, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, को उयुक्त सम्मान अदा करें।

मद्रास-कोयम्बटूर-केरल एक्सप्रेस जो कटपाड़ी में केवल सुबह रूकती हो मद्रास सें कोयम्बटूर जाते समय शाम को भी रोका जाना चाहिए। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वेल्लोर कटपाड़ी के पास से स्थित है जोकि एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केन्द्र है और देश के अन्य कई भागों से लोग चिकित्सा के लिए वेल्लौर आते हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार और देश के अन्य उत्तर पूर्वी भागों से लोग मद्रास होते हुए वेल्लौर आते हैं। अतः यह अनिवार्य है। कि आप कटपाड़ी में सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश दें कि गाड़ी को रोका जाए।

एशिया का सबसे बड़ा नौ सेना हवाई अड्डा अराकोनम में स्थापित किया गया है। बड़ी संख्या में रक्षा कर्मी वहां पर बसे हुए हैं। जब कभी भी गहरे समुद्र में कोई आपातिक स्थिति आती है। नौ सेना के जहाज अराकोनम से गहरे समुद्र में फंसे पोतों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस एयर बस की नींव रखी थी और इसे आरम्भ (जारी) किया था इतने ज्यादा लोगों लाभान्वित करने के लिए वृन्दावन एक्सप्रेस और लाल बाग एक्सप्रेस दोनों गाड़ियों को अराकोनम पर रोकना उपयुक्त होगा मैं यहां यह भी जोड़ना चाहता हूं कि ये सुपरफास्ट गाड़ियां हमारे रेल मंत्री जी के अनुरोध पर ही चलाई गई थी।

अभी हाल ही में आपने मैसूर के लिए शताव्दी एक्सप्रेस आरम्भ की है और मैं आशा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण गाड़ी को कटपाड़ी में भी रोक जाएगा। जैसाकि मैने पहले भी बताया है कि वेल्लौर हस्पताल एशिया में अपने किस्म का एक सबसे बड़ा हस्पताल है और एशिया के कई भागों से लोग इस अस्पताल में चिकित्सा के लिए आते हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मन्त्री जी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

मैं देश के समस्त रेल यात्रियों के पूरे वर्ष के दौरान निशुल्क बीमा किये जाने की सुविधा दिये जाने का स्वागत करता हूं मैं समझता हूं कि कोई दुर्घटना होने पर दो लाख रुपये प्रदान करने की यह योजना विश्व की रेल व्यवस्थाओं में सबसे पहली योजना है। मैं मन्त्री जी को संभावित हित के लिए किए गए इस के लिए बधाई देता हूं। रेलवे स्टेशन और लम्बी दूरी की गाड़ी दोनों में भोजन प्रबन्ध खान पान उपलब्ध कराने के मामले में भी आपका अपना ध्यान दिलाने की आवश्यकता है आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह बेहतर किस्म का ये और खाद्य पदार्थ स्वच्छता से तैयार किए जाऐं।

मैं रेल मंत्री, उनके अधिकारियों और रेल विभाग को विभिन्न परियोजनाओं के कुशल संचालन के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे रेल मन्त्री ने लोगों की आवश्यकताओं को जहां कहीं भी और जब कभी भी पूरा करने का प्रयास किया है दुर्भाग्यवश, अराकोनम उनके ध्यान से निकल गया है। लेकिन अब वह अराकोनम में और उसने आस-पास रहने वाले लोगों की चिर-परिचित आवश्यकताओं और मांगों पर ध्यान दे सकते हैं। हमारी मांगें बड़ी नहीं हैं अतः हम आशा करते हैं कि हमारे रेल मंत्री हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे।

मैं रेल हेतु अनुदानों की मांगों का एक वार फिर समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्री काकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

मैं रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय रेलवे में एक समान रेल लाइनों की व्यवस्था के लिये बड़ी तत्परता से कार्य किया है यद्यपि देश के अनेक भागों में एक जैसी लाइनें बिछाने का कार्य शुरु किया गया है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1930 के आस-पास एक छोटी लाइन विछाई गई थी परन्तु अभी तक इस लाइन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आपके हस्तक्षेप से इसका सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। यह लाइन दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आंध्र प्रदेश में नौपड़ा से शुरु होती है और उड़ीसा में गुणपुर तक जाती है जो कि लगभग 90 किलोमीटर लम्बी है। यह छोटी लाइन है। मेरा अनुरोध है कि 450 कि० मी० लम्बी इस लाइन को विजयनगरम रायपुर लाइन पर गुणपुर से सिंगपुर रोड़ तक बढ़ा दिया जाए। इससे कोरापुर और भुवनेश्वर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा के समय में कमी आयेगी और ईंधन की बचत होगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस रेल लाइन को आठवीं योजना में शामिल करके इसे शीघ्र ही पूरा किया जाए।

महोदय, जैसा कि आपको जानकारी है यह लाइन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और चार जिलों से गुजरती है। यह उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों और तीन राज्यों-आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि इसे एक विशेष मामला मानते हुए इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 26 रेलवे स्टेशन हैं और उनके संबंध में मैंने 56 मांगें रखी हैं। मैं इस समय उन सभी मांगों का उल्लेख नहीं करना चाहता परन्तु मेरा रेल मंत्रालय के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उन मांगों पर विचार करें जो आरक्षण से लेकर रेलवे उपरिपुलों के निर्माण से संबंधित हैं।

मेरा माननीय रेल मंत्री और मंत्रालय से पुनः अनुरोध है कि नौपड़ा-गुणपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाये और इस लाईन का सिंगपुर रोड तक विस्तार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा है कि आपने मुझे रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर अपनी बात कहने के लिये समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें बहुत ही कम समय में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। रेल एक ऐसा माध्यम है जो सारे देश की जनता के लिये उपयोगी है। इसके संबंध में पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेल में सर्वप्रथम गरीब जनता के लिए सोचना बहुत जरूरी है हर ट्रेन में जनरल बोगी अधिक से अधिक लगाई जाए। चूंकि हम देखते है कि दिल्ली स्टेशन पर एक बोगी है और उसमें गाड़ी में चढ़ने के लिए नंबर लगता है और पुलिस वाले उसके लिए दो रुपए बसूल करते हैं। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हर गाड़ी में जनरल बोगी गरीबों के लिए बढ़ाई जाए।

बिहार से लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पैसा कमाने के लिए आते हैं। उनको क्या

कठिनाई होती है वह हमने देखी है और इसीलिए हम आपके सामने यह बात कह रहे हैं। जो रेल सुरक्षा गार्ड है वह उससे पैसा वसूलते हैं, टिकट हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है और फिर पैसा लेने पर ही टिकट वापस किया जाता है। यह गरीब के साथ किया जाता है। इसलिए रेल मंत्री को देखना चाहिए कि यह अत्याचार और जुल्म कब तक चलेगा ? इसे रोकना चाहिए।

अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। खगरिया ऐसा स्थान है कि पांच जिले के लोग वहां से दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ते हैं। समस्तीपुर, खगरिया, गोरखपुर, सहरसा और सुपोह। इसलिए हमारी मांग है कि खगरिया में राजधानी एक्सप्रेस को दो मिनट रोका जाए क्योंकि पांच जिले के लोगों को यहां आने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गोरखपुर और लखनऊ से गाड़ी बरौनी होकर इस रूट से हावड़ा जाती है जिस रूट से अनेक गाड़ियां जाती है। मैं रेल मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि खगरिया वाया कटिहार होकर सिलिगुड़ी के लिए एक गाड़ी कम से कम रोज जोड़ दी जाए क्योंकि कटिहार के लोग सिलिगुड़ी के लोग बरौनी आकर हावड़ा के लिए गाड़ी पकड़ते हैं। हमारे यहां एक मानसी स्टेशन है। वहां पर प्लेटफार्म पर ही बुकिंग आफिस है। एक तरफ रेलवे का नियम है कि बिना टिकट कोई प्लेटफार्म पर नहीं आएगा और दूसरी तरफ रेल विभाग द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया जाता है और बुकिंग आफिस प्लेटफार्म पर है और जब लोग बुकिंग कराने जाते हैं तो मजिस्ट्रेट चैकिंग होती है और वे पकड़े जाते हैं और उनको सजा तथा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए उस बुकिंग ऑफिस को प्लेटफार्म से हटाकर दूसरी तरफ किया जाए जिससे लोग आसानी से टिकट लेकर रेल यात्रा कर सकें। मानसी में एक पैदल पुल बना है जो किसी काम का नहीं है। हम आग्रह करेंगे कि उसे पूर्व की तरफ छोटी और बड़ी लाइन के पार लगाएं जिससे लोगों को सुविधा हो नहीं तो हर साल लोग रेल लाइन पार करते समय मरते हैं। दो चार जगहें हमारे यहां ऐसी हैं कि जहां लोगों को आने जाने के लिए डबल लाइनें टापनी पड़ती हैं। इसके लिए अगर चैक लैण्ड बना दें तो उनको सुविधा होगी। एक नयी गाड़ी चली है जो खगरिया से मानसी कटिहार जाती है। उसे कम से कम बरौनी कटिहार चलाया जाए जिससे गरीब लोग आसानी से बरौनी आकर मुकामा पहुंचें और फिर पटना से दिल्ली आ सकें।

हमारे यहां एक दो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां एक गाड़ी भी नहीं रूकती, जैसे नैनपुर बहुत महत्वपूर्ण है, तीन जिलों के लोग वहां गाड़ी पकड़ने के लिये आते हैं, तीन जिलों के लोगों को वह रेलवे की सुविधायें प्रदान करता हूं, मेरी मांग है कि वहां महानन्दा एक्सप्रेस को कम से कम दो मिनट का ठहराव दिया जाये जिससे कि तीन जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने जाने में सुविधा मिल सके।

मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इन सारी बातों पर अवश्य ध्यान दें ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें। जैसी मुझे जानकारी मिली है, हमारे यहां मानसी फोरबीसगंज रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में कन्वर्ट करने की योजना बन चुकी है, मेरी मांग हैं कि उस प्रस्ताव पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाये और मानसी फोरबीसगंज रेलवे लाईन को शीघ्रातिशीघ्र डबल लाईन में परिवर्तित किया जाये जिससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत हो सके। इन शब्दों के साथ मैं सदन में रखी गयी रेलवे मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में भाग लेने के लिए 6 से अधिक सदस्य यहां उपस्थित

हैं और मैं समझता हूं कि कल भी हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इस समय श्री अयूब खान का नाम सूची में है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 510 धर्मण्णा सादुल बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। यदि सभा इसकी अनुमति देती है तो वे इस समय बोल सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोड्याा सादुल (शोलापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय देने के लिये आपका आभारी हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स रखी हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए मेरे क्षेत्र की जो तकलीफात है, उन्हें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं यहां शोलापुर से चुनकर आता हूं। शोलापुर होते हुये कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को महाराष्ट्र की रांजधानी बम्बई से जोड़ा जाने वाला है मगर अभी तक वह सिंगल ट्रेक होने की वजह से इतनी व्यस्त लाईन है कि उस पर चलने वाली लगभग सभी गाड़ियों काफी देरी से चलती हैं। डौण गुलबर्गा सैक्शन डबल ट्रेक न होने के कारण काफी व्यस्त रहता है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से मिलकर कई बार उनका ध्यान इस ओर दिला चुका हूं कि इस ट्रैक को जल्दी से जल्दी डबल ट्रैक मे कन्वर्ट कर दिया जाए और आज में आपके माध्यम से फिर उनसे विनती करता हूं कि इस सैक्शन को डबल ट्रैक बनाने के लिये आवश्यक प्रावधान रेल बजट में जल्दी से जल्दी किया जाये।

शोलापुर के नजदीक लातूर-मिराज रेलवे लाईन अभी तक नैरो गेज लाईन है जिसको मीटर गेज में परिवर्तित करने का निर्णय मंत्री जी ने ले लिया है। इस सदन के स्पीकर साहब आदरणीय शिवराज पाटिल उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं। उस लाईन को मीटर गेज में बदलने के काम में भूमि पूजन हो चुका है परन्तु उस काम में अभी तक आशातीत गति नहीं आ पायी है।

मेरे क्षेत्र में पंडरपुर कुरदुवाड़ी ऐसा इलाका हैं जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालुजन पंडरपुर धार्मिक स्थल जाने के लिये आते हैं लेकिन वह सैक्शन भी अभी तक नैरोगेज लाईन पर हैं और मीटरगेज न होने की वजह से यात्रियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती हैं कि पंडरपुर कुरदुवाड़ी सैक्शन को मीटरगेज में परिवर्तित करने के लिये तुरन्त व्यवस्था इसी बजट के माध्यम से करें ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो सके।

इसके अलावा शोलापुर से हुबली तक जाने के लिये जो लाईन हैं, वह मीटरगेज हैं। इस लाईन को ब्रांडगेज में कन्वर्ट करने का काम भी मंत्रालय ने हाथ में लिया है मगर इस काम में जितनी तेजी होनी चाहिये उतनी तेजी नहीं है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि उस लाईन को ब्रांडगेज में बदलने के काम में तेजी लाई जायें और शीघ्रातिशीघ्र उसको पूरा कराने की कोशिस की जाये।

शोलापुर से पूना रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं और दोनों जगहों को रेल के माध्यम से जोड़ने के लिये एक शटल ट्रेन की आवश्यकता है। उसकी शुरूवात भी की जानी चाहिये, ऐसी रेल मंत्री जी से मेरी विनती हैं। पूना और शोलापुर दोनों स्थानों में भारी मात्रा में तेलगु लोग

रहते हैं, जो अक्सर आन्ध्र प्रदेश आते जाते रहते हैं परन्तु उनके लिये कन्वीनियेंट कोई ट्रेन नहीं हैं। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती हैं कि पूना से क्राजीपेट के लिये एक नई ट्रेन अवश्य चलाई जाये ताकि तेलगु लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके।

शोलापुर से जाने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन में तीन डिब्बे और लग सकते हैं जो बम्बई जाती है। मेरी रेल मंत्री जी से विनती है कि इस ट्रेन में थ्री-टीयर के दो डिब्बे तथा फर्स्ट क्लास का एक डिब्बा और लगाया जाये। इस ट्रेन में पहले दो फर्स्ट क्लास के डिब्बे थे मगर उनको हटाकर ए॰ सी॰ कोच लगा दिया गया। कई लोगों को ए॰ सी॰ सेहत के लिये ठीक नहीं रहता है और ए॰ सी॰ से उन्हें बहुत तकलीफ होती है।

इसलिए मेरी रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री जी से विनती है कि वे उस ए॰ सी॰ कोट के साथ साथ फर्स्ट क्लास की भी व्यवस्था करवायें।

इसके अलावा रेलवे में तीन-चार सौ वायरलैस आपरेटर्स हैं, जो 15 साल से बिना प्रमोशन के काम कर रहे हैं।। उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है। वैसे इस सैक्शन को रेलवे बन्द कर रही है, लेकिन जब तक बन्द नहीं होता है, तब तक जो लोग काम कर रहे हैं और 15 साल से बिना प्रमोशन के काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन देनी चाहिए। उनको प्रमोशन देने की मैं मंत्री महोदय और रेलवे बोर्ड से विनती करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक उद्यान एक्सप्रैस चलती है जो बंगलौर से बम्बई तक जाती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर एक बुधनी गांव पड़ता है। वहां पर उसको रोकने की बहुत दिनों से वहां के लोगों की मांग चली आ रही हैं। मैंने इस बारे में मंत्री जी से बात की है। मैं विनती करना चाहता हूं कि इस गाड़ी को वहां रोकने का निर्णय शीघ्र लें। मेरी विनती है कि इस उद्यान एक्सप्रैस को वहां रोके जाने के आदेश दें। इसी प्रकार से मेरे शोलापुर सिटी में एक पश्चिम बाग सैटलमेंट एरिया है वहां के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर हमैशा गेट बन्द रहता है और उसके कारण लोगों को आने-जाने में बहुत बाधा पड़ती है। इसलिए मैं वहां पर एक ओवर ब्रिज की मांग करता हूं। मेरा निवेदन है कि मेरी इस मांग को स्वीकार करें और इस कार्य के लिए पैसा मंजूर करके वहां पर भेजें तथा कार्य को शुरू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, शोलापुर एरिया में आने वाले बिजवन से कुड़वाड़ी लाइन में हमेशा डकैती पड़ती रहती हैं जिसके कारण वहां के प्रवासियों को बहुत दिक्कत हो रही हैं। मैं इन डकैतियों को रोकने और वहां के प्रवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि साउथ सैंट्रल जोन में आने वाले शोलापुर सिटी में रेलवे का एक बहुत बड़ा क्रीडांगन है लेकिन उसकी अच्छी तरह से मरम्मत नहीं करने के कारण खिलाड़ी उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस क्रीडांगन की अच्छी तरह से मरम्मत की जाए, ताकि वहां के खिलाड़ी उसका समुचित उपयोग कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि शोलापुर से आने-जाने के लिए पर्याप्त कोटा नहीं है। इसलिए शोलापुर से सभी आने-जाने वाली गाड़ियों में

पर्याप्त कोटा बढ़ाया जाए। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को तथा रेलवे बोर्ड को कई पत्र लिखे हैं। मेरी विनती है कि वे उन पत्रों की ओर ध्यान दें और सभी गाड़ियों में कोटा बढ़ाने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी और मैं भूल से मीटरगेज का बात कह गया। पंढरपुर-मिरज और लातूर के लिए ब्राडगेज लाइन बनाने की मंजूरी हुई है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि यह काम जल्दी से आरंभ किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुनः जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर अमल करने की विनती करता हूं और इन अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतराम सिंगला (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

मैं रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। तीन वर्ष पहले जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो देश की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति तथा विदेशी मामलों की स्थिति बहुत खराब थी। देश सामाजिक रूप से देश जात पात तथा साम्प्रदायिक विभाजन से ग्रस्त। आर्थिक रूप से कमजोर और पंगु तथा राजनैतिक दृष्टि से यह अस्थिर हो गया था और अर्न्तराष्ट्रीय मामलों में इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी लेकिन इन तीन वर्षों के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में और उनकी राजनैतिक समझदारी के कारण ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया है वहां इस देश की प्रतिष्ठा न बढ़ी हो।

मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने भी अत्यधिक विकास किया है। लेकिन मैं यह बात उनकी जानकारी में लाकर उनका ध्यान इस पर केन्द्रित करना चाहता हूं कि भारत में हमारे समक्ष व्यक्तिगत नये कार्यक्रम हैं। उदारीकरण की नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप इस देश को गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हम गेट में शामिल हो गये हैं और हम विश्व से प्रतिस्पर्द्धा करना चाहते हैं। हमें अपनी सेवाओं को चाहे वह यातायात सेवा हो, या दूर संचार सेवा, विमान सेवा हो या रेल सेवा, विश्व स्तर की सेवाओं के समान विकसित करना पड़ेगा। यदि हम इन सेवाओं को विश्व स्तर की सेवाओं के बराबर नहीं लगायेंगें तो मुझे डर है कि हम पूरे विश्व से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखें। जब कभी हम पत्र लिखते हैं। तो वे हमेशा यही कहते हैं कि वित्तीय संकट अथवा वित्तीय कठिनाई है। इन तर्कों को कोई नहीं सुनेगा। जब विदेशों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने आयेंगीं तो वे बेहतर सेवाओं की मांग करेंगी। यदि उन्हें अच्छी विमान सेवाएं अथवा रेल सेवाएं प्राप्त नहीं होंगी तो वे यहां निवेश नहीं करेंगी। इसलिए किसी भी स्रोत से हमें वित्त सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। इसके लिए हम आंशिक रूप से निजीकरण भी कर सकते हैं।

6.00 म० प०

लेकिन यह विश्वास दिलाया जाये कि विश्व स्तर की रेल सेवा की तुलना में हमारी रेल सेवा बेहतर है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब राज्य विगत 10 वर्षों से आतंकवादियों के आतंक से प्रभावित है। इसके बावजूद पंजाब ने काफी योगदान किया है, चाहे वह योगदान खाद्य अथवा रक्षा के सम्बन्ध में ही किया गया है और वह किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा करने के बारे में पीछे नहीं रहा है। आज, जब पंजाब में शान्ति स्थापित हो गई है, कई अनिवासी भारतीय पंजाब में आ रहे हैं और वहां अत्यधिक विकास कार्य हो रहे हैं। पंजाब का औद्योगिकीकरण हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि रेलों की दृष्टि से पंजाब को प्राथमिकता दी जाये। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कुछ रेलवे द्वारा वहां जो थोड़ा बहुत कार्य किया जा रहा है, वह केवल लीपा चोती है। पंजाब में अन्दरूनी भाग को नजर अंदाज किया जा रहा है।

मैं रेल मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मालवा क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और पंजाब का अन्दरूनी भाग है, में कोई रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको और कितने समय की आवश्यकता है ?

श्री संत राम सिंगला : मुझे 5 या 7 मिनट और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा का समय 5 मिनट और बढ़ायेंगे।

श्री संत राम सिंगला : महोदय, दूसरी बात यह है कि चंडीगढ, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। यह संघ शासित प्रदेश भी है। लेकिन मुझे सभा को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि इसे रेल द्वारा पंजाब से नहीं जोड़ा गया है, हांलाकि विगत 30-40 वर्षों से सभी राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में भारत सरकार को पत्र लिख रही हैं कि चंडीगढ़ को रेल द्वारा पंजाब से जोड़ा जाये। मैं रेल मंत्री से यह मांग करूंगा कि चंडीगढ़ को लुधियाना से जोड़ा जाये ताकि पंजाब के लोग अपनी राजधानी में जा सकें। इसी प्रकार,उन्होंने चंडीगढ़ को रावपुरा से जोड़ने की योजना बनाई है। हम इसके लिए पूछ रहे हैं और हमें यह बताया गया है कि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल कागजों पर ही है तथा यह प्रत्यक्ष नहीं है और इस सम्बंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि चंडीगढ़-राजपुरा और चण्डीगढ़-लुधियाना को रेल सेवा से जोड़ा जाये। वहां नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार, पिछले पचास वर्षों से पटियाला से जाखल तक-जो पंजाब का अन्दरूनी हिस्सा है-रेल लाइन बिछाने की एक बहु-प्रतिक्षित मांग चली आ रही है। वहां एक नए रेल मार्ग की आवश्यकता है। यह लाइन पटियाला से जाखल तक समाना-पटरान-मूनक होते हुए बिछायी जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क है और यदि यह लाईन बिछाई जाती है तो उस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप का एक नया परिदृश्य तैयार होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा और अल्पविकसित है। वहां पर औद्योगिकीकरण के लिए काफी अच्छी संभावनाएं हैं।

महोदय, इसमें यदि कोई वित्तीय समस्या है तो मेरा सुझाव होगा कि पटियाला-जाखल रेल मार्ग पर सर्वेक्षण कार्य हिस्सों में कराया जाय। पटियाला में एक उपरिपुल का निर्माण हो रहा है और उसके लिए निधियों के आवंटन की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि निधियों का आवंटन और अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए जिससे कि रेलवे पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके।

मैं श्री जाफर शरीफ साहब का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने अमृतसर से नई दिल्ली तक नई शताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मांग मान ली है। शताब्दी कल से चलना शुरू कर देगी। हम उनके बहुत आभारी हैं। शताब्दी एक्सप्रेस जालन्धर, लुधियाना और नई दिल्ली में रुका करेगी। यह शताब्दी एक्सप्रेस पंजाब के लोगों के लिए चलाई गई है और इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजपुरा, जोकि एक जंक्शन है तथा एक और यात्रियों के लिए और दूसरी ओर लुधियाना-जालन्धर-अमृतसर के लिए टर्मिनल का काम करता है, मैं इसका रुकना मूल रूप से आवश्यक है क्योंकि इससे पंजाब के तीन जिलों अर्थात् पटियाला-संगरूर-फतेहगढ़ साहिब के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार, इस रेलगाड़ी से पंजाब के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सहीं मायने में हो सकेगी।

महोदय, पटियाला मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। पटियाला पंजाब की दूसरी राजधानी भी है और केन्द्र तथा पंजाब सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यालय भी वहां स्थित हैं। इसे 'सैटेलाइट' कस्बा भी घोषित किया गया है। नार्दन जोनल कल्चरल सेन्टर, डी० सी० डब्ल्यू०, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जो इस क्षेत्र में स्थित हैं। लेकिन इस कस्बे के लिए पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। मेरा अनुरोध है कि दिल्ली और पटियाला के बीच एक नई इन्टर्सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाये।

एक दूसरी रेलगाड़ी उच्चार एक्सप्रेस है जो अम्बाला कैन्ट और इलाहाबाद के बीच चलती है। यह अम्बाला कैन्ट से सायं 5.25 बजे चलती है जिसे पटियाला से बनकर चलना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए।

इसी प्रकार एक रेलगाड़ी दादर एक्सप्रेस है जो पटियाला से होकर गुजरती है। यह बहुत धीमी गति से चलती है, मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इसकी गति बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि यह शताब्दी एक्सप्रेस के मुकाबले दुगुना समय लेती है।

'अंडर-ब्रिज' और 'फुट-ब्रिज' बनाए जाने की काफी आवश्यकता है। सूनाम, पटियाला, राजपुरा और लहरागागा में उप-मार्ग/अन्डर ब्रिज/ फुट ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। इन शहरों में यातायात की काफी भीड़ भाड़ होती है। ये उप-मार्ग बहुत ही आवश्यक हैं और इन्हें शीघ्र बनाए जाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव होगा कि इन उप-मार्गों, अंडर-ब्रिज और फुट-ब्रिज के निर्माण हेतु निधियों का आवंटन किया जाना चाहिए।

मैंने कई बार अनुरोध किया है कि सहारनपुर से होकर गुजरने वाली लुधियाना-नई दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी को राजपुरा में रोका जाना चाहिए। राजपुरा पंजाब का एक औद्योगिक नगर है और यह तेजी से विकास कर रहा है। सरकार द्वारा राजपुरा में एक 'ड्राई-पोर्ट' स्थापित करने का विचार है। श्रीराम ग्रुप जैसी कई बड़ी-बड़ी औद्योगिक ईकाइयां भी वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक जंक्शन स्टेशन है और यह पटियाला, धुरी, बरनाला, भटिण्डा, मलारकोटला और सिरहन्द, लुधियाना, अमृतसर, नांगल बांध, आदि की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए टर्मिनल के रूप में काम करता है। चूंकि वर्तमान में राजपुरा सैक्शन में शायद ही कोई रेल सेवा उपलब्ध है अतः नाभा, पटियाला, धुरी, बरनाला और मलारकोटला से बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को दिल्ली और अमृतसर जाने के लिए अम्बाला आना पड़ता है

क्योंकि उपरोक्त रेलगाड़ियां राजपुरा में नहीं रुकती हैं। राजपुरा में इन रेलगाड़ियों को रोकने हेतु उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त लुधियाना-नई दिल्ली एक्सप्रेस को सहारनपुर 'स्टॉपेज' प्रदान करना भी अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि राजपुरा में काम करने वाले अनेक औद्योगिक श्रमिक सहारनपुर और मुज्जफरनगर के रहने वाले हैं। राजपुरा के अधिकांश व्यापारी जो चीनी आदि का व्यापार करते हैं, उन्हें बार-बार इन बाजारों में जाना पड़ता है। अतः, राजपुरा में इस रेलगाड़ी के लिए 'स्टापेज' बनाने से इस क्षेत्र की चिरकालिक मांग पुरी हो जाएगी और इससे औद्योगिक श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने तथा व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन में सहायता मिलेगी।

एक भटिंडा-नई दिल्ली इंटर सिटी एक्सप्रेस है। आपके विभाग ने इस रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन किया है और हरियाणा में कई स्थानों पर 'स्टापेज' बनाए हैं जिसके कारण पटियाला-भटिंडा-नाभा-धुरी के रहने वाले मालवा क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक रेलगाड़ी रेल विभाग द्वारा पंजाब को मुख्यतः मालवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई है। हरियाणा में इस गाड़ी को कई जगह रोकने से पंजाब के लोगों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। अनेक रेलगाड़ियां थोड़े-थोड़े अंतराल पर अंबाला, कुरुक्षेत्र करनाल, पानीपत और दिल्ली से गुजरती हैं और हरियाणा के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। आपसे यह अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी को प्रदान किए गए 'स्टापेज' समाप्त किए जाएं और पुरानी समय सारिणी का पालन किया जाए।

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान रेलगाड़ियों के बार-बार पटरी से उतरने की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। यहां रेल की पटरी को नवीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि यह यत्रियों की सुरक्षा से संबंधित है अतः पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए कि रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के मुख्य कारण क्या हैं। इन दिनों अधिकांश लोग रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद करते हैं और वे समय के बारे में बहुत सजग हैं। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रेलगाड़ियों की रफ्तार इस तरह रखी जानी चहिए कि वे लोगों को प्रभावी सेवा प्रदान कर सकें।

मैं रेलमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय सम्पदा, राष्ट्रीय रक्षा तथा खाद्य उत्पादन में पंजाब के योगदान के कारण रेल बजट में पंजाब को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि पंजाब को रेल सुविधाएं प्रदान करते समय वित्तीय बाधाएं सामने नहीं आनी चाहिए।

मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उस के चुनाव का अनुमोदन किया है और चुनाव के विरुद्ध दायर याचिका को रद्द किया है।

मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 अगस्त, 1994 को 11.00 बजे प्रातः पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 अगस्त, 1994/20 श्रावण, 1916 (शक्) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।